Placed in the Council
20 APR 2011
On...........................

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

मुख्य लेखा परीक्षक
की
वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

विषय-सूची

	पैरा संख्या	पृष्ठ संख्या
्राक्कथन		v
ारांश		vii
अध्याय-I: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लेखे		
्रस्तावना	1.1	1
ारिषद् की वित्तीय स्थिति	1.2	1
निधि के स्रोत एवं उसका व्यय	1.3	1
ाई दिल्ली नगरपालिका निधि	1.4	2
ाजस्व प्राप्तियाँ	1.5	3
़र राजस्व	1.6	5
़र-कर राजस्व	1.7	6
ाहायता अनुदान	1.8	8
ाजस्व प्राप्तियों के बकाया	1.9	10
़यय	1.10	10
़र सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता	1.11	12
ाधिक्य एवं आरक्षित निधि	1.12	13
़यय को किसी खाते में न लेना	1.13	15
ार्षिक लेखों पर सामान्य टिप्पणियाँ	1.14	15
़जट प्रायोजनाओं का विश्लेषण	1.15	18
़यय की अत्याधिकता	1.16	33
ॉडिट रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.17	34
खण्ड- 'क' समीक्षा		
ाध्याय- II: सिविल इंजीनियरिंग विभाग		
ई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की सड़कों का रखरखाव (सड़कों की वार्षिक मरम्मत ़वं रख-रखाव)	2	37
ाध्याय- III: विद्युत विभाग		
ामग्री प्रबंधन (विद्युतीय)	3	61

अध्याय-IV: उद्यान विभाग		
उद्यान विभाग का कार्य संचालन	4	81
खण्ड- 'ख' संव्यवहार लेखापरीक्षा		
अध्याय- V: लेखा विभाग		
उपकर प्रभारों के शेषों का मिलान न करना	5.1	101
स्वीकार्य अवधि की समाप्ति के उपरांत बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन के भुगतान करने के कारण 5.19 लाख रुपये की राशि का अधिक भुगतान	5.2	105
अध्याय- VI: वास्तुविद् एवं पर्यावरण विभाग		
पार्किंग विकास प्रभारों के संबंध में 11.49 लाख रुपये की अल्प-वसूली	6.1	107
पार्किंग विकास प्रभारों के संबंध में 17.95 लाख रुपये की अल्प-वसूली	6.2	108
अध्याय- VII: सिविल इंजीनियरिंग विभाग		
परियोजना के निष्पादन में विलम्ब के कारण बढ़े हुए प्रभारों पर 102.74 लाख रुपये का परिहार्य व्यय	7.1	109
कार्य आदेशों का विभक्तिकरण	7.2	110
अध्याय- VIII: शिक्षा विभाग		
बालवाड़ियों का संचालन	8.1	115
अध्याय- IX: प्रवर्तन विभाग		
वाणिज्यिक इकाईयों के विभिन्न लाईसेंसधारियों के आवंटियों से लाईसेंस शुल्क के बकायों की वसूली नहीं होना	9.1	123
रेड वैनों एवं क्रेनों को किराये पर लेने के लिए निविदा प्रक्रिया में त्रुटियॉं	9.2	125
रिकार्डों का अनुपयुक्त रखरखाव	9.3	126
अध्याय- X: सम्पदा विभाग		
वाणिज्यिक इकाईयों के लाईसेंस धारियों से लाईसेंस शुल्क के बकायों की वसूली न होना	10.1	129
पट्टाधारियों से भूमि के किराये की बकाया राशियों की वसूली न होना	10.2	130
सम्पत्तियों का सरकारी बकायों एवं उस पर ब्याज की वसूली के बिना प्रतिस्थापन	10.3	132
दुरूपयोग तथा क्षतिग्रस्त प्रभारों की वसूली न होना	10.4	134
अध्याय- XI: विद्युत विभाग		
जमा कार्यों पर खर्च हुए आधिक्य व्यय की वसूली न होना	11.1	137
बेकार ट्रांसफारमों के निपटान में विलम्ब	11.2	138
अध्याय- XII: पालिका आवास विभाग		
पालिका क्वार्टरों के पूर्व आबंटियों से किराये के बकायों की वसूली न होना	12.1	141
स्टाफ क्वार्टरों के आबंटन में विलम्ब	12.2	143

अनुलग्नक		
प्राप्तियों का रूझान	I	145
लेखा शीर्ष जिसमें बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान उपलब्ध थे किन्तु वास्तविक व्यय शून्य था	II	146
संशोधित अनुमानों के विरूद्ध शून्य व्यय के साथ लेखा शीर्ष	III	150
संशोधित अनुमानों से 50 प्रतिशत से अधिक बचतों के लेखाशीर्षों का विवरण	IV	153
संशोधित अनुमानों के विरूद्ध आधिक्य व्यय के साथ लेखाशीर्ष	V	162
संशोधित अनुमानों में प्रावधान के बिना व्यय वाले लेखाशीर्ष	VI	168
निष्पादित अनुबंध एवं कार्य आदेश	VII	170
अनुपलब्ध अंतिम बिलों तथा लंबित अंतिम बिलों का विवरण	VIII	172
मदों की आधिक्य प्राप्ति के कारण निधि का अवरोध	IX	176
33 के.वी. स्टोर में मदों के उपयोग में विलम्ब दर्शाती सूची (भण्डार- II)	X	178
विद्युत भवन नई दिल्ली स्थित 11 के.वी. एवं 33 के.वी. विद्युत भण्डार के सम्बंध में, वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए अंतरण प्रविष्टि का विवरण	XI	179
बेकार मदों की सूची	XII	181
नर्सरियों में पहले से उपलब्ध पौधों का क्रय	XIII	183
विभागीय नर्सरियों से गैर-उपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना पौधों का क्रय	XIV	185
पौधों के स्थानीय क्रय पर अतिरिक्त व्यय	XV	187
अपेय जल कनेक्शनों के सम्बंध में किये गये भुगतान एवं देय भुगतान में भिन्नता दर्शाती सूची	XVI	188
अपेय जल कनेक्शनों का बकाया भुगतान	XVII	190
उद्धरणों के माध्यम से उपकरणों का क्रय	XVIII	192
कार्य आदेशों के द्वारा वृक्षों की छॅटाई पर व्यय	XIX	193
पात्र अवधि की समाप्ति के उपरांत बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन को कम नहीं किये गये मामलों को दर्शाती सूची	XX	194
31.12.2008 की अवधि तक रिक्त स्टाफ क्वाटरों पर राजस्व घाटा एवं परिहार्य व्यय का विवरण	XXI	195

प्राक्कथन

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 59 की उपधारा 17 के अनुसार 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष क्री वार्षिक आडिट रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये तैयार कर दी गई है । अधिनियम में यह परिकल्पना की हुई है कि मुख्य लेखा परीक्षक परिषद् के पूर्व वर्ष के समस्त लेखों की रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

यह आडिट रिपोर्ट वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक लेखों तथा लेन-देन/मामलों की टिप्पणियों के संबंध में है । रिपोर्ट में प्रस्तुत ये लेन-देन/मामले उनमें से हैं जो कि वर्ष 2008-09 के दौरान लेखा व लेन-देन के परीक्षण लेखा परीक्षा के दौरान जानकारी में आये तथा पूर्व वर्ष में भी जो जानकारी में आये परंतु पिछली रिपोर्ट में नहीं दिए जा सकें; वर्ष 2008-09 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी आवश्यकतानुसार इसमें सम्मिलित किये गये हैं।

सारांश

इस रिपोर्ट में एक अध्याय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वर्ष 2008-09 की वित्तीय स्थिति से संबंधित है, तीन अध्याय समीक्षा के और अन्य आठ अध्यायों के 18 पैराग्राफों में परिषद् के विभिन्न विभागों के आडिट के परिणाम सम्मिलित हैं।

वित्तीय परिणाम

परिषद् की वित्तीय स्थिति मुख्यतः नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 44 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा पोषित नई दिल्ली नगरपालिका निधि से प्रतिबिम्बित होती है । सभी प्राप्तियों और व्ययों को इस निधि के अधीन लेखांकित किया जाता है । वर्ष 2008-09 के दौरान, 4.14 करोड़ रुपये का घाटा था, जो 31 मार्च 2009 को समापन शेष 87.60 करोड़ रुपये हो गया।

वर्ष 2007-08 में प्राप्त राजस्व 1359.17 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 1412.98 करोड़ रुपये हो गया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 3.96 प्रतिशत अधिक है । कुल प्राप्त राजस्व में कर राजस्व का अंश 263.46 करोड़ रुपये था जो कि कुल राजस्व का 18.65 प्रतिशत था । गृहकर की 210.79 करोड़ रुपये की राशि अर्थात् कुल कर राजस्व का 80.00 प्रतिशत, कर राजस्व का प्रमुख स्रोत बना रहा। वर्ष 2008-09 के दौरान गैर-कर राजस्व का अंश 995.51 करोड़ रुपये था, जो कि कुल प्राप्त राजस्व का 70.45 प्रतिशत था । 2007-08 में 1055.52 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व घटकर 2008-09 में 995.51 करोड़ रुपये रह गया, इस तरह 2007-08 के मुकाबले 2008-09 में 5.69 प्रतिशत कमी दर्ज की गयी । गैर-कर राजस्व का प्रमुख अवयव ऊर्जा की बिक्री था जिसकी कुल राशि 569.28 करोड़ रुपये थी जो कि कुल गैर-कर राजस्व का 57.19 प्रतिशत था।

परिषद् का व्यय 25.87 प्रतिशत घटा है जो वर्ष 2007-08 में 1359.46 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2008-09 में 1007.80 करोड़ रुपये हो गया है। व्यय में कमी का कारण विद्युत आपूर्ति शीर्ष के अन्तर्गत 721 करोड़ रुपये की राशि की विद्युत बिक्री का कम व्यय के रूप में दिखाना था। राजस्व व्यय 2007-08 में 1195.11 करोड़ रुपये से घटकर 2008-09 में 778.97 करोड़ रुपये हो गया है। न.दि.न.पा.परिषद् के निर्माण कार्यों में हुआ पूँजीगत व्यय वर्ष 2007-08 में 155.25 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 214.55 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें जमा कार्य सम्मिलित नहीं हैं और यह पिछले वर्ष की तुलना में 38.20 प्रतिशत बढ़ा है। राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 34.82 प्रतिशत घटा है । वर्ष 2007-08 में हुए व्यय की तुलना में वर्ष 2008-09 में सामान्य सेवाओं में 9.07 प्रतिशत, सामाजिक व विकास सेवाओं में 23.13 प्रतिशत की वृद्धि तथा आर्थिक सेवाओं में 48.67 प्रतिशत की कमी हुई है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान 1193.07 करोड़ रुपये की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ 1412.98 करोड़ रुपये थी। अनुमानित स्तर पर वास्तविक एवं संशोधित अनुमान के मध्य अन्तर केवल 6.46 करोड़ रुपये था, तीन मामलों में 1.45 लाख रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में शून्य प्राप्ति हुई। 47 अन्य मामलों मे, संशोधित अनुमान की तुलना में प्राप्तियों की कमी 0.03 प्रतिशत से 94.04 प्रतिशत के बीच रही। दूसरी और 35 मामलों में, वास्तविक प्राप्तियाँ, संशोधित अनुमानों की तुलना में 0.58 प्रतिशत से 1534.55 प्रतिशत तक अधिक रहीं।

वर्ष 2008-09 के दौरान वास्तविक व्यय संशोधित अनुमानों से 28.29 प्रतिशत कम रहा । 194 लेखा शीर्षों में व्यय संशोधित प्रावधान से अधिक था। व्यय का आधिक्य संशोधित अनुमानों की तुलना में 0.13 प्रतिशत से 29460.00 प्रतिशत के मध्य था। 42 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत संशोधित बजट अनुमान में प्रावधान के बिना व्यय किया गया था। 146 मामलों में संशोधित अनुमानों का उपयोग ही नहीं किया गया था । 218 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत, संशोधित अनुमानों में बचत की सीमा 50.00 प्रतिशत और 99.90 प्रतिशत के मध्य थी।

योजना व्यय के 23 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत, संशोधित अनुमान की 126.50 लाख रुपये की राशि का उपयोग नहीं हुआ । 39 लेखाशीर्षों में, 0.38 प्रतिशत से 99.73 प्रतिशत की बड़ी बचत हुई ।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के प्रारम्भ में विविध अग्रिम शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेष 59.49 करोड़ रुपये था । वर्ष के दौरान 25.79 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अग्रिम राशि स्वीकृत हुई जबकि 85.28 करोड़ रुपये की राशि शेष बकाया थी।

(पैराग्राफ 1)

सिविल इंजीनियरिंग विभाग

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की सड़कों का रखरखाव (सड़कों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव) की समीक्षा

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सड़क रख-रखाव प्रभाग परिषद् क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सड़कों, लेनों एवं उपलेनों के रख-रखाव हेतु उत्तरदायी हैं। ये प्रभाग इन सड़कों, लेनों एवं उपलेनों का रख-रखाव करते हैं तथा आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार आपातकालीन आधार पर रख-रखाव सेवाएँ प्रदान करते हैं। आडिट ने सड़क प्रभागों के द्वारा वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान निष्पादित अनुबंधों/कार्यआदेशों/आपूत्ति आदेशों की जाँच की एवं उपयुक्त वित्तीय लेखाकरण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियों का अवलोकन किया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में परिचालन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सुक्ष्म सतही तकनीक का उपयोग करते हुए सड़कों के सशक्तिकरण एवं पुनःसतहीकरण से सम्बंधित कार्य की पुनर्निविदाकरण को अग्रसर वैट से सम्बंधित प्रश्न पर समय से स्पष्टिकरण प्राप्ति करने में विभाग की विफलता के परिणाम स्वरूप 77.02 लाख रुपये की राशि का परिहार्य व्यय हुआ। परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार, सड़क सुधार कार्यक्रम के चरण-I के अन्तर्गत हाट मिक्स तकनीक का उपयोग करते हुए 29 सड़कों का पुनःसतहीकरण किया जाना था जिसके विरूद्ध,

विभाग द्वारा 41 सड़कों का पुनःसतहीकरण किया गया। तीन मामलों में विभिन्न कमियों के कारण जैसाकि ठेकेदारों की संशोधित बढ़ती सूची पर विचार न करना, निविदाओं में अनुमोदित शर्तों को समाहित न करना एवं निविदाओं की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण जिससे निविदाओं की वैधता समाप्त हो गई थी एवं विभाग को परियोजनाओं के लिए पुनः निविदाकरण करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप 33.67 लाख रुपये की राशि का परिहार्य व्यय हुआ।

के.लो.नि.विभाग नियामावली में उल्लेखित वैधानिक प्रावधानों के वित्तिय शक्तियों का प्रत्यायोजन, अनुमोदित निविदा आमंत्रण सूचना के प्रावधानों के गैर अवलोकन मामले भी अवलोकित किए गए। सड़क प्रभागों द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना अतिरिक्त कार्यों के लिए 23.30 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। वार्षिक अनुमानों के अनुमोदन में 30 दिन से 363 दिनों तक का पर्याप्त/प्रचुर विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी अनुमान तथा अनुमोदन की प्रत्याशा में व्यय किया गया। जांच पड़ताल से पुनः प्रकट हुआ कि 6 मामलों में, 389.81 लाख रुपये की राशि के लिए ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादित किए गए थे जबकि इन कार्यो की अनुमानित लागत 197.85 लाख रुपये थी। इस प्रकार निविदाएँ अनुमानित लागत से अत्यधिक उच्च दरों पर प्रदान की गई थीं जो यह संकेत देती हैं कि अनुमानित लागत वास्तविक रूप से तैयार नहीं की गई थी।

ठेकेदारों के 19 अंतिम बिल फाईलों के गुम होने, गुणवत्ता नियंत्रण के अवलोकन के गैर-निपटान आदि के कारण लम्बित थे। बजट/व्यय नियंत्रण रजिस्टर, सड़क इतिहास (विवरण) रजिस्टर, सड़कों की आवधिक निरीक्षण रिपोर्ट, कार्य विवरण रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर एवं ठेकेदार लेजर जैसे महत्त्वपूर्ण रिकार्डों का या तो रख-रखाव नहीं किया गया था या उपयुक्त रूप से रखरखाव नहीं किया गया था जोकि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी का संकेत देता है।

विभाग को निर्धारित वैधानिक प्रावधानों/दिशा निर्देशों के अनुसरण सहित उपयुक्त दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 2)

विद्युत विभाग

सामग्री प्रबंधन (विद्युतीय) की समीक्षा

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का विद्युत इंजीनियरिंग विभाग परिषद् क्षेत्र में विद्युत वितरण एवं पालिका भवनों में विद्युत वायरिंग आदि के संस्थापन सहित रखरखाव हेतु उत्तरदायी है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विद्युत विभाग में आपूत्ति प्रणाली भण्डार-I एवं भण्डार-II प्रभागों के साथ केन्द्रीकृत है। ये प्रभाग नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विद्युत प्रभागों द्वारा मांगी गई मदों की आपूर्त्ति सहित जारी किये जाने हेतु उत्तरदायी हैं। ऑडिट ने माँग करता प्रभागों/विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के उपप्रभागों एवं इसके भण्डार प्रभागों के रिकार्डों का वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक का निरीक्षण किया एवं यह अवलोकन किया कि माँगकर्ता प्रभाग/उपप्रभाग अपनी-अपनी आवश्यकताओं का आंकलन करने में असफल रहे एवं उन्होंने भण्डार से वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में सामान प्राप्त किया।

ऑडिट ने यह देखा कि माँग से अधिक 36.63 लाख रुपये की राशि की 3 किलो मी. उच्च दाब एक्सएलपीई केबल की आपूर्ति की तथा इसके परिणामस्वरूप 8 मास तक बिना किसी उपयोग के पढ़ी रही जो अवास्तविक आंकलन को दर्शाता है। इसी प्रकार जनवरी 2007 में 43.18 लाख रुपये की राशि से क्रय किये गए 11 के.वी वेक्यूम स्वीच बोर्डों का माँग कर्ता प्रभाग एवं भण्डार प्रभाग के मध्य सामजंस्य के अभाव सहित कमजोर योजना के कारण उपयोग नहीं किया जा सका। निम्न दाब एक्सएलपीई 300 वर्ग मि.मी.x3.5 कोर की केबल आपूर्ति हेतु निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में विलम्ब करने के परिणामस्वरूप 2.29 लाख रुपये की राशि का परिहार्य व्यय हुआ। भण्डार- I प्रभाग द्वारा 31.68 लाख रुपये की राशि तथा भण्डार-II प्रभाग द्वारा 61.23 लाख रुपये की राशि का सामान जारी नहीं किया गया तथा छः मास से 22 वर्ष तक की अवधि के लिए बेकार पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरूप निधि अवरूद्ध हुई। यह अवलोकित किया गया कि भण्डार- I तथा भण्डार-II प्रभागों द्वारा 173.56 लाख रुपये की राशि का सामान माँगकर्ता प्रभागों के अतिरिक्त अन्य प्रभागों को या उक्त प्रभागों को आवश्यक्ता से अधिक जारी किया गया था जोकि माँग के अनुपयुक्त आंकलन का संकेत करता है।

62.48 लाख रुपये की राशि के सामान की प्राप्ति में 7 वर्ष से अधिक अवधि का विलम्ब अवलोकित किया गया। यह सामान प्राप्ति के डेढ़ वर्ष की अवधि हेतु माँगकर्ता प्रभागों द्वारा न उठाए जाने के कारण बिना उपयोग के पड़ा रहा। यह पुनः अवलोकित किया गया कि नई दिल्ली सिटी सेंटर चरण- II में विद्युत कनेक्शन के प्रावधान हेतु 73.46 लाख रुपये की राशि के ट्रांसफार्मर का माँग अनुसार उपयोग नहीं किया गया था तथा इसे ट्रामां सेंटर में संस्थापित किया था। काफी संख्या में स्थानांतरण प्रविष्टियों को उपयुकत रूप से वगीकृत नहीं किया गया है तथा पुनर्मिलान न किए जाने के कारण माँगकर्ता प्रभागों के विरूद्ध लम्बित थी। 275.17 लाख रुपये की राशि की बेकार भण्डारण मदें भण्डार प्रभाग में निप्टान हेतु पड़ी थी।

विभाग को भण्डार प्रभागों के कार्य संचालन को सुचारू करने सहित इन पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 3)

उद्यान विभाग

उद्यान विभाग का कार्य संचालन

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का उद्यान विभाग सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों आदि के रख-रखाव सहित उनकी व्यवस्था करने हेतु उत्तरदायी है। ऑडिट ने विभाग एवं इसके प्रभागों की वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि के लिए रिकार्डों की जाँच की। यह देखा गया था कि भिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत 1.18 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की बचत थी। इसी प्रकार 1.7 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त व्यय किया गया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पार्कों के रख-रखाव हेतु वर्ष 2007-08 के लिए 486.16 लाख रुपये एवं वर्ष 2008-09 के लिए 387.52 लाख रुपये की निधि वार्षिक माँग

अनुमानित थी। खर्च किये गये व्यय का विवरण तथा इस लेखे के लिए के.लो.नि. विभाग से प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए किये गए प्रयासों का विवरण आडिट को उपलब्ध नहीं कराया गया था। नर्सरियों में पौधों का समस्त उत्पादन वर्ष 2007-08 में 66037 पौधों से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 151736 पौधे हो गया था। मार्किट से क्रय किए गए पौधों की संख्या वर्ष 2007-08 में 67692 पौधों से घटकर वर्ष 2008-09 में 20308 पौधों की रह गई थी। यद्यपि विभाग द्वारा किया गया पौधारोपण वर्ष 2004-05 में 31973 से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 79961 हो गया था, तथापि इन वर्षों के दौरान प्रभागों द्वारा किए गए पौधा रोपण की संख्या उक्त अवधि के दौरान विभागीय नर्सरियों द्वारा उत्पन्न पौधों की संख्या से कम थी। आडिट ने देखा कि विभाग ने बिना उपयुक्त सत्यापन के के.लो.नि. विभाग द्वारा भेजे गए बिलों के अनुसार अपेय जल का भुगतान कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 20.96 लाख रुपये की राशि का अतिरिक्त भुगतान हुआ। कुछ जल कनेक्शनों के सम्बंध में वर्ष 2005-06 से आगे तक की अवधि के लिए भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप 1.76 करोड़ रुपये की राशि की देनदारियाँ इकट्ठी हो गई। आडिट द्वारा पुनः अवलोकित किया गया कि पौधों एवं मशीनरी/उपकरणों के क्रय में वैधानिक ओपचारिकताओं का अनुसरण नहीं किया गया था। विभाग ने बोलीदाताओं के चयन हेतु सक्षम अधिकारी से बिना पूर्व अनुमोदन के टेलीफोन द्वारा बोली आमंत्रित करते हुए 15.46 लाख रुपये की राशि के वृक्षों को नीलाम कर दिया।

मालियों के पद हेतु कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत संख्या मानदंडों अनुसार माँग से अधिक थी। वर्ष 2007-08 के दौरान नियुक्त किए गए 165 नये मालियों में से 132 माली अन्य विभागों में दूसरे पदों पर पदस्थापित थे जो यह संकेत देता है कि मालियों की नियुक्ति बिना किसी माँग के की गई थी। दैनिक श्रमिकों को अनुबंधित करने में किसी प्रकार की पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था तथा न ही अनुबंध हेतु अनुसरण की गई प्रक्रिया सहित प्राप्त आवेदन पत्रों का संकेत देते हुए किसी प्रकार के रिकार्ड का रखरखाव किया गया था। वार्षिक अनुमानों के अनुमोदन में 79 दिनों से लेकर 229 दिनों तक की अवधि का विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी अनुमान एवं प्रत्याशित अनुमोदन के व्यय किया गया था।

विभाग को इन क्षेत्रों की समीक्षा तथा वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 4)

लेखा विभाग

उपकर प्रभारों के शेषों का मिलान न करना

भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम 1996 में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्डों के क्षोतों के समवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए रोजगार प्रदाता द्वारा व्यय की गई निर्माण की लागत पर उपकर को उदग्रेहित एवं वसूली करने की व्यवस्था है। उपकर की वसूली के सम्बंध में तथा इसको जमा कराने के रिकार्ड का रखरखाव सम्बंधित प्रभागों सहित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के

लेखा विभाग द्वारा किया जाता है। रिकार्डों की जाँच करने से प्रकट हुआ कि लेखा विभाग में दर्शाय गए आंकड़ों तथा सम्बंधित प्रभागों के रिकार्ड के अनुसार दर्शाए गए आंकड़ों में भिन्नता थी जिसे लेखा में समाहित करने के लिए सही आंकड़ों की सुनिश्चितता हेतु पुनर्मिलान किए जाने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 5.1)

स्वीकार्य अवधि की समाप्ति के उपरांत बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन के भुगतान करने के कारण 5.19 लाख रुपये की राशि का अधिक भुगतान

पेंशन अनुभाग के रिकार्डों की जाँच से प्रकट हुआ कि चार पेंशन भोगियों के मामले में अदा किए जाने वाली पेंशन की बढ़ी हुई दरों को स्वीकार्य अवधि को समाप्ति के उपरांत पारिवारिक पेंशनों की दरों को सामान्य दरों तक नहीं घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 31 मार्च 2009 तक 5.19 लाख रुपये की राशि का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 5.2)

वास्तुविद एवं पर्यावरण विभाग

पार्किंग विकास प्रभारों के संबंध में 11.49 लाख रुपये की अल्प-वसूली

दिल्ली भवन उपनियम एवं विकास विनियमों की शर्तों के अनुसार नर्सिंगहोम, क्लीनिक, औषधालय, पैथालोजी प्रयोगशाला एवं निदान केन्द्र जैसे सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक प्रकति की गैर रिहाईशी गतिविधियाँ आवासीय परिसरों में स्वीकार्य होंगी। ऐसे मिश्रित प्रयोग हेतु शासित नियम एवं शर्तों में पार्किंग के विकास की लागत भूखण्ड के निर्मित क्षेत्र पर स्वामियों द्वारा अदा की जाएगी। तथापि, विभाग द्वारा भवन संख्या 54, हनुमान रोड के स्वामी से निर्मित क्षेत्र के बजाए भूखण्ड क्षेत्र के आधार पर पार्किंग विकास प्रभाग वसूले गए जिसके परिणामस्वरूप 11.49 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ 6.1)

पार्किंग विकास प्रभारों के संबंध में 17.95 लाख रुपये की अल्प वसूली

आवासीय परिसरों में गैर रिहायशी गतिविधियों के संचालन में अनुमति प्रदान करने हेतु नियम एवं शर्तों में पार्किंग की विकास की लागत का प्रावधान है जिसका भुगतान भूखण्ड के स्वामी द्वारा निर्मित क्षेत्र पर अदा किया जाएगा। तथापि, विभाग ने परिसर संख्या 13 आराधना इन्कलेव, सैक्टर-13, आर.के.पुरम के स्वामी से पार्किंग विकास प्रभार निर्मित क्षेत्र की बजाए भूखण्ड क्षेत्र के आधार पर वसूल किए जिसके परिणामस्वरूप 17.95 लाख रुपये की राशि की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ 6.2)

सिविल इंजीनियरिंग विभाग

परियोजना के निष्पादन में विलम्ब के कारण बढ़े हुए प्रभारों पर 102.74 लाख रुपये का परिहार्य व्यय

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने अप्रैल 2006 में एक ठैकेदार के साथ जुलाई, 2007 में कार्य समापन की निर्धारित तिथि के साथ नई दिल्ली सिटी सेंटर चरण-II के सुधार, साज सज्जा, नलसाजी/सेनेट्री एवं अग्निशमन कार्यों के लिए एक अनुबंध किया। अनुबंध की नियम एवं शर्तों के अनुसार, कार्यनिष्पादन के लिए अपेक्षित श्रमिकों के वेतन या सामान के मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो ठैकेदार को ऐसी वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। यह कार्य अन्य अंतर्नियोजित सेवाओं को पूरा करने में हुए विलम्ब के कारण समय पर पूरा नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को श्रमिकों एवं इंधन सहित सामान की बड़ी लागत हेतु ठैकेदार को 102.74 लाख रुपये की राशि के बढ़े हुए प्रभारों का भुगतान करना पड़ा।

(पैराग्राफ 7.1)

कार्य आदेशों का विभक्तिकरण।

सामान्य वित्तीय अधिनियम के नियम 148 के अनुसार कुल माँग के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्च अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की अनिवार्यता को टालने हेतु छोटे-छोटे हिस्सों में क्रय करने के लिए सामान की माँग को लघु मात्राओं में विभक्त नहीं किया जाना चाहिए। अधिशासी अभियंता (जल आपूर्ति) द्वारा जारी कार्य आदेशों से सम्बंधित रिकार्डों की जाँच करने से प्रकट हुआ कि समान प्रकृति के कार्य उसी दिन या उसी फर्म को अल्प अंतराल पर प्रदान किए गए थे। इस प्रकार कार्य को विभक्त करते हुए प्रभाग ने उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति को टाला।

(पैराग्राफ 7.2)

शिक्षा विभाग

बालवाड़ियों का संचालन

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के समाज शिक्षा विभाग के अंतर्गत 15 बालवाड़ियाँ हैं, जिनका कार्यभार दिल्ली सरकार के गृह कल्याण केन्द्र से वर्ष 1976 में लिया गया था। समाज शिक्षा विभाग भर्ती हुए बच्चों को खिलाने एवं मध्यान भोजन प्रदान करते हुए इन बालवाड़ियों का संचालन कर रहा है। समाज शिक्षा विभाग बालवाड़ियों में प्रदत्त किए जाने वाली संरचनात्मकता सहित मूल सुविधाओं की शर्तों के अनुसार, जारी किए गए दिशा निर्देशों, यदि कोई है, की प्रति ऑडिट को प्रस्तुत नहीं कर सका। इन बालवाड़ियों की वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक की अवधि के कार्यसंचालन से सम्बंधित रिकार्डों की जाँच से यह प्रकट हुआ कि इन बच्चों को मूल-भूत ढ़ांचा तक भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। वर्ष 2005-09 के दौरान 15 बालवाड़ियों में से 9 बालवाड़ियों में बच्चों का घटता रूझान था। मध्यान भोजन

योजना से सम्बंधित रिकार्डों की जाँच के दौरान यह अवलोकन किया गया कि आपूर्ति कर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने के लिए बालवाड़ियों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान कम से कम 200 दिनों के दिशा निर्देशों के विरूद्ध 200 कार्यदिवसों से कम अवधि के लिए मध्यान भोजन प्रदान किया गया था। चार बालवाड़ियों में शिक्षण कर्मचारियों की कमी थी । केन्द्रों में पद स्थापित कर्मचारियों पर कोई प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण दिखाई नहीं दिया था जैसाकि रिकार्ड पर कोई पर्यवेक्षण रिपोर्ट नहीं पाई गई थी।

(पैराग्राफ 8.1)

प्रवर्तन विभाग

वाणिज्यिक इकाईयों के विभिन्न लाईसेंस धारियों के आवंटियों से लाईसेंस शुल्क के बकायों की वसूली नहीं होना

प्रवर्तन विभाग परिषद् का एक राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। प्रवर्तन विभाग के रिकार्डों की जाँच से प्रकट हुआ कि वाणिज्यिक इकाईयों के लाईसेंसधारियों के विरूद्ध 31 मार्च, 2009 को लाईसेंस शुल्क के बकाया के रूप में 77.83 लाख रुपये की राशि बकाया थी। जो यह संकेत दे रही थी कि उनकी वसूलियों के लिए प्रभावी ढ़ंग से अनुवीक्षण नहीं किया गया था तथा दोषी लाईसेंसधारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 9.1)

रेड वैनों एवं क्रेनों को किराये पर लेने के लिए निविदा प्रक्रिया में त्रुटियाँ ।

चार रेड वैनों एवं पॉच क्रेनों को किराये पर लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक हेतु 15 लाख रुपये की राशि का प्रशासनिक अनुमोदन व्यय की स्वीकृति प्राप्त की गई थी, जिसके विरूद्ध 37.22 लाख रुपये का व्यय किया गंया था। तथापि, विभाग ने 7.22 लाख रुपये की राशि के अधिक्य व्यय हेतु संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं की।

(पैराग्राफ 9.2)

रिकार्डों का अनुपयुक्त रखरखाव

नियमों के अनुसार यदि किसी ठैकेदार द्वारा 3 वर्ष से अधिक होने पर प्रतिभूति जमा राशि का दावा नहीं किया जाता है तो उस राशि को चूक जमा के रूप में सरकार के खाते में जमा कर दिया जाना चाहिए तथा उसे विभाग के खाते में लिख लिया जाना चाहिए। यहाँ पर यद्यपि, यह देखा गया कि 3 वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने पर दावा न की गई 0.61 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिभूति जमा चूक जमा में स्थानांतरित नहीं की गई। माँग एवं संगृहण रजिस्टर जोकि लाईसेंस शुल्क की प्राप्ति के अनुवीक्षण हेतु एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है, का भी उपयुक्त रूप से रखरखाव नहीं पाया गया।

(पैराग्राफ 9.3)

सम्पदा विभाग

वाणिज्यिक इकाईयों के लाईसेंस धारियों से लाईसेंस शुल्क के बकायों की वसूली न होना

विभाग द्वारा दोषी लाईसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क के बकाया की वसूली हेतु उपयुक्त कार्यवाही करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप दिनांक 31 मार्च 2009 तक 908 लाईसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क बकाया एवं उस पर ब्याज की 550.29 करोड़ रुपये की राशि की गैर वसूली हुई।

(पैराग्राफ 10.1)

पट्टाधारियों से भूमि के किराये के बकाया की वसूली न होना

सम्पदा-II विभाग भूमि किराये की समय पर वसूली के लिए सोजन्य माँग नोटिस जारी करने सहित रिकार्डों के रखरखाव हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनूसरण नहीं कर रहा है। रिकार्डों की जाँच से प्रकट हुआ कि 1.43 लाख रुपये की राशि के भूमि किराये के 11 मामले एक से छः वर्ष की अवधि की सीमा में लम्बित थे।

(पैराग्राफ 10.2)

सम्पत्तियों का सरकारी बकायों एवं उस पर ब्याज की वसूली के बिना प्रतिस्थापन

सम्पत्ति का प्रतिस्थापन लाईसेंसधारी/आबंटी की मृत्यु पर कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम पर नाम परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। दिशा निर्देशों के अनुसार, यदि किसी बकाया राशि की वसूली की जानी है या परिसर में कोई अनाधिकृत निर्माण/दुरूपयोग विद्यमान है तो प्रभारों का आंकलन किया जाएगा तथा प्रतिस्थापन पत्र के साथ-साथ एक माँग पत्र जारी किया जाएगा । इस सम्बंध में एक संदर्भ प्रतिस्थापन पत्र में अंकित किया जाएगा। रिकार्डों की जाँच से पता चला कि सम्पदा-II विभाग ने सितम्बर 2007 में क्षति एवं दुरूपयोग प्रभारों की वसूली हेतु माँग पत्र जारी किए बिना सम्पत्ति के प्रतिस्थापन के नामान्तरण पत्र जारी कर दिए थे। तदन्तर प्रार्थी द्वारा नवम्बर 2009 में क्षति एवं दुरूपयोग प्रभार जमा कराए गए थे। तथापि, प्रार्थी से उपरोक्त प्रभारों पर 2.08 लाख रुपये की राशि का ब्याज वसूल नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 10.3)

दुरूपयोग तथा क्षतिग्रस्त प्रभारों की गैर-वसूली

विभाग ने एक दुकान के विरूद्ध अनाधिकृत निर्माण हेतु दुरूपयोग, क्षतिप्रभारों, भूमि किराया, पट्टाधारिता से मालिकाना हक (पूर्ण स्वामित्वता) हेतु परिवर्तन प्रभारों के लिए 5.67 लाख रुपये की राशि को सात दिन के भीतर जमा कराने हेतु एक माँग पत्र दिनांक 05.05.2008 को जारी किया था। प्रभारों की वसूली के लिए की गई आगामी कार्यवाही रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी। यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या दुकान से अनाधिकृत निर्माण को हटाया जा चुका है।

(पैराग्राफ 10.4)

विद्युत विभाग

जमा कार्यों पर खर्च हुए आधिक्य व्यय की वसूली न होना

के.लो.नि. विभाग कार्य नियामावली के प्रावधानों के अनुसार जब कभी भी एक जमा कार्य निष्पादित किया जाए तो जमा की गई राशि कार्य पर खर्च की गई किसी प्रकार की देनदारी से पूर्व वसूली की जानी चाहिए। नियामावली में यह भी विनिर्दिष्ट है कि जमा कार्य के विरूद्ध लेखों का निपटान शीघ्रता से किया जाना अनिवार्य है ताकि राशि लम्बे समय तक बिना निपटान के न रहे। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के निर्माण-IV विद्युत प्रभाग ने वर्ष, 2002-03 से जून, 2009 की अवधि के दौरान 17 जमा कार्य पूर्ण किए थे। तथापि, इन कार्यों में से किसी भी कार्य के लिए ग्राहक संस्थान से लेखों का मिलान नहीं किया गया है। प्रभाग द्वारा 26.89 लाख रुपये की राशि के आधिक्य व्यय की भी वसूली नहीं की गई है।

(पैराग्राफ 11.1)

बेकार ट्रांसफारमों के निपटान में विलम्ब

सामान्य वित्तीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई मद फालतू या अप्रचलित या उसका कोई उपयोग नहीं है, तो उसे बेकार घोषित कर दिया जाए। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के 33 के.वी. रखरखाव प्रभाग के पास 4 बेकार ट्रांसफार्मर पड़े थे। 103.72 लाख रुपये के आरक्षित मूल्य के ट्रांसफार्मरों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के 9 से 17 मास बीत जाने के उपरांत भी निपटान नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 11.2)

पलिका आवास विभाग

पालिका क्वाटरों के पूर्व आबंटियों से किराये के बकायों की वसूली न होना

पूर्व वार्षिक आडिट रिपोर्ट में उल्लेख किए जाने के बाजूद परिषद् के क्वार्टरों के आबंटियों से किराये की वसूली में अपर्याप्त अनुवीक्षण सहित निर्धारित नियमों के गैर अवलोकन के परिणामस्वरूप परिषद् के क्वार्टरों के पूर्व आबंटियों से 15.93 लाख रुपये की राशि के किराये की वसूली नहीं की गई।

(पैराग्राफ 12.1)

स्टाफ क्वाटरों के आवंटन में विलम्ब

विभाग द्वारा प्रदत्त स्टाफ क्वाटरों के कब्जा देने एवं रिक्त होने से सम्बंधित रिकार्डों की जाँच से प्रकट हुआ कि काफी संख्या में क्वाटर 1 से 18 मास तक की अवधि के लिए रिक्त थे। स्टाफ क्वार्टरों के आबंटन में विलम्ब के परिणामस्वरूप न केवल 0.71 लाख रुपये की लाईसेंस शुल्क की राशि की हानि हुई बल्कि आबंटन की विलम्बित अवधि के लिए कर्मचारियों को गृह किराया भत्ता के भुगतान के लेखे में 7.46 लाख रुपये की राशि का परिहार्य व्यय भी हुआ।

(पैराग्राफ 12.2)

वित्त
एवं
लेखा

अध्याय I : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लेखे

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है जो वर्ष 2008-09 के लिये परिषद् के लेखों में दी गई सूचना के विश्लेषण पर आधारित है। यह विश्लेषण परिषद् की प्राप्तियों एवं व्यय के रूझान और वित्तीय प्रबंधन पर आधारित है।

1.2 परिषद् की वित्तीय स्थिति

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 58 के अनुसार परिषद् के लेखे तैयार किये जाते हैं। लेखे तैयार करने की प्रक्रिया पंजाब पालिका अधिनियम, 1911 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार है। तद्नुसार प्रपत्र जी-4 में तैयार किये गये लेखे बजट/संशोधित अनुमानों के अनुरूप राजस्व और व्यय के विवरण शीर्षानुसार दर्शाते हैं। वर्तमान प्रक्रिया में, लेखे में परिसम्पत्तियों और देयता का विवरण प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष की परिसम्पत्तियों एवं देयता की स्थिति को दर्शाता विवरण वार्षिक लेखे के साथ ऑडिट को प्रस्तुत नहीं किया गया यद्यपि ऑडिट ने अपनी पूर्व रिपोर्टों में भी ऐसे विवरणों की आवश्यकता के संबंध में इंगित किया है। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् एकल प्रविष्टि पद्धति से दोहरी प्रविष्टि पद्धति में लेखों को परिवर्तित कर रही है। वर्ष 2007-08 तक के परिवर्तित लेखे अलग से तैयार किए गए हैं।

परिषद् की वित्तीय स्थिति मुख्यत: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 44 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा पोषित नई दिल्ली नगरपालिका निधि से प्रतिबिम्बित होती है । सभी प्राप्तियों और व्ययों को इस निधि के अधीन लेखांकित किया जाता है। वर्ष 2008-09 के दौरान, 04.14 करोड़ रुपये का घाटा था जिससे 31 मार्च 2009 को समापन शेष 87.60 करोड़ रुपये हो गया।

1.3 निधि के स्रोत एवं उसका व्यय

निधि के मुख्य स्रोत में परिषद् के राजस्व की प्राप्ति सम्मिलित है। इनका विस्तृत रूप से उपयोग राजस्व एवं पूंजी व्यय पर होता है। वर्ष 2007-08 में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ 1359.17 करोड़ रुपये से बढ़कर 2008-09 में 3.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुये 1412.98 करोड़ रुपये हो गई।

वर्ष 2007-08 में 1195.11 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय घटकर वर्ष 2008-09 में 778.97 करोड़ रुपये हो गया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों पर, जमा कार्यों को छोड़कर, पूंजी व्यय वर्ष 2007-08 में 155.25 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 214.55 करोड़ रुपये हो गया।

1.4 नई दिल्ली नगरपालिका निधि

अधिनियम की धारा 44 के अनुसार ''नई दिल्ली नगरपालिका निधि'' के नाम से जानी जाने वाली निधि का रखरखाव परिषद् द्वारा किया जाता है । परिषद् द्वारा या परिषद् के नाम पर किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली राशि नई दिल्ली नगरपालिका निधि का हिस्सा मानी जाती है । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार परिषद् की ओर से व्यय इस निधि में से किये जाते हैं। वर्ष 2008-09 के लिए इस निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ एवं व्यय निम्न प्रकार थी:

तालिका 1.1 : नई दिल्ली नगरपालिका निधि

(रुपये करोड़ में)

	2008-09	2007-08
1 अप्रैल को अथशेष (ओपनिंग बैलेंस)	91.74	31.61
जमा वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	2640.13	4385.57
योग	**2731.87**	**4417.18**
कम वर्ष के दौरान व्यय	2644.27	4325.44
31 मार्च को समापन शेष	**87.60**	**91.74**

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया है कि वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्ति 2640.13 करोड़ रुपये तथा व्यय 2644.27 करोड़ रुपये थीं, जिसके परिणामस्वरूप 4.14 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर जी-4 विवरण पर आधारित समापन शेष 87.60 करोड़ रुपये था।

2640.13 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों में, 1412.98 करोड़ रुपये की साधारण प्राप्तियाँ,16.83 करोड़ रुपये की जमा निधि, 1209.89 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि/सामान्य निधि निवेश तथा कर्मचारियों को 0.43 करोड़ रुपये के ऋणों तथा अग्रिम का पुनः भुगतान सम्मिलित है। निवेश पर ब्याज के 86.47 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियों में सम्मिलित हैं।

2644.27 करोड़ रुपये के व्यय में 1007.80 करोड़ रुपये का कुल साधारण व्यय, 1607.39 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि, 1.69 करोड़ रुपये की जमा कार्यनिधि तथा 27.39 करोड़ रुपये की निलम्बित स्टाक एवं अग्रिम राशि सम्मिलित थी।

1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

1.5.1 राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की राजस्व प्राप्तियों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान के अतिरिक्त, मुख्यत: कर एवं गैर-कर राजस्व सम्मिलित हैं। पिछले पॉंच वर्षों के दौरान सहायता अनुदान सहित राजस्व प्राप्तियों का रूझान निम्न प्रकार था:

तालिका 1.2 : राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
2008-09	**1412.98**	**(+) 3.96**
2007-08	1359.17	(+) 20.82
2006-07	1125.00	(+) 7.17
2005-06	1049.71	(-) 2.62
2004-05	1077.91	(+) 25.05

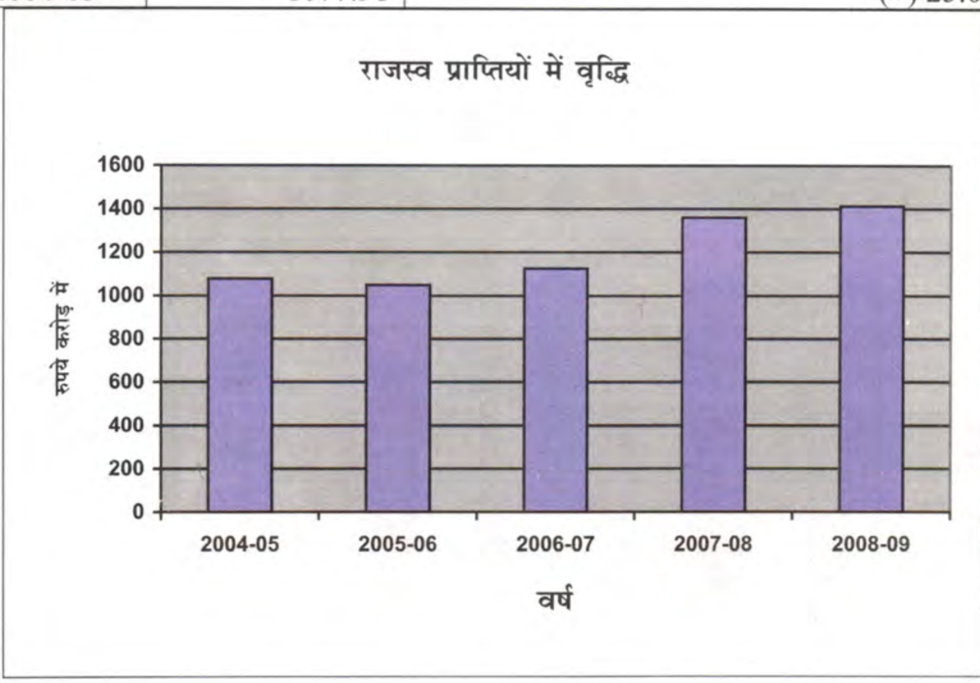

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 में 3.96 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, अनुदान सहायता-योजना (180.96 प्रतिशत) सम्पत्ति हस्तांतरण पर शुल्क (176.19 प्रतिशत) अन्य पलिका कार्य (102.82 प्रतिशत), जमा कार्य (83.76 प्रतिशत), शुल्क एवं जुर्माने (82.79 प्रतिशत), भवन सम्बंधित प्राप्तियाँ (66.64 प्रतिशत), अन्य कर (30.43 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियाँ (13.82 प्रतिशत), गृहकर (11.84 प्रतिशत), जल की बिक्री (5 .34. प्रतिशत) अनुदान सहायता-गैर योजना (3.58 प्रतिशत) एवं विद्युत (1.07 प्रतिशत) के कारण हुई जबकि विज्ञापन/प्रदर्शनी/थियेटर कर के अर्न्तगत (82.95 प्रतिशत), निवेश पर ब्याज (72.06 प्रतिशत), प्रशासनिक विभाग प्राप्तियाँ (31.62 प्रतिशत) करो का निर्धारित अंश (28.69 प्रतिशत), विधायक निर्वाचन निधि (25 .89 प्रतिशत) एवं अग्रिमों पर ब्याज (10 प्रतिशत), के अर्न्तगत अनुलग्नक-I में दिए गए विवरणानुसार प्राप्तियों में कमी हुई।

1.5.2 राजस्व प्राप्तियों के संघटक

राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटक कर एवं गैर-कर राजस्व तथा सहायता अनुदान हैं। पिछले पाँच वर्षो के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों का विवरण निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.3: राजस्व प्राप्ति के संघटक

(रुपये करोड़ में) संघटक

	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
कर राजस्व	263.46 (18.65)	223.10 (16.41)	196.47 (17.47)	173.07 (16.49)	172.27 (15.98)
गैर-कर राजस्व	995.51 (70.45)	1055.52 (77.66)	883.73 (78.55)	842.59 (80.27)	860.85 (79.86)
दिल्ली/केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	154.01 (10.90)	80.55 (5.93)	44.80 (3.98)	34.05 (3.24)	44.79 (4.16)
कुल	**1412.98 (100.00)**	**1359.17 (100.00)**	**1125.00 (100.00)**	**1049.71 (100.00)**	**1077.91 (100.00)**

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

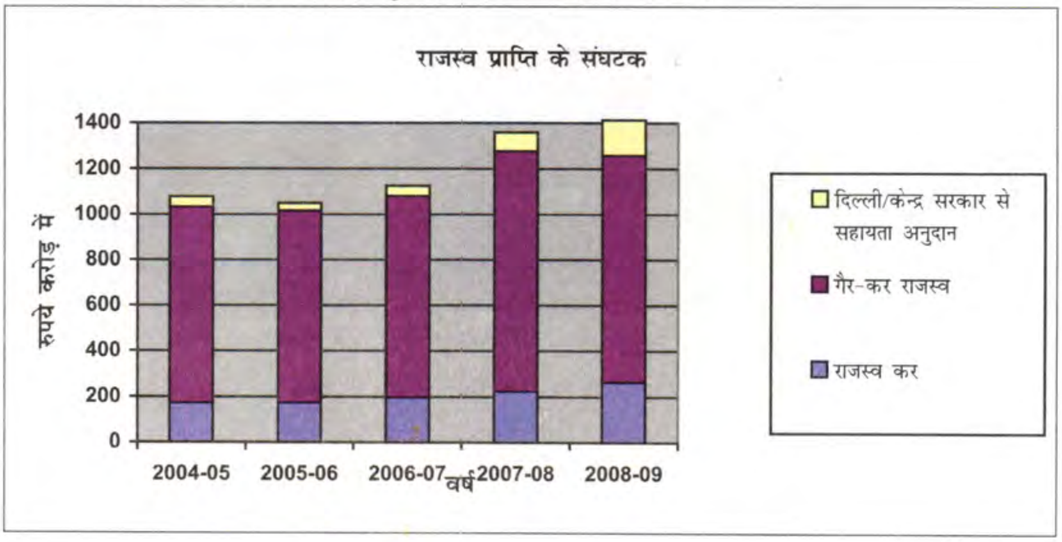

गैर-कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख घटक बना रहा। लेकिन, कुल राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के अनुसार, गैर-कर राजस्व वर्ष 2004-05 में 79.86 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2008-09 में 70.45 प्रतिशत रह गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान जो कि कुल राजस्व का बहुत ही छोटा हिस्सा है, वर्ष 2004-05 में 4.16 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 10.90 प्रतिशत हो गया। जबकि इसी अवधि के दौरान कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2004-05 में 15.98 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 18.65 प्रतिशत हो गया।

1.6 कर राजस्व

1.6.1 कर राजस्व में वृद्धि

परिषद् के कर राजस्व में गृहकर, सम्पति के हस्तातंरण पर शुल्क, विज्ञापन कर आदि सम्मिलित हैं। वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक कर राजस्व में वृद्धि का रूझान निम्न प्रकार था:

तालिका 1.4 : कर राजस्व में वृद्धि

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक कर राजस्व	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व
2008-09	263.46	18.09	18.65
2007-08	223.10	13.55	16.41
2006-07	196.47	13.52	17.47
2005-06	173.07	0.46	16.49
2004-05	172.27	21.05	15.98

पिछले पाँच वर्षों में कर राजस्व में लगातार वृद्धि का रूझान रहा है। वर्ष 2008-09 में कर राजस्व की प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 18.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर राजस्व के अधीन प्राप्तियाँ वर्ष 2004-05 में 172.27 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 263.46 करोड़ रुपये हो गई। पिछले पॉच वर्षों के दौरान कर राजस्व में वृद्धि की दर 0.46 प्रतिशत तथा 21.05 प्रतिशत के बीच घटती बढ़ती रही है।

1.6.2 कर राजस्व के संधटक

पिछले पांच वर्षों के दौरान कर राजस्व के विभिन्न संधटकों की वृद्धि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

तालिका 1.5 : कर राजस्व के संघटक

(रुपये करोड़ में)

संघटक	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
गृह कर	210.79 (80.00)	188.48 (84.48)	153.27 (78.01)	147.10 (84.99)	147.60 (85.68)
सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क	37.80 (14.35)	13.69 (6.14)	25.90 (13.18)	13.15 (7.60)	13.28 (7.71)
विज्ञापन/प्रदर्शन कर	0.02 (0.01)	0.11 (0.05)	0.03 (0.02)	0.14 (0.08)	0.10 (0.06)
करों का निर्धारित हिस्सा	14.85 (5.64)	20.82 (9.33)	17.27 (8.79)	12.68 (7.33)	11.29 (6.55)
कुल	**263.46 (100.00)**	**223.10 (100.00)**	**196.47 (100.00)**	**173.27 (100.00)**	**172.27 (100.00)**

*** कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ें कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।**

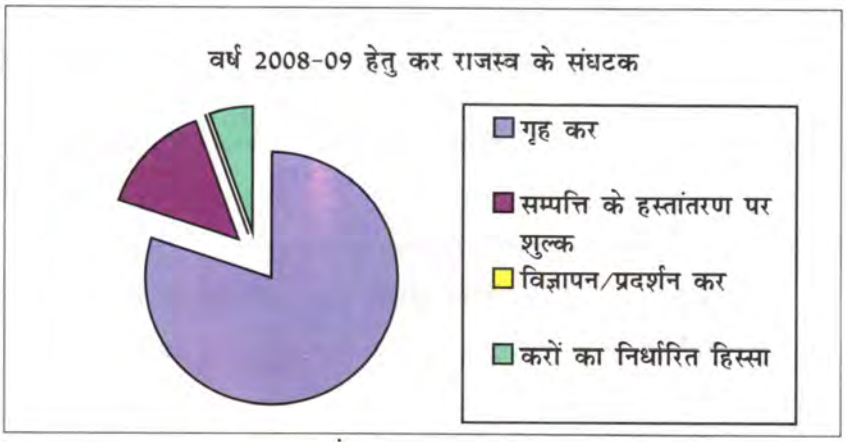

कर राजस्व का प्रमुख अंशदाता गृह कर बना रहा। वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान इस का हिस्सा कुल कर राजस्व का 78.01 तथा 85.68 प्रतिशत के मध्य रहा। सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि वर्ष 2004-05 में 13.28 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 37.80 करोड़ रुपये हो गई। करों के निर्धारित हिस्सों की प्राप्तियों में वर्ष 2008-09 के दौरान वर्ष 2007-08 की तुलना में पूर्णत: तथा सम्बन्धित, दोनों ही तौर पर कमी हुई।

1.7 गैर-कर राजस्व

1.7.1 गैर-कर राजस्व में वृद्धि

वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान गैर-कर राजस्व में वृद्धि निम्न प्रकार थी:

तालिका 1.6 : गैर -कर राजस्व में वृद्धि

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक गैर-कर राजस्व	पूर्व वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि (+) /कमी(-)	कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता
2008-09	995.51	(-)5.69	70.45
2007-08	1055.52	(+)19.44	77.66
2006-07	883.73	(+)4.88	78.55
2005-06	842.59	(-)2.12	80.27
2004-05	860.85	(+)24.67	79.86

वर्ष 2008-09 में परिषद् की कुल राजस्व प्राप्तियों का 70.45 प्रतिशत गैर-कर राजस्व रहा। वर्ष 2004-05 में इसका हिस्सा 79.86 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2008-09 में 70.45 प्रतिशत रह गया। पिछले पांच वर्षों में गैर-कर राजस्व की दर (-) 5.69 प्रतिशत एवं 24.67 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रही है। गैर कर राजस्व वर्ष 2007-08 में 1055.52 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2008-09 में 995.51 करोड़ रुपये रह गई अर्थात् वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 में 5.69 प्रतिशत की कमी पंजीकृत की गई।

1.7.2 गैर-कर राजस्व का संयोजन

परिषद् के गैर-कर राजस्व में ऊर्जा/जल की बिक्री, किराया/लाइसेंस शुल्क, निवेशों पर ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियाँ सम्मिलित है। गैर-कर राजस्व के विभिन्न संघटकों की वृद्धि प्रतिमान का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.7: गैर-कर राजस्व के संघटक

(रुपये करोड़ में)

घटक	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
ऊर्जा की बिक्री	569.28 (57.19)	563.24 (53.36)	545.59 (61.74)	515.17 (61.14)	533.09 (62.03)
जल की बिक्री	22.50 (2.26)	21.36 (2.02)	20.07 (2.27)	23.50 (2.79)	14.32 (1.66)
किराया/लाइसेंस शुल्क एवं वाणिज्यिक कार्यकलापों से प्राप्तियाँ	264.51 (26.57)	135.57 (12.84)	129.06 (14.60)	124.58 (14.79)	110.76 (12.87)
शुल्क,जुर्माना और विविध प्राप्तियाँ	52.75 (5.30)	25.90 (2.46)	30.42 (3.44)	23.61 (2.80)	23.04 (2.68)
निवेश पर ब्याज	86.47 (8.68)	309.45 (29.32)	158.59 (17.95)	155.73 (18.48)	178.74 (20.76)
कुल	995.51 (100.00)	1055.52 (100.00)	883.73 (100.00)	842.59 (100.00)	860.85 (100.00)

* कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ें कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

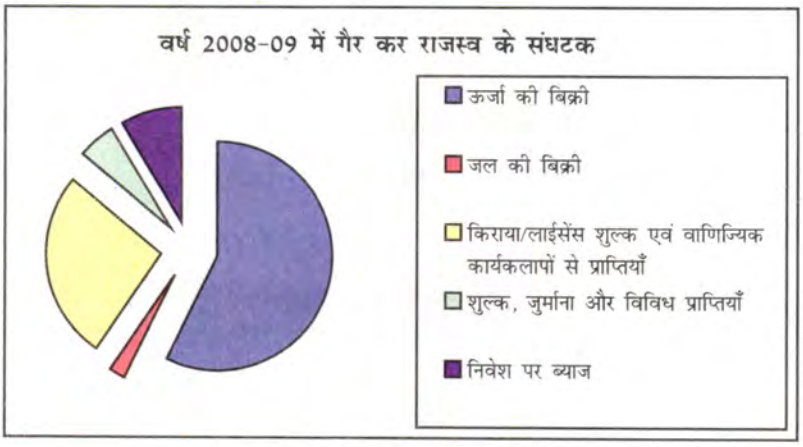

गैर-कर राजस्व के प्रमुख स्रोतों में ऊर्जा की बिक्री, किराया/लाइसेंस शुल्क, अन्य वाणिज्यि कार्यकलापों तथा निवेश पर ब्याज से हुई प्राप्तियाँ थी। पिछले पांच वर्षो के दौरान, कुल गैर-कर राजस्व के हिस्से के रूप में ऊर्जा की बिक्री की प्राप्तियों में 53.36 प्रतिशत एवं 62.03 प्रतिशत के मध्य घट-बढ़ रही थी। पिछले वर्ष की तुलना में गैर-कर-राजस्व में कमी मुख्यत: निवेश पर ब्याज के कारण थी।

1.8 सहायता अनुदान

परिषद् राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त करती है। पिछले पांच वर्षो के दौरान दिल्ली सरकार से प्राप्त सहायता का रूझान निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.8 : सहायता अनुदान

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	सहायता अनुदान	कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
2008-09	**154.01**	**10.90**
2007-08	80.55	5.93
2006-07	44.80	3.98
2005-06	34.05	4.04
2004-05	44.79	4.16

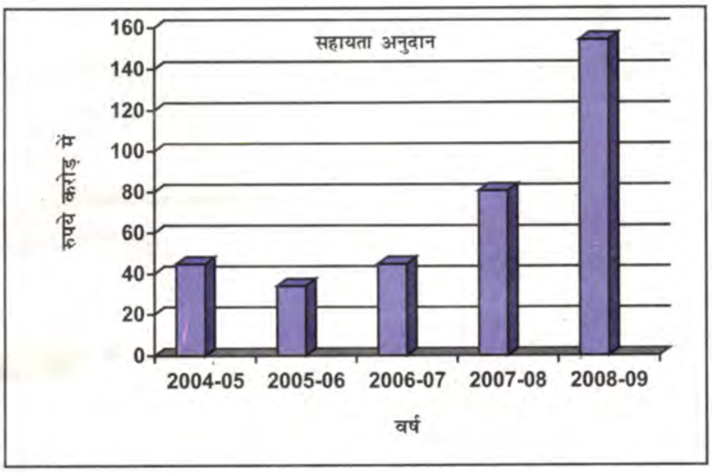

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुदान वर्ष 2004-05 में 44.79 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 154.01 करोड़ रुपये हो गया था। कुल प्राप्तियों के अनुपात में यह वर्ष 2004-05 में 4.16 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 10.90 प्रतिशत हो गया। परिषद् ने राष्टीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान कोई ऋण नहीं लिया।

1.8.1 सहायता अनुदान का अनुपयुक्त लेखाकरण

वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक लेखों की लेखा परिक्षा के दौरान ऑडिट ने कुछ शीर्षों के सम्बंध में अनुदान सहायता के खर्च न करने/अधिक खर्च करने की घटनाओं का संकेत दिया था। वर्ष 2008-09 के दौरान भी एसी अनुदान सहायताओं में से नये सिरे से अनुदान सहायता राशि प्राप्त की गई एवं व्यय की गई थी।

तालिका 1.9 : सहायता अनुदान की अधिक/गैर उपयोगिता राशि

(रुपये हजारों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष-2008-09 के दौरान प्राप्त अनुदान			वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त अनुदान में से खर्च किया गया व्यय			अनुपयोग (-)/अधिक उपयोग (+) राशि
		राजस्व	पूँजी	योग	राजस्व	पूँजी	योग	
1	शिक्षा	16500	3500	**20000**	12923	3500	**16423**	**(-)3577**
2	खेल एवं युवा सेवाएँ	-	600000	**600000**	-	523833	**523833**	**(-)76167**
3	मध्यान भोजन योजना	3500	-	**3500**	5650	-	**5650**	**(+)2150**
4	चिकित्सा	-	15000	**15000**	-	16188	**16188**	**(+)1188**
5	जनस्वास्थ्य	7500	-	**7500**	7380	-	**7380**	**(-)120**
6	बाढ़ निरोधी	12350	47150	**59500**	12350	21176	**33526**	**(-)25974**
7	शहरी विकास	60000	41000	**101000**	60000	41000	**101000**	**0**

8	सड़कें एवं पुल	-	40000	40000	-	40000	40000	0
9	राष्ट्र मंडल खेल	-	70000	70000	-	56288	56288	(-)13712
10	कनाट प्लेस का जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन	-	220000	**220000**	**-**	**220000**	**220000**	0
11	विधायक निधि कोष	-	37040	37040	-	68753	68753	(+) 31713
	योग	99850	1073690	1173540	**98303**	990738	1089041	(-) 84499

सहायता अनुदान का अधिक/गैर उपयोगिता हेतु कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे।

1.9 राजस्व प्राप्तियों के बकाया

यद्यपि लेखे में गृहकर का बकाया उपलब्ध था परंतु वर्ष अनुसार बकाया को इंगित नहीं किया गया था। इस संबंध में आडिट रिपोर्ट में पूर्व में भी इंगित किया गया था परन्तु विभाग द्वारा सुधारात्मक उपाय अभी उठाये जाने हैं। बकायों की वसूली के बेहतर निरीक्षण हेतु बकायों के वर्ष वार विवरण बनाना अपेक्षित है, ताकि प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

1.10 व्यय

1.10.1 व्यय का रूझान

इस रिपोर्ट में, कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी व्यय, बाह्य सहायता और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् कर्मचारियों को ऋण प्रदान करने सहित सभी व्यय सम्मिलित किये गये हैं। परिषद् ने वर्ष 2008-09 में कुल 1007.80 करोड़ रुपये व्यय किये । वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान व्यय का रूझान निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.10 : व्यय का रूझान

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय		दिल्ली सरकार/ बाह्य सहायता के रूप में प्राप्त ऋणों की अदायगी	न.दि.न.पा.प. कर्मचारियों को ऋणों का भुगतान	कुल
		न.दि.न.पा. परिषद् के कार्य	जमा कार्य			
2008-09	**778.97**	**214.55**	**14.26**	शून्य	**0.02**	**1007.80**
2007-08	1195.11	155.25	8.46	0.20	0.44	1359.46
2006-07	937.60	73.21	6.36	शून्य	0.52	1017.69
2005-06	928.89	34.86	6.24	0.33	0.59	970.91
2004-05	899.20	27.10	5.74	33.83	0.62	966.49

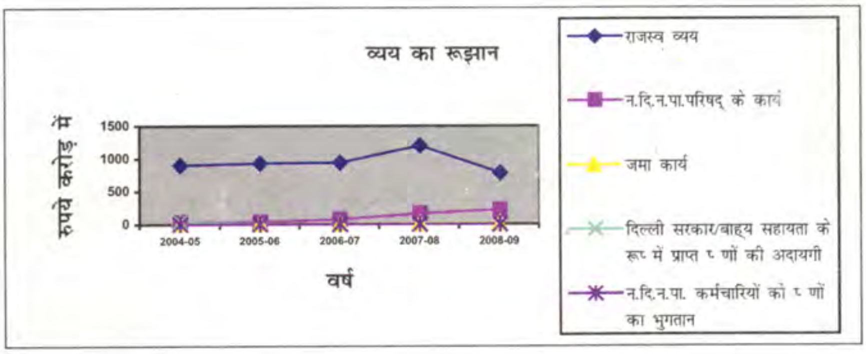

(i) वर्ष 2004-05 में 966.49 करोड़ रुपये कुल व्यय बढ़कर वर्ष 2008-09 में 1007.80 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान व्यय 25.87 प्रतिशत घट गया।

(ii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2004-05 में 27.10 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 214.55 करोड़ रुपये हो गया तथा पिछले वर्ष की तुलना में यह 38.20 प्रतिशत तक बढ़ गया। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 34.82 प्रतिशत की कमी हुई। विद्युत आपूर्ति शीर्ष के अन्तर्गत 721 करोड़ रुपये की राशि की विद्युत बिक्री को कम व्यय के रूप में दिखाया गया है। जिसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में कमी हुई है।

1.10.2 पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार किया गया व्यय

तालिका 1.11 पिछले पॉच वर्षों में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर हुये व्यय को दर्शाती है:

तालिका 1.11 : क्षेत्रवार व्यय (रुपये करोड़ में)

सं.	क्षेत्र	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
1	सामान्य सेवायें	266.17 (26.41)	244.03 (17.95)	151.03 (14.84)	187.68 (19.53)	231.58 (23.96)
2	सामाजिक एवं विकास सेवायें	290.03 (28.78)	235.55 (17.33)	180.46 (17.73)	154.80 (15.95)	148.69 (15.38)
3	आर्थिक सेवायें	451.60 (44.81)	879.88 (64.72)	686.20 (67.43)	628.10 (64.69)	552.39 (57.16)
4	ऋणों की अदायगी/बिना खर्च हुए शेष धन की वापसी	शून्य	शून्य	शून्य	00.33 (0.03)	33.83 (3.50)
	योग	1007.80 (100.00)	1359.46 (100.00)	1017.69 (100.00)	970.91 (100.00)	966.49 (100.00)

• **कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े कुल व्यय के संबंध में प्रतिशतता इंगित करते हैं।**

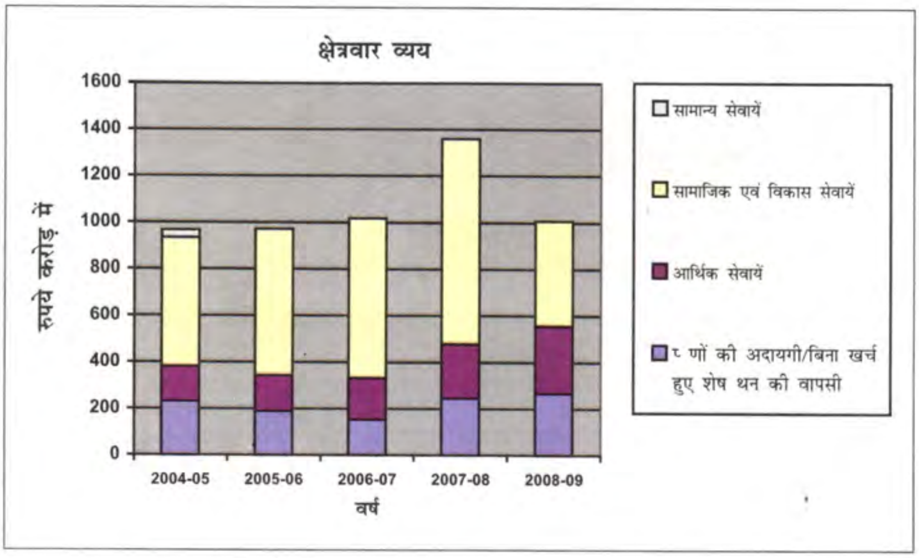

सामान्य सेवाओं के घटक वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 के दौरान घट-बढ़ का रूझान दर्शाते हैं। सामाजिक एवं विकास सेवाओं पर व्यय वर्ष 2004-05 में 15.38 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 28.78 प्रतिशत हो गया। अर्थिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2004-05 में 57.16 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008-09 में 44.81 प्रतिशत रह गया। यद्यपि, वर्ष 2007-08 के दौरान खर्च हुए व्यय की तुलना में वर्ष 200 8-09 के दौरान सामान्य सेवाओ पर (09.07 प्रतिशत), सामाजिक एवं विकास सेवाओं पर (23.13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। पूर्व वर्ष अर्थात वर्ष 2007-08 की तुलना में आर्थिक सेवाओं के व्यय में (48.67 प्रतिशत) की कमी आई है ।

1.11 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

परिषद् गैर-सरकारी संगठनों/विद्यालयों आदि को सहायता अनुदान प्रदान करती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् पिछले पांच वर्षों में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों/विद्यालयों को प्रदान की गई सहायता अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.12: परिषद् द्वारा सहायता अनुदान

(रुपये लाख में)

क्र. स.	संस्था का नाम	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
1.	नवयुग विद्यालय समिति	1598.08	709.68	1010.84	824.54	800.00
2.	रघुमल आर्य कन्या प्राथमिक विद्यालय सं0-II	33.78	14.39	23.51	30.32	25.18
3.	निर्मल प्राथमिक विद्यालय कोटा हाउस	29.27	35.97	25.88	16.60	26.00

4.	रघुमल कन्या प्राथमिक विद्यालय सं0- I	11.66	27.54	40.34	13.90	14.85
5.	खालसा बाल प्राथमिक विद्यालय	-	0.34	-	8.49	13.00
6.	सामाजिक एवं सास्कृतिक संस्था/गैर सरकारी संस्थान	13.80	9.03	5.50	2.40	3.80
7.	समाज कल्याण समिति	176.25	98.27	100.43	0.32	1.58
8.	पालिका सेवा अधिकारी संस्थान	-	-	17.71	-	-
	कुल	**1862.84**	**895.22**	**1224.21**	**896.57**	**884.41**

सहायता अनुदान की राशि वर्ष 2007-08 में 895.22 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 1862.84 लाख रुपये हो गई।

सामान्य वित्तीय अधिनियम, 2005, के नियम 212 के अन्तर्गत, विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 12 मास के भीतर संबंधित संस्थान से अनुदान की राशि का उपयोग करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। चालू वर्ष के साथ-साथ पूर्व वर्षों के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा जारी अनुदान के संबंध में विभाग ने उपरोक्त तालिका के क्र.संख्या 6 पर वर्णित वर्ष 2008-09 के दौरान सामाजिक एवं सांसकृतिक संस्थानों को स्वीकृत 13.80 लाख रुपये की अनुदान सहायता को छोड़कर उपयोग करने का कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

1.12 आधिक्य एवं आरक्षित निधि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के पास विभिन्न निधियाँ हैं, यह निधियाँ न.दि.न.पा.परिषद् के पास आधिक्य राजस्व से विकसित की जाती हैं। यह निधियाँ न.दि.न.पा.परिषद् की निधियों में इन लेखों के खण्डों के रूप में हैं परिषद् ऐसी कई निधियों का रखरखाव .कर रही है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.13: आधिक्य एवं आरक्षित निधि

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	01.04.08 को अथशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	योग	वर्ष के दौरान व्यय	31.03.09 को समापन शेष
1	**विद्युत निधि**					
	(i) आरक्षित निधि का विनियमन	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00

	(ii) ह्रास आरक्षित निधि	344.37	4.00	348.37	37.73	310.64
	कुल विद्युत निधि	**349.37**	**4.00**	**353.37**	**37.73**	**315.64**
2	जल आपूर्ति एवं सिवर प्रणाली निधि					
	(i) ह्रास आरक्षित निधि	**239.17**	**3.00**	**242.17**	**0.57**	**241.60**
3	**सम्पदा निधि**					
	(i) सामान्य भवन निधि	159.39	155.75	315.14	33.79	281.35
	(ii) स्थानान्तरित मार्किट निधि	1.00	10.00	11.00	0.00	11.00
	(iii) ह्रास आरक्षित निधि	344.63	5.00	349.63	0.73	348.90
	कुल सम्पदा निधि	**505.02**	**170.75**	**675.77**	**34.52**	**641.25**
4	**कर्मचारी निधि**					
	(i) पेंशन निधि	1107.91	150.00	1257.91	88.24	1169.67
	(ii) कर्मचारी कल्याण निधि	8.97	5.21	14.18	3.32	10.86
	कुल कर्मचारी निधि	**1116.88**	**155.21**	**1272.09**	**91.56**	**1180.53**
5	**सामान्य निधि**					
	(i) नकद कोष	91.73	-	-	-	89.29
	(ii) सामान्य निधि में निवेश	714.69	-	-	-	1113.07
	कुल सामान्य निधि	**806.42**	-	-	-	**1202.36**
	न.दि.न.पा.परिषद् निधि (1+2+3+4+5)	**3016.86**	-	-	-	**3581.38**

ऑडिट द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई:

1. आधिक्य राजस्व विभिन्न खण्डों में वितरित किया जाता है । वर्ष के दौरान निधि में वृद्धि का आधार रिकार्ड पर नहीं था। इसके अतिरिक्त यह वृद्धियाँ भी ब्याज तत्व में सम्मिलित की गई हैं।

2. यद्यपि वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक सार के अनुसार नकद शेष का वर्ष 2008-09 के लिए लेखों के अनुसार शेष के साथ मिलान किया गया है लेकिन सार के अनुसार शेष के मध्य 11.75 करोड़ रुपये का अंतर था अर्थात् सार के अनुसार 101.04 करोड़ रुपये एवं बजट पुस्तिका के अनुसार शेष 89.29 करोड़ रुपये था।

3. बजट पुस्तिका के अनुसार न.दि.न.पा.परिषद् की निधि 3581.37 करोड़ रुपये दर्शाई गई है जबकि लेखों के अनुसार न.दि.न.पा.परिषद् की निधि 3577.24 करोड़ रुपये दर्शाई गई है (निवेश 3476.20 करोड़ रुपये जमा नकद कोष 101.04 करोड़ रुपये) जिसके परिणामस्वरूप 4.13 करोड़ रुपये का अंतर है । अन्तर के कारण रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं थे।

4. वार्षिक लेखों के जी-4 विवरण में दर्शाए गए ह्रास एवं अन्य आरक्षित निधि के वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के वास्तविक योग का बजट पुस्तिका 2007-08,

2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में इन वर्षों के लिए क्रमशः दर्शाये गये वास्तविक योग से अन्तर था जैसाकि निम्न विवरण में दिया गया है :

तालिका 1.14: ह्रास एवं आरक्षित निधि

(रुपये करोड़ में)

बजट पुस्तिका	वर्ष के लिए वास्तविक	साधन एवं उपाय अनुमानों के विवरण-II में ह्रास एवं अन्य निधियों के शीर्ष के अनुसार आंकडे (बजट पुस्तिका)	ह्रास एवं अन्य निधियों की स्थिति (जी-4) वार्षिक लेखों के विवरण-II ए-2 के अनुसार आंकडे	अंतर
2010-11	2008-09	3492.08	2379.02	1113.06
2009-10	2007-08	2925.13	2210.44	714.69
2008-09	2006-07	2781.80	1991.50	790.30
2007-08	2005-06	2421.80	1796.53	625.27

यह अन्तर सामान्य निधि में निवेश के कारण हो सकता है।

1.13 व्यय को किसी खाते में न लेना

वर्ष 2008-09 के दौरान विविध अग्रिमों की स्थिति निम्न प्रकार थी :-

तालिका 1.15: विविध अग्रिम

(रुपये करोड़ में)

दिनांक 1.4.2008 को अथशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	दिनांक 31.3.2009 को बकाया शेष
59.49*	25.79	85.28

*वर्ष 2008-09 के प्रारम्भ में विभाग ने दोहरी प्रविष्टि लेखों के आंकड़ों को जी-4 विवरण में समाहित कर दिया है ।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आरम्भ में विविध अग्रिमों के अन्तर्गत बकाया शेष 59.49 करोड़ रुपये था। वर्ष के दौरान विविध अग्रिमों में 25.79 करोड़ रुपये की वृद्धि थी जिसके परिणामस्वरूप समापन शेष 85.28 करोड़ रुपये था। विविध अग्रिम इतनी बड़ी राशि के रूप में स्वीकृत करने के कारण रिकार्ड में नहीं थे। सामान्य वित्तीय अधिनियम 2005 के अनुसार नए अग्रिम केवल पूर्व में लिए गए अग्रिमों को समंजन के पश्चात् प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अग्रिमों की अवधि न लेखा का हिस्सा थी और न ही विविध अग्रिमों तथा उनके समंजन हेतु कोई ब्राडशीट बनाई गई थी।

1.14 वार्षिक लेखों पर सामान्य टिप्पणियाँ

आडिट द्वारा लेखों की जॉच से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान लेखा पद्धति में कुछ विसंगतियॉ/कमियॉ थी। इन्हें पहले भी वार्षिक आडिट रिपोर्ट तथा आन्तरिक आडिट रिपोर्ट में दिखाया

गया था किन्तु विभाग ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये। विसंगतियॉ/कमियॉ निम्न प्रकार से हैं:

1. व्यय स्वीकृत बजट प्रावधान के अन्तर्गत होना चाहिए। किन्तु अनेक मामलों में वास्तविक व्यय बजट प्रावधान से अधिक हुआ है। संबंधित लेखा-शीर्ष में व्यय को नियंत्रित रखने की कार्यवाही हेतु रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। तद्नुसार, यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि व्यय पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रक्रिया थी।

2. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ऊर्जा और जल की बिक्री, वाणिज्यिक दुकानों/ईकाइयों को किराये पर देना और खाद तैयार करना व बेचना जैसे वाणिज्यिक कार्यकलापों का संचालन करती है। इन वाणिज्यिक कार्यकलापों के संबंध में प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये गये थे और इस प्रकार इन कार्यकलापों से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण नहीं किया जा सका।

3. लेखों की वर्तमान पद्धति से वर्ष के प्रारंभ में वसूलनीय करों, शुल्कों अन्य राजस्व लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि तथा वर्ष के दौरान समाप्त किये गये बकाया राशि प्रतिबिम्बित नहीं होती है। इस प्रकार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को वर्षवार विघटित राशि के साथ ऐसे सभी शेष बकायों की वास्तविक मात्रा की जानकारी नहीं थी।

4. प्रत्येक वर्ष वार्षिक लेखों में विभिन्न निलम्बित शीर्षों के अंतर्गत अत्यधिक व्यय दिखायाा गया था, जिसे बाद में संमजित नहीं किया गया। वार्षिक लेखों में सस्पेंस लेखों के वर्षानुसार अथशेष, समापन शेष और निलम्बि (सस्पेंस) लेखों का निपटान नहीं दिखाया गया और इस प्रकार निलम्बन शीर्षों के अधीन दिखाए गए अत्यधिक व्यय एवं इसके समंजन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

5. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के वार्षिक लेखे विभिन्न ऋणों, जमा तथा प्रेषित शीर्षों के अथशेष एवं समापन शेष नहीं दर्शाते थे और इस प्रकार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की सही और वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं।

6. बैंक खाते में जमा करवाये गये चैकों, जिनकी राशि खाते में वित्तीय वर्ष में जमा नहीं हुई, का विवरण वार्षिक लेखे के साथ संलग्न नहीं किया गया था। इसी प्रकार वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा जारी चैकों, जो बैंकों में भुगतान के लिये जमा नहीं करवाये गये, का विवरण भी वार्षिक लेखों के साथ संलग्न नहीं किया गया।

7. 'रोकड़ पुस्तिका' और 'बैंक खाते' के अनुसार अथशेष एवं समापन शेष बजट पुस्तिका 2010-11, में तथा इनमें यदि कोई विसंगति थी तो उस हेतु अपेक्षित वर्णनात्मक स्पष्टीकरण के साथ नहीं दर्शाया गया था।

8. सामान्य निधि से अग्रिमों को उदारता से बार-बार प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी और यह सामान्यत: काफी लम्बे समय तक असंमजित रहे। अथशेष एवं समापन शेष तथा वर्ष में किये गये समंजन को दर्शाता विवरण वर्ष अनुसार स्थिति स्पष्ट नहीं करता था।

9. विभाग ने उपकर अधिनियम 1996, के अन्तर्गत उपकर प्रभार वसूल किए, जो कि निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड में 30 दिन के भीतर जमा/प्रेषित करना अपेक्षित था। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की । परिणामस्वरूप, प्राप्तियाँ उस सीमा से अधिक दिखाई गई। इसके अतिरिक्त लेखों के अनुसार तथा सम्बन्धित प्रभागों द्वारा रखरखाव किए गए रिकार्डों के आंकड़ों के मध्य अंतर था। इनके मिलान किये जाने की आवश्यकता है।

10. लेखा नियमों के अनुसार माइनस एन्ट्री को अन्तिम लेखे में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। यह पाया गया कि निम्न 18 लेखा शीर्षों में, विभाग ने जी-4 विवरण में माइनस एन्ट्रियॉ दर्शायी थी:

तालिका 1.16 : माइनस एन्ट्री

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	विवरण	मार्च 2009 तक माइनस व्यय
1	डी. 2.17.11. (ए) 101	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में पुन:पूरण गडढों का निर्माण	(-)375219
2	डी 2.17.11.(ए) 152	सरोजिनी नगर में जल निकासी पद्धति में सुधार	(-)925516
3	डी.2.17.11.(ए) 162	नेताजी नगर में जल निकासी पद्धति में सुधार	(-)554126
4	डी 2.17.11.(ए) 163	लक्ष्मी बाई नगर में जल निकासी पद्धति में सुधार	(-)597848
5	डी.7.4	इन्डोर स्टेडियम का सुधार कार्य (विद्युत कार्य)	(-)4515671
6	डी.10 II	प्राकृतिक आपदा राहत में अंशदान	(-)25804
7	ई.4.1 (348.2)	स्टेट गैस्ट हाउस में 66 के.वी. सब-स्टेशन का संस्थापन	(-)11006525
8	ई.4.1 (348.6)	मंडी हाउस में 33 के.वी. सब-स्टेशन का संस्थापन	(-)1215498
9	ई.4.1 (349.36)	जोन-1 क्षेत्र में निम्न दाब वितरण प्रणाली का संवर्धन	(-)2197
10	ई.4.1 (349.49)	नेहरु पार्क में निम्न दाब वितरण प्रणाली का संवर्धन	(-)28294
11	ई.4.1 (349.54)	मालचा मार्ग में निम्न दाब वितरण प्रणाली का संवर्धन	(-)58567
12	ई.4.1 (349.68)	निम्न दाब केबल का प्रावधान करना	(-)77994
13	ई.4.1(350.8)	डलहौजी रोड स्थित विद्युत सब-स्टेशन का सुधार	(-)220310
14	ई .4.1(350.53)	यशवंत प्लेस स्थित विद्युत सब-स्टेशन के डीजल जनरेटर सैट कक्ष का सुधार	(-)163200
15	जी .1.3(358.25)	आदित्य सदन गोल चौराहे पर मास्टिक उपचार	(-)2705207
16	जी.1.3(358.27)	प्रवेश स्थलों पर मास्टिक उपचार का प्रावधान	(-)724096

17	जी.1.3(358.73)	आई.एन.ए.क्षेत्र के अग्रभाग वाले क्षेत्र का सुधार	(-)359705
18	जी .1.3(365.2)	197 बस क्यू शैल्टरों का निर्माण एवं रखरखाव	(-)13910147

1.15 बजट प्रायोजनाओं का विश्लेषण

बजट में तीन प्रकार के आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं: (क) पूर्व वर्ष के वास्तविक (ख) वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और (ग) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट अनुमान। इस भाग में बजट प्रायोजनाओं के संदर्भ में परिषद् के विभिन्न वित्तीय घटकों में अन्तर पर विचार-विमर्श किया गया है।

1.15.1 अनुमान की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ

पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान का विवरण निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.17 : अनुमान की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियॉ

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक राजस्व प्राप्तियॉ	बजट अनुमान पर वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (+)/कमी (-)	बजट अनुमान पर अधिक (+)/ कमी (-) प्रतिशतता
2008-09	**1193.07**	**1406.52**	**1412.98**	**(+)219.91**	**(+)18.43**
2007-08	1162.91	1346.60	1359.17	(+)196.26	(+)16.88
2006-07	1061.79	1120.03	1125.00	(+)63.21	(+)05.95
2005-06	1035.50	1030.83	1049.71	(+)14.21	(+)01.37
2004-05	997.54	1060.86	1077.91	(+)80.37	(+)08.06

वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियॉ बजट अनुमान से 219.91 करोड़ रुपये अधिक थी। परंतु वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमान के संदर्भ में 6.46 करोड़ रुपये अधिक थी।

वास्तविक प्राप्तियों एवं संशोधित अनुमानों की शीर्षानुसार विस्तृत तुलना करने से निम्न प्रकार ज्ञात हुआ:

(क) लेखे के निम्न 3 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत 1.45 लाख रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में प्राप्तियॉ शून्य रही :

तालिका 1.18 : शून्य प्राप्तियाँ

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2008-09	संशोधित अनुमान 2008-09	वास्तविक 2008-09
1	ए -IV	थियेटर एवं प्रदर्शन कर	5.00	1.00	शून्य
2	ए-VIII (6)	खतरनाक एवं आयुद्ध व्यापार लाईसेंस	0.30	0.30	शून्य
3	सी .VIII	दक्ष से आय	0.15	0.15	शून्य
		कुल	**5.45**	**1.45**	शून्य

चूंकि संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में तैयार किये जाते थे, अतः संशोधित अनुमान के विरुद्ध शून्य प्राप्तियॉ त्रुटिपूर्ण बजट इंगित करती हैं।

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के शीर्षानुसार अन्तर के लिए कारण जी-4 विवरण में नहीं दिये गये थे।

(ख) निम्नलिखित 47 लेखा शीर्षों के अंतर्गत संशोधित अनुमानों की तुलना में प्राप्तियों में कमी 0.03 प्रतिशत से 94.04 प्रतिशत के बीच रही। इस के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे:

तालिका 1.19 : प्राप्तियों में कमी

(रुपये हजार में)

क्र.		विवरण	बजट अनुमान 2008-09	संशोधित अनुमान 2008-09	वास्तविक 2008-09	कमी	कमी की प्रतिशतता
1	ए-1(ए)	गृह करः सरकारी के.लो.नि.वि. भवनः चालू	100000	100000	84398	15602	15.60
2	ए-1(बी)	के.लो.नि.वि. भवनों के अलावा गृहकर बकाया	10000	40000	27435	12565	31.41
3	ए-1(सी)	गृह करः निजी सम्पत्तिः बकाया	500000	500000	295195	204805	40.96
4	ए-II	करों का आबंटित अंश दिल्ली वित्ती निगम फारमोला के नियामानुसार निधि का अन्तरण	208177	158200	148456	9744	6.16
5	ए-III	विज्ञापन कर	1000	1000	201	799	79.90
6	ए-VI(बी)	कुत्ता टोकन शुल्क	50	50	30	20	40.60
7	ए-VII-ए	नकशा प्रस्तुतकरण शुल्क	4000	2800	2220	580	20.73
8	ए-VII-बी	सुधार कर	3500	4000	3896	104	2.60
9	ए-VIII 1	जुर्माने	3012	4005	2234	1771	44.23
10	ए-VIII 2	नल साजी लाईसेंस	50	30	19	11	37.00
11	ए-VIII 5	स्थाई गोशाला लाईसेंस	60	100	14	86	86.40

12	ए-VIII 7	दुकान लाईसेंस	600	10000	9916	84	0.84
13	ए-VIII 8	प्रतिलिपि शुल्क एवं उपनियामों आदि की बिक्री	400	400	101	299	74.82
14	ए-VIII 9	संयोजन शुल्क (भवन)	3500	3500	406	3094	88.39
15	ए-VIII 10	सीवर कनेक्शन शुल्क	8000	4500	4203	297	6.60
16	ए-VIII 16	निरीक्षण शुल्क (भवन)	200	200	127	73	36.36
17	ए-VIII 17	सीवर अवरोध एवं सीवर निरीक्षण शुल्क	1500	100	33	67	66.55
18	ए-VIII 18	पुर्नवेधताा शुल्क	0	100	74	26	25.71
19	सी-I	विविध प्राप्तियाँ (सामान्य)	12020	150670	13032	137638	91.35
20	सी-II	विविध प्राप्तियाँ (कर विभाग)	0	300	18	282	94.04
21	सी-V	अवकाश वेतन अंश दान	200	200	52	148	73.94
22	सी-VI	पेंशन अंश दान	400	400	265	135	33.84
23	सी-VII	न.दि.न.पा.परिषद् से प्राप्तियाँ (विभागीय जलपान गृह)	1600	1600	450	1150	71.87
24	डी-I(c)(iii)	शुल्कः नर्सरी विद्यालय	120	30	5	25	84.77
25	डी-I(c)-iv	समान शिक्षा	0	600	342	258	43.03
26	डी-III	जन स्वास्थ्य	20800	21000	20993	7	0.03
27	डी-IV	पशु पालनः पशु प्रभार	50	50	21	29	58.70
28	डी-VII	आवास	9500	9500	9086	414	4.36
29	डी-IX	स्टेडियम	0	250	99	151	60.54
30	डी-XIII	पालिका पार्किंग से प्राप्तियाँ (आय)	11000	11000	10752	248	2.25
31	ई-(I)	ऊर्जा की बिक्री	5799400	5799400	5656453	142947	2.46
32	ई-III	नये कनेक्शन/पुर्ननियोजन शुल्क	3800	3950	1272	2678	67.79
33	ई -IV	जमा कार्यों पर विभागीय प्रभारों की वसूली	1500	8970	4816	4154	46.31
34	ई -V	भण्डारण प्रभारों की वसूली	4000	8151	7892	259	3.17
35	ई -VI	अन्य प्राप्तियाँ (छुट-पुट मदें)	6409	30563	9494	21069	68.94
36	एफ -I	जल की बिक्री	200000	240000	223605	16395	6.83
37	एच-I	दुकानों एवं स्टालों सहित पूर्ण हुई परियोजनाओं से किराया/लाईसेंस शुल्क	1640000	1580000	974456	605544	38.33
38	एच -III	टैक्सी बूथ	1500	1500	1015	485	32.32
39	एच -IX	बागीचों के उत्पादन एवं सड़क किनारे वृक्षों की बिक्री	500	500	478	22	4.32
40	एच -X	तह बाजारी	7500	8000	7529	471	5.89
41	एच -XI	अतिक्रमण हटाने की लागत की वसूली	4500	10000	8840	1160	11.60

42	एच =XIII	विभागीय प्रभार	4800	5000	4857	143	2.86
43	एच -XIX	भण्डारण प्रभार (सिविल)	1600	1000	797	203	20.31
44	एच -XV(ए)	अन्य प्राप्तियाँ (सम्पदा विभाग)	5000	5000	1098	3902	78.04
45	एच -XVII	विद्युत के खम्बों पर विज्ञापन के लिए प्रदर्शन प्रभार	110000	110000	58862	51138	46.49
46	एच -XXIV(बी)	सम्पदा निदेशालय (शहरी विकास मंत्रालय)	5000	10000	8127	1873	18.73
47	आई	कर्मचारियों को अग्रिम	11490	8550	4338	4212	49.26
		योग	**8706738**	**8855169**	**7608002**	**1247167**	**14.08**

इन 47 लेखा शीर्षों में से, 15 शीर्षों के मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी थी। लेखा शीर्ष के अन्तर्गत ए 1(ए) गृहकर-वर्तमान ए-1(बी) गृहकर: के.लो.नि.विभाग के भवनों के अलावा: बकाया, ए-1(सी) गृहकर: निजी सम्पत्तियाँ: बकाया, सी-1 विविध प्राप्तियाँ (सामान्य), ई-(1) ऊर्जा की बिक्री, ई-6 अन्य प्राप्तियाँ (छुट-पुट मदें), एफ-1 जल की बिक्री, एच-1 दुकानों एवं स्टालों सहित पूर्ण हुई परियोजनाओं से किराया/लाईसेंस शुल्क एवं एच-17 विद्युत खम्बों पर विज्ञापन हेतु प्रदर्शन प्रभार। प्रत्येक मामले में कमी 1 करोड़ रुपये की राशि से अधिक है।

(ग) निम्नलिखित 35 लेखाशीर्षों के अन्तर्गत संशोधित अनुमानों की तुलना में प्राप्तियों में अधिकता 0.58 प्रतिशत से 1534.55 प्रतिशत के बीच रही।

तालिका-1.20 : प्राप्तियों की अधिक वसूली

(रुपये हजार में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	बजट अनुमान 2008-09	संशोधित अनुमान 2008-09	वास्तविक प्राप्तियाँ 2008-09	आधिक्य	आधिक्य की प्रतिशतता
1	ए-I *(अ) सरकारी* के.लो.नि.वि. भवन : गृह कर बकाया	10000	10000	37112	27112	271.12
2	*ए-I (ब) के.लो.नि.वि. भवन : गृह कर वर्तमान*	40000	40000	56385	16385	40.96
3	*ए-I (स) निजी सम्पतियाँ : गृह कर वर्तमान*	1100000	1200000	1607392	407392	33.95
4	*ए-V सम्पत्तियों के हस्तान्त्रण पर शुल्क*	250000	300000	378013	78013	26.00
5	*ए-VII (सी) चट्टा प्रभार*	10	20	26	6	30.00
6	*ए-VII (डी) भवन कर*	900	900	922	22	2.44

7	*ए-VII (ई) अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात पर दण्ड*	500	9000	10793	1793	19.92
8	*ए-VIII (3) फेरी लाईसेंस*	100	100	121	21	21.00
9	*ए-VIII (12) अहाता/बाड़ा शुल्क*	800	800	3859	3059	382.38
10	*ए-VIII (15) नक्शा तैयार करने का शुल्क*	10	15	24	9	60.00
11	*बी-I निवेष पर ब्याज*	796260	850214	864694	14480	1.70
12	बी-II अग्रिमों पर ब्याज	1720	1375	1728	353	25.64
13	सी-III विविध प्राप्तियाँ (श्रम कल्याण विभाग)	150	150	205	55	36.67
14	डी-I *(बी)* बस शुल्क वरि.मा. /प्राथमिक विद्यालय	300	150	174	24	16.00
15	डी-I *(सी)* अन्य प्राप्तियाँ	0	62	133	71	114.52
16	डी-II एक्सरें, प्रयोगशाला जाँच एवं अन्वेशन प्रभार	50	1200	1207	07	0.58
17	डी-(V) तरणताल	500	300	367	67	22.33
18	डी-(XI) बारात घर से प्राप्तियाँ	6000	6000	9509	3509	58.48
19	डी-(XII) सिलाई केन्द्र एवं बालअनुरक्षण गृह से प्राप्तियाँ	0	300	926	626	208.67
20	डी-XIV पंच्कुईया रोड स्थिति सामुदायिक हॉल से प्राप्तियाँ	100	300	361	61	20.33
21	ई-II मीटर किराया, विद्युत	12000	12000	12831	831	6.93
22	एफ-II मीटर किराया जल आपूर्ति	0	1300	1375	75	5.77
23	एच-IV बस क्यू शेलटर	24000	24800	26249	1449	5.84
24	एच-VII पार्कों/खेल के मेदानों का आरक्षण	2000	800	1045	245	30.63
25	एच-XIII क्योस्क	13200	13200	20683	7483	56.69
26	एच-XIII (ए) विभागीय प्रभार (राजस्व)	100	2400	4662	2262	94.25
27	एच-XIV कार पार्किंग	120000	120000	137775	17775	14.81
28	एच-XV योग अन्य प्राप्तियाँ	15770	16125	20312	4187	25.97
29	एच-XXII रद्द हुई जमा राशि	0	4000	6463	2463	61.58
30	एच-XXIII उपकर वसूली प्रभार	2	110	1798	1688	1534.55

31	एच-XXIV (ए) भूमि एवं विकास कार्यालय से स्थानांत्रित मार्किटों से प्राप्तियाँ	5000	90000	97969	7969	8.85
32	आई-I वाहन का क्रय: कर्मचारियों को अग्रिम	1900	500	524	24	4.80
33	आई- डी) कर्मचारियों को कम्प्यूटर क्रय हेतु अग्रिम	90	50	82	32	64.00
34	जे-(IV) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास हेतु अनुदान	0	2039	2980	941	46.15
35	के- जमा कार्य	57700	86000	231056	145056	168.67
	योग	**2454162**	**2794210**	**3539755**	**745545**	**26.68**

6 मामलों में संशोधित अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियॉं सौ प्रतिशत से अधिक थी। बजट अनुमानों में विचलन अप्रत्याशित एवं अनियमित बाह्य घटनाओं अथवा यथार्थ (नियमपूर्वक) के अभाव के कारण हो सकता है। जैसाकि संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में तैयार किये गए हैं, उपरोक्त तालिका में वर्णित संशोधित अनुमानों में ऐसे बड़े विचलनों के कारणों को विश्लेषित किये जाने की आवश्यकता है।

1.15.2 अनुमान की तुलना में कर राजस्व की वास्तविक वसूली

पिछले पॉंच वर्षों के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में कर राजस्व की वास्तविक वसूली निम्न प्रकार से थी:-

तालिका 1.21 : अनुमानों की तुलना में कर राजस्व की वास्तविक वसूली

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक कर राजस्व	बजट अनुमानों से अधिक कर राजस्व की प्राप्ति में बढ़ोतरी (+)/कमी (-)	बजट अनुमान से वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
2008-09	**221.98**	**234.94**	**263.46**	**(+)41.48**	**(+)18.69**
2007-08	196.81	227.89	223.10	(+)26.29	(+)13.36
2006-07	168.77	194.28	196.47	(+)27.70	(+)16.42
2005-06	148.60	157.73	173.07	(+) 24.47	(+) 16.47
2004-05	132.02	156.36	172.27	(+) 40.25	(+) 30.49

बजट अनुमानों के संदर्भ में वर्ष 2008-09 के दौरान कर राजस्व में वास्तविक प्राप्ति में 18.69 प्रतिशत की वृद्धि थी।

1.15.3 गैर-कर राजस्व की बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक वसूली

पिछले पांच वर्षो में बजट अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व की वास्तविक वसूली निम्न प्रकार से थी:

तालिका 1.22 : बजट अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व की वास्तविक वसूली

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक गैर-कर राजस्व	बजट अनुमान से अधिक (+)/कम (-) प्राप्त गैर- कर राजस्व	बजट अनुमान में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
2008-09	**893.26**	**1013.71**	**995.51**	(+)102.25	(+)11.45
2007-08	903.52	1037.67	1055.52	(+)152.00	(+)16.82
2006-07	853.10	879.68	883.73	(+)30.63	(+)03.59
2005-06	827.24	845.57	842.59	(+) 15.35	(+)01.86
2004-05	833.41	857.21	860.85	(+) 27.44	(+)03.29

वर्ष 2008-09 के दौरान गैर-कर राजस्व बजट अनुमान से 102.25 करोड़ रुपये अधिक था।

1.15.4 संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय

सभी पांच वर्षो में वास्तविक व्यय संशोधित अनुमानों से निरंतर कम रहा और बजट अनुमान से भी कम रहा।

तालिका 1.23 : संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय			आधिक्य (+)/बचत (-)		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
2008-09	41.10	1150.45	1191.55	119.40	1286.05	1405.45	109.24	898.56	1007.80	(-)10.16 *8.51%	(-)387.49 *30.13%	(-)397.65 *28.29%
2007-08	30.30	1132.93	1163.23	45.50	1299.18	1344.68	39.76	1319.70	1359.46	(-)5.74 *12.62%	(+)20.52 *1.58%	(+)14.78 *1.10%
2006-07	22.20	1038.24	1060.44	17.35	1101.40	1118.75	14.47	1003.22	1017.69	(-)2.88 *16.60%	(-)98.18 *8.91%	(-)101.06 *9.03%
2005-06	17.40	1017.48	1034.88	13.31	1015.58	1028.89	10.37	960.54	970.91	(-)2.94 *22.09%	(-)55.04 *5.42%	(-)57.98 *5.64%
2004-05	18.90	977.20	996.10	17.19	1043.96	1061.15	11.64	954.85	966.49	(-)5.55 *32.29%	(-)89.11 *8.54%	(-)94.66 *8.92%

* आधिक्य/बचत की प्रतिशतता इंगित करता है।

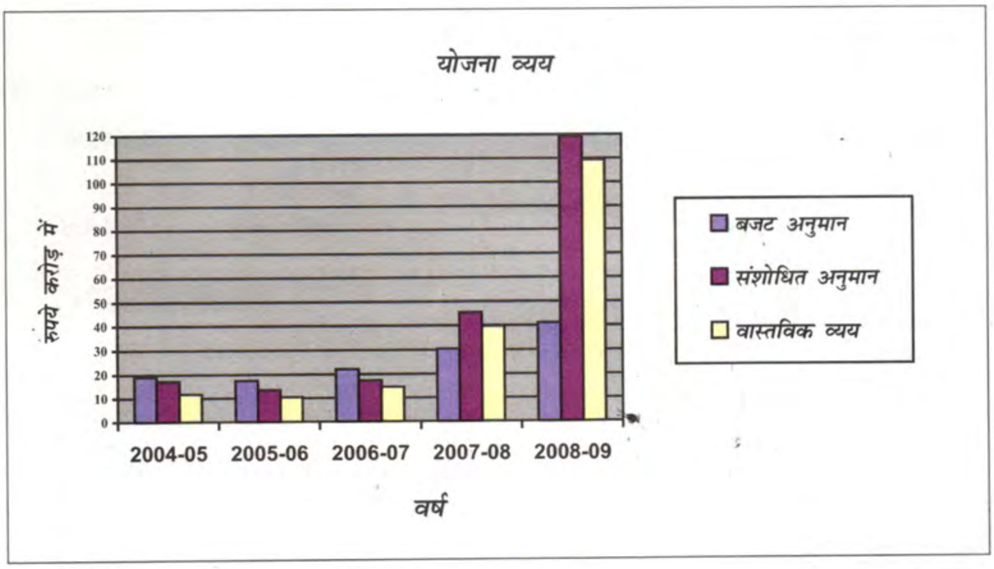

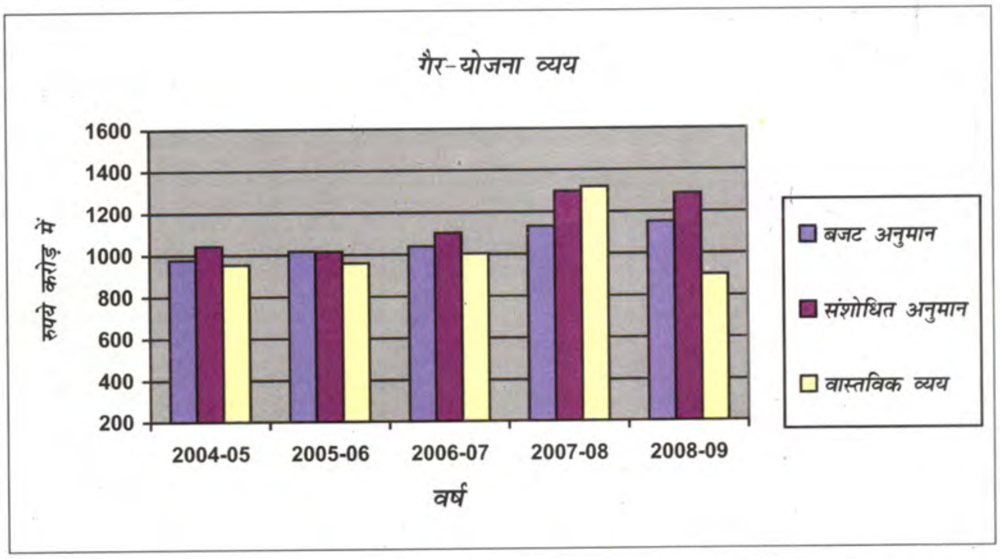

वर्ष 2008-09 हेतु व्यय 1405.45 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1007.80 करोड़ रुपये था। इस प्रकार व्यय 397.65 करोड़ रुपये कम था। आंकड़ों का विश्लेषण इंगित करता है कि वर्ष 2008-09 हेतु व्यय अनुमान से अधिक आंका गया।

1.15.5 संशोधित अनुमानों की तुलना में बचत

वास्तविक व्यय वर्ष 2008-09 के दौरान निम्न लेखा शीर्षों में वृहद् बचत हुई थी:-

तलिका 1.24: संशोधित अनुमानों की तुलना में किया गया कम व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान 2008-09	वास्तविक व्यय 2008-09	बचत
1	सी	प्रशासनिक विभाग	297.06	263.71	33.35
2	डी.1	शिक्षा	91.84	84.53	7.31
3	डी.2	चिकित्सा एंव जन-स्वास्थ्य	172.04	159.74	12.30
4	डी.4.1	तरण-ताल	0.59	0.44	0.15
5	डी.4.2	सामुदायिक एवं बहुउद्देशय हाल	3.03	2.97	0.06
6	डी.4.3	शव-वाहन	0.22	0.00	0.22
7	डी.4.4	बगीचे, पार्क व फव्वारें	34.09	30.21	3.88
8	डी.4.5	पशुबाड़ा	0.18	0.01	0.17
9	डी.4.6	समाज कल्याण	3.07	1.98	1.09
10	डी.4.10	धोबीघाट	0.48	0.41	0.07
11	डी.4.11	झुग्गी-झोपड़ी समूहों में सुधार	1.25	1.03	0.22
12	डी.4.12	आवास	7.35	4.76	2.59
13	डी.7	इन्दौर स्टेडियम	0.57	0.12	0.45
14	डी.8	बारात घर/ रैन बसेरे	1.61	0.37	1.24
15	डी.10.II	प्राक्रतिक आपदा राहत में अंशदान	0.50	0.00	0.50
16	ई.	विद्युत आपूर्ति	321.79	0.13	321.66
17	एफ	जल आपूर्ति	54.05	51.73	2.32
18	जी.1	सड़कें, सिविल कार्य	77.77	64.63	13.14
19	एच.1	सिविल इंजीनियरिंग विभाग	284.35	281.01	3.34
20	एच.2	विद्युत इंजीनियरिंग विभाग	24.70	21.81	2.89
21	एच.5	सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि	0.20	0.19	0.01
22	एच.6	परामर्श/ मूल्यांकन अध्ययन	0.40	0.22	0.18
		योग	**1377.14**	**970.00**	**407.14**

1.15.6 संशोधित अनुमानों की तुलना में अधिक व्यय

वर्ष 2008-09 के दौरान 5 लेखा शीर्षों में संशोधित अनुमानों की तुलना के मुकाबले व्यय अधिक हआ।

तालिका 1.25: संशोधित अनुमानों की तुलना में किया गया अधिक व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2008-09	संशोधित अनुमान 2008-09	वास्तविक व्यय 2008-09	अधिक व्यय	संशोधित अनुमान से अधिक व्यय की प्रतिशतता
1	डी.4.7	अनुदान सहायता	1.30	1.30	1.90	0.60	46.15
2	डी.5	पालिका पार्किंग	0.11	0.25	0.74	0.49	196.00
3	जी.2	सड़कें विद्युत कार्य	26.11	6.79	7.94	1.15	16.94
4	एच.4	सांसद/विधायक निधि	4.05	5.40	6.88	1.48	27.41
5	के	जमा कार्य	5.75	8.60	14.26	5.66	65.81
		योग	**37.32**	**22.34**	**31.72**	**9.38**	**41.99**

1.15.7 वेतन व भत्तों के विरूद्ध शून्य व्यय

निम्नलिखित 6 मामलों में वेतन एवं भत्तों के लिए संशोधित अनुमान बनाया गया था किन्तु वर्ष 2008-09 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया।

तालिका 1.26 : वेतन एवं भत्तों के विरूद्ध शून्य व्यय

(रुपये हजार में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	अनुभाग/प्रभाग	संशोधित प्रावधान 2008-09	वास्तविक व्यय 2008-09
1	डी.1.7.6.ए(i)	जनसंख्या अनुसंधान एवं सामग्री हेतु कर्मचारी वेतन एवं भत्ते	1800	शून्य
2	डी.1.7.7.1	कार्य अनुभव कार्यक्रम एवं रूचि केन्द्र वेतन एवं भत्ते	217	(-)13
3	डी.2.2.12.1	रक्तकोश की स्थापना वेतन एवं भत्ते	2538	शून्य
4	डी.2.11.1	महत्त्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रहण वेतन एवं भत्ते	3116	शून्य
5	डी.4.3.1	शव वाहन सेवाएँ वेतन एवं भत्ते	2169	शून्य
6	डी.4.5.1	पशु बाड़ा वेतन एवं भत्ते	1511	शून्य

*** ऋण चिन्ह आंकडे वेतन एवं भत्तों की वापसी के कारण है।**

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित लेखाशीषों के अन्तर्गत 50% से अधिक बचत थी।

तालिका 1.27 : वेतन एवं भत्तों के विरूद्ध 50% से अधिक बचत

(रुपये हजार में)

क्र.सं.	अनुभाग/प्रभाग	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत प्रतिशतता
1	डी.8.1 बारात घर/रेन बसेरे वेतन एवं भत्ते।	10880	42	10838	99.61

उक्त के लिए कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

1.15.8 योजना

कुल व्यय में योजना व्यय का प्रतिशत बहुत कम रहा। वर्ष 2008-09 के दौरान योजना शीर्षों के अन्तर्गत 41.10 करोड़ रुपये बजट अनुमान की तुलना में 109.24 करोड़ रु. व्यय हुए अर्थात बजट अनुमानों से 68.14 करोड़ रुपये अधिक व्यय हुए जोकि 165.79 प्रतिशत अधिक है।

संशोधित अनुमान के संदर्भ में वास्तविक व्यय की तुलना से यह प्रकट हुआ कि:-

(क) 23 लेखार्शीषों के अन्तर्गत 126.50 लाख रुपये की राशि निम्नलिखित विवरणानुसार पूर्ण रूप से अनुपयोगी रही:-

तालिका 1.28: शून्य व्यय वाले लेखाशीर्ष

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	अनुभाग/प्रभाग	विवरण	संशोधित अनुमान 2008-09	वास्तविक व्यय 2008-09
1	डी.2.17.11(ए)101	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में पुन: पूर्ण गड्ढों (रीचार्ज पिट्स) का निमार्ण	7.00	शून्य
2	डी.2.17.11(ए)114	जनपथ पर जलनिकासी प्रणाली में सुधार।	5.00	शून्य
3	डी.2.17.11.(ए)122	डा. जाकिर हुसैर रोड पर जलनिकासी प्रणाली में सुधार।	3.00	शून्य
4	डी.2.17.11(ए)126	हैली रोड पर जलनिकासी प्रणाली में सुधार।	5.00	शून्य
5	डी.2.17.11.(ए)128	पंचशील मार्ग/विनय मार्ग पर जलनिकासी प्रणाली में सुधार।	10.00	शून्य
6	डी.2.17.11.(ए)130	शांति पथ पर जलनिकासी प्रणाली में सुधार।	10.00	शून्य
7	डी.2.17.11.(ए)137	खुले स्थलों को ढकते हुए सुधार कार्य	5.00	शून्य
8	डी.2.17.11(ए) 138	वर्तमान सीवर जलनिकासी में सुधार	5.00	शून्य
9	डी.2.17.11.(ए)140	जलनिकासी प्रणाली में सुधार	6.00	शून्य

10	डी.2.17.11.(ए)141	जलनिकासी प्रणाली में सुधार	2.00	शून्य
11	डी.2.17.11.(ए)142	मंदिर मार्ग पर जलनिकासी प्रणाली में सुधार	8.00	शून्य
12	डी.2.17.11.(ए)143	महादेव रोड पर जलनिकासी प्रणाली में सुधार	8.00	शून्य
13	डी.2.17.11.(ए)151	खुले नालों के ऊपर एस.एफ.आर. सी./ग्रेटिंग लगाने का प्रावधान	0.50	शून्य
14	डी.2.17.11.(ए)153	गोल्फलिंक में जलनिकासी प्रणाली में सुधार	6.00	शून्य
15	डी.2.17.11.(ए)162	नेताजी नगर में जलनिकासी प्रणाली में सुधार	2.00	शून्य
16	डी.2.17.11.(ए)164	किदवई नगर में जलनिकासी प्रणाली में सुधार	5.00	शून्य
17	डी.2.17.11.(ए)172	गोल्फलिंक में जलनिकासी प्रणाली में सुधार	6.00	शून्य
18	डी.2.17.11.(ए)176	पिछली लेनों में जलनिकासी प्रणाली में सुधार	8.00	शून्य
19	डी.2.17.11.(ए)179	जोरबाग में जलनिकासी प्रणाली में सुधार	2.00	शून्य
20	डी.2.17.11.(ए)180	वर्तमान खुले स्थान वाले नालों को ढकना	2.00	शून्य
21	डी.2.17.11.(ए)185	सीवर जल ब्रिक आर्चबेरल का पुर्नस्थापन	1.00	शून्य
22	डी.2.17.11.(ए)190	सरोजनी नगर पर ढकेनाले का पुर्नस्थापन	5.00	शून्य
23	डी.1.4.5.(9)	ऊनी/स्वेटरों की आपूर्ति	15.00	शून्य
		योग	**126.50**	

(ख) निम्न लेखाशीर्षो के अंतर्गत, संशोधित अनुमानों के संदर्भ में बचत 0.38 प्रतिशत से 99.73 प्रतिशत के मध्य रही।

तालिका 1.29: अत्यधिक बचत वाले लेखाशीर्ष

(रुपये लाख मे)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	संशोधित अनुमान 2008-09	वास्तविक व्यय 2008-09	बचत	बचत प्रतिशत में
1.	सी.7.5(ii) (4.2) तालकटोरा स्टेडियम में सुधार कार्य	4500.00	3706.40	793.60	17.64
2.	डी.2.17.11(ए)100 खुश्क नाले का पर्यावरणीय सुधार	50.00	46.06	3.94	7.88

3.	डी.2.17.11(ए).102 पुर्नपूरण संरचना का निर्माण	4.00	1.41	2.59	64.75
4.	डी.2.17.11.(ए).103 पुर्नपूरण संरचना का निर्माण	10.00	9.82	0.18	1.80
5.	डी.2.17.11.(ए).105 पुर्नपूरण गढढों का निर्माण	10.00	2.44	7.56	75.60
6.	डी.2.17.11.(ए).106 बरसाती जल संचयन गढ्ढों का निर्माण	5.00	0.32	4.68	93.60
7.	डी.2.17.11.(ए).109 बरसाती जल संचयन संरचना का निर्माण	35.00	11.98	23.02	65.77
8.	डी.2.17.11.(ए).110 सभी गोल चौराहों पर जल निकासी प्रणाली में सुधार	10.00	3.50	6.50	65.00
9.	डी.2.17.11.(ए).111 सभी गोल चौराहों पर जल निकासी प्रणाली में सुधार।	13.00	12.95	0.05	0.38
10.	डी.2.17.11.(ए).118 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड पर जल निकासी प्रणाली में सुधार	17.00	13.58	3.42	20.12
11.	डी.2.17.11.(ए).121 पंडारा रोड पर जल निकासी प्रणाली में सुधार।	8.00	7.49	0.51	6.38
12.	डी.2.17.11.(ए).123 85 ब्लॉक पर जल निकासी प्रणाली में सुधार।	10.00	12.2	8.78	87.80
13.	डी.2.17.11.(ए).125 शंकर रोड पर जल निकासी प्रणाली में सुधार।	6.00	3.86	2.14	35.67
14.	डी.2.17.11.(ए).127 अफ्रीका एवेन्यू पर जल निकासी प्रणाली में सुधार।	20.00	9.37	10.63	53.15
15.	डी.2.17.11.(ए).129 तानसेन मार्ग पर जल निकासी प्रणाली में सुधार।	3.00	2.97	0.03	1.00
16.	डी.2.17.11.(ए).132 वर्तमान जल निकासी प्रणाली में सुधार सहित सफाई कार्य	3.50	3.17	0.33	9.43
17.	डी.2.17.11.(ए).134 सीवर जल निकासी प्रणाली में सुधार सहित सफाई कार्य	10.00	0.85	9.15	91.50
18.	डी.2.17.11.(ए).135 सीवर जल निकासी प्रणाली में सुधार सहित सफाई कार्य	5.00	0.82	4.18	83.6
19.	डी.2.17.11.(ए).139 क्रॉस जल निकासी के प्रतिस्थापन सहित सुधार कार्य।	6.50	3.21	3.29	50.62
20.	डी.2.17.11.(ए).145 नेताजी नगर में खुले नाले का ढकने का प्रावधान।	1.00	0.02	0.98	98.00
21.	डी.2.17.11.(ए).146 सरोजनी नगर में खुले को ढकने का प्रावधान।	2.00	1.80	0.20	10.00

22.	डी.2.17.11.(ए).148 शांति पथ पर खुले को ढकने का प्रावधान।	5.00	4.10	0.90	18.00
23.	डी.2.17.11.(ए).157 शतिग्रस्त क्रिक आर्च का पुर्नस्थापन	4.00	0.48	3.52	88.00
24.	डी.2.17.11.(ए).158 जल निकासी प्रणाली में सुधार कार्य	5.00	3.16	1.84	36.80
25.	डी.2.17.11.(ए).159 जे ब्लॉक में जल निकासी प्रणाली में सुधार कार्य	8.00	3.70	4.30	53.75
26.	डी.2.17.11.(ए).170 38 ब्लॉक में जल निकासी प्रणाली में सुधार कार्य	10.00	5.52	4.48	44.80
27.	डी.2.17.11.(ए).177 वर्तमान खुले स्थ्लों की मरम्मत एवं ढकने का कार्य	13.00	10.37	2.63	20.23
28.	डी.2.17.11.(ए).181 एच ब्लॉक में जल निकासी प्रणाली में सुधार कार्य	15.00	0.04	14.96	99.73
29.	डी.2.17.11.(ए).182 43 ब्लॉक में जल निकासी प्रणाली में सुधार कार्य	8.00	0.45	7.55	94.38
30.	डी.2.17.11.(ए).186 सीवर जल ब्रिक्र आर्च बेरल का पुर्नस्थापन	5.00	0.46	4.54	90.80
31.	डी.2.17.11.(ए).188 न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सीवर जल निकासी प्रणाली का सवेक्षण।	8.00	7.94	0.06	0.75
32.	डी.2.17.11.(ए).191 जल निकासी प्रणाली संख्या 9 का सी.सी.टी.वी. प्रवेक्षण	5.00	1.20	3.80	76.00
33.	डी.1.4.5.(iii) निशुल्क वर्दियाँ (योजना)	110.00	90.20	19.80	18.00
34.	डी.1.19.4. छात्रवर्त्तियों एवं अन्य प्रोतसाहन	2.00	1.84	0.16	8.00
35.	डी.1.26 शैक्षिक व्यवसायिक मार्गदर्शन	3.00	2.19	0.81	27.00
36.	डी.2.15.13.(iv) महामारी इकाई को सशक्त करना	5.00	3.80	1.20	24.00
37.	डी.1.10.9.(i) खाद्यय सामग्री क्रय (योजना)	70.00	56.50	13.50	19.29
38.	जी.1.3.(366.2) मार्ग एवं सड़कों का सौन्दर्यकरण	350.00	221.01	128.99	36.85
39.	जी.1.3. (366.3) संकेतकों का संस्थापन	216.00	55.22	160.78	74.44
	योग	**5571.00**	**4311.42**	**1259.58**	**22.61**

(ग) निम्न चार लेखाशीर्षों के अंतर्गत संशोधित अनुमानों से खर्च किया गया व्यय 4.14 प्रतिशत से 100.00 प्रतिशत अधिक के मध्य था।

तालिका 1.30: अधिक व्यय वाले लेखाशीर्ष

(रुपये लाख मे)

क्र. सं.	विवरण	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	आधिक्य	आधिक्य प्रतिशतता में
1	डी.2.17.6 बाढ़ जल नालों का तकनीकी रखरखाव (राजस्व योजना)	104.50	123.50	19.00	18.18
2	डी.2.17.11(ए)136 वर्तमान जल प्रणाली में सुधार	14.00	14.58	0.58	4.14
3	डी.2.17.11(ए)156 जल निकासी में सुधार एवं सफाई कार्य।	0.00	7.14	7.14	100.00
4	डी.2.2.7.69 चरक पालिका चिक्तिसालय में सेवाओं का सशक्तिकरण।	150.00	161.88	11.88	7.92
	योग	**268.50**	**307.10**	**38.60**	**14.38**

संशोधित अनुमान से ऐसे अधिक विचलन के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे।

1.15.9 गैर- योजना

वर्ष 2008-09 के दौरान 1286.05 करोड़ रुपये संशोधित अनुमान के विरूद्ध वास्तविक व्यय 898.56 करोड़ रुपये था। इस प्रकार कुल बचत 387.49 करोड़ रुपये था अर्थात 30.13 प्रतिशत, थी इसके अतिरिक्त संशोधित अनुमानों के संदर्भ में वास्तविक व्यय के शीर्षानुसार तुलनात्मक विवरण से निम्न प्रकार ज्ञात हुआ:

(क) कुछ लेखा शीर्षों के अंतर्गत बजट अनुमान का कुछ भी उपयोग नहीं हुआ। एक लाख रुपये से अधिक बजट अनुमानों वाले 86 मामलों का विवरण अनुलग्नक- II में दिया गया है।

(ख) 60 मामलों में बजट अनुमानों में कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, संशोधित अनुमानों में प्रावधान किये गये थे। परंतु कुछ भी व्यय नहीं हुआ। इनका विवरण अनुलग्नक- III में दिया गया है।

(ग) बजट अनुमानों के 218 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बचत की मात्रा बजट अनुमानों के 50 प्रतिशत से 99.90 प्रतिशत के मध्य रही। विवरण अनुलग्नक- IV में प्रस्तुत है।

(घ) 194 लेखा शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधानों से अधिक व्यय हुआ है। संशोधित अनुमानों से अधिक व्यय की प्रतिशतता 0.13 प्रतिशत से 29460.00 प्रतिशत के मध्य थी। लेखा शीर्ष ई.3. 3.1. (सरदार पटेल मार्ग के आस-पास क्षेत्र- 10 में जीएस पिलरों के प्रतिस्थापन पर) के अंतर्गत 1.00 लाख रुपये के संशोधित अनुमानों के विरूद्ध 295.60 लाख रुपये की राशि का व्यय हुआ था। संशोधित अनुमानों की तुलना में 29460.00 प्रतिशत अधिक व्यय हुआ। वर्ष 2008-09 के दौरान, लेखाशीर्ष जी.1.3.3.(358.68) (लक्ष्मीबाई नगर में कॉलोनी की सड़कों के पुर्नसतहीकरण) के अन्तर्गत 2.00 लाख रुपय की राशि के संशोधित अनुमानों के विरूद्ध

106.65 लाख रुपये (1.07 करोड़ रुपये) का व्यय किया गया था। अधिक व्यय की प्रतिशतता संशोधित अनुमानों के संदर्भ में 5232.50 प्रतिशत आंकी गई है। लेखाशीर्ष ई.3.17. 33केवी समरणों का प्रतिस्थापन के अन्तर्गत 0.01 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों के विरूद्ध 0.17 करोड़ रुपये की राशि का व्यय हुआ था। जो संशोधित अनुमानों के संदर्भ में 1569.00 प्रतिशत अधिक आंकलित किया गया है। एक लाख रुपये की राशि से अधिक वाले वास्तविक व्यय वाले 194 शीर्षों का विवरण अनुलग्नक-V में दिया गया हैं।

(ड़) 42 लेखा शीर्षों के अंतर्गत व्यय बिना किसी संशोधित बजट प्रावधानों के खर्च किया गया था। 42 लेखा शीर्षों का विवरण अनुलग्नक- VI में प्रस्तुत है।

संशोधित अनुमानों में ऐसे व्यापक विचलन के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे।

1.16 व्यय की अत्याधिकता

1.16.1 व्यय की अत्याधिकता

सामान्य वित्त अधिनियम के नियम 56 (3) के अनुसार वित्तीय वर्ष के विशेषकर आखिरी माह में अत्याधिक व्यय को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा और उससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत वित्तीय वर्ष के मार्च माह में एवं अन्तिम तिमाही में बहुत व्यय किया गया। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं:-

तालिका 1.31 : मार्च मास में व्यय की अत्याधिकता

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	2006-2007			2007-2008			2008-2009		
विभाग	वर्ष के दौरान व्यय	मार्च के दौरान व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	मार्च के दौरान व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	मार्च के दौरान व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
जल आपूर्ति	60.68	14.94	24.62	63.55	18.15	28.56	51.73	15.59	30.14
सड़कें (सिविल एवं विद्युत)	33.39	8.85	26.50	75.66	11.03	14.58	72.58	23.17	31.92
विभिन्न विभागों के जमा कार्य	6.36	1.10	17.30	8.46	2.12	25.06	14.26	3.23	22.65

तालिका-1.32 : वर्ष के अंतिम त्रैमासिक में व्यय की अत्याधिकता

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	2006-07			2007-08			2008-09		
विभाग	वर्ष के दौरान व्यय	जनवरी से मार्च तक व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	जनवरी से मार्च तक व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	जनवरी से मार्च तक व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता
जलापूर्ति	60.68	32.53	53.61	63.55	26.42	41.57	51.73	24.93	48.19
सड़कें (सिविल एवं विद्युत)	33.39	16.62	49.78	75.66	24.92	32.94	72.58	31.58	43.51
विभिन्न विभागों के जमा कार्य	6.36	3.00	47.17	8.46	4.48	52.96	14.26	6.87	48.18

1.17 ऑडिट रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.17.1 स्थानीय आडिट रिपोर्ट

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के प्रत्येक विभाग, अनुमान कार्यालय और सहायता अनुदान प्राप्त संस्थान का आडिट मुख्य लेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा किया जाता है। आडिट के दौरान की गई आडिट टिप्पणियों और आडिट के दौरान उत्तर न दिये गये/निपटान न कराई गई टिप्पणियों को स्थानीय आडिट रिपोर्टों के माध्यम से विभागाध्यक्षों/कार्यालय-प्रमुखों को भेजा जाता है। विभागाध्याओं/कार्यालय प्रमुखों को स्थानीय आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर उत्तर देना अपेक्षित होता है। 31 मार्च, 2009 तक अनुपालन न करने के कारण 1124 स्थानीय आडिट रिर्पोटों में 5837 आडिट पैरा लम्बित थे।

31 मार्च 2009 को विभाग अनुसार स्थानीय आडिट रिपोर्ट के लम्बित/बकाया आडिट पैरों का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.33: विभाग अनुसार स्थानीय आडिट रिपोर्ट के बकाया पैरों का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	दिनांक 31 मार्च 2009 तक बकाया पैरों की संख्या
1	लेखा	343
2	वास्तुविद् व पर्यावरण	98
3	सिविल इंजीनियरिंग	1091
4	वाणिज्यिक	85
5	शिक्षा	1027
6	विद्युत	1013

7	प्रवर्तन	97
8	सम्पदा	159
9	अग्नि रखरखाव	73
10	सामान्य प्रशासन	180
11	चिकित्सा सेवाएँ/जन स्वास्थ्य	462
12	उद्यान	97
13	सम्पत्ति कर	110
14	सूचना प्रोद्योगिकी	38
15	विधि	23
16	कार्मिक	324
17	जन सम्पर्क	82
18	सुरक्षा	83
19	कल्याण	452
	कुल	**5837**

अनुपालन में सुधार लाने के लिए परिषद् के दिनांक 3 मार्च 2005 के प्रस्ताव द्वारा स्थानीय आडिट रिपोर्ट के पैरों के शीघ्र निपटान के लिए एक पद्धति आरम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत बकाया पैरों के निपटान के लिए आडिट, वित्त और सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों को मिला कर एक तद्‌र्थ समिति गठित की गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान 65 पैरों का निपटान किया गया था।

1.17.2 वार्षिक आंडिट रिपोर्ट

परिषद् ने दिनांक 3 मार्च 2005 के प्रस्ताव द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मुख्य लेखा परीक्षक की वार्षिक आडिट रिपोर्ट पर विचार कर अपनी रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत करने के लिये आडिट हेतु स्थायी समिति के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान किया। स्थाई समिति की एक बैठक में विभागों के बकाया पैराग्राफों को वर्ष 2010-11 में विस्तृत जाँच हेतु लेने का निर्णय लिया गया।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वार्षिक आडिट रिपोर्ट में सम्मिलित बकाया पैरों पर की गई कार्यवाही की टिप्पणी एवं समीक्षा की स्थिति दिनांक 31 मार्च 2010 को निम्न प्रकार थी:

तालिका 1.34: वार्षिक आडिट रिपोर्ट में सम्मिलित पैराग्राफ तथा बकाया

31 मार्च को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट	रिपोर्ट में सम्मिलित पैरों की संख्या	बकाया पैरों की संख्या
1997	124	41
1999	98	64
2000	45	23
2001	42	19
2002	38	12
2003	36	13
2004	36	19
2005	37	22
2006	42	29
2007	42	34
2008 (समीक्षा)	4	4
2008	28	20
योग	**572**	**300**

खण्ड- 'क'

समीक्षा

सिविल
इंजीनियरिंग
विभाग

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की सड़कों का रखरखाव (सड़कों की वार्षिक मरम्मत एवं रख–रखाव)

अध्याय: II : सिविल इंजीनियरिंग विभाग

2. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की सड़कों का रखरखाव (सड़कों की वार्षिक मरम्मत एवम् रख-रखाव)

वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सड़क रखरखाव की (सड़कों की वार्षिक मरम्मत एवम् रखरखाव) समीक्षा की गई। यह पाया गया कि सड़क प्रभाग की बहुत-सी कामियों के कारण परियोजनाओं के लिए पुनः निविदा आमन्त्रित करनी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप उच्च दरों पर करार करना पड़ा। के.लो.नि.वि. नियमावली में निर्धारित वैधानिक प्रावधानों, प्रदत्त वित्त शक्तियों, अनुमोदित नि.आ.अधि. के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के मामले नोट किये गये। वार्षिक अनुमानों के अनुमोदन में 30 दिन से 363 दिनों की देरी पाई गई जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी अनुमान के तथा अनुमोदन की पूर्व प्रत्याशा के खर्चा किया गया। अनुमानित लागत से उच्च दरों पर करार निष्पादित किये गये तथा अनुमानित लागत एवम् न्यायोचित लागत के बीच बहुत बड़ा अन्तर यह इंगित करता है कि ये अनुमान वास्तविक रूप से नहीं बनाये गये थे । आन्तरिक नियंत्रण पद्धति में भी कमियां पाई गई क्योंकि प्रभावी परीवीक्षण, कार्यकलापों का नियंत्रण तथा अन्य प्रशासनिक जाँच करने को रिकार्ड नहीं बनाया गया अथवा उसका उचित रूप से पूर्णतः रखरखाव नही किया गया।

प्रमुखतायें

- विभाग ने वैट से संबंधित मामले पर समय पर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया जिसके कारण परिचालन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत माइक्रों सतहीकरण तकनीक का प्रयोग करते हुए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में सड़कों के सशक्तिकरण तथा पुनःसतहीकरण से संबंधित कार्य हेतु पुनः निविदाएँ की गई, जिसके परिणामस्वरूप 77.02 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

- परिषद् प्रस्ताव के अनुसार हॉट मिक्स तकनीक का प्रयोग करते हुए, परिचालन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चरण-। के अन्तर्गत 29 सड़कों का पुनःसतहीकरण किया जाना था यद्यपि, विभाग ने हॉट मिक्स तकनीक का प्रयोग करते हुए 41 सड़कों का पुनःसतहीकरण किया।

- तीन मामलों में, विभाग ने विभिन कमियों जैसाकि ठेकेदारों की संशोधित सूचीबद्ध करने की नीति पर विचार न करना, निविदाओं में अनुमोदित शर्तों को सम्मिलित न करना तथा निविदाओं को प्रक्रियारत करने में हुआ विलम्ब के कारण, परियोजनाओं में पुनः निविदा के कारण

निविदाओं की वैधता समाप्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 33.67 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

- के.लो.नि.वि. नियमावली में निर्धारित वैधानिक प्रावधानों, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों आदि का अनुपालन नहीं किया गया । अर्थात, स्वीकृत राशि से अधिक ठेकेदार को भुगतान किया गया, समाचार-पत्रों में प्रैस नोटिस प्रकाशित न किये जाने के परिणामस्वरूप निविदाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हुआ, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से अधिक का कार्य सौंपा गया, आदि।

- नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रदान की गई वित्तीय शक्तियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुबन्ध मूल्य के 20 प्रतिशत अधिक/अतिरिक्त तक के कार्य स्वीकृत है। रिकार्डो की जांच से ज्ञात होता है कि सड़क प्रभाग ने सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना 23.30 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त कार्य का भुगतान किया।

- वार्षिक अनुमानों के अनुमोदन में 30 दिनों से 363 दिनों तक की अतिशय देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी अनुमान तथा अनुमोदन की पूर्व प्रत्याशा के व्यय किया गया।

- जांच से यह ज्ञात हुआ कि छः मामलों में, ठेकेदारों को 389.81 लाख रुपये की राशि हेतु करार निष्पादित किये गये थे जबकि इन कार्यों की अनुमानित लागत 197.85 लाख रुपये थी। अतः अनुमानित लागत से अधिक ऊँची दरों पर निविदाएँ सौंपना इंगित करता है कि अनुमानित लागत वास्तविक रूप से तैयार नहीं की जा रही थी ।

- गुणवत्ता नियंत्रण इकाई के अवलोकनों का निपटारा न होने, कार्य की अतिरिक्त मदों का स्वीकृत न होना, फाईलों के गुम इत्यादि के कारण ठेकेदारों के 19 अन्तिम बिल लंबित पड़े थे ।

- महत्त्वपूर्ण रिकार्ड जैसे कि बजट/अनुमान नियंत्रण रजिस्टर, सड़क विवरण रजिस्टर, सड़कों की आवधिक जांच की रिपोर्ट, कार्य रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर तथा ठेकेदारों का लेजर न तो बनाया गया था और न ही इसका पूरी तरह से ही रखरखाव किया गया था जोकि आंतरिक नियंत्रण पद्धति की कमियों को इंगित करता है।

2.1 प्रस्तावना

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में सड़कों का कुल 34,09,355.57 वर्ग मीटर का क्षेत्र (फुटपाथ क्षेत्र सहित) हैं। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का सड़क रखरखाव प्रभाग परिषद् क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली सड़कों, लेनों तथा उप-लेनों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी है। यह प्रभाग इन सड़कों, लेनों तथा उप-लेनों का रखरखाव करता है तथा अपेक्षाओं तथा परिस्थितियों के अनुसार तात्कालिक आधार पर रखरखाव सेवाओं का प्रावधान करता है।

2.2 सड़क रखरखाव-इसका तात्पर्य

के.लो.नि.विभाग रखरखाव नियमावली के अनुसार सड़क रखरखाव का कार्य सड़क के प्रत्येक भाग की देखरेख, पुनः उद्धार सुधार, उद्यान संबंधी कार्यकलापों सहित इनकी सर्विस का वर्तमान स्वीकार्य मानक के अनुरूप कार्य ताकि सुविधाओं की उपयोगिता तथा महत्ता संरक्षित रहे।

2.3 संगठनात्मक गठन

सड़क रखरखाव प्रभाग अर्थात्-आर-1, आर-2, आर-3, आर-4, आर-5 तथा परिचालन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (आर.आई.पी.) प्रभाग नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के क्षेत्रधिकार के अन्तर्गत आने वाली सभी सड़कों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी है। इंजीनियर-इन-चीफ सिविल विभाग के समग्र प्रभारी है। दो अधीक्षक अभियंताओं तथा छः अधिशासी अभियंताओं सहित मुख्य अभियंता (सिविल-I/सड़क) उनका सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अधिशासी अभियंता का विभिन्न सड़कों तथा सेवा केन्द्रों से संबंधित विशिष्ट कार्यों हेतु सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता सहयोग करते हैं। संगठनात्मक चार्ट निम्न प्रकार हैं:-

सड़क प्रभाग का संगठनात्मक चार्ट

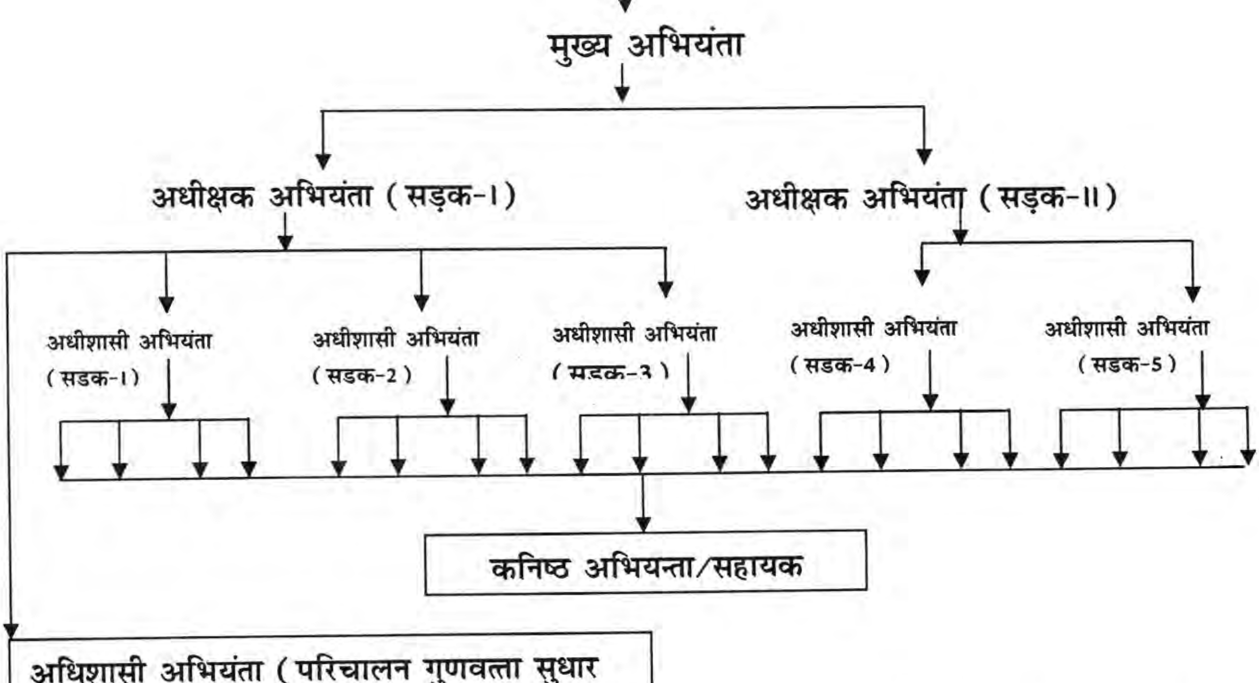

उपरोक्त उल्लेखित सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता, संबधित प्रभाग के अधिशासी अभियंता की प्रमुखता में उप-प्रभागों/सेवा-केन्द्रों में कार्यरत है।

2.4 ऑडिट का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक पाँच सड़क रखरखाव प्रभागों तथा एक सड़क गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम प्रभाग का उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आनेवाले सभी छः प्रभागों तथा सेवा केन्द्रों की समीक्षा की गई।

2.5 ऑडिट के उद्देश्य

ऑडिट का उद्देश्य यह निर्धारण करता था कि क्या:

i. जिस उद्देश्य हेतु बजट का प्रावधान किया गया था, उस उद्देश्य हेतु पूर्णतः उपयोग मितव्ययता तथा दक्षता के साथ किया गया था;

ii विभिन्न कार्यों का निष्पादन नियमों अनुसार दक्षता पूर्वक किया गया था;

iii. परिषद् द्वारा समय-समय पर पारित किए गए प्रस्तावों के दिशा-निदेशों का अनुपालन किया गया तथा सड़कों के पुनःसतहीकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन किया गया था;

iv. दक्ष अनुवीक्षण पद्धति तथा व्यय पर नियंत्रण तथा विभिन्न औचित्यता के विभिन्न नियम बने हुए थे।

2.6 ऑडिट कार्य-प्रणाली

सिविल विभाग का सड़क प्रभाग नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की स्वामित्व वाली सभी सड़कों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी है। तद्नुसार सभी पाँच सड़कों तथा परिचालन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम प्रभाग तथा उनके सेवा केन्द्रों के रिकार्डों की जांच पड़ताल की गई। ऑडिट में, पिछले पाँच वर्षों (2004-05 से 2008-09) में प्रभागों द्वारा अनुबन्धों/कार्य आदेशों/आपूर्ति आदेशों की जॉंच की गई। ऑडिट ने सड़क रखरखाव से संबंधित सूचना/रिकार्डों की जाँच एकत्र करने के लिए सूचनार्थ जॉंच/मीमो, फाईलों/रिकार्डों की छानबीन करने के लिए सड़क प्रभागों तथा शिकायत/सेवा केन्द्रों में दौरा किया ।

2.7 पावती

संबंधित रोड प्रभागों के अधिशासी-अभियंताओं ने सूचनाएँ तथा दस्तावेज दिए गए तथा समीक्षा करने में सुविधा की ।

2.8 वित्तीय व्यय

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् सड़क रखरखाव का व्यय निम्नलिखित लेखा शीर्षो से किया गया है।

i. जी. 1.1.1 वार्षिक मरम्मत

ii. जी. 1.1.2 विशेष मरम्मत तथा रखरखाव

iii. जी. 1.1.3 उपकरणों व संयंत्रों तथा कार्यालय फर्नीचर की मरम्मत तथा केनिंग

iv. जी. 1.1.4 कास्टिंग यार्ड का संचालन तथा रखरखाव

v. जी. 1.1.5 माडल्ड स्टील चेन तथा चैनल गार्ड का सुधार

vi. जी. 1.3 मूल कार्य

समीक्षा अवधि हेतु उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक व्यय (राजस्व/पूंजीगत) नीचे दिए गए हैं:

तालिका-।

बजट प्रावधान (राजस्व)

(रुपये लाख में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत (-) /अधिक (+) की राशि	बचत (-)/अधिक (+) की प्रतिशतता
2004-05	जी.1.1.1	450	510	462	(-)48	(-)9.41
	जी.1.1.2	-	-	-	-	-
	जी.1.1.3	-	1	-	(-)1	(-)100.00
	जी.1.1.4	15	20	9	(-)11	(-)55.00
	जी.1.1.5	-	-	-	-	-
2005-06	जी.1.1.1	520	550	545	(-)5	(-) 0.91
	जी.1.1.2	-	16	-	(-)16	(-)100.00
	जी.1.1.3	1	5	-	(-)5	(-)100.00
	जी.1.1.4	20	14	(-)8	(-)22	(-)157.14
	जी.1.1.5	-	4	-	(-)4	(-)100.00
2006-07	जी.1.1.1	500	518	512	(-)6	(-)1.16
	जी.1.1.2	16	-	-	-	-
	जी.1.1.3	5	-	-	-	-

	जी.1.1.4	15	10	–	(–)10	(–)100.00
	जी.1.1.5	4	–	–	–	–
2007–08	जी.1.1.1	572	582	567	(–)15	(–)2.58
	जी.1.1.2	–	–	–	–	–
	जी.1.1.3	–	–	–	–	–
	जी.1.1.4	–	–	–	–	–
	जी.1.1.5	–	–	–	–	–
2008–09	जी.1.1.1	590	627	602	(–)25	(–)3.99
	जी.1.1.2	–	–	–	–	–
	जी.1.1.3	–	–	–	–	–
	जी.1.1.4	–	–	–	–	–
	जी.1.1.5	–	–	–	–	–

तालिका-2

बजट प्रावधान (पूंजीगत)

(रुपये लाख में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत (–)/अधिक (+) की राशि	बचत (–)/अधिक (+) की प्रतिशतता
2004–05	जी.1.3	1700	813	959	(+)146	(+)17.95
2005–06	जी.1.3	1982	918	744	(–)174	(–)18.95
2006–07	जी.1.3	1680	2702	2441	(–)261	(–)9.66
2007–08	जी.1.3	4692	7402	6399	(–)1003	(–)13.55
2008–09	जी.1.3	3461	6066	4692	(–)1374	(–)22.65

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2004–05 से 2008–09 के दौरान लेखा शीर्ष (राजस्व) के अन्तर्गत 1.00 प्रतिशत से 100 प्रतिशत् की सीमा तक बचत की गई। पूँजी व्यय में भी, इसी अवधि के दौरान 9.66 प्रतिशत से 22.65 प्रतिशत तक बचत की गई। लेखा शीर्ष जी.1.3. के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में 17.95 प्रतिशत् का आधिक्य व्यय भी पाया गया था।

उपरोक्त तालिका में दर्शायी गई भारी बचत तथा आधिक्य व्यय बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों को तैयार करते समय उचित योजना की कमी तथा खराब प्रबन्धन एवं वित्तीय नियत्रंण दर्शाता है। इसलिए, विश्वसनीय बजट प्रावधान तैयार करने तथा बजट प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

2.9 आडिट की टिप्पणियाँ

वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 के दौरान सड़क प्रभाग ने 1538 करारों का निष्पादन किया तथा 852 कार्य आदेश जारी किये गये। विभिन्न सड़क प्रभागों द्वारा किए गए करारों एवं जारी कार्य-आदेशों का वर्षवार विवरण अनुलग्नक-VII पर प्रस्तुत है । आडिट ने सड़क प्रभागों द्वारा समीक्षा अवधि के दौरान जारी किए गए 102 कार्य आदेशों तथा 216 निष्पादित करारों की जॉच की । रिकार्डों की जॉच परीक्षण के दौरान की गई टिप्पणियों पर निम्न प्रकार से विचार-विमर्श किया गया:

2.9.1 परिचालन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

सड़कों का नियमित रूप से पॉच वर्ष के उपरांत पुनः सतहीकरण किया जाना आवश्यक होता है । जिन सड़कों का पुनर्सतहीकरण किया जाना हैं उनका अधीक्षक अभियन्ताओं की तकनीकी उपसमिति द्वारा निरीक्षण पुनर्सतहीकरण की आवश्यकता का आंकलन करने के लिये किया गया और यह निर्णय लिया गया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की सड़कें उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए तथा जिन्हें उच्च गुणवत्ता एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा सुधारा जाए । इस उदेश्य हेतु वर्ष 2005-06 से परिचालन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (आर आई पी) लागू किया गया । परिषद् ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत (जुलाई 2006) हॉट मिक्स तकनीक तथा माइकोसरफेंसिग/कोल्ड मिक्स तकनीक द्वारा 52 सड़कों के पुनः सतहीकरण का अनुमोदन किया ।

2.9.1.1 हॉट मिक्स तकनीक

परिषद् के प्रस्ताव सं.-12 (ए-16) दिनांक 19 जुलाई-2006 के अनुसार, सड़क सुधार कार्यक्रम के प्रथम चरण में पुनः सतहीकरण हेतु 52 सड़कों की पहचान की गई जिनमें से 29 सड़कों का हॉट मिक्स तकनीक द्वारा पुनः सतहीकरण किया जाना था । परिषद् के सिविल अभियंत्रण विभाग के सड़क सुधार कार्यक्रम तथा सड़क-I के अधिशासी अभियंता हॉट मिक्स तकनीक के साथ सड़कों के पुनःसतहीकरण करने वाले निष्पादक प्रभाग थे । हॉट मिक्स तकनीक द्वारा पुनःसतहीकरण की गई सड़कों के संबध में इन प्रभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकार्डा की जॉच से निम्नलिखित कमियॉ प्रकट होती है:-

(क) परिषद् के प्रस्ताव दिनांक 19 जुलाई 2006 के अनुसार, हॉट मिक्स तकनीक के उपयोग द्वारा प्रथम चरण के अन्तर्गत 29 सड़कों का पुनःसतहीकरण किया जाना था, जबकि सड़क सुधार कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार हॉट मिक्स तकनीक द्वारा 41 सड़कों का पुनःसतहीकरण किया गया । हॉट मिक्स तकनीक द्वारा पुनःसतहीकरण की गई सड़कों की संख्या में अन्तर के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

(ख) कार्य की अनुमानित लागत 18.26 करोड़ रुपये थी, जबकि निविदा राशि न्यूनतम 25.26 करोड़ रुपये थी । प्रभाग द्वारा तैयार न्यायोचित लागत 29.87 करोड़ रुपये निकाली गई थी । इस प्रकार, अनुमानित लागत तथा न्यायोचित लागत के मध्य 11.61 करोड़ रुपये (63.58 प्रतिशत) का अन्तर था । अनुमानित लागत तथा न्यायोचित लागत की गणना हेतु आधार तथा आकॅड़ों के दो विवरणों के अन्तर हेतु कारण आडिट को सौंपे गये रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

(ग) परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार, कार्य के प्रारम्भ तथा समापन करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 1 अगस्त 2006 तथा 31 मार्च 2007 थी । कार्य के प्रारम्भ होने की वास्तविक तिथि आडिट को सौंपे गये रिकार्डों में उपलब्ध नहीं थी । लेकिन, अधिशासी अभियंता (स.सु.का) ने सूचित किया कि कार्य 22 मई 2008 को समाप्त हो गया था । इस प्रकार, कार्य की समाप्ति में 13 माह से अधिक का विलंब हुआ । विलंब का कारण तथा ठेकेदार के विरुद्ध की गई दण्ड संबधी कार्रवाई रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी ।

(घ) के.लो.नि. विभाग के अनुरोध पर, सी-हेक्सागन सड़क के एक हिस्से का पुनःसतहीकरण का कार्य परिषद् द्वारा किया गया, जो कि वास्तव में के.लो.नि. विभाग के क्षेत्राधिकार में थी । कार्य की प्रस्तावित लागत 24.05 लाख रुपये थी । हलॉकि यह अवलोकित किया गया कि के.लो.नि. विभाग ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की ।

2.9.1.2 माइक्रो सतहीकरण तकनीक/कोल्ड मिक्स तकनीक का उपयोग कर सड़कों के पुनः सतहीकरण पर 77.02 लाख रुपये का अपरिहार्य व्यय

सड़क-III प्रभाग सड़कों का माइक्रो सतहीकरण जो कि कोल्ड मिक्स तकनीक के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा पुनःसतहीकरण करने वाला निष्पादक प्रभाग था । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में माइक्रों सतहीकरण तकनीक के उपयोग द्वारा सड़कों का सशक्तिकरण एवं पुनःसतहीकरण हेतु मद दर निविदाएँ मार्च-2006 में आमंत्रित की गई । प्रत्युत्तर में, तीन फर्मों ने अपनी दरें उद्धृत की । ठेकेदार 'अ' की दरें 1487.07 लाख रुपये +12.5 प्रतिशत वैट (185.88 लाख रुपये) तथा एक प्रतिशत उपकर (14.87 लाख रुपये) कुल 1687.82 लाख रुपये पर न्यूनतम थीं । दिनांक 22-6-2006 को ठेकेदार 'अ' के साथ वार्ता की गई । वार्ता के दौरान, ठेकेदार ने अपनी दरें 1487.07 लाख रुपये से कम कर 1456.57 लाख रुपये +12.5 प्रतिशत वैट तथा 1 प्रतिशत उपकर सहित कुल 1653.21 लाख रुपये कर दी । लेकिन, वित्त विभाग वार्ता से सन्तुष्ट नहीं था तथा टिप्पणी की कि वार्ता प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं की गई तथा दरों को अधिकतम यथासंभव कम करने के प्रयास नहीं किए गए । यह भी पुनः टिप्पणी कि इस मुदद् पर किसी भी स्तर पर सुस्पष्ट कानूनी मत प्राप्त करने के सकारात्मक प्रयास नहीं किए जैसा कि क्या वैट, ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर पर, लगाया जाएगा (जिसमें सामग्री तथा श्रम लागत, दोनों शामिल है, तथा सामग्री बाहरी राज्य से क्रय किया जा रहा है तथा दोहरे वैट हो गया) अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्तर्गत मूल्य जमा पर किया जाये । वित्त विभाग ने अनुशसां की कि वार्ता दरों पर निविदा को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया जाए कि कीमतों को कम करवाने के लिये अंतिम प्रयास किए जाएं तथा निविदा लागत पर डी. वैट के मामले में सुस्पष्ट कानूनी राय के

आधार पर डी. वैट की प्रतिपूर्ति की जाए । लेकिन निविदा 4 अगस्त 2006 को रद्द कर दी गई । निविदाएँ पुन: आमंत्रित की गई तथा 7 सितम्बर 2006 को खोली गई तथा ठेकेदार 'बी' अपनी उद्धृत पर 1767.23 लाख रुपये के साथ न्यूनतम पाया गया । वार्ता के उपरांत ठेकेदार 'बी' को उसकी वार्ता दर 1730.23 लाख रुपये (वैट एवं अन्य करों सहित) पर कार्य सौंपा गया ।

इस प्रकार विभाग को पुन: निविदा आमंत्रण के कारण 77.02 लाख रुपये की राशि का अपरिहार्य अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा ।

विभाग ने अपने प्रत्युत्तर (मई 2010) में सूचित किया कि वित्त एवं विधि विभाग द्वारा डी-वैट पर तथा उसकी प्रतिपूर्ति कानूनी मत में स्पष्टता की कमी के कारण प्रथम आमंत्रित निविदा को रद्द कर दिया गया तथा पुन: निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में ऐसा त्रुटियों के संबंध में निर्देश दिया गया । विभाग का प्रत्युत्तर सिविल अभियंत्रण विभाग तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विभिन्न परामर्शदाता विभागों के मध्य सामजस्यता की कमी इंगित करता है तथा इस मुद्दे पर समय पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने में असफल रहने पर पुन: निविदा आमंत्रण के कारण 77.02 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

2.9.2 पुन: निविदा आमंत्रण के कारण 33.67 लाख रुपये का परिहार्य व्यय

सड़क प्रभागों द्वारा किये गये करारों से संबधित फाइलों की जॉच परीक्षण से ज्ञात होता है कि निम्नलिखित मामलों में विभागों की विभिन्न त्रुटियों के कारण परियोजनाओं के लिए पुन: निविदाएँ आमंत्रित करनी पड़ी । जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर दरों पर करार किए गए, परिणामत: निम्नलिखित वर्णित के अनुसार 33.67 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ ।

2.9.2.1 तिलक मार्ग पर सड़क के किनारे कर्ब स्टोन का सुधार

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सड़क-I प्रभाग ने 'तिलक मार्ग पर सड़क के किनारे कर्ब स्टोन के सुधार कार्य के लिए 7.50 लाख रुपये की राशि पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत जून 2007 में निविदाएँ आमंत्रित की । न्यूनतम बोलीदाता द्वारा उद्धृत राशि, अनुमानित लागत 8.18 लाख रुपये की तुलना में 7.34 लाख रुपये थी । निविदा को अतिंम रूप देने से पूर्व, निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) में वर्णित सीमेंट स्टोन कर्ब के स्थान पर रेड सैंड स्टोन कर्ब लगाने का निर्णय लिया गया । इसलिए जुलाई 2007 को निविदा रद्द कर दी तथा अनुमानित लागत 18.05 लाख रुपये के साथ मई 2008 में संशोधित निविदाएँ आमंत्रित की गई । निविदा प्रक्रिया में छ: बोलीदाता ने भाग लिया तथा मूल्यांकन के उपरांत, ठेकेदार 'अ' को उनकी उद्धृत राशि 17.40 लाख रुपये के साथ न्यूनतम बोलीदाता घोषित किया गया तथा जुलाई 2008 में स्वीकृति हेतु निविदा की अनुशंसा की गई । यद्यपि, अनुमोदन हेतु मामले को प्रक्रियागत करने से पूर्व यह अनुभव किया गया कि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में श्रेणी III तक के पंजीकृत सूचीबद्ध ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु योग्य थे । यद्यपि ठेकेदार 'अ' जिसकी निविदा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में स्वीकृति हेतु अनुशंसित की गई, श्रेणी IV ठेकेदार था । इसलिए, नि.आ.

सूचना के अनुसार ठेकेदार 'अ' निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु योग्य नहीं था । इसके कारण, अगस्त 2008 में निविदा रद्द की गई तथा पुनः सितम्बर 08 में आमंत्रित की गई । ठेकेदार 'ब' को उनके द्वारा उद्धृत दर 30.18 लाख रुपये जो कि अनुमानित लागत की तुलना में 12.13 लाख रुपये अधिक थी तथा ठेकेदार 'अ' द्वारा उद्धृत दरों की तुलना में 12.78 लाख रुपये अधिक थी, पर कार्य सौंपा गया ।

इसके साथ ही यह भी पाया गया कि परिषद् के प्रस्ताव दिनांक 18 जुलाई 2007 के द्वारा परिषद् ने सूचीबद्धकरण नीति को संशोधित किया है तथा नई सूचीबद्ध नीति के अनुसार श्रेणी IV के ठेकेदारों की निविदा सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी थी, जो कि पुरानी सूचीबद्ध नीति के अनुसार 15 लाख रुपये थी । इस प्रकार यदि प्रभाग श्रेणी IV ठेकेदारों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी करता है, नई सूचीबद्ध नीति के अनुसार, तो ठेकेदार 'अ' भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु योग्य होता।

विभाग ने अपने प्रत्युत्तर (मई 2010) में सूचित किया कि नि.आः सूचना का योजना विभाग, जो कि मुख्य प्राधिकारी है, द्वारा दिनांक 21.5.2008 को पुरानी सूचीबद्ध नीति के अन्तर्गत अनुमोदन किया गया था । परिषद् ने नई सूचीबद्ध नीति का दिनांक 18.07.07 को अनुमोदन किया गया तथा ठेकेदार 'अ' नई सूचीबद्ध नीति के अन्तर्गत योग्य था किन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा रद्द कर दी गई । लेकिन चतुर्थ श्रेणी के ठेकेदारों हेतु संशोधित निविदा सीमा पर विचार न करने के कारणों के बारे में प्रत्युत्तर मौन था । इस प्रकार, परिषद् द्वारा अनुमोदित संशोधित निविदा सीमा पर न विचार करने हेतु प्रभाग की गलती के कारण 12.78 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ ।

2.9.2.2 सड़क IV प्रभाग के अन्तर्गत सेवा-मार्गों, लेन तथा उप-लेनों का पुनः सतहीकरण

सड़क IV प्रभाग के अन्तर्गत सेवा मार्गों, लेनों तथा उप-लेनों के पुनःसतहीकरण हेतु नि.आ. सूचना का जुलाई 2005 में अनुमोदन किया गया । जिनमें से चार निविदाएँ प्राप्त की गई । ठेकेदार 'अ' द्वारा उद्धृत दरें अनुमानित लागत 42.74 लाख रुपये के स्थान पर 49.59 लाख रुपये न्यूनतम थी । निविदा को प्रक्रियागत करते समय, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के योजना विभाग ने पाया कि सुसज्जित सतह में खुददरापन (रफनेस) 4000 मि.मी. प्रति कि.मी. से अधिक नहीं होने की शर्त को ठेकेदार को जारी निविदाओं में संमजित नहीं किया गया था । विभाग द्वारा जारी एक निविदा फार्म में यह शर्त हटा दी गई जबकि अन्य तीन निविदा फार्मो में यह 2000 मि.मी. प्रति. किलोमीटर उल्लेखित किया गया था । इस प्रकार निविदा रद्द की गई तथा पुनः 26 अगस्त 2005 को आमंत्रित की गई । निविदा 9 सितम्बर 2005 को खोली गई तथा मात्र एक निविदादाता, ठेकेदार 'बी' ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया तथा 51.48 लाख रुपये की राशि की दर उद्धृत की । उक्त निविदा की वैधता 8 दिसम्बर 2005 तक थी । विभाग वैधता अवधि के भीतर निविदा प्रक्रियागत नहीं कर सका तथा, ठेकेदार ने वैध अवधि में वृद्धि करने से मना कर दिया । इस प्रकार निविदा दिनांक 4 जनवरी 2006 को पुनः रद्द की गई । नि.आ.सूचना 16 फरवरी 2006 को पुनः जारी किया गया तथा 8 मार्च 2006 को खोला गया । मात्र दो निविदाएँ प्राप्त की गई तथा ठेकेदार 'बी' (जिसने अंतिम निविदा प्रक्रिया में वैधता

अवधि नहीं बढ़ाई थी)अपनी उद्धृत दर 68.76 लाख रुपये के साथ न्यूनतम था । ठेकेदार 'बी' को वार्ता दर 66.15 लाख रुपये पर निविदा कार्य सौंपा गया ।

इस प्रकार, प्रथम बार में अनुमोदित नि.आ.सूचना के साथ ठेकेदारों को जारी निविदाओं की उचित तुलना करने में प्रभाग की असफलता एवं दूसरी बार में मामले को प्रक्रियागत करने में विलंव के कारण नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को 16.56 लाख रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा ।

विभाग ने अपने प्रत्युत्तर (मई 2010) में सूचित किया कि प्रभागीय स्तर पर निविदा समय पर प्रक्रियागत की गई थी तथा उसके बाद योजना विभाग द्वारा न्यायोचितता की जॉच की गई । तत्पश्चात्, वित्त विभाग के पास निविदा फाइल भेजी गई थी । जॉच के पश्चात्, वित्त विभाग द्वारा फाइल वापिस भेजी गई, जबकि विभाग द्वारा समय पर प्रस्तुत की गई । इस दौरान निविदा की वैधता अवधि समाप्त हो गई, तथा उस समय बिटुमन के मूल्य में काफी वृद्धि भी हुई । इसलिए, ठेकेदार ने निविदा की वैधता अवधि बढ़ाने से मना कर दिया तथा निविदा पुनः आमंत्रित की गई । लेकिन, ठेकेदारों को दी गई निविदाओं में अनुमोदित नि.आ.सूचना की शर्तो को सम्मिलित न करने हेतु कारणों के प्रत्युत्तर पर विभाग मूक था ।

2.9.2.3 सड़क V प्रभाग द्वारा सेवा सड़कों, लेनों, उप-लेनों का पुनर्सतहीकरण

न.दि.न.पा.परिषद् के सड़क V प्रभाग द्वारा 74.63 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 'सेवा सड़कों, लेनों, उपलेनों के पुनसर्तहीकरण' के कार्य' हेतु 1 जुलाई 2005 को निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई । 18 जुलाई 2005 को निविदा खोली गई तथा पॉच ठेकेदारों ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया । न्यूनतम बोलीदाता ठेकेदार 'ए' ने 83.58 लाख रुपये की दर उद्धृत की । मामले को प्रक्रियारत करते समय न.दि.न.पा.परिषद् के योजना प्रभाग ने सूचित किया कि अनुमोदित नि.आ.सू. की शर्तो के अनुसार, खुरदरापन (रफकेस) 4000 मि.मी. प्रति किलोमीटर से अधिक नही होनी चाहिए तथा किसी मामले में तैयार सतह का खुरदरापन 4000 मि.मी./कि.मी. से अधिक है तो कार्य रद्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा रेफोमीटर की व्यवस्था की जाएगी । लेकिन प्रभाग द्वारा जारी निविदा दस्तावेजों में शर्त इस प्रकार लिखी गई थी कि ''यह सुनिश्चित होना चाहिए कि खुरदरापन 2000 मि. मी./कि.मी. से अधिक नहीं होना चाहिए । किसी मामले में जहॉ रूपरेखा में संशोधन नहीं हुआ है, खुरदरापन 4000 मि.मी./कि.मी. से अधिक नहीं हो ।'' यहॉ पर ठेकेदार द्वारा रेफोमीटर की व्यवस्था किए जाने के संबंध मे कोई उल्लेख नहीं किया गया । दिनांक 26 अगस्त 2005 को निविदा रद्द की गई की तथा उसी दिन पुनः आमंत्रित की गई । दिनांक 9 सितम्बर 2005 को निविदाएं खोली गई तथा केवल दो ठेकेदारों ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया । पुनः ठेकेदार 'ए' अपनी उद्धृत दर 89.70 लाख रुपये पर न्यूनतम बोलीदाता रहा । 22 दिसम्बर 2005 को 87.91 लाख रुपये की वार्ता दर पर ठेकेदार 'ए' को कार्य सौंपा गया था ।

इस प्रकार अनुमोदित नि.आ.सू. के अनुसार प्रभाग द्वारा निविदा दस्तावेज जारी करने में असफल रहने के कारण न.दि.न.पा.परिषद् की पुनः निविदा आमंत्रित करने के कारण 4.33 लाख रुपये का परिहार्थ व्यय करना पड़ा ।

विभाग ने पैरा में दिये गये तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2010) कि टंकण चूक के कारण खुरदरापन सूचकांक में गलत लिखा गया ।

2.9.3 वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करना

न.दि.न.पा.परिषद् के सड़क प्रभागों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं कार्यों को निष्पादित करने की निविदा फाइलों की जाँच से ज्ञात होता है कि के.लो.नि. विभाग नियमावली, वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने तथा अनुमोदित नि.आ.सू./अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट वैधानिक प्रावधानों का निम्न वर्णित मामलों में पालन नहीं किया गया :

तालिका-3

क्र.सं.	करार सं./कार्य का नाम	वैधानिक अतिक्रमण की प्रकृति/ऑडिट टिप्पणी
1.	31/ईई(सड़क- I)/2006-07 माडर्न आर्ट गैलरी के सामने फुटपाथ तथा जल-निकासी प्रणाली में सुधार ।	के.लो.नि. विभाग नियमावली के पैरा 2.3.5 के अनुसार, प्रशासनिक अनुमोदन से 10 प्रतिशत आधिक्य के मामले में, सक्षम प्राधिकारी से संशोधित अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाए । यह अवलोकित किया गया था कि 11.70 लाख रुपये हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई । कार्य का निष्पादन अनुमोदित राशि के निवल आधिक्य 2.36 लाख रुपये (20.17 प्रतिशत) से 14.06 लाख रुपये की लागत पर किया गया । लेकिन ठेकेदार को अनुमोदित राशि से अधिक का भुगतान किया गया । वित्त विभाग द्वारा 3 जनवरी 2008 को इंगित किए जाने के बावजूद सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई । विभाग ने (मई 2010) सूचित किया कि अंतिम भुगतान करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा भविष्य में वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करने हेतु नोट किया गया ।
2.	52/ईई (सड़क-I)/2008-09 जी पी ओ से सी-हेम्सागन तक अशोक रोड़ के फुटपाथ का सुधार ।	इस कार्य के लिए समाचार पत्रों में प्रैस नोटिस प्रकाशित नहीं करवाया गया । विभाग ने प्रत्युत्तर (मई 2010) में कहा है कि मामले के लिए प्रैस नोटिस तैयार किया गया तथा प्रेषण संख्या भी डाली गई किन्तु असावधानीवश विज्ञापन हेतु प्रैस नोटिस जन सम्पर्क विभाग तक नहीं पहुँच पाया ।
3.	04/ईई (सड़क- II)/2006-07 राजपथ पर क्षतिग्रस्त तथा आर सी सी खम्बों का प्रतिस्थापन	दिनांक 9 जनवरी 2006 को नि.आ. सूचना आमंत्रित की गई, जिसके प्रत्युत्तर मे मात्र एक निविदादाता ने भाग लिया तथा 1.06 लाख रुपये की दर उद्धृत की। न.दि.न.पा.परिषद् के आदेश सं. वित्त/2003/डीपी-II/496/डी दिनांक 20 नवम्बर 2003 के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय शाक्तियों के अनुसार, अधिशासी अभियंता को खुली निविदा के मामले में एक निविदा प्राप्त होने के संबंध में लेखाअधिकारी (निर्माण कार्य) के साथ परामर्श कर 50000 रुपये तक की निविदा स्वीकृत करने का अधिकार है तथा अधीक्षक

		अभियंता का लेखा अधिकारी (निर्माण कार्य) के साथ परामर्श कर 2.00 लाख रुपये तक की निविदा स्वीकार करने का अधिकार है । लेकिन, इस मामले में, लेखा अधिकारी (निर्माण कार्य) से परामर्श किए बिना अधिक्षक अभियंता ने 1.06 लाख रुपये की राशि का कार्य सौंपा । विभाग ने बताया (मई 2010) कि प्रथम बार निविदा के आमंत्रण पर एकल निविदा उच्चतम दरों पर प्राप्त हुई, जिसे अधीक्षक अभियंता (स.) द्वारा रद्द कर दिया गया था । दूसरी बार निविदा आमंत्रित करने पर पुनः एक ही निविदा प्राप्त हुई, जिसे तत्तकालीन अधिक्षक अभियंता द्वारा स्वीकार किया गया था । विभाग का प्रत्युत्तर यह दर्शाता है कि प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का पालन करने में असफल रहा है ।
4.	115/अधि.अभि. (स.- III)/2008-09 रेलवे ब्रिज शांतिपथ, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, अफ्रीका ऐवन्यू जी-ऐवन्यू इत्यादि के गोल चौराहों पर मास्टिक एस्फाल्ट कंकरीट की सतह बिछाना	नि.आ.अधि. की शर्तों के अनुसार, प्रथम चालू बिल के भुगतान से पूर्व अन्य संगठनों में पंजीकृत ठेकेदार को न.दि.न.पा.परिषद् में भी स्वयं को पंजीकृत कराना होगा । किन्तु रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं था जिससे स्पष्ट हो कि ठेकेदार ने अपने आपको न.दि.न.पा.परिषद् में पंजीकृत करवा लिया था । विभाग ने प्रत्युत्तर (मई 2010) में बताया कि ठेकेदार ने प्रथम चालू लेखा बिल से पूर्व पंजीकरण हेतु न.दि.न.पा.परिषद् में आवेदन किया था किन्तु पंजीकरण की प्रक्रिया में लम्बा समय लगा तथा ठेकदार जनवरी 2010 में अंतिम बिल के भुगतान से पूर्व पंजीकृत हो गया था । विभाग के प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट था कि वह नि.आ.सू. में वर्णित प्रावधानों का पालन करने हेतु असफल रहा।
5.	51/अधि.अभि.(स.- IV)/2006-07 तीन मूर्ति गोलचौरोह पर मास्टिक एस्फाल्टिक कंकरीट वियरिंग कॉर्स का प्रावधान	नि.आ.अधि. की पूर्व शर्तो के अनुसार, ठेकेदारों के पास बिक्री कर विभाग को बेबाकी प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा पिछले पाँच वर्षो के दौरान 14 लाख रुपये से अधिक राशि के इसी प्रकृति के कम से कम तीन कार्यो को निष्पादित किया होना चाहिए । वित्तीय बोली इन शर्तो को पूरा करने के पश्चात् ही खोली जानी चाहिए थी । न्यूनतम बोलीदाता इन शर्तों को पूरा नहीं करता फिर भी वित्तीय पेशकश खोली गई तथा कार्य उन्हें सौंपा गया । विभाग ने बताया (मई 2010) कि ठेकेदार ने कुल अनुमानित लागत 33.29 लाख रुपये की राशि के कार्य निष्पादित करने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया है । विभाग का स्वयं का प्रत्युत्तर इंगित करता है कि नि.आ.अधि. की पूर्व-स्थिति के अनुसार ठेकेकार पात्र नहीं हैं क्योंकि पूर्व में उसके द्वारा निष्पादित किए गए कार्य 42 लाख रुपये से कम के थे ।

2.9.4 सक्षम प्राधिकारी के बिना पूर्व अनुमोदन के सौंपे गए अतिरिक्त कार्य तथा विचलन अनुच्छेद का उल्लंघन

न.दि.न.पा.परिषद् द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार, अनुबन्ध मूल्य के 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त कार्य करवाने की स्वीकृति हैं बशर्ते अनुमान 10 प्रतिशत से अधिक न हो । अतिरिक्त कार्य को अनुमोदित करने हेतु अधिशासी अभियंता (अनुबन्ध मूल्य का 20 प्रतिशत अथवा 20000 रुपये जो भी कम हो), अधीक्षक अभियंता (अनुबन्ध मूल्य का 20 प्रतिशत तक अथवा 50000 रुपये तक जो भी कम हो), मुख्य अभियंता (अनुबन्ध मूल्य का 20 प्रतिशत तक अथवा 1 लाख रुपये जो भी कम हो) तथा इंजीनियर-इन-चीफ (अनुबन्ध मूल्य का 20 प्रतिशत अथवा 2 लाख रुपये जो भी कम हो) प्राधिकारी सक्षम हैं । रिकार्डो की जॉच से यह पाया गया है कि सड़क प्रभाग में निम्नलिखित मामले में प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अतिरिक्त कार्य का भुगतान कर दिया:-

तालिका: 4

क्र.सं.	अनुबन्ध/कार्य आदेश संख्या	कार्य का नाम	निविदा की राशि (रु. में)	अतिरिक्त कार्य हेतु किया गया भुगतान (रु.में)	अतिरिक्त कार्य की प्रतिशतता
1.	55/अधि.अभि.(स.-I)/ 2004-05	इन्द्र प्रकाश बिल्डिंग के पीछे के भाग का पुनर्सतहीकरण तथा सुधार	73896	27390	37.06
2.	35/अधि.अभि.(स.- I)/ 2007-08	पंडारा पार्क डी-II/85 के अंतर्गत क्षेत्र की मरम्मत तथा सुधार	196947	20954	10.64
3.	58/अधि.अभि.(स-I)/ 2005-06	कस्तूरबा गॉधी मार्ग पर फुटपाथ की मरम्मत	92216	27653	29.98
4.	32/अधि.अभि.(स.- I)/ 2007-08	डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग पर एस एफ आर सी ग्रेटिंग से ढके खुले सतंही नाले का निर्माण तथा क्रास नाले को बदलना	193183	36918	19.11
5.	66/अधि.अभि.(स.- I)/ 2006-07	सी-हैक्सागन रेडियल पर वर्तमान कर्ब स्टोन की मरम्मत/सुधार	597157	38246	06.40
6.	11/अधि.अभि.(स.- I)/ 2005-06	तिलक मार्ग पर माइल्ड स्टील रेलिंग की मरम्मत तथा प्रति स्थापना	163332	36708	22.47

7.	13/अधि.अभि.(स.-I)/ 2007-08	इंडिया गेट के समीप सी-हेक्सागन तथा उसके रेडियल पर थर्मोप्लास्टिक पेंट के साथ रोड मार्किंग	434339	21972	5.05
8.	22/अधि.अभि.(स.- I)/ 2008-09	पंडारा पार्क पर कालोनी की शेष सड़कों का पुनर्सतहीकरण, पंडारा पार्क और डा0 जाकिर हुसैन मार्ग तथा भगवान दास रोड पर साइकिल ट्रैक	5496786	456693	8.31
9.	37/अधि.अभि.(स.- I)/ 2008-09	तिलक मार्ग, भगवान दास रोड, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, सुब्रह्मणियम भारती मार्ग की क्रांसिंग पर तथा उप-प्रभाग- II (सड़क-I) के प्रवेश स्थलों पर मास्टिक एस्फाल्टिक वियरिंग कोर्स का प्रावधान	5681520	118169	2.08
10.	73/ई ई.(स.-I)/ 2008-09	कस्तूरबा गाँधी मार्ग; टालस्टॉय मार्ग, जनपथ इत्यादि की क्रासिंग पर मास्टिक वियरिंग कोर्स का प्रावधान	18694427	736236 182542	3.94 0.98
11.	53/ई ई.(स.-II)/ 2005-06	राजपथ के दक्षिण पर स्थित वॉटर चैनल का पुनरूद्धार	132223	23041	17.42
12.	111/ई ई.(स.-II)/ 2004-05	फायर स्टेशन के निकट जोर बाग स्थित फुटपाथ का सुधार	107788	38483	35.70
13.	54/ई ई.(स.-II)/ 2006-07	पालिका निवास कालोनी, लोधी रोड के सामने नजफ़ खान रोड को चौड़ा करना	590451	112456	19.04
14.	110/ई ई.(स.- III)/ 2004-05	गोल्फ लिंक कालोनी पर पैच मरम्मत	99713	22263	22.33
15.	09/ई ई.(स.-II)/ 2005-06	लोदी रोड स्थित साइकिल ट्रैक पर पैच मरम्मत	69020	24808	35.94
16.	66/ई ई.(स.-II)/	1/13, मौलाना आजाद रोड एवं	1297727	109241	8.42

	2006-07	प्लाट सं. 25, अकबर रोड के मध्य पार्किंग का विकास			
17.	05/ई ई.(स.-II)/ 2008-09	सफदरजंग सेवा केन्द्र के अन्तर्गत विविध मरम्मत	1458200	108380 169111	07.43 11.60
		कुल	**35378925**	**2329775**	

ऑडिट द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने (मई 2010) सूचित किया कि क्रम सं. 4,5,6,7,8,9,12,13,14,15 एवं 17 के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन ले लिया है । विभाग ने क्रम सं. 10 के संबंध में अपने प्रत्युत्तर में सूचित किया है कि वित्त विभाग ने दिनांक 28.4.2010 को अतिरिक्त मात्रा के मामले पर सहमति प्रदान की है । इससे यह इंगित होता है कि सक्षम प्राधिकारी से अभी अनुमोदन लिया जाना है । क्रम सं. 16 के प्रत्युत्तर में विभाग ने सूचित किया कि अध्यक्ष का अंनुमोदन दिनांक 31.3.2008 को प्राप्त कर लिया गया है । लेकिन, विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुमोदन की प्रतिलिपि में यह सुझाव दिया गया कि विभाग ने अतिरिक्त एवं फालतू मात्रा के बजाय केवल संशोधित अनुमानों की ही स्वीकृति प्राप्त की है । विभाग ने क्रम सं. 1, 2, 3 एवं 11 हेतु कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया ।

2.9.5 गलत लेखा शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया गया

सड़क प्रभागों के रिकार्ड की जॉच से ज्ञात होता है कि व्यय लेखा शीर्ष जी.1.1.1.-सड़कों का वार्षिक रखरखाव तथा जी.1.3 न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों का सतहीकरण से गलत व्यय किया गया ।

तालिका-5

क्र.सं.	प्रभाग	करार संख्या/कार्य आदेश संख्या	कार्य का नाम	कार्य की राशि (रु.में)	शीर्ष जिससे कार्य संबंधित	शीर्ष जिसमें से कार्य के लिये व्यय किया गया
01.	सड़क-I	55/ई ई.(स.I)/ 2004-05	इन्दर प्रकाश बिल्डिंग के पिछले भाग की सड़कों का पुन:सतहीकरण एवं सुधार	73896	जी.1.3.	जी.1.1.1
02.	सड़क- I	35/ई ई.(स.- I) /2008-09	शंकर मार्किट के सामने वर्तमान जल-निकासी प्रणाली में सुधार कार्य	1301945	जल-निकासी	जी.1.3
03.	सड़क- II	20/ई ई.(स.- II)/ 2007-08	कालोनी लेनों में जल-निकासी कार्य में सुधार एवं मरम्मत	198000	जल-निकासी	जी.1.3
04.	,सड़क- II	53/ई ई.(स.- II)/ 2007-08	नजफखान रोड स्थित जल-निकासी कार्य में मरम्मत	562499	जल-निकासी	जी.1.1.1

05.	सड़क- II	21/ई ई.(स.- II)/ 2007-08	सफदरजंग रोड पर जल-निकासी प्रणाली में सुधार	616000	जल-निकासी	जी.1.3
06.	सड़क- II	67/ई ई.(स.- II)/ 2008-09	नजफखान रोड,जोर बाग लेन, लोदी रोड इत्यादि पर अतिरिक्त क्रास ड्रेनेज पाइप तथा मरम्मत/संशोधन	149494	जल-निकासी	जी.1.1.1.
07.	सड़क- II	डब्ल्यू.ओ. 30/ई ई. (स.- II)/ 2008-09	खान मार्किट में क्षतिग्रस्त बैरल सीमेटरी पर एक्सकेवेटर का प्रावधान	93158	जल-निकासी	जी.1.1.1.
08.	सड़क- II	81/ई ई.(स.-II)/ 2008-09	नाली से गाद निकालकर मलबा हटाने हेतु टैम्पों किराए पर लेना	193461	जल-निकासी	जी.1.1.1.

ऑडिट द्वारा इंगित करने पर विभाग ने बताया (मई 2010) कार्य की तत्कालिकता को देखते हुए क्र.सं.-I का कार्य सड़कों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव शीर्ष से किया गया था और क्र.सं.-2 के संबंध में अब व्यय सही लेखा शीर्ष से किया गया। क्र.सं. 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के सम्बन्ध में विभाग ने उत्तर दिया है कि ड्रेनेज डिविजन का विलय सड़क प्रभाग में हो गया है अतः इस समय ड्रेनेज के रखरखाव की जिम्मेदारी सड़कों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव से की गई है। विभाग का उक्त स्पष्टीकरण मान्य नहीं है क्योंकि ड्रेनेज कार्य के व्यय के लिए विशिष्ट लेखाशीर्ष है। अतः सड़कों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव से व्यय किये जाने की बजाय संबंधित लेखाशीर्ष से किया जाना चाहिए था। इस प्रकार विभाग के उक्त स्पष्टीकरण प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण की कमी प्रकट करता है जिसे सशक्त किये जाने की आवश्यकता है।

2.9.6 वार्षिक अनुमानों की प्रक्रिया में विलम्ब

वार्षिक अनुमोदन तैयार करने की प्रक्रिया को पहले से ही प्रारम्भ कर दिये जाने की जरूरत है, ताकि वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व ही इसे पूर्ण कर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। लेखाशीर्ष जी.1.1.1 सड़कों की वार्षिक मरम्मत व रखरखाव के सम्बन्ध में वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए वार्षिक अनुमान सम्बन्धी दस्तावेजों की जांच से पता चला है कि वार्षिक अनुमान के अनुमोदन व उसकी प्रक्रिया में पर्याप्त विलम्ब हुआ था। बिलम्ब का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है :

तालिका-6

वर्ष	2004-05		2005-06		2006-7		2007-08		2008-09	
प्रभाग	अनुमोदन की तिथि	दिनों का विलम्ब	अनुमोदन की तिथि	दिनों का विलम्ब	अनुमोदन की तिथि	दिनों का विलम्ब	अनुमोदन की तिथि	दिनों का विलम्ब	अनुमोदन की तिथि	दिनों का विलम्ब
आर-I	28.03.05	362	उपलब्ध नहीं		07.06.06	68	28.05.07	58	07.08.08	98
आर-II	उपलब्ध नहीं		04.01.06	279	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		07.05.08	37
आर-III	29.03.05	363	04.01.06	279	12.09.06	165	12.06.07	73	उपलब्ध नहीं	
आर-IV	उपलब्ध नहीं		14.01.06	289	18.05.06	48	30.04.07	30	12.05.08	42
आर-V	29.03.05	363	04.01.06	279	उपलब्ध नहीं		08.06.07	79	उपलब्ध नहीं	

अनुमोदन में विलम्ब का आंकलन वर्ष के अप्रैल मास की पहली तिथि से अनुमोदन की तिथि तक किया गया है।

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वार्षिक अनुमानों के अनुमोदन में 30 से 363 दिनों का विलम्ब हुआ है जिनसे यह पता चलता है कि अनेक वार्षिक अनुमानों पर वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमोदन लिया गया था । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2004-05 में आर- IV प्रभाग के वाार्षिक अनुमान पर पूरे वित्तीय वर्ष में अनुमोदन नहीं लिया गया, अपितु अगले वित्तीय वर्ष में 2005-06 के वार्षिक अनुमान के साथ अनुमोदन किया गया । ऑडिट को उपलब्ध रिकार्ड में इसका कारण नहीं बताया गया था ।

इस प्रकार, वार्षिक अनुमान में विलम्ब होने/अनुमोदन न होने के कारण व्यय लगातार अनुमोदन की प्रत्याशा में और बिना किसी अनुमान के किया जाता रहा । प्रक्रिया/अनुमोदन में होने वाले विलम्ब पर औचित्य दिये जाने की जरूरत है और उसके लिए एक उचित पद्धति बनाने की जरूरत है ताकि वार्षिक अनुमान समय पर तैयार कर वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जा सके ।

विभाग ने अपने स्पष्टीकरण (मई 2010) में बताया कि भविष्य में समय पर वार्षिक अनुमान तैयार करने के लिए बहुत सावधानी बरती जाएगी ।

2.9.7 अनुमानित लागत की तुलना में अधिक दर पर निविदा कार्य सौंपा गया

के.लो.नि.वि. की कार्य नियमावली, 2007 के पैरा 19.4.3 के अनुसार, निविदाएँ स्वीकार करने से पूर्व निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी पहले स्वयं को दरों की औचित्यता के संबंध में संतुष्ट करें । दरों की औचित्यता को प्रारम्भिक रूप से न्यायोचित दरों के आधार पर नियत किया जाये । नियमावली के पैरा 19.4.3.1 में यह प्रावधान है कि न्यूनतम निविदा में उद्धृत लागत यदि अनुमानित लागत जमा 10 प्रतिशत से भी कम है तो उसके लिए औचित्य तैयार करने की जरूरत नहीं है । इस नियमावली के पैरा 19.4.3.2 में यह यह भी व्यवस्था है कि औचित्य दरों से 5 प्रतिशत अधिक विचलन को अनदेखा किया जा सकता है, 10 प्रतिशत तक के विचलन को असाधारण परिस्थितियों में स्वीकार किया जा सकता है, इस सीमा से अधिक की निविदाओं को स्वीकार न किया जाए । सड़क प्रभाग द्वारा निविदा कार्य सौंपने से संबधित दस्तावेजों की जांच से पता चला है कि अनेक मामलों में करार निष्पादित किये गये अनुमानित लागत से बहुत अधिक दरों पर ठेकेदारों को कार्य सौंपे गये थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैं :

तालिका-7

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	योग
अनुबन्ध						
वर्ष के दौरान तैयार किये गये कुल अनुबंध	**287**	**204**	**245**	**200**	**433**	**1369**
अनुमानित लागत से 11 %- 30 % तक अधिक	57	31	57	47	107	299
अनुमानित लागत से 31 % - 50 % तक अधिक	21	11	20	29	44	125

अनुमानित लागत से 51 % - 75 % तक अधिक	4	3	5	23	21	56
अनुमानित लागत से 76 % - 100 % तक अधिक	-	-	3	3	9	15
अनुमानित लागत से 101 % से ज्यादा अधिक	-	1	-	4	10	15
योग						**510**
कार्य आदेश						
वर्ष के दौरान सौंपे गये कुल कार्य आदेश	**193**	**168**	**114**	**92**	**189**	**756**
अनुमानित लागत से 11 % - 30 % तक अधिक	67	45	36	17	25	190
अनुमानित लागत से 31 % - 50 % तक अधिक	2	6	14	12	6	40
अनुमानित लागत से 51 % - 75 % तक अधिक	1	1	2	7	1	12
अनुमानित लागत से 76 % - 100 % तक अधिक	1	-	-	-	-	1
अनुमानित लागत से 101 % से ज्यादा अधिक	-	-	-	1	1	2
योग						**245**

वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक आर-V प्रभाग की अपेक्षित सूचना दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं थी । इसलिए उसे इस तालिका में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सड़क प्रभाग द्वारा किये गये 1369 करारों में से (वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान सड़क- V प्रभाग डिविजन द्वारा तैयार किये गये करारों को छोड़कर) 510 करार (37.25 प्रतिशत) अनुमानित लागत से 11 प्रतिशत अधिक पर किये गये थे, जिनमें से 211 करार अनुमानित लागत से 31 प्रतिशत से अधिक पर किये गये थे । इसी प्रकार वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान (सड़क- V डिविजन द्वारा वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान सौंपे गये कार्यों को छोड़कर) 756 कार्य सौंपने के आदेशों में से 245 आदेशों (32.41 प्रतिशत) में अनुमानित लागत से 11 प्रतिशत से अधिक पर कार्य सौंपा गया था, जिनमें से 55 कार्य आदेश अनुमानित लागत से 31 प्रतिशत से अधिक पर सौंपे गये थे । यद्यपि इन मामलों में औचित्य दरें तैयार की गयी थी और अनुमत विचलन सीमा के भीतर औचित्य-दरों पर निविदाएं स्वीकार की गयी थी, परन्तु अनुमानित लागत और निविदा राशि के बीच बड़ा अन्तर यह इंगित करता है कि अनुमानित लागत विश्वसनीय रूप से तैयार नहीं की गई थी। इन करारों/कार्य आदेशों का प्रभाग अनुसार विवरण अनुलग्नक VII में इंगित किया गया है।

सड़क प्रभाग की वर्ष 2008-09 की कार्यों /परियोजनाओं से संबंधित फाईलों की जांच से पता चलता है कि निम्न मामलों में सड़क प्रभाग द्वारा तैयार की गई औचित्य दरें अनुमानित लागत से काफी अधिक थी और औचित्य/निविदा लागत और अनुमानित लागत के बीच काफी अंतर था ।

तालिका-8

क्र. सं.	करार सं. व कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. में)	निविदा लागत (रु. में)	औचित्य लागत (रु. में)	प्रतिशतता मे अंतर	
					अनुमानित और निविदा लागत के बीच	औचित्य और अनुमानित लागत के बीच
1.	13/ईई(आर-III)/2008-09 मोती बाग में सेवा मार्गों की मरम्मत	105969	217226	230485	104.99	117.50
2.	14/ईई(आर- III)/2008-09 जल निकासी पद्धति में सुधार	561139	980703	996078	74.77	77.51
3.	47/ईई(आर- IV)/2008-09 आर- IV प्रभाग में गोल चौराहों पर मास्टिक असफाल्टिक वियरिंग कोर्स की व्यवस्था करना	11810175	22866345	26646382	93.62	125.62
4.	87/ईई(आर-V)/2008-09 नार्थ एवेन्यू की लेनों/उपलेनों का सशक्तिकरण/पुनर्सतहीकरण	1077820	2372460	2738633	120.12	154.09
5.	68/ईई(आर-V)/2008-09 उपप्रभाग I के अन्तर्गत प्रीमिक्स मरम्मत कार्य	316150	692969	1021224	119.19	223.02
6.	75/ईई(आर-V)/2008-09 आर.ए.आई.पी. 2007-08 के अन्तर्गत मॉस्टिक एस्फाल्टिक वियरिंग कोर्स	5914002	11850831	13271020	100.39	124.40
	कुल	**19785255**	**38980534**	**44903822**		

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि इन मामलों में निविदा राशि अनुमानित लागत की तुलना में 74.77 प्रतिशत से 120.12 प्रतिशत तक अधिक थी । इन मामलों में निविदा लागत को उचित ठहराने के लिए तैयार की गई न्यायोचित दरें भी अनुमानित लागत की तुलना में 77.51 प्रतिशत से 223.02 प्रतिशत तक अधिक थी । अनुमानित लागत व औचित्य लागत तैयार करने का आधार तथा इन आँकडों में बड़े अंतर के कारण ऑडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे । अनुमानित

लगात और औचित्य लागत के बीच ज्यादा अन्तर यह इंगित करता है कि इन दोनों आँकड़ों को उचित रूप से तैयार नहीं किया गया अतः निविदा राशि की उपयुक्ता के निर्धारण के लिए तैयार की गई न्यायोचित दरों का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ।

विभाग ने कहा (मई 2010) कि अनुमान डी.एस.आर. 2002 के आधार पर तैयार किये गये थे तथा निविदाएं न्यायोचित लागत पर या लगभग इसके बराबर पर सौंपी गई हैं । विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने के.लो.नि.वि. के नियम के अनुसार आकस्मिकताएं और उस समय प्रचालित लागत सूचकांक को विधिवत् सम्मिलित करते हुए डी.एस.आर.2002 के आधार अनुमानित लागत तैयार की थी । इस प्रकार विभाग को मामले पर ध्यान देने की जरूरत है तथा इस प्रकार की कमियां दूर करने के प्रयास करने चाहिए।

2.9.8 ठेकेदारों को अन्तिम बिलों का भुगतान नहीं

ऑडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से पता चलता है कि अनुलग्नक- VIII (भाग-अ) में उल्लेखित मामलों में अंतिम बिलों की प्रति ऑडिट को उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं थी । अंतिम बिलों के अभाव में, ठेकेदार को किये गये भुगतान की स्थिति ऑडिट द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकती । इसी तरह ऐसे अनेक मामले थे, जहॉ पर अंतिम बिल मिलने के बाद भी ठेकेदारों का अंतिम भुगतान नहीं हुआ । भुगतान न किये गये ऐसे बिलों का विवरण कारण सहित अनुलग्नक- VIII (भाग-ब) में प्रस्तुत है ।

ऑडिट द्वारा इंगित करने पर, अनुलग्नक- VIII (भाग-अ) में उल्लेखित मामलों के संबंध में विभाग ने उन मामलों के संबंध में जहाँ अंतिम बिल उपलब्ध नहीं थे, कहा है (मई 2010) कि क्र. सं. 6 को छोड़कर, शेष सभी मामलों में अंतिम बिलों का भुगतान कर दिया गया है । इसी प्रकार अनुलग्नक- VIII (भाग-ब), लम्बित अंतिम बिलों के विवरण के सम्बन्ध में विभाग ने कहा है कि आर- I डिविजन के क्र.सं. 1 व 2, आर-II डिविजन के क्र.सं. 1, 8 और 10, आर- *IV* के क्र.सं. 1 और आर- V डिविजन के क्र.सं. 4,5,6 और 8 के अंतिम बिलों का भुगतान कर दिया गया है ।

यद्यपि गुणवत्ता नियंत्रण इकाई के अवलोकनों का निपटान न होने के कारण, कार्य की अतिरिक्त/फालतू मदों पर अनुमोदन प्राप्त न होने, फाईलों के खो जाने आदि से संबंधित बड़ी संख्या में (19 मामले) मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं, जिनमें प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण की कमी बताई गयी है, इसलिए इन्हें सशक्त किये जाने की जरूरत हैं ।

2.10. आंतरिक नियंत्रण पद्धति/तन्त्र

आंतरिक नियंत्रण ऐसी गतिविधियाँ और सुरक्षा उपाय है जिनसे योजनानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाता है । ऐसे नियंत्रण से किसी संगठन की कार्य प्रणाली की कमियों के बारे में समय पर चेतावनी देने के साथ-साथ इससे विभाग के कार्यकलापों और प्रारम्भ किये गये कार्यो/परियोजनाओं के अनुवीक्षण में सहायता मिलती है । गतिविधियों के प्रभावी अनुवीक्षण और नियंत्रण के साथ अन्य प्रशासनिक जॉचों के लिए सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा निम्न दस्तावेजों का रखरखाव किये जाने की आवश्यकता है।

(क) बजट/व्यय नियंत्रण रजिस्टर: बजटीय नियंत्रण के लिए व्यय नियंत्रण रजिस्टर एक महत्वपूर्ण साधन है तथा प्रभाग द्वारा निष्पादित कार्यो या ठेकेदार को किये गये भुगतान/प्रत्येक व्यय को दर्ज करने के लिए रजिस्टर के रखरखाव की आवश्यकता है । इस प्रकार यह रजिस्टर प्रभाग द्वारा किसी विशिष्ट दिन को व्यय की गई राशि सहित निधि की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है । परन्तु यह पाया गया था कि आर- IV और आर- V प्रभागों द्वारा व्यय नियंत्रण रजिस्टर नहीं बनाये हैं । आर- I, आर- II और आर- III प्रभागों द्वारा अपने व्यय नियंत्रण रजिस्टरों में वॉछित सूचनाएं दर्ज नहीं की गई है । व्यय के मासिक सार का रखरखाव नहीं किया गया और रजिस्टर में अनेक कटिंग हैं जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं हैं । संबंधित लेखाशीर्षो में योजना अनुसार व्यय सहित निधि-आवॅटन की प्रतियां भी उपलब्ध नहीं थी । सड़क सुधार योजना कार्यक्रम पर हुए व्यय का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया और इस उद्देश्य के लिए आवंटित निधि से कम नहीं किया गया । वर्ष की समाप्ति पर निधि के आधिक्य या बचत के बारे में अंतिम प्रविष्टि नहीं की गयी थी और यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि क्या इस निधि को संबंधित शीर्ष से पुनवियोजित या अभ्यर्पण किया जा चुका है या नहीं । इस प्रकार आवंटित निधि के व्यय पर कोई उचित नियंत्रण नहीं था ।

(ख) सड़क विवरण रजिस्टर: सड़कों/पैदलपथों/लेनों/उपलेनों आदि का विवरण अभिलेखित करने के लिए सड़क विवरण रजिस्टर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है । इस रजिस्टर में सड़क/पथ/लेन/उपलेन पर हुए व्यय का, इसकें पुनसर्तहीकरण, मरम्मत, विकास, सुधार, निरीक्षण आदि का वर्ष सहित, इस पर व्यय की गई राशि को दर्ज किया जाता है । लेकिन यह पाया गया कि इन रजिस्टरों में पूर्ण विवरण दर्ज नहीं किया गया था, इसके बिना यह पता नहीं चल सका कि क्या निर्धारित 5 वर्ष के बाद सड़कों/लेनों का पुनःसतहीकरण किया गया है ।

(ग) सड़कों का सावधिक निरीक्षण और उसकी रिपोर्ट : किसी भी कार्य को प्रक्रियागत करने के लिये सड़कों के निरीक्षण की रिपोर्ट होती है । यह पाया गया था कि या तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया या रिपोर्ट रिकार्ड में नहीं थी । सड़कों की सावधिक निरीक्षण के बिना यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या सड़क प्रभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़कों का निरीक्षण अनुमोदित समय में हुआ और क्या निरीक्षण रिपोर्टों के अनुसार पर्याप्त कार्यवाही की गई ।

(घ) कार्य रजिस्टर : यह पाया गया था कि कार्य आदेश और करार के रूप में और तत्सम्बन्धी भुगतान सम्बन्धी सभी कार्यों की प्रविष्टियाँ कार्य रजिस्टर में नहीं की गई थी । प्रभाग ने वित्तीय वर्ष में कार्य के विरुद्ध किये गये भुगतान की बजाए सभी भुगतान को अभिलेखित किया है ।

(ङ) शिकायत रजिस्टर : न.दि.न.पा.परिषद् द्वारा जारी सिटीजन चार्टर के अनुसार, किसी भी क्षेत्र के निवासियों से प्राप्त शिकायत को निश्चित सीमा के अन्दर निवारण किया जाना चाहिए । सड़क प्रभाग के उप-प्रभाग/सेवा केन्द्रों पर बनाये गये रजिस्टरों से पता चलता है कि शिकायत रजिस्टर का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया था । संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा सूचित किया गया कि फील्ड कर्मचारियों को, जो भी मरम्मत का कार्य दिखाई देता है, वे उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर देते हैं, परन्तु शिकायत रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त, उपप्रभागों में शिकायत

रजिस्टरों का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया था । शिकायत रजिस्टर में शिकायत के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, कि क्या शिकायत का निवारण किया गया या नहीं, यदि निराकरण किया गया तो किस तारीख को, इसके हेतु कौन गया था, कितना सामान जारी हुआ/लगा आदि । अधिशासी अभियन्ता द्वारा भी शिकायत रजिस्टरों को प्रमाणित नहीं किया गया । उचित दस्तावेजों के अभाव में जो शिकायतें निर्धारित समय में दूर नहीं की गई और उनके विलम्ब के बारे में ऑडिट द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

(च) ठेकेदार का बहीखाता (लेज़र): यह पाया गया था कि ठेकेदार का बहीखाता जिसमें भुगतान, अग्रिम भुगतान, कटौती, सामग्री आदि का विवरण लिखा जाता है, का रखरखाव कार्य निष्पादित करने वाले प्रभाग द्वारा नहीं किया गया । ठेकेदार का बहीखाता न होने की स्थिति में किसी एक ठेकदार के ऋण एवं जमा के बारे में निश्चित करना कठिन था ।

इस प्रकार आवश्यक दस्तावेजों के रखरखाव के द्वारा आंतरिक नियंत्रण पद्धति पर्याप्त नहीं थी तथा इसे सशक्त किये जाने की जरूरत है ।

विभाग ने अपने प्रत्युत्तर (मई 2010) में बताया है कि भविष्य में दस्तावेजों के रखरखाव हेतु उचित कदम उठाये जायेंगें ।

2.11. निष्कर्ष :

न.दि.न.पा.परिषद् द्वारा सड़क रखरखाव (सड़क की वार्षिक मरम्मत व रखरखाव) की समीक्षा से ज्ञात होता है कि उचित वित्तीय लेखांकन और आंतरिक नियंत्रण पद्धति में कमी है । अनुबन्ध प्रबन्धन अपर्याप्त था क्योंकि अनेक मामलों में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया और विचलन धारा का उल्लंघन हुआ है । निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपर्याप्त पाये गये, जिस कारण अनेक मामलों में विभाग को दुबारा निविदा करवाने के लिये मजबूर होना पड़ा । इस प्रकार विभाग को इस क्षेत्र में ध्यान देने और संवैधानिक प्रावधानों/निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है । अनुबन्ध प्रबन्धन, दस्तावेज और योजना बनाने में भी सुधार की जरूरत है ।

मामला विभाग को (मई 2010) प्रेषित किया गया, उनके प्रत्युत्तर (मई 2010) पर पूर्ववर्ती पैरों में, जहाँ पर भी आवश्यक था, उचित रूप से कार्यवाही की गई ।

विद्युत विभाग

सामग्री प्रबंधन (विद्युतीय)

अध्याय-III विद्युत विभाग

3. सामग्री प्रबन्धन (विद्युतीय)

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का विद्युत अभियंत्रण विभाग परिषद् क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति के साथ-साथ पालिका भवनों में बिजली की तारों के संस्थापन तथा रखरखाव हेतु उत्तरदायी है। न.दि.न.प.परिषद् के विद्युत विभाग में प्रापण प्रणाली भण्डार-I तथा भण्डार- II प्रभागों में केन्द्रीकृत है । ये प्रभाग विद्युत विभाग प्रभागों द्वारा माँगी गई सामग्री को उपलब्ध एवं जारी करने हेतु उत्तरदायी है। आडिट ने विद्युत अभियंत्रण विभाग के सामग्री की माँग करने वाले प्रभागों/ उप-प्रभागों तथा इनके भंडार प्रभागों के रिकार्डों की जॉच की। यह पाया गया कि सामग्री की माँग करने वाले प्रभागों एवं भंडार प्रभागों के मध्य उचित समन्वय नहीं था। एक प्रभाग के लिए क्रय की गई मदें किसी अन्य प्रभाग को जारी कर दी गई । मदों का क्रय भी आवश्यकता से अधिक किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सामग्री काफी समय तक अनुपयोगी रखी रहीं। कई मामलों में इन्डेटिंग विभाग द्वारा अपने लिये माँगी गई मदें ले जाने में काफी विलम्ब किया गया। भंडार-I प्रभाग द्वारा 31.68 लाख रुपये एवं भंडार- II प्रभाग द्वारा 61.23 लाख रुपये का सामान जारी नहीं किया गया तथा 6 मास से 22 वर्ष तक की अवधि हेतु बेकार पड़ी रही। बड़ी संख्या में हस्तातरण प्रविष्टियाँ उचित रूप से वर्गीकृत नहीं की गई तथा पुनः समंजन न होने के कारण मांग प्रभागों के पास लंबित थीं। भंडार प्रभाग के पास 275.17 लाख रुपये की अनुपयोगी भंडार मदें निपटान हेतु पड़ी हुई थी।

प्रमुखतायें

- 3 कि.मी. उच्चदाब एक्सएलपीई केबल 36.63 लाख रुपये की लागत से मॉग से अधिक क्रय की गई, जिसके परिणामस्वरूप 8 महीने तक मदें अनुपयोगी रहना अवास्तविक आंकलन इंगित करता है।
- जनवरी 2007 में 43.18 लाख रुपये की लागत से क्रय किया गया 11 के.वी. वैक्यूम स्विच बोर्ड की मॉग प्रभार एवं भंडार प्रभाग के मध्य उचित तालमेल तथा खराब योजना के (सामजस्य) कारण उपयोग नहीं किया जा सका।
- एल टी एक्स एल पी ई 300 मि.मी.2 X3.5 कोर केबल की वसूली हेतु निविदा प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने में हुई देरी के परिणामस्वरूप 2.29 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ ।

- भण्डार-I प्रभाग में 31.68 लाख रुपये तक का सामान रहा तथा भण्डार-II प्रभाग में 61.23 लाख रुपये का सामान रहा तथा सामान दिया नही गया तथा 6 मास से 22 वर्षो तक की अवधि तक रखा रहा जिसके परिणामस्वरूप निधि अवरूद्ध रही ।
- 62.48 लाख रुपये का सामान क्रय करने में 7 वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ तथा मॉग प्रभाग द्वारा सामान न प्राप्त करने के कारण पुनः डेढ़ वर्ष तक इसका उपयोग नहीं किया जा सका ।
- बड़ी संख्या में हस्तातंरण प्रविष्टियाँ उचित ढंग से वर्गीकृत नहीं की गई तथा समंजन न होने के कारण मॉग प्रभाग/उप-प्रभाग में लंबित रहीं ।
- नई दिल्ली सिटी सेन्टर-चरण-II में विद्युत कनैक्शन देने हेतु 73.46 लाख रुपये से अधिक का ट्रांसफार्मर मांग के उद्‌देश हेतु प्रयोग नहीं किया गया तथा ट्रामासेन्टर पर स्थापित किया गया ।
- भंडार-I तथा भंडार-II, प्रभागों द्वारा 173.56 लाख रुपये का क्रय किया गया सामान मॉग करने वाले प्रभाग के बजाय अन्य प्रभागों को अथवा उन्हीं प्रभागों को आवश्यकता से अधिक जारी किया गया । क्रय करने के पश्चात् संमजन मॉग प्रभागों द्वारा मॉगों की अनुचित आंकलन इंगित करता है ।
- वितरण उत्तरी प्रभाग ने विद्यमान भण्डार को ध्यान में रखे बिना केबल की मांग की जिसके परिणामस्वरूप 28.49 लाख रुपये की राशि की निधि अवरूद्ध हुई ।
- 275.17 लाख रुपये की राशि का अनुपयोगी सामान भण्डार प्रभाग में निपटान हेतु पड़ा था।

3.1 परिचय

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का विद्युत अभियंत्रण विभाग पालिका भवनों में बिजली की तारों (विद्युत केबल) के संस्थापन तथा रखरखाव सहित परिषद् क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति हेतु उत्तरदायी है। न.दि.न.पा.परिषद् के विद्युत विभाग में क्रय पद्धति केन्द्रीयकृत है। न.दि.न.पा.परिषद् के विद्युतीय प्रभागों द्वारा माँगी गई सामग्री को 11 के.वी. विद्युत भंडार (भण्डार-I) तथा 33 के.वी. विद्युत भंडार (भण्डार-II) क्रय करने एवं जारी करने हेतु उत्तरदायी है। 11 के.वी. विद्युतीय प्रभाग सभी विद्युतीय रखरखाव प्रभागों के साथ-साथ निर्माण प्रभागों में भंडारण मदों को उपलब्ध कराता है तथा 33 के.वी. विद्युतीय भण्डार संभरण स्टेशनों/सब-स्टेशनों के संस्थापन हेतु विद्युतीय सामग्री क्रय करता है।

3.2 ऑडिट का कार्य क्षेत्र

वर्तमान समीक्षा वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान विद्युत अभियंत्रण विभाग में समान प्रबन्धन से संबंधित मामलों की जाँच की गई । समीक्षा मॉग की आकलन पद्धति, क्रय प्रक्रिया, सामग्री के उपयोग तथा भण्डारण तथा भण्डार एवं मॉग प्रभागों द्वारा अपनाई जा रही लेखांकन पद्धति के आंकलन पर केन्द्रित थी ।

3.3 ऑडिट का उद्देश्य

ऑडिट का उद्देश्य निम्नलिखित का आंकलन करना था:

i क्या प्रभागों द्वारा की गई मॉंग का आंकलन वास्तविक था ।

ii क्या माँग करने वाले प्रभागों की मॉंग के अनुरूप मदों का क्रय किया गया ।

iii क्या क्रय नियमों एवं विनियमों के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से किया गया था ।

iv जिस उद्देश्य से मदें क्रय की गई थी क्या उनका वास्तविकत रूप में उपयोग उसी उद्द्श्य के लिए किया गया।

v क्या भंडार प्रभागों/मॉंग प्रभागों द्वारा सामग्री क्रय करने, जारी करने एवं उनका उपयोग करने में विलंब किया ग़या।

3.4 आडिट कार्य प्रणाली

आडिट ने अनुबन्धों/कार्य आदेशों के द्वारा किए गए क्रय से संबधित रिकार्डो की जांच की। ऑडिट ने जांच/ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु सूचना, फाइले/रिकार्ड की जांच की तथा 40 में से 12 मांग प्रभागों में से सामग्री प्रबंधन से संबंधित मामलों की जांच करने हेतु सूचना/रिकार्ड एकत्र किए ।

3.5 संगठनात्मक गठन

भण्डार-I

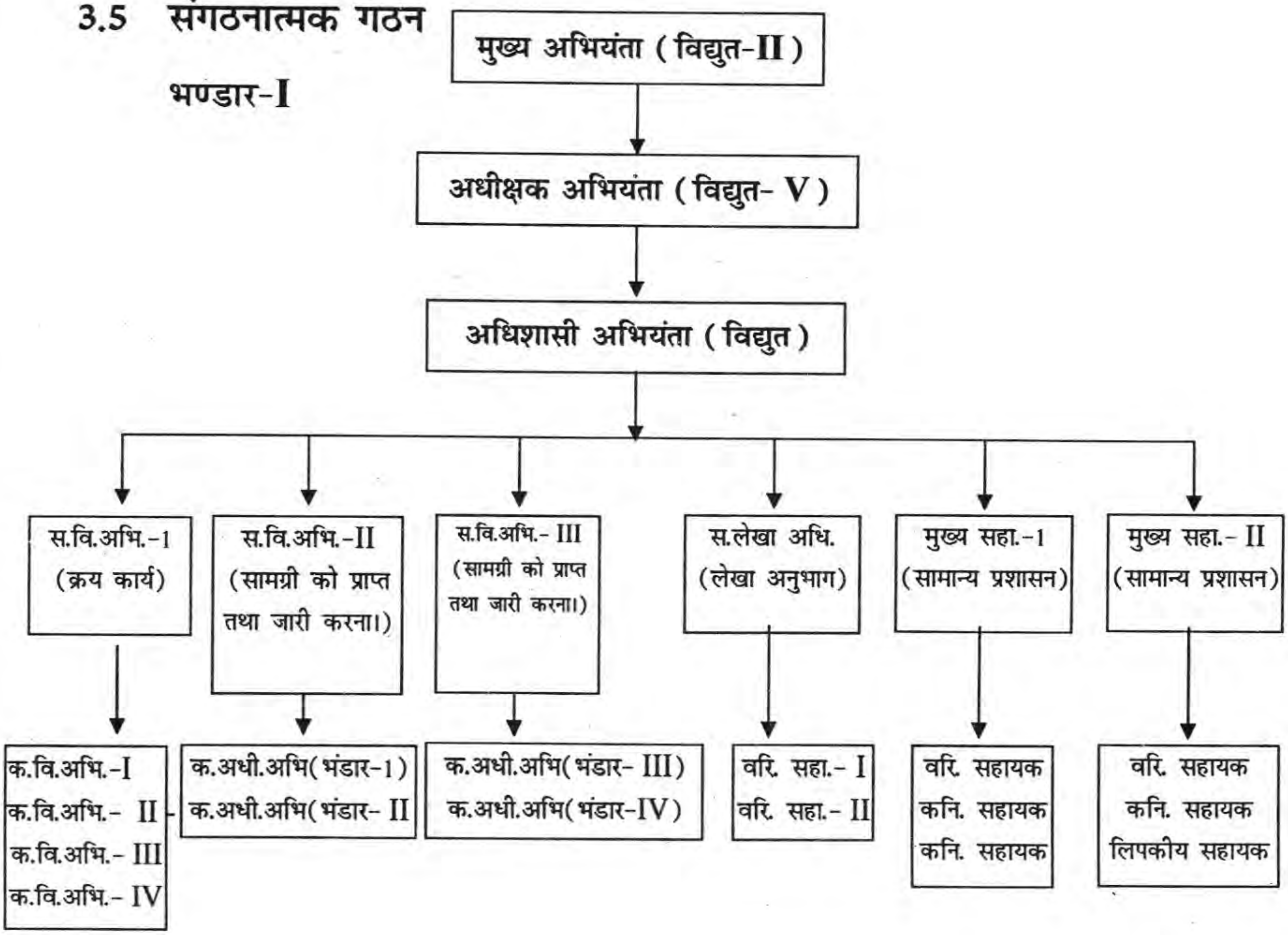

भण्डार-II

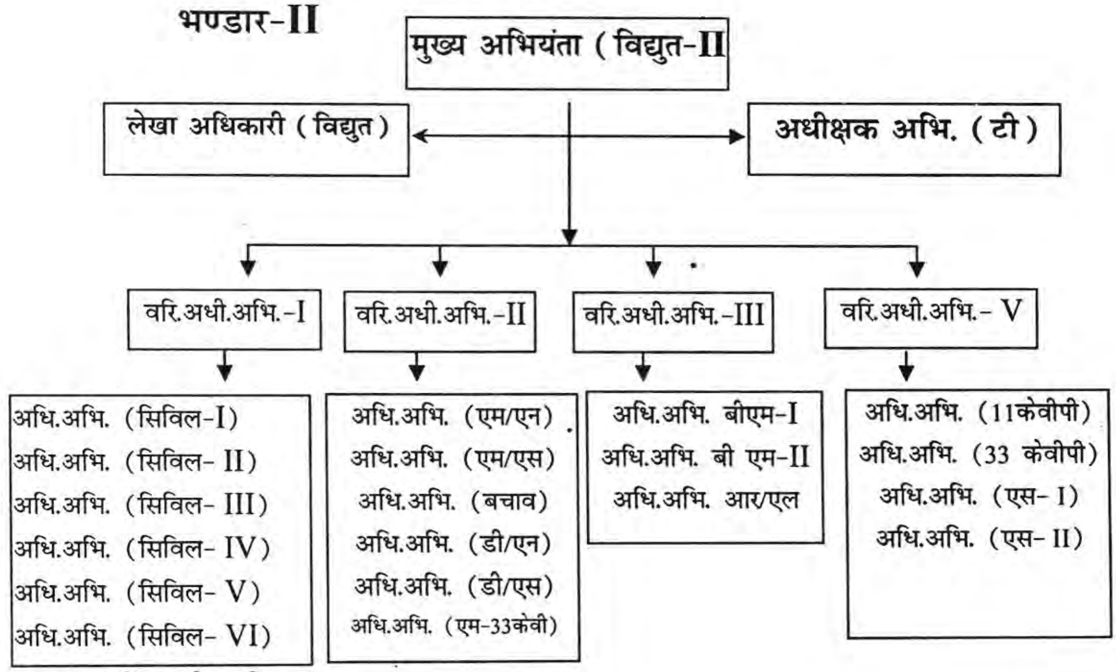

3.6 अभिस्वीकृति

कार्यकारी अधिकारियों ने सूचना एवं दस्तावेज उपलब्ध कराये तथा ऑडिट करने में युगमतस हुई।

3.7 वित्तीय व्यय

लेखा शीर्ष ई.11-सामान के क्रय के अन्तर्गत 11 के.वी. भंडार प्रभाग (भंडार- I) तथा 33 के. वी. भंडार प्रभाग (भंडार-II)में पृथक रूप से बजट आवंटित है । वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान भंडार-I तथा भंडार- II प्रभागों का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एंव वास्तविक व्यय निम्न अनुसार था:

तालिका : 1

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	प्रभाग	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	घट-बढ़	(प्रतिशतता) बचत(-)/ आधिक्य(+)
2004-05	ई-11 सामान का क्रय	भण्डार -I	500	500	192.10	(+)112.46	(+)22.49
		भण्डार - II			420.36		
2005-06	ई-11 सामान का क्रय	भण्डार - I	600	950	378.98	(-)257.05	(-)27.05
		भण्डार - II			313.97		

2006-07	ई-11 सामान का क्रय	भण्डार - I	2500	2500	800.22	(-)1699.78	(-)67.99
		भण्डार II	1000	1000	425.25	(-)574.75	(-)57.47
2007-08	ई-11 सामान का क्रय	भण्डार - I	2500	4000	659.72	(-)3340.28	(-)83.51
		भण्डार - II	1000	1000	609.91	(-)390.09	(-)39.00
2008-09	ई-11 सामान का क्रय	भण्डार - I	10000	2500	1820.00	(-)680.00	(-)27.20
		भण्डार - II	1000	1500	787.27	(-)712.73	(-)47.51
		कुल	**19100**	**13950**	**6407.78**	**(-)7542.22**	**(-)54.07**

उपरोक्त तालिका-1 से यह देखा जा सकता हे कि वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान 139.50 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से 64.08 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जो कि संशोधित अनुमानों का मात्र 45.93 प्रतिशत था। जबकि वर्ष 2004-05 में व्यय संशोधित अनुमान से 22.49 प्रतिशत अधिक था तथा इसके आगामी वर्षों 2005-06 से 2008-09 में बचत 27.05 प्रतिशत से 83.51 प्रतिशत के मध्य थी। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2008-09 के दौरान हुई भारी बचत खराब बजट तथा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति न होने को इंगित करती है ।

3.8 मुख्य मदों/घटकों जैसे केबल, ट्रांसफार्मर तथा पैनलों का विवरण

भंडार-I तथा भंडार- II प्रभागों ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक के दौरान क्रमशः 25.50 करोड़ रुपये, 9.19 करोड़ रुपये तथा 8.59 करोड़ रुपये की राशि से प्रमुख्य मदों जैसे केबल, ट्रांसफार्मर तथा पैनलों को क्रय किया :-

तालिका: 2

(रुपये लाख में)

अवधि	मदो का नाम									योग		कुल योग
	केबल			ट्रांसफार्मर			पैनल					
	स्टोर-I	स्टोर- II	कुल	स्टोर-I	स्टोर-II	कुल	स्टोर-I	स्टोर- I	कुल	स्टोर- I	स्टोर- II	
2004-05	143.01	268.82	411.83	5.22	53.29	58.51	3.91	84.86	88.77	152.14	406.97	559.11
2005-06	117.59	215.94	333.53	80.67	0.00	80.67	62.48	0.00	62.48	260.74	215.94	476.68
2006-07	410.03	373.24	783.27	21.99	0.00	21.99	43.48	0.00	43.48	475.50	373.24	848.74
2007-08	239.27	164.41	403.68	33.20	77.33	110.53	55.68	292.45	348.13	328.15	534.19	862.34
2008-09	142.92	474.67	617.59	632.52	15.05	647.57	174.44	141.91	316.35	949.88	631.63	1581.51
योग	**1052.82**	**1497.08**	**2549.90**	**773.60**	**145.67**	**919.27**	**339.99**	**519.22**	**859.21**	**2166.41**	**2161.97**	**4328.38**

3.9 ऑडिट की टिप्पणियाँ

3.9.1 मॉग का निर्धारिण

विद्युतीय स्टोर प्रभाग- I एवं II ने विभिन्न मॉग करने वाले प्रभागों से प्राप्त माँग के आधार पर (गुणवत्ता, मात्रा तथा भंडार मदों की विशेषताएँ) का आकलन किया। मॉग करने वाले प्रभागों को निर्माण कार्य अथवा रखरखाव की प्रगति के आधार पर विद्युतीय सामान की अपनी मॉग का निर्धारण करना होता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भंडार- I प्रभाग हर वर्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये अनुमोदन अनुसार रखरखाव प्रभागों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकतओं एवं अन्य तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संग्रह की उच्चतम सीमा का वार्षिक निर्धारण भी करता है। रिकार्डों की जॉच करने से ज्ञात होता है कि कई अवसरों पर भंडार- I एवं II आवश्यकताओं का वास्तविक निर्धारण करने में असफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक क्रय किया गया, जिसके कारण निधि अवरूद्ध रहने के साथ-साथ सामग्री बेकार पड़ी रहीं। मदों के क्रय के संबंध में किये गये अवलोकनों पर आगामी पैरों में चर्चा की गई है ।

भण्डार- I

3.9.1.1 36.63 लाख रुपये की राशि से 300 वर्ग मि.मी. X3 कोर आकार की 3 कि.मी. उच्चदाब एक्स एल.पी.ई. केबल मॉग से अधिक क्रय की गई

भंडार- I प्रभाग ने 05 कि.मी. उच्चदाब एक्सएलपीई 300 वर्ग मि.मी. X3 कोर केबल की प्राप्ति हेतु निविदा आमंत्रण सूचना जारी की । केबल की अनुमानित लागत 48.80 लाख रुपये (9.76 लाख रुपये/कि.मी. की दर पर) थी । दिनांक 05.05.06 को निविदाएँ खोली गई । न्यूनतम- I बोलीदाता (फर्म-'ए') ने 61.07 लाख रुपये (12.21 लाख रुपये/कि.मी.) की दरें उद्धृत की, जो कि स्टोर की अनुमानित लागत से 25.14 प्रतिशत अधिक थी । लेकिन, वित्त विभाग के परामर्श से 20 प्रतिशत विचलन की धारा का उपयोग करते हुए फर्म 'बी' द्वारा 05 कि.मी. केबल क्रय की गई जो आपूर्ति आदेश सं. 22 अधि.अभि.-एस- II/2005-06 दिनांक 14.03.2006 एवं 24 अधि.अभि.-एस- II/2005-06 दिनांक 30.03.2006 के द्वारा 9.84 लाख रुपये/कि.मी. की दर पर स्टोर- II प्रभाग को इसी प्रकार की 25.5 कि. मी. केबल की आपूर्ति कर रही थी।

पुनः यह भी अवलोकित किया गया कि दिनांक 14.09.2006 को संवर्धन एवं निर्माण प्रभाग- IV के लिए तत्काल आधार पर इसी आकार की केबल की निम्नलिखित मॉग प्रायोजित की गईः

1. रखरखाव दक्षिण प्रभाग क्षेत्र में पुराने 11 के.वी. उच्च दाब संभरणों तथा अन्तर्योजक केबल का प्रतिस्थापन।

2. विद्युत सब-स्टेशन किदवई नगर (पूर्वी) से विद्युत सब-स्टेशन लक्ष्मी बाई नगर के मध्य 300 वर्ग मि.मी. X03 कोर के उच्च-दाब के अन्तर्योजकों का प्रावधान।

वर्तमान माँग के अनुसार केबल क्रय करने हेतु पूर्व नि.आ. सूचना से संबंधित (फर्म-ए) न्यूनतम- I बोलीदाता के साथ वार्ता करने के लिए प्रभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सलाह दी कि वर्तमान/माँग के लिए नई निविदा आमंत्रित की जाए क्योंकि पूर्व निविदा एक अलग मात्रा हेतु थी तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्ता या प्रति-पेशकश को हतोत्साहित किया जाये।

लेकिन, वित्त विभाग के परामर्श पर दुबारा निविदाएँ आमंत्रित करने के बजाय पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के न्यूनतम-1 बोलीदाता (फर्म ए) के साथ वार्ता की गई, किन्तु फर्म ने मूल्य में कटौती करने से इन्कार कर दिया। अन्ततः (12.21 लाख रुपये प्रति कि.मी. की दर पर) 36.63 लाख रुपये की राशि से 03 कि.मी. केबल की आपूर्ति आदेश फर्म 'ए' को दिनांक 28.02.2007 दे दिया गया। सामान अप्रैल 2007 में प्राप्त किया गया। लेकिन फर्म 'ए' को आपूर्ति आदेश देने की इस प्रक्रिया में भंडार-I ने वित्त विभाग की संस्वीकृति प्राप्त नहीं की।

दस्तावेजों की जांच से यह भी पता चला कि सी- IV प्रभाग जिस के लिए उक्त क्रय तत्काल आधार पर किया गया था ने भण्डार प्रभाग- I से उक्त 1500 मीटर केबल कभी नहीं प्राप्त की । अंततः उक्त केबल दिसम्बर 2007 में अन्य प्रभागों सी- I और सी- II प्रभागों को जारी की गई जिससे यह इंगित होता है कि न तो क्रय की कोई तत्कालिकता थी और न ही उस प्रभाग को जारी किया गया था जिसके लिए क्रय की गई थी । अतः वित्त विभाग की टिप्पणी को उपेक्षा करते हुए बिना किसी तत्कालिक आवश्यकता के क्रय की गई थी । इसके साथ ही 8 माह तक केबल का बेकार पड़ा रहना यह दर्शाता है कि मांग का निर्धारण अवास्तविक था ।

3.9.1.2 11 के.वी.350 एमवीए एसबीबी, एसएफ-6 वेक्यूम स्विच बोर्डों की खरीद पर 43.18 लाख रुपये का अविवेकपूर्ण व्यय

सी- VI प्रभाग ने दिनांक 11.8.2003 को 58.22 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर मंडी हाउस पर 33 के.वी. का बिजली घर स्थापित करने के लिए अनुमान संख्या ई-83/ईई/पी-33 के.वी. के विरूद्ध स्टोर- I डिविजन में 13 पैनल वाले एक 11 के.वी. 350 एमवीए एसबीबी एसएफ-6 वैक्यूम स्विच बोर्ड के लिए मांग की थी । भण्डार- I प्रभाग द्वारा दिनांक 28.6.04 को निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गयी और आपूर्त्ति आदेश क्र. 46/ईई एस-1/डीपी/2004-05 दिनांक 07.01.05 के अन्तर्गत न्यूनतम निविदाता- I (फर्म ए) को सौंपा गया । फर्म ने 24.1.2007 को स्टोर- I को सामान की आपूर्ति की और दिनांक 22.02.2007 को फर्म को 43.18 लाख रुपये का भुगतान किया गया । परन्तु सी- VI प्रभाग द्वारा सामग्री नहीं उठाई गयी ।

इंजी.-इन-चीफ द्वारा दिनांक 10.05.2007 को यह अवलोकित किया गया कि स्कूल लेन-सब स्टेशन के लिए सिंगल फेस संभरण उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल 33 के.वी. सब-स्टेशन मंडी हाउस में शायद बोर्ड संस्थापित न हों ।

मांग रखने के चार वर्ष बाद अगस्त 2007 में मुख्य अभियंता (ई- II) ने निर्णय लिया कि इस बोर्ड का अन्यत्र इस्तेमाल होना चाहिए, यथा सब स्टेशन ट्रामा सेन्टर, (सी- VI प्रभाग के अंतर्गत दूसरी परियोजना) । परन्तु 16/20 एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर की मांग भंडार- I प्रभाग में पहले ही भेजी जा चुकी थी, जिसके लिए बोर्ड की जरूरत थी । सी- VI प्रभाग ने 4.10.07 को बोर्ड प्राप्त किया व ट्रामा सेन्टर में संस्थापित कर दिया । परन्तु पावर ट्रांसफार्मर न लगने के कारण पैनल का पूर्ण इस्तेमाल न हो सका ।

भण्डार प्रभाग के साथ-साथ सिविल प्रभाग में समन्वय की कमी के कारण तथा प्रयोग कर्त्ता प्रभाग की खराब योजना की वजह से 43.18 लाख रुपये का अविवेकपूर्ण व्यय हुआ ।

3.9.1.3 मदों की फालतू खरीद के कारण रु. 92.91 लाख अवरूद्ध हुए

भण्डार- I

11 के.वी. भण्डार (भण्डार- I) के दस्तावेजों की जांच से पता चला कि रु. 31.68 लाख की मदें खरीद करने की तिथि से भण्डार में ही पड़ी हुई थी । ये मदें स्टोर- I प्रभाग ने क्रय की थी परन्तु विभिन्न विद्युत प्रभागों को जारी न किये जाने के कारण निधि अवरूद्ध रही ।

ये सामान प्राप्ति की तिथि से 4 ½ वर्ष से 22 वर्ष तक भण्डार में पड़े रहे । इस कारण से अनुलग्नक- IX में दिये गये विवरणानुसार इस अवधि में 31.68 लाख रुपये की राशि अवरूद्ध रही ।

भण्डार- II

33 के.वी. भण्डार (भण्डार- II) की जांच से पता चला कि रु. 61.23 लाख की मदें भण्डार- II में 6 मास से 2 वर्ष तक बेकार पड़ी रही । जिसका विवरण अनुलग्नक- X पर दिया गया है।

इन मदों की विभिन्न प्रभागों द्वारा मांग की गयी थी परंतु क्रय के बाद मांग प्रभागों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया जिसके परिणाम स्वरूप निधि अवरूद्ध रही ।

3.9.2 निविदा प्रक्रिया

भण्डार प्रभाग द्वारा अपेक्षित मदों का क्रय खुली निविदा, तत्कालिता के मामले सीमित निविदा और प्राथमिक मदों के लिए एकल निविदा द्वारा क्रय किया जाता है । दस्तावेजों की जांच के दौरान खरीद प्रक्रिया में दो वर्ष तक विलम्ब के मामले पाये गये फलस्वरूप दुवारा निविदा प्रक्रिया से अधिक दरों के कारण परिहार्य अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा । इस बारे में आगामी पैरों में चर्चा की गई है ।

3.9.2.1 दुबारा निविदा के कारण डीसी हाई पॉट टेस्ट सेट के क्रय में असाधारण विलम्ब

उत्तरी प्रभाग के रखरखाव के अनुमानों के अंतर्गत डीसी हाई पॉट टेस्ट सेट क्रय के लिए भण्डार- I प्रभाग द्वारा जून 2003 में निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गयी । निविदा 29.8.03 को खोली गयी जिसमें चार फर्मों ने अपनी पेशकश प्रस्तुत की । तकनीकी/वाणिज्यिक चर्चा के दौरान 4 में

से 2 निविदायें रद्द हो गयी । तीसरी फर्म का (फर्म-ए) उपकरण जांच में असफल रहा और उसकी निविदा भी रद्द हो गयी । चौथी फर्म (फर्म बी) की दरें 4.1.03 को खोली गयी और 1.38 लाख रुपये प्रति सेट की दर से 05 सेटों की निविदा लागत 6.90 लाख रुपये थी । इसी दौरान फर्म ए, जिसके उपकरण परीक्षण में असफल हो गये थे ने अपने पत्र दिनांक 18.12.03 द्वारा इस आधार पर आपत्ति उठाई कि उसने 0.59 लाख रुपये प्रति सेट की दर से 5 सैटों के लिए 2.95 लाख रुपये की न्यूनतम पेशकश की है ।

इंजी-इन-चीफ ने 15.3.2004 को सभी निविदाएँ रद्द कर दी और पुन: निविदा के आदेश दिए । नई निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 25.3.04 को प्रकाशित हुई । 5.4.2004 को निविदा खोली गयी जिसमें केवल एक फर्म (फर्म बी) ने 6.90 लाख रुपये की पेशकश प्रस्तुत की । फर्म के साथ वार्ता हुई और वह 6.00 लाख रुपये पर सामग्री आपूर्ति के लिए सहमत हो गयी । आपूर्ति आदेश 49/डीपी/04-05 दिनांक 15.2.05 जारी करने पर फर्म ने 31.3.05 को भण्डार प्रभाग में सामान की आपूर्ति की ।

वर्तमान मामले में विभाग का निविदा को रद्द करने की कार्यवाही न्यायोचित नहीं थी क्योंकि फर्म ए, जिसने निविदा प्रक्रिया में आपत्ति इस आधार पर की थी कि उसने न्यूनतम दरें उद्धृत की थी, का सामान विभाग द्वारा किये गये परीक्षण में पहले ही असफल हो गया था । इस प्रकार क्रय में लगभग डेढ़ वर्ष का विलम्ब हुआ ।

3.9.2.2 एक्स.एल.पी.ई. 300 वर्ग मि.मी. x3.5 कोर केवल के क्रय के लिए निविदा प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने में असाधारण विलम्ब से उच्च दर पर क्रय किया गया

दस्तावेजों की जांच से ज्ञात होता है कि भण्डार- I प्रभाग द्वारा 66.99 लाख रुपये की अनुमानित लगात से 7.071 कि.मी. केबल के क्रय के लिए निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 14.12.2006 को जारी की गई । निविदा 20.12.2006 को खोली जानी थी, परन्तु उस दिन तक कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण निविदा खोलने की तारीख 16.1.2007 बढा दी गयी । उस तारीख तक भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई । निविदा खोलने की तारीख फिर से बढ़ाकर 14.2.2007 कर दी गयी और इस बार दो निदिाएं प्राप्त हुई ।

फर्म 'ए' न्यूनतम निविदादाता- I, ने निविदा दरें 51.65 लाख रुपये उद्धृत की जबकि डीजीएस एण्ड डी की दर रुपये 6.98 लाख रुपये प्रति कि.मी. अर्थात् 49.36 लाख रुपये थी जो कि 31.03.2007 तक वैध थी । इस प्रकार न्यूनतम निविदादाता -1 फर्म की दरें डीजीएस एण्ड डी से 4.64 प्रतिशत अधिक थी । परन्तु डीजीएस एण्ड डी को आपूर्ति आदेश जारी करने बजाय भण्डार- I ने न्यूनतम निविदादाता के साथ डीजीएस एण्ड डी की दरों तक कम करने के लिए बातचीत करने का प्रयास किया । इसी दौरान डीजीएस एण्ड डी की अनुबंध दर की वैधता समाप्त हो गयी । भण्डार-I ने फर्म को न्यूनतम निविदादाता उद्धृत दरों 26.06.07 को आपूर्ति आदेश जारी किया जिसके परिणाम स्वरूप रु. 2.29 लाख का परिहार्य व्यय हुआ ।

3.9.3 भण्डार मदों का क्रय

भण्डार मदों के क्रय संबंधी दस्तावेजों की जांच से दो मामलों में अनियमितताएं पाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

3.9.3.1 पूरी मदों की खरीद में सात वर्ष से अधिक का विलम्ब होने और सी- II प्रभाग द्वारा सामग्री न प्राप्त करने के कारण 62.48 लाख रुपये की राशि अवरूद्ध रही

भण्डार-I प्रभाग ने कुल लागत 250.83 लाख रुपये पर दिनांक 25.03.98 को रिमोट कन्ट्रोल सहित पांच 11 के.वी. 350 एमवीए वीसीबी डबल बस बार स्विच बोर्ड (वीवीए श्रेणी) की आपूर्ति का आदेश फर्म ए को दिया । 5 में से 4 बोर्ड फर्म ने प्रदान किए परन्तु 15 पैनल वाले एक बोर्ड की आपूर्ति करने में असमर्थ रही । भण्डार- I प्रभाग द्वारा पत्र दिनांक 13.8.2000, 14.9.2001, 22.10.2001, 23.11.2001, 15.1.2002, 14.3.2002, 12.4.2002, 19.6.2002, 27.6.2002 द्वारा शेष मद की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया और अंत में कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.9.02 को भेजा गया । भण्डार- I प्रभाग द्वारा पुन: अपने पत्र दिनांक 13.9.2002 और 2.12.2002 द्वारा फर्म को यह बताया गया कि एक 15 पैनल वाले बोर्ड की आपूर्ति न करने पर उसके विरूद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी:-

1. अनुबंध समाप्त करना
2. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में 3 वर्ष तक निविदा भरने के लिए फर्म को रोकना
3. फर्म की बयाने की राशि को बट्टेखाते में डालना
4. फर्म के जोखिम एवं लागत पर बोर्ड का क्रय करना

प्रभाग द्वारा उपरोक्त. 1 से 3 पर कार्यवाही की गयी और भण्डार- I प्रभाग द्वारा 15 पैनल वाले एक बोर्ड की निविदा की कार्यवाही शुरू की गयी । निविदा प्रक्रिया 16.06.04 को शुरू की गयी और 14.02.2005 को 60.37 लाख रुपये की लागत पर रिमोट कन्ट्रोल सहित 15 पैनल वाले 11 के.वी. डीबीबी वैक्यूम टाईप एक बोर्ड की आपूर्ति का आदेश दिया गया । सी- II प्रभाग के अनुरोध पर यह बोर्ड क्रय किया गया, जो फर्म 'ए' द्वारा की गई कम आपूर्ति के कारण पैनल बोर्ड से वंचित कर दिया गया था । यह पैनल को खरीदने का अभिप्राय किदवई नगर सब-स्टेशन से पुराने पैनल को हटाना था । यद्यपि फर्म ने भण्डार- I प्रभाग को दिनांक 22.07.2005 को सामान की आपूर्ति की तथा 62.48 लाख रुपये के जारी मूल्य पर सी- II प्रभाग को भण्डार- I से सामान जारी किया गया, सी-II प्रभाग ने 10.03.2007 को अर्थात् डेढ़ वर्ष पश्चात् सामान प्राप्त किया ।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि तुरन्त कार्यवाही करने की बजाय भण्डार- I प्रभाग ने लगभग 7 वर्ष से अधिक समय तक सामान प्राप्त करने का इंतजार किया । इस प्रकार भण्डार में सामान खरीदने में सात वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ । पुन: सामान खरीदने के बाद भी सी-II प्रभाग द्वारा सामान न उठाने के कारण डेढ वर्ष से अधिक समय तक 62.48 लाख रुपये की राशि अवरूद्ध रही।

3.9.4 भण्डार का उपयोग

दस्तावेजों की जांच से यह ज्ञात होता है कि सामान क्रय करने के बाद भी माँग करने वाले प्रभागों को सामान जारी नहीं किया गया । मांग करने वाले प्रभागों को सामान उठाने संबंधी पत्र व्यवहार दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं थे । ऐसे भी उदाहरण सामने आये कि भण्डार प्रभाग ने एक निश्चित प्रभाग के लिए सामान खरीदा और सामान प्राप्त होने पर उस सामान को दूसरे प्रभागों को जारी कर दिया गया । इसके अतिरिक्त ऐसे भी अनेक मामले है जिनमें एक मांग कर्त्ता प्रभाग ने अपने प्रयोग हेतु विद्युत के सामान की मांग की और इस सामान को क्रय कर दूसरे माँगने वाले प्रभाग को सीधे ही जारी कर दिया गया जैसाकि आगामी पैरे में बताया गया है ।

3.9.4.1 सामग्री का दूसरी परियोजनाओं में प्रयोग

3.9.4.1.1 नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण- II के निमित 73.46 लाख रुपये का ट्रांसफार्मर ट्रांमा सेंटर में संस्थापित

सी-VI प्रभाग ने भण्डार-I प्रभाग को नई दिल्ली सिटी सेंटर फेस-II में संस्थापन हेतु अनुमान क्र. ई-81/पी-33 के.वी./2001-02 के विरूद्ध अनुमानित लागत 65.24 लाख रुपये से पावर ट्रांसफार्मर 33/11 के.वी., 16/20 एमवीए की मांग भेजी । भण्डार-I प्रभाग द्वारा 73.46 लाख रुपये की राशि का आपूर्ति आदेश क्र. 44/डीपी/ईई-एस-1/04-05 दिनांक 28.12.04 फर्म को जारी किया गया । फर्म ने 23.08.2005 को भण्डार-I प्रभाग को ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की । सी-VI ने 8 मास के विलम्ब बाद भण्डार से 13.04.2006 को ट्रांसफार्मर प्राप्त किया तथा बापूधाम सब-स्टेशन में स्थानांतरित किया । बाद में सी- VI प्रभाग द्वारा 17.04.2006 को इसे ट्रामा सेंटर स्थित सब-स्टेशन में संस्थापित किया गया ।

आपूर्ति आदेश के नियम व शर्तो के अनुसार निर्माण में त्रुटि की गारंटी आपूर्ति से 18 मास तक या प्रारम्भ करने की तिथि से 12 मास तक जो भी पहले होती है । इस प्रकार संस्थापन में विलम्ब के कारण नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् 18 मास की पूरी गारन्टी अवधि की सुविधा प्राप्त करने से वंचित रहा । इसके साथ ही यह ट्रांसफार्मर नई दिल्ली सिटी सेंटर द्वितीय चरण में बिजली कनैक्शन उपलब्ध कराने के लिए था, और जिस उद्देश्य के लिए इसकी माँग की गई थी, उसके लिए इसका प्रयोग नहीं हुआ ।

3.9.4.1.2 173.56 लाख रुपये का सामान मांग कर्त्ता प्रभाग के अलावा अन्य प्रभागों को अथवा उसी प्रभाग को माँग से अधिक सामान जारी किया गया

माँग करने वाले प्रभागों के लिए सामान क्रय तथा जारी करने के संबंध में कोई उचित व्यवस्था नहीं थी ।

(क) 166.73 लाख रुपये के सामान एक विशिष्ट प्रभाग के लिए अपेक्षित थे जोकि माँग करने वाले प्रभाग के अलावा अन्य प्रभागों को जारी किया गया जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

तालिका:3

मांग कर्त्ता प्रभाग की बजाय दूसरे प्रभागों को जारी सामान का विवरण

क्र. सं.	सामान का विवरण	मात्रा	आपूर्ति आदेश सं.	प्राप्ति की तिथि	प्रस्ताव रखते समय मांग कर्त्ता प्रभाग का नाम	वास्तव में जारी (मात्रा)	मांग जारी प्रभाग छोडकर दूसरे प्रभाग/को जारी की गई मात्रा	दर (रु.)	राशि (रु.)
भण्डार- I									
1.	एलटी एसीबी 2 टायर बोर्ड	4 नग	64/डीपी/ 2006-07	25.06.07	एम/एफ-4 नं.	एम/एन- शून्य एम/एफ-4 नग	एम/एफ-4 नग	1047380	4189520
2.	33 के.वी. एचटी एक्सएलपीई कैबल 400 वर्ग मि. मी2x3 साईज की केबल	4955 मीटर	43/डीपी/ 04-05	19.2.05 22.2.05 31.3.05	एम/एफ- 5000 मीटर	एम/एफ- 3176 मीटर सी- VI 1779 मीटर	सी- VI 1779 (मी. अधिक)	2393	4257147
3.	एचटी एक्सएलपीई केबल 1000 वर्ग मि.मी 2 x 5 सी	500 मीटर	28/डीपी/ 06-07	13.11.07	सी- VI- 500	सी- VI 210 सी-II -38	सी- II -38 मी0 अधिक	1128	42864
4.	1000 के.वी. ए. ट्रांसफार्मर ड्राइ टाइप	9 नग	38/डीपी/ 07-08	15.05.08 16.05.08	एम./एन.-7 नग स्टॉक सीमा-2 नग	सी-1-2 एम/एफ-5 नग	एम.एफ. सी-17 नग अधिक	845325	5917275
								योग	14406806
भण्डार- II									
1.	11 के.वी. एचटी (एक्सएलपीई) 150 वर्ग मि. मी./ 3 कोर साईज की केबल	9500 मी.	90/03-04	28.04.04	सी-I, III, IV	सी-I, II, IV	एम/एन 252 मी.	477.25 प्रति मीटर	120267

2.	एलटी (एक्सएलपीई) 25 वर्ग मि.मी. /3.5 कोर साईज की केबल	12210 मीटर	96/03-04	2004-05 एवं 2005-06	सी-I, II, III, IV, आर/एम	सी- V, आर/एम, बी. एम-I, II, आर/एल, सी-I, सी- II, सी-III, सी-IV, डी/एस, डी/एन, अग्नि	बी.एम-I, 2691 मी. बी.एम-II, 250 मी. आर/एल 29734 मी. डी/एस 2380 मी. डी/एन 1539 मी. अग्नि 150 मी. सी- V 906 मी. योग 37650 मी.	56.98	2145297
								योग	**2265564**
								महा योग (14406806+2265564)	**16672370**

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि सामान कुछ प्रभागों हेतु क्रय किया गया था किन्तु किसी अन्य विभाग को जारी किया गया था । तथापि यह रिकार्ड में नहीं था कि इस समंजन के मामले में, मांगकर्ता प्रभाग के लिए क्या प्रबंध किए गए थे जिसके लिए सामग्री उपलब्ध कराई गई थी ।

(ख) 6.83 लाख रुपये की राशि की मदें मांग की मात्रा के आधिक्य में प्रभागों को जारी किये गये जिनका विवरण नीचे दिया गया है :-

तालिका : 4
मांग कर्त्ता मात्रा के आधिक्य में जारी की गई सामग्री का विवरण

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	मात्रा	आपूर्ति आदेश सं.	प्राप्ति की तिथि	प्रस्ताव रखते समय मांग कर्त्ता प्रभाग का नाम	वास्तव में जारी (मात्रा)	जारी की गई फालतू मात्रा	दर (रु.)	राशि (रु.)
	भण्डार- I								
1.	11 के.वी. एलटी (एक्सएलपीई)	6999 मीटर	12/डीपी/07-08	18.9.07 19.9.07 20.9.07	डी/एन-440 मी. डी/एस-	डी/एन-शून्य डी/एस- 6999 मी.	डी/एस 418 मी.	761	318098

	300 वर्ग मि. मी./3.5 कोर साईज की केबल			22.9.07	6581 मी. आर/एल- 50 मी.	आर/एल- शून्य			
2.	एलटी (एक्सएलपीई) 400 वर्ग मि. मी./3.5 कोर साईज की केबल	4.012 मीटर	28/डी.पी/05-06	22.1.06	डी. एन-3125 डी.एस-500	डी. एन-3009 मीटर डी. एस-1003 मीटर	डी/एस 503 मीटर	726	365178
								योग	683276

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता हैं कि मांगकर्ता प्रभाग को मांग की मात्रा से आधिक्य सामग्री जारी की गई ।

इन समंजन तथा मॉग का उचित एवं सही आकलन क्यों नहीं किया गया, के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे । अत: मॉग प्रभागों की आवश्यकताओं के आंकलन के लिए उचित तन्त्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि क्रय पश्चात् के समंजनों से बचा जा सके ।

3.9.4.2 11.99 लाख रुपये के सामान का मॉग प्रभाग द्वारा अर्न्तविभागीय संमजन

रिकार्डो की जांच से ज्ञात होता है कि कई मामलों में मॉग करने वाले प्रभागों ने अन्य प्रभागों को सामान जारी किया । सामान का यह अन्त-विभागीय समंजन स्पष्ट दर्शाता है कि प्रभागों ने आवश्यकता से अधिक सामान की मांग की । विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

तालिका : 5

क्र. सं.	सामान का विवरण	प्रभाग जिसको सामान जारी किया गया	प्रभाग जिसको सामान स्थानान्तरित किया गया	मात्रा	जारी मूल्य (रु.)	राशि रु. में (रु.)
1.	150 मि.मी. 2 x3 कोर आकार की उच्च दाब एक्स एल पी ई केबल	सी-I प्रभाग	सी-IV प्रभाग	304 मीटर	582	176928
2.	1000 के.वी.ए. ट्रॉसफॉर्मर	सी- I प्रभाग	सी- IV प्रभाग	1 नंबर	354562	354562
3.	400 मि.मी. 2 x3.5 कोर आकार की निम्न	डी/एन प्रभाग	सी- II प्रभाग	220 मीटर	897	197340

	दाब एक्स एलपीई केबल					
4.	उच्च दाब एक्स एल पी ई केबल 300X3	सी-II प्रभाग	सी-IV प्रभाग	.370 मीटर	1272	470640
					योग	1199470

उपरोक्त विवरण इंगित करता है कि मॉंग प्रभागों को इस सामान की वास्तविक रुप से आवश्यकता नहीं थी, जैसाकि मॉंग प्रभागों ने जिस कार्य हेतु सामान मॉंगा था, उस कार्य पर सामान का प्रयोग करने की बजाय किसी अन्य प्रभाग को सामान भेज दिया । इसके साथ ही सामान को वास्तविक प्रभाग के खाते में डालने हेतु भण्डार प्रभाग को कोई स्थानांतरित प्रविष्टि अथवा सूचना नहीं दी गई और न ही रिकार्ड में उपलब्ध थी ।

3.9.4.3 वितरण उत्तरी प्रभाग द्वारा सामान की अधिक मांग के कारण 28.49 लाख रुपये की निधि अवरूद्ध हुई

वितरण उत्तरी प्रभाग के उप-प्रभाग वर्ष 2008-09 के स्टॉक रजिस्टर की जांच से यह ज्ञात होता हैं कि 28.49 लाख रुपये की 400 मि.मी. 2 x3.5 कोर आकार की निम्न दाब की 2982 मीटर केबल शेष बकाया के रूप में थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

तालिका : 6

(रुपये लाख में)

विवरण	मात्रा मीटर में	प्रति मीटर दर (रु.में)	राशि
दिनांक 1/4/2008 को अथ शेष	3766	955.32	35.98
वर्ष 2008-09 के दौरान भण्डार प्रभाग से प्राप्त मात्रा	4936	955.32	47.15
वर्ष 2008-09 के दौरान वितरण उत्तरी प्रभाग द्वारा उपयोग की गई मात्रा	5720	955.32	54.64
दिनांक 31/3/2009 को बकाया शेष	2982	955.32	28.49

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि उपप्रभाग ने भण्डार में पहले से उपलब्ध 3766 मीटर को न गिनते हुए उपप्रभाग द्वारा केबल की मॉंग करने के परिणामस्वरूप 28.49 लाख रुपये तक की राशि अवरूद्ध रही क्योंकि 2982 मीटर शेष केबल 31.3.2009 तक अनुपयोगी रही ।

3.9.4.4 ट्रांसफर प्रविष्टियों के माध्यम से मॉंग प्रभागों के लिए क्रय एवं जारी किये गये सामान में अन्तर

विभिन्न उपयोगकर्त्ता प्रभागों द्वारा विभिन्न विद्युतीय मदों के क्रय के लिए मॉंग भण्डार प्रभाग को भेजी गई । प्राप्त मॉंग के आधार पर तथा विभिन्न मदों की स्टॉक स्थिति से प्रभाग द्वारा क्रय

कार्यवाही आरंभ की जाती है । भण्डार में उपलब्ध सामान सुनिश्चित करने के पश्चात् भण्डार सीमा के विरूद्ध सामान क्रय किया जाता है ।

सामान के क्रय पर व्यय लेखा शीर्ष ई.11 भण्डार के क्रय से प्रथमतः किया जाता है तथा अपेक्षित प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में की जाती है । प्रभागों/इकाइयों को स्थातंरित प्रविष्टियॉ के माध्यम से सामान जारी करने के पश्चात्, संबंधित मॉग करने वाले प्रभागों/इकाइयों के संबंधित लेखा शीर्ष में व्यय डाल दिया जाता है । 11 के.वी. तथा 33 के.वी. भण्डार से जारी विद्युतीय मदों के प्रभागों तथा दोनों भण्डार प्रभागों द्वारा की गई स्थातंरित प्रविष्टियॉ एवं डेबिट के संदर्भ में 11 के.वी. तथा 33 के.वी. भण्डार प्रभागों का रिकार्ड तथा, इंडेटिड प्रभागों के बड़े चिट्ठे (ब्रोडशीट) से जांच की गई । वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 की अवधि में की गई स्थातंरित प्रविष्टियॉ अनुलग्नक 'XI' पर दी गई हैं।

लेखा ई.1.1 के अंतर्गत किये गये सामान के क्रय से संबंधित रिकार्डों की जांच से भण्डार मदों के क्रय तथा विभिन्न प्रभागों को जारी किये गये सामान में बहुत बड़ा अंतर ज्ञात होता है । वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 के दौरान उपलब्ध कराए गए सामान तथा जारी किये गये सामान का विवरण निम्न प्रकार से है :-

भण्डार-I

तालिका: 7

(रुपये लाख में)

वर्ष	क्रय किया गया सामान	स्थातंरित प्रविष्टियों के अनुसार जारी सामान	आधिक्य की गई स्थातंरित प्रविष्टियों (+) कम स्थातंरित प्रविष्टियों (-)
2004-05	192.10	245.46	(+)53.36
2005-06	378.98	320.96	(-)58.02
2006-07	800.22	730.56	(-)69.66
2007-08	659.72	852.44	(+)192.72
2008-09	1820.00	937.37	(-)882.63

भण्डार- II

तालिका: 8

(रुपये लाख में)

वर्ष	क्रय किया गया सामान	स्थातंरित प्रविष्टियों के अनुसार जारी सामान	आधिक्य की गई स्थातंरित प्रविष्टियों (+) कम स्थातंरित प्रविष्टियों (-)
2004-05	420.36	380.48	(-)39.88
2005-06	313.97	383.06	(+)69.09
2006-07	425.25	438.09	(+)12.84
2007-08	609.91	768.11	(+)158.20
2008-09	787.27	567.02	(-)220.25

उपरोक्त तालिकाओं से यह देखा जा सकता है कि स्थातंरित प्रविष्टियों द्वारा विभिन्न प्रभागों/इकाइयों को जारी सामान वर्ष 2004-05 तथा वर्ष 2007-08 में भण्डार- I में तथा वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा वर्ष 2007-08 में भण्डार- II में क्रय किये गये सामान की तुलना में अधिक था । क्रय किए गए सामान तथा विभिन्न प्रभागों/इकाइयों को स्थातंरित प्रविष्टि द्वारा जारी सामान में बहुत बड़े अंतर का कारण रिकार्ड में नहीं था ।

3.9.4.5 बकाया स्थातंरित प्रविष्टियाँ

मॉग प्रभागों के रिकार्डों की जांच से ज्ञात होता है कि मॉग प्रभागों के रिकार्ड के अनुसार ट्रांसफर प्रविष्टियों की राशि भण्डार प्रभागों के रजिस्टरों में दिखाई गई स्थातंरित प्रविष्टियों की राशि निम्न दर्शाये गये विवरण अनुसार कम थी :-

भण्डार- I

तालिका : 9

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	अवधि	भण्डार- I के रजिस्टर के अनुसार स्थातंरित प्रविष्टियों की राशि	मॉग करने वाला प्रभाग	मॉग करने वाले प्रभाग के अनुसार स्थातंरित प्रविष्टियों की राशि	अन्तर
1.	2004-05	10.59	सी- IV (विद्युत)	04.80	5.79
2.	2004-05	28.08	वितरण दक्षिण	24.93	3.15
3.	2005-06	143.53	वितरण दक्षिण	55.23	88.30
4.	2006-07	55.77	वितरण दक्षिण	44.18	11.59
5.	2007-08	248.45	वितरण दक्षिण	213.40	35.05
6.	2007-08	93.88	आर एम/आर एल	83.56	10.32
7.	2007-08	51.50	रखरखाव उत्तरी	41.49	10.01
8.	2007-08	30.12	सी-II (विद्युत)	27.50	2.62
9.	2008-09	176.64	सी-IV (विद्युत)	130.56	46.08
10.	2008-09	114.76	पथ-प्रकाश	103.46	11.30
	कुल	**953.32**		**729.11**	**224.21**

भण्डार- II

तालिका : 10

(रु. लाख में)

क्र. सं.	अवधि	भण्डार- II के रजिस्टर के अनुसार स्थातंरित प्रविष्टियों की राशि	मॉग करने वाला प्रभाग	मॉग करने वाले प्रभाग के अनुसार स्थातंरित प्रविष्टियों की राशि	अन्तर
1.	2008-09	307.11	निर्माण- II	287.47	19.64
2.	2008-09	6.10	वितरण उत्तरी	5.45	0.65
3.	2008-09	68.48	निर्माण-IV	22.87	45.61
	कुल	**381.69**		**315.79**	**65.90**

पुनः यह भी अवलोकन किया गया कि भण्डार प्रभाग द्वारा रखरखाव किए जा रहे रजिस्टरों की स्थातंरित प्रविष्टियों की राशि के निम्नलिखित मामलों, में मॉग करने वाले प्रभाग के रिकार्डों के अनुसार स्थातंरित प्रविष्टियों की राशि कम थी :-

भण्डार- I

तालिका : 11

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	अवधि	भण्डार- I रजिस्टर के अनुसार स्थातंरित प्रविष्टियों की राशि	मॉग करने वाला प्रभाग	मॉग करने वाले प्रभाग के अनुसार स्थातंरित प्रविष्टियों की राशि	अन्तर
1.	2004-05	3.16	सड़क प्रकाश/सड़क रखरखाव	10.28	7.12
2.	2005-06	10.22	निर्माण-IV	26.80	16.58
3.	2006-07	65.29	सड़क प्रकाश/सड़क रखरखाव	146.18	80.89
4.	2008-09	43.85	रखरखाव उत्तरी	44.63	0.78
	कुल	**122.52**		**227.89**	**105.37**

भण्डार- II

तालिका : 12

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	अवधि	भण्डार- II के रजिस्टर के अनुसार स्थातंरित प्रविष्टियों की राशि	मॉग करने वाला प्रभाग	मॉग करने वाले प्रभाग के अनुसार स्थातंरित प्रविष्टियों की राशि	अन्तर
1.	2004-05	3.49	रखरखाव उत्तरी	3.78	0.29
2.	2004-05	52.85	पथ-प्रकाश	55.62	2.77
3.	2008-09	38.03	पथ-प्रकाश	58.55	20.52
	कुल	**94.37**		**117.95**	**23.58**

स्थानातंरित प्रविष्टियों के गलत-वर्गीकरण अथवा अनुचित स्थानांतरित प्रविष्टियों के कारण, विशिष्ट परियोजना की वास्तविक लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकी । इसके परिणामस्वरुप भण्डार प्रभागों के भण्डार में सामान का सही आंकलन तथा खर्च के गलत आंकड़े दर्शाये गये । उचित लेखोकन प्रक्रिया और प्रत्येक शीर्ष/परियोजना/योजना के विरूद्ध किये गये वास्तविक व्यय को दर्शाने के लिए भण्डार प्रभाग के द्वारा मॉग करने वाले प्रभागों के विरूद्ध जारी स्थानांतरित प्रविष्टियों के उचित मिलान की आवश्यकता है।

3.9.5 बफ़र स्टॉक

विद्युत विभाग के विभिन्न रखरखाव प्रभागों की तात्कालिक आवश्यकता तथा दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वार्षिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा भण्डार की उच्चतम सीमा

को अनुमोदित करने के आधार पर 11 के.वी. भण्डार (भण्डार-I) के बफ़र स्टॉक का रखखाव किया जाता है । वर्ष 2004-05 से 2008-09 हेतु भण्डारण की उच्चतम सीमा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर शेष सामान का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

तालिका :13

(रुपये लाख में)

वित्तीय वर्ष	अनुमोदित सामान उच्चतम सीमा(राशि)	को शेष	सामान का शेष (राशि)
2004-05	78.15	31.03.05	58.07
2005-06	86.87	31.03.06	127.76
2006-07	उपलब्ध नहीं	31.3.07	109.16
2007-08	180.00	31.03.08	177.88
2008-09	180.00	31.03.09	171.49

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता हैं कि वर्ष 2004-05,2007-08 तथा 2008-09 में भण्डार की उच्चतम सीमा अनुमोदित सीमा के भीतर थी । यद्यपि, वर्ष 2005-06 में, भण्डार-I अनुोदित सीमा के भीतर भण्डार की उच्चतम सीमा का रखरखाव करने में असफल रहा। निर्धारित सीमा से अधिक भण्डार के कारण रिकार्ड में नहीं थे । वर्ष 2006-07 के लिए रिकार्ड में भण्डारण सीमा की स्वीकृति नहीं थी।

3.9.6 सामान का निपटान

3.9.6.1 275.17 लाख रुपये की राशि की अनुपयोगी सामान का निपटान न होना

रिकार्डो की जांच से यह ज्ञात होता हैं कि अनुलग्नक XII में इंगित अनुसार 275.17 लाख रुपये (भण्डार- I हेतु 266.04 लाख रुपये तथा भण्डार- II हेतु 9.13 लाख रुपये) का विभिन्न अनुपयोगी सामान 11 के.वी. भण्डार- I तथा 33 के.वी. भण्डार- II में रखा था । सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अनुपयोगी सामान के निपटान हेतु विभाग द्वारा लिए किए गए प्रयास रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे । इन मदों के निपटान न होने के परिणामस्वरुप तथा समय अधिक हो जाने से सामान और अधिक खराब हो जाएगा । इन मदों की उपयोगी अवधि तथा क्रय की तिथि रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी ।

3.10 निष्कर्ष

वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि हेतु भण्डार प्रभागों (भण्डार- I तथा II) के सामान को सूचीबद्ध करने का प्रबन्धन की समीक्षा से अनेक कमियाँ पता चली । माँग करने प्रभागों/उप-प्रभागों अपनी आवश्यकता का निर्धारण करने में असफल रहे तथा वास्तविक आवश्यकता से अधिक सामान भण्डार से लिया तथा अपने भण्डार के सामान को रखे रखा अथवा अन्य प्रभागों के साथ सामान का समंजन किया । परिणामस्वरुप, सामान का अन्त-प्रभागीय स्थांतरण बहुत हुआ तथा सामान की उचित

शीर्ष/परियोजना/योजना के अन्तर्गत प्रविष्टि नहीं की जा सकी । तद्नुसार, विशिष्ट परियोजना/योजना पर व्यय की वास्तविक राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी । भण्डार प्रभागों के लेखों का उचित रखरखाव नहीं किया गया था । मॉंग करने वाले प्रभागों/उप-प्रभागों के विरूद्ध ट्रांसफर प्रविष्टियॉं लंबित थी । मॉंग प्रभागों ने भण्डार प्रभागों के साथ मिलान नहीं किया था।

सामान के क्रय में भी अत्याधिक विलम्ब हुआ था । भण्डार में मदों का अवरूद्ध होना, खण्डित मदों का निपटान न किया जाना पाया गया । अनेक मामलों में, मॉंग करने वाले प्रभाग ने भण्डार प्रभागों से विशिष्ट सामान का अनुरोध किया गया, किन्तु सामान क्रय कर लिया गया तो मॉंग करने वाले प्रभाग ने सामान नहीं उठाया । ऐसे मामलों में सामान या तो भण्डार में बेकार पड़ा रहा या भण्डार मदों का उपयोग कुछ अन्य प्रभागों द्वारा किया गया। भण्डारों तथा मॉंग करने वाले प्रभागों के मध्य उचित सामंजस्य नहीं था । विद्युत विभाग को इन पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है तथा भण्डार प्रभागों के कार्यों को सुचारू बनाने की आवश्यकता है।

मामला विभाग को भेजा गया (अगस्त 2010); उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी (अक्टूबर 2010)।

उद्यान विभाग

उद्यान विभाग का कार्य संचालन

अध्याय : IV उद्यान विभाग

4. उद्यान विभाग का कार्य संचालन

सार्वजनिक पार्कों, गार्डनों आदि को बनाने व उनके रखरखाव के लिए न.दि.न.पा.परिषद् का उद्यान विभाग जिम्मेदार है । 2004-05 से 2008-09 की अवधि तक के विभाग तथा इसके डिविजनों के दस्तावेजों की लेखा परीक्षा से पता चला कि विभिन्न लेखा शीर्षों में 1.18 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बचत रही है । इसी प्रकार व्यय में 1.7 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अधिकता रही जिसके नियमितीकरण की जरूरत है । लेखा परीक्षा ने पाया कि पौधों और मशीनरी/उपकरणों की खरीद में कानूनी औपचारिकताओं का अनुकरण नहीं किया गया था। विभाग ने टेलीफोन पर बोली आमंत्रित कर 15.46 लाख रुपये के पेड़ों की नीलामी की है जिसके लिए बोलीदाताओं के चयन हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं थी । मालियों के स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों की संख्या मानदण्डों की अपेक्षाओं से अधिक थी । इसके अलावा आकस्मिक कर्मचारियों को कार्य पर लगाने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी । सीपीडब्ल्यूडी को कच्चे पानी का भुगतान वैध तिथि के बाद किया गया था जिससे विभाग को 1.56 लाख रुपये का फालतू भुगतान करना पड़ा । पुनः कच्चे पानी का भुगतान बिना सत्यापन के किया गया था जिसके फलस्वरूप 20.96 लाख रुपये का फालतू भुगतान हुआ । पानी के कुछ कनैक्शनों का भुगतान न करने पर 1.76 करोड़ रुपये की देनदारियाँ पैदा हो गयी है ।

प्रमुखतायें

- विभिन्न लेखाशीर्षों के अन्तर्गत 2004-05 से 2008-09 की अवधि में बचत 1.18 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक तथा आधिक्य व्यय 1.7 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक रहा । आधिक्य व्यय के नियमितीकरण के बारे में दस्तावेजों में कोई टिप्पणी नहीं दी थी।
- वार्षिक अनुमानों के अनुमोदन में 79 दिनों से 229 दिनों का बिलम्ब हुआ, जिसके फलस्वरूप बिना अनुमान स्वीकृति कराये और अनुमोदन की प्रत्याशा में व्यय हुआ।
- के.लो.नि. विभाग के पार्कों के रखरखाव के लिए अनुमानित राशि 2007-08 में 486.16 लाख रुपये और 2008-09 में 387.52 लाख रुपये वार्षिक मांग रखी गयी थी । इस पर हुए व्यय का विवरण और सीपीडब्ल्यूडी से उक्त लेखे में प्रतिपूति राशि का विवरण लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया ।
- सामान्य वित्त नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विभाग ने निविदा प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना पौधे खरीदे हैं । विभाजित आपूर्ति आदेश जारी कर विभाग को लाभ से वंचित किया गया जो कि निविदा प्रक्रिया से हो सकता था ।

- यद्यपि विभाग द्वारा किया गया वृक्षारोपण 2004-05 में 31973 पौधों से बढ़कर 2008-09 में 79961 पौधें हो गये । परन्तु इन वर्षों में डिविजनों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की संख्या विभागीय नर्सरियों द्वारा उस अवधि में जारी किये गये पौधों की संख्या से कम थी ।
- विभाग ने कच्चे पानी का भुगतान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा भेजे गये बिलों के आधार पर किया और उनके सत्यापन न करने के कारण 20.96 लाख रुपये के आधिक्य भुगतान हुए । इसके अलावा सीपीडब्ल्यूडी को उक्त पानी के बिलों का देरी से भुगतान होने पर विभाग को छूट की राशि 1.56 लाख रुपये से वंचित होना पड़ा ।
- वर्ष 2005-06 के दौरान पानी के कुछ कनैक्शनों के भुगतान न करने के कारण 1.76 करोड़ रुपये की देनदारियाँ इकट्ठा हो गई हैं ।
- उद्यान का प्रथम व दूसरे चरणों के अनुसार मशीनीकरण पूरा न हुआ । उपकरणों और मशीनरी की हिस्सों में खरीद की गई तथा कुछ ठेकेदारों को ही आपूर्ति आदेश दिये गये ।
- विभाग ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना टेलीफोन से बातकर बोली प्राप्त कर 15.46 लाख रुपये की राशि में पेड़ों की नीलामी की है ।
- नियमों के अनुसार जरूरत के अनुपात में स्वीकृत संख्या और कार्य करने वाले मालियों की संख्या अधिक है । वर्ष 2007-08 में नियुक्त 165 मालियों में से 132 मालियों को परिवर्तित आधार से दूसरे विभागों में भेजा गया । जिससे यह पता चलता है कि मालियों की नियुक्ति बिना जरूरत के की गई थी ।
- आकस्मिक कर्मचारियों को काम पर लगाने में पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया और उसके लिए प्राप्त आवेदनों में सभी निर्धारित मापदण्ड अपनाने के मामले में टिप्पणी नहीं लिखी गई थी ।
- क्षेत्रों का समय-समय पर सर्वेक्षण व निरीक्षण के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी के रखरखाव नियमों के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया ।

4.1 परिचय

न.दि.न.पा.परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 11(टी) के अनुसार सार्वजनिक पार्कों, गार्डनों व मनोरंजन स्थलों का निर्माण व रखरखाव परिषद् का एक अनिवार्य कार्य है और अधिनियम की धारा 12 (डी) के अनुसार, वृक्षारोपण व सड़क किनारों के वृक्षों की देखभाल परिषद् की ऐच्छिक गतिविधि है । अपने क्षेत्रों के ऐवेन्यू में लगे पेड़ों, सड़क किनारे की हरी पट्टियों, गोल चौराहों, गार्डनों, पार्कों सहित सार्वजनिक क्षेत्रों की हरियाली की देखभाल करना उद्यान विभाग का कार्य है । विभाग द्वारा निम्न गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं :-

1. सड़क किनारे की हरियाली व गोल चौराहों सहित गार्डनों व पार्कों का रखरखाव तथा निर्माण ।
2. कालोनी स्थित पार्कों का रखरखाव ।

3. वृक्ष प्रबन्धन: वृक्षारोपण, पेड़ों की छंटाई, गिरे वृक्षों व सूखे और खतरनाक वृक्षों को हटाना।
4. उद्यान कूड़ा (पार्कों, उद्यानों एवं सफाई विभाग द्वारा चिन्हित सड़क पटरियों) को हटाना और खाद प्रक्रिया ।
5. उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण/भू-सौन्दर्यीकरण ।
6. राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय अवसरों पर न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्रों में मार्गों पर फूलों की सजावट और न.दि.न.पा.परिषद् उत्सवों आदि में (पुष्प प्रदर्शनी) भाग लेना ।
7. उद्यान मामले पर लोगों की शिकायत सुनना ।
8. सीपीडब्ल्यूडी कालोनियों के पार्कों का रखरखाव व सुधार ।
9. पेड़ों, झाड़ियों और हरि पट्टी तैयार करने के लिए क्यारियाँ और मौसमी फूलों की नर्सरियाँ तैयार करना व रखरखाव ।
10. सड़क संरक्षण व वृक्षारोपण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना ।

4.2 संगठनात्मक व्यवस्था

उद्यान विभाग में कुल सात डिविजन हैं। जो कि पुन: सब-डिविजनों में विभक्त हैं । उद्यान विभाग निदेशक (उद्यान) के अधीनस्थ है । इनके काम में दो अतिरिक्त निदेशक और पाँच उप-निदेशक सहयोग करते हैं जिनमें से प्रत्येक एक सब-डिविजन का इंचार्ज है। प्रत्येक अतिरिक्त निदेशक एवं उप निदेशक की सहायता सहायक निदेशक द्वारा की जाती है जिसके द्वारा उप-प्रभाग का प्रभार होता है एवं जिसकी सहायता के लिए अनुभाग अधिकारी होता है जो प्रत्येक अनुभाग का प्रभारी होता है । उद्यान विभाग का संगठनात्मक चार्ट निम्न प्रकार से है :

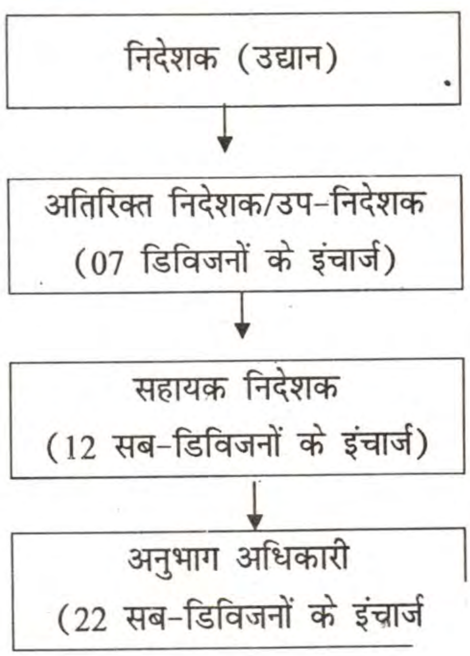

4.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

उद्यान विभाग और उसके डिविजनों द्वारा रखे गये दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक की अवधि के कार्य संचालन के संबंध में समीक्षा की गई । सभी 07 डिविजनों व 12 सब-डिविजनों के दस्तावेजों की जॉच की गयी ।

4.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्य-

लेखा परीक्षा का उद्देश्य जिसमें यह निर्धारित करना है कि:-

1. आवंटित निधि उसी उद्देश्य के लिए खर्च की गई थी ।
2. विभागीय नर्सरियों का विकास वृक्षारोपण संबंधी इसके मानकों को पूरा करने के लिए किया गया ।
3. आकस्मिक कर्मचारियों की तैनाती सीपीडब्ल्यूडी/उद्यान रखरखाव नियमों के अनुसार की गई थी।
4. मशीनों/उपकरणों का उचित उपयोग किया गया था।
5. प्रभावी अनुवीक्षण और नियंत्रण पद्धति विद्यमान है।

4.5 लेखा परीक्षा की कार्यपद्धति

निदेशक (उद्यान) के साथ एक बैठक आयोजित होने के साथ उद्यान विभाग के संचालन की समीक्षा आरंभ की गई, जिसमें लेखा परीक्षा सिद्धांत, कार्य क्षेत्र, उद्देश्य और मानदंण्ड को विस्तार से बताया गया । निदेशक(उद्यान) ने उद्यान विभाग और उसके कार्य संचालन के बारे में परिचय कराया । अतिरिक्त निदेशक/उप-निदेशक (उद्यान) के अधीन कार्य करने वाले सात डिविजनों और उद्यान विभाग के बारे में लेखा परीक्षा के लिए आंकडे/सूचना इकट्ठी की गई । लेखा परीक्षा द्वारा इकट्ठी सूचना के आधार पर पूछताछ/ज्ञापन प्रस्तुत किये गये, अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया और उद्यान विभाग के कार्य संचालन को निर्धारित करने के लिए सब-डिविजनों में जाकर वार्त्ता आयोजित कर सूचना/दस्तावेज इकट्ठे किये गये । लेखा परीक्षा पूर्ण होने के बाद फरवरी 2010 में निदेशक (उद्यान) के साथ एक बैठक आयोजित की गई जिसमें लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों पर विचार-विमर्श किया गया ।

4.6 पावती

निदेशक(उद्यान) द्वारा सूचना व दस्तावेज उपलब्ध कराये तथा लेखा परीक्षा के लिए सुविधा प्रदान की गई ।

4.7 वित्तीय रूपरेखा

विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत 2004-09 की अवधि में बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय से पता चलता है कि संशोधित अनुमान की तुलना में बचत और आधिक्य व्यय हुआ, जिनके आंकडे निम्न प्रकार से हैं :-

तालिका: 1

(रुपये हजारों में)

लेखाशीर्ष	डी.4.4.4.सी. पार्कों व गार्डनों का रखरखाव	डी.4.4.5. वाहनों का चालन व रखरखाव	डी.4.4.6 सी.अन्य प्रभार	डी.4.4.7. - वाहनों व वाटर टेंकर का क्रय	डी.4.4.8. - उपकरणों की खरीद	डी.4.4.9. - उपकरणों व पौधों की खरीद	डी. 4.4.10. - मूल कार्य	क. 1. - जमा कार्य
2004-2005								
बजट अनुमान	25000	700	200	2500	900	1500	21950	600
संशोधित अनुमान	19000	1000	200	100	10	100	4200	200
वास्तविक व्यय	19509	1017	206	0	0	0	2264	336
विचलन	(+)509	(+)17	(+)6	(-)100	(-)10	(-)100	(-)1936	(+)136
प्रतिशत	(+) 2.68	(+) 1.70	(+) 3.00	(-) 100.00	(-) 100.00	(-) 100.00	(-) 46.10	(+) 68.00
2005-2006								
बजट अनुमान	20000	1000	200	2500	900	1000	8790	200
संशोधित अनुमान	20000	1100	250	2500.	1000	1000	15150	200
वास्तविक व्यय	14935	1087	132	0	0	0	0	26
विचलन	(-)5065	(-)13	(-)118	(-)2500	(-)1000	(-)1000	(-)15150	(-)174
प्रतिशत	(-) 25.33	(-) 1.18	(-) 47.20	(-) 100.00	(-) 100.00	(-) 100.00	(-) 100.00	(-) 87.00
2006-2007								
बजट अनुमान	25000	1200	400	2500	1000	1000	19500	200
संशोधित अनुमान	25000	1000	200	1000	2000	2000	17840	200
वास्तविक व्यय	19257	1223	205	0	919	1246	2475	0
विचलन	(-)5743	(+)223	(+)5	(-)1000	(-)1081	(-)754	(-)15365	(-)200
प्रतिशत	(-) 22.97	(+) 22.30	(+) 2.50	(-) 100.00	(-) 54.05	(-) 37.70	(-) 86.13	(-) 100.00
2007-2008								
बजट अनुमान	27500	1000	200	1000	3500	2000	21000	200
संशोधित अनुमान	24000	1500	200	0	2500	1000	19500	0
वास्तविक व्यय	25954	1735	62	0	435	145	9177	28
विचलन	(+)1954	(+)235	(-)138	0	(-)2065	(-)855	(-)10323	(+)28
प्रतिशत	(+) 8.14	(+) 15.67	(-) 69.00	0	(-) 82.60	(-) 85.50	(-) 52.94	(+)100.00

5	2008-2009								
	बजट अनुमान	17500	1500	200	1000	3500	2000	34900	
	संशोधित अनुमान	27500	2600	200	2500	2300	0	22000	
	वास्तविक व्यय	22189	0	29	961	600	0	14501	
	विचलन	(-)5311	(-)2600	(-)171	(-)1539	(-)1700	0	(-)7499	
	प्रतिशत	(-)19.31	(-) 100.00	(-) 85.50	(-) 61.56	(-) 73.91	0	(-) 34.09	
	टिप्पणी : बचत (-) तथा आधिक्य (+)								

जैसाकि उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उक्त अवधि के अन्तर्गत 1.18 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बचत की गई तथा आधिक्य व्यय की सीमा 1.7 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक रही है । पार्कों और गार्डनों के लेखाशीर्ष डी.4.4.4.सी. के अन्तर्गत में वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2008-09 की अवधि में बचत की गयी जबकि 2004-05 और 2007-08 की अवधि में आधिक्य व्यय था । वाहनों के रखरखाव व चालन संबंधी लेखाशीर्ष डी 4.4.5 के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 और 2008-09 की अवधि में बचत थी । परन्तु 2004-05 से 2008-09 की अवधि में लेखाशीर्ष डी.4.4.7, डी.4.4.8, डी.4.4.9 और डी.4.4.10 के अन्तर्गत 34.1 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बचत थी जो अभ्यर्पित नहीं की गयी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य नियमावली, 2007 के पैरा 48.1 के अनुसार वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किये बिना वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व ही सभी प्रत्याशित बचतों या आवंटनों का अग्रिम समपर्ण किया जाना है । इसी प्रकार, अति व्यय, अधिक बजट आवंटनों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति द्वारा नियमित किया जाना चाहिए। यह बताते हुए कुछ भी रिकार्ड में नहीं था कि बचतें समर्पित की गई तथा सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत अधिक व्यय नियमित किया गया । बचतों की अधिक राशि तथा अधिकता विभाग द्वारा बजट अनुमानों की अप्राप्तता दर्शाती है।

4.8. ऑडिट की टिप्पणियाँ

4.8.1 के.लो.नि.वि. के 981 कालोनी पार्कों के रखरखाव पर 873.68 लाख रुपये हेतु व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति न होना

दिनांक 19.07.2007 को न.दि.न.प.परिषद् की अधिकृत समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार के.लो.नि.वि. कालोनियों के 981 पार्क जैसे हैं जहाँ हैं के आधार पर रखरखाव हेतु न.दि.न.पा.परिषद् को हस्तांतरित किये गये । के.लो.नि.वि. कालोनी पार्कों की देखभाल, देखरेख, रखरखाव के लिए निधियों की वार्षिक आवश्यकता वर्ष 2007-08 हेतु 486.16 लाख रुपये तथा 2008-09 के लिए 387.52 लाख रुपये अनुमानित थी । परिषद् ने प्रस्ताव दिनांक 21.11.07 द्वारा पारित किया कि विभाग नगरपालिका निधियों से आरंभ में व्यय को पूरा करने के कार्य के साथ आगामी कार्य प्रक्रियारत करे

किन्तु तत्पश्चात् परियोजना हेतु अनिवार्य निधि का प्रावधान करने हेतु भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय से लिया जाए ।

यद्यपि इस लेखे में खर्च की गई राशि का विवरण तथा इन पार्कों के रखरखाव पर न.दि.न.पा. परिषद् द्वारा खर्च किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किये गये प्रयास रिकार्डों में उपलब्ध नहीं थे ।

4.8.2 पौधों के क्रय में अनियमितता

समीक्षा अवधि के दौरान पौधों के क्रय से संबंधित रिकार्डों की जॉच में निम्नलिखित विसंगतियॉं प्रतीत होती हैं :-

4.8.2.1 उद्यान नर्सरियों में पहले से उपलब्ध पौधों के क्रय में 2.45 लाख रुपये का परिहार्य व्यय

बहुत से मामलों में पौधों के क्रय हेतु प्रस्ताव आरम्भ किये गये थे तथा प्रत्येक प्रभाग द्वारा पृथक रूप से अनुमोदित किये गये यद्यपि अपेक्षित पौधें विभागीय नर्सरियों में उपलब्ध थे । मामलों की जॉच से ज्ञात होता है कि विभाग ने ऐसे पौधों के क्रय पर समीक्षा अवधि के दौरान 2.45 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया, यद्यपि यही पौधे नर्सरियों में उपलब्ध थे । इससे यह पता चलता है कि नर्सरी तथा विभागों के मध्य कोई सामजस्य नहीं था जैसाकि नर्सरी से उपलब्धता की पुष्टि किये बगैर पौधों का क्रय किया गया। यह विवरण अनुलग्नक-XIII पर प्रदर्शित है ।

4.8.2.2 विभागीय नर्सरियों से गैर-उपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना पौधों का क्रय

विभागीय नर्सरियों के बावजूद, विभिन्न प्रभागों ने स्थानीय मार्किटों से आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करते हुए पौधों का निरन्तर क्रय इस आधार पर किया कि पौधें उनकी नर्सरियों में उपलब्ध नहीं थे । यद्यपि, इस संबंध में गैर-उपलब्धता प्रमाण-पत्र क्रय की फाइलों में नहीं पाया गया था । अन्य मामलों में, खुली मार्किटों से पौधों के क्रय हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किये गये तथा प्रस्तावों को विभागीय नर्सरियों में ऐसे पौधों की उपलब्धता की स्थिति का रिकार्ड प्राप्त किये बिना अनुमोदित किया गया । ऐसे मामलों के विवरण, जो कि रिकार्डों की जॉच के परिणामस्वरूप नोटिस में आये, अनुलग्नक- XIV पर दिये गये हैं ।

रिकार्डों की जॉच से पुन: यह ज्ञात होता है कि खुली निविदाओं द्वारा ऐसे पौधे की खरीद दरों की तुलना में, पौधों के स्थानीय क्रय पर 0.89 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया । ऐसे मामलों के उदाहरण अनुलग्नक- XV पर दिये गये हैं ।

4.8.2.3 निविदा आमंत्रण के बिना क्रय

सामान्य वित्त नियम 2005 के नियम 149 के अनुसार, 1 लाख रुपये से अधिक की राशि के सामान का क्रय निविदा पद्धति को अपनाते हुए किया जाना चाहिए । रिकार्डों की जॉच से यह ज्ञात होता है कि पौधों के क्रय हेतु अपनाये गये एक लाख रुपये से अधिक की राशि के आपूर्ति आदेश निविदा पद्धति की दरों के बिना जारी किये गये थे

तालिका: 2

क्र.सं.	आपूर्ति आदेश सं. तथा तिथि	राशि (रु. में)	आपूर्ति आदेश जारी करने वाले प्रभाग
1.	05/डीडीएच-II, 02/11/2004(2004-05)	118014	II
2.	31/डीडीएच-IV, 29/3/2006(2005-06)	142858	IV
3.	17/ डीडीएच-, 12/09/2006(2006-07)	168540	I

पुनः रिकार्डों की जॉच से ज्ञात होता है कि निम्नलिखित मामलों में कुल क्रय किए गए पौधे विभक्त किए गए तथा आपूर्ति आदेश उक्त प्रभाग से निविदा प्रक्रिया को टालने हेतु उसी मास में दरें प्राप्त करते हुए प्रस्तुत किये गये थे । यद्यपि इन आपूर्ति आदेशों का औसतन एक लाख रुपये से अधिक था :

तालिका: 3

क्र. सं.	आपूर्ति आदेश सं. तथा तिथि	राशि(रु.)	आपूर्ति आदेश जारी करने वाला प्रभाग	मास के दौरान खर्च हुआ कुल व्यय (रु.)
1.	21/17/डीडीएच-III, 26/9/2006(2006-07)	35770	III	108940
2.	22/डीडीएच-II, 26/9/2006(2006-07)	56370	III	
3.	23/डीडीएच-III, 29/9/2006(2006-07)	16800	III	
4.	34/डीडीएच-III, 20/11/2006(2006-07)	71737	III	115242
5.	35/डीडीएच-III, 20/11/2006(2006-07)	19000	III	
6.	36/डीडीएच-III, 20/11/2006(2006-07)	24505	III	
7.	04/डीडीएच-III, 04/07/2008(2008-09)	46150	III	221125
8.	05/डीडीएच-III, 04/07/2008(2008-09)	85250	III	
9.	07/डीडीएच-III, 09/07/2008(2008-09)	65725	III	
10.	08/डीडीएच-III, 09/07/2008(2008-09)	24000	III	
11.	12/डीडीएच-III, 06/08/2008(2008-09)	45065	III	131315
12.	13/डीडीएच-III, 06/08/2008(2008-09)	86250	III	

आपूर्ति आदेशों के विभक्त होने के कारण विभाग प्रतिस्पर्धात्मक दरों के लाभ से वंचित हो गया, जो कि निविदा प्रक्रिया से उपलब्ध हो सकते थे ।

4.8.3. उद्यान विभाग की नर्सरियों का निष्पादन

नर्सरियों द्वारा पौधे के उत्पादन से संबंधित सूचना/आँकड़ों के आधार पर तथा उद्यान विभाग द्वारा न.दि.न.पा.परिषद् में कराये गये वृक्षारोपण पर विभाग की क्रियात्मकता निर्धारित की गई थी । नीचे दी गई तालिका 4 में दिये गये विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल मिलाकर नर्सरियों में उत्पादन

2007-08 में 66037 पौधों से बढ़कर 2008-09 में 151736 हो गया और बाजार से पौधों की खरीद घटकर 2007-08 में 67692 से घटकर 2008-09 में 20308 हो गयी । परन्तु पुराना किला नर्सरी के पौधों के उत्पादन में (3 एकड़ क्षेत्र) वर्ष 2004-05 में 10040 से घटकर वर्ष 2006-07 में 6104 हो गयी । इसी प्रकार, वर्ष 2004-05 में 305 पौधों का क्रय बढ़कर वर्ष 2006-07 में 14223 पौधों का हो गया । पुराना किला नर्सरी में वर्ष 2008-09 में 21460 तक पौधों के उत्पादन में वृद्धि हुई तथा केवल 2100 पौधों तक क्रय में कमी हुई । अत: वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 तक क्रय इन वर्षों में हुए कम उत्पादन के कारण हुआ । पौधों के कम उत्पादन के कारण रिकार्ड में नहीं थे ।

तालिका-4

नर्सरियों द्वारा पौधों के उत्पादन/क्रय से संबंधित विवरण

क्र.सं.	नर्सरी का नाम	अपनी नर्सरियों में उत्पादित पौधों की संख्या					मार्किट से क्रय किये पौधों की संख्या				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	सफदरजंग मदरसा	विद्यमान नहीं	विद्यमान नहीं	शून्य	863	3638	शून्य	शून्य	22718	11970	11071
2.	पुराना किला	10040	7770	6104	9285	21460	305	10030	14223	36626	2100
3.	लोदी गार्डन	22126	26826	59722	48412	111718	1293	28757	406	18029	6117
4.	सर्कुलर रोड	विद्यमान नहीं	विद्यमान नहीं	898	7477	14920	शून्य	शून्य	4298	1067	1020
5.	तालकटोरा गार्डन	किसी रिकार्ड का रखरखाव नहीं									
	कुल	**32166**	**34596**	**66724**	**66037**	**151736**	**1598**	**38787**	**41645**	**67692**	**20308**

इन नर्सरियों के अलावा वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान तालिका 5 में नीचे प्रदर्शित अनुसार उद्यान विभाग द्वारा पौधे क्रय किये गये :

तालिका : 5

प्रभाग	अवधि के दौरान क्रय किये गये पौधों की संख्या				
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
II	12694	21365	22314	31906	40478
IV	शून्य	शून्य	920	1800	150
V	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
VI	शून्य	1276	605	335	500
VII	शून्य	शून्य	436	3049	3323
	12694	**22641**	**24275**	**37090**	**44451**

वर्ष 2004-09 की अवधि के दौरान उद्यान विभाग द्वारा किये गये कुल वृक्षारोपण का विवरण निम्न प्रकार है :-

तालिका : 6

प्रभाग	झाड़ियों तथा सौन्दर्यकृत पौधों सहित पौधों की संख्या				
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
I	3997	2245	7000	2375	6979
II	3360	6095	13073	27384	39730
III	3284	2374	5735	5571	2228
IV	5035	4466	3383	4287	14474
V	शून्य	2390	2410	863	2109
VI	10555	6999	777	4180	4005
VII	5742	6102	4339	6560	10436
कुल	**31973**	**30671**	**36717**	**51220**	**79961**

अतः उक्त तालिकाओं 4, 5 और 6 से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि विभाग ने वृक्षारोपण 2004-05 में 31973 से बढ़ाकर 2008-09 में 79961 कर दिया तथापि विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण की संख्या इसी अवधि के दौरान विभागीय नर्सरियों द्वारा उत्पादित पौधों की संख्या से कम थी । विभागीय नर्सरियों में पौधों का पर्याप्त उत्पादन विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु काफी होने के बावजूद पौधों के क्रय के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

4.8.4 अपेयजल कनैक्शनों के बिलों के भुगतान में अनियमितताएँ :

के.लो.नि.वि. द्वारा न.दि.न.पा.परिषद् को आपूर्ति किया गया अपेयजल तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 अक्तूबर तक के.लो.नि.वि. द्वारा लाए गए बिल तथा संबंधित वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक बिलों के समय पर भुगतान हेतु 5 प्रतिशत छूट की अनुमति है । यदि संबंधित वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया जाता है, बिल की राशि पर 5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रभार लगाया जाता है तथा तत्पश्चात् भुगतान न करने की प्रत्येक त्रैमासिक हेतु 1 प्रतिशत जुर्माना, 8 प्रतिशत अधिकतम की शर्त पर, जोड़ा जाता है । अपेयजल कनैक्शनों के संबंध में भुगतानों की जॉंच से निम्नलिखित ज्ञात होता है :

4.8.4.1 जल प्रभारों के लेखों पर 20.96 लाख रुपये का अधिक व्यय

रिकार्डों की जॉंच से यह ज्ञात होता है, सत्यापन के बिना के.लो.नि.वि. द्वारा उठाए गए बिलों के अनुसार विभाग द्वारा बिलों का भुगतान किया गया था । अनुलग्नक XVI में दिए गए विवरणानुसार राशि का अधिकता में के.लो.नि.वि. को भुगतान किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 20.96 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ । बकाया राशि से अधिकता का भुगतान करने के कारण रिकार्ड में नहीं थे ।

4.8.4.2. के.लो.नि.वि. को अदा किए गए अपेय जल पर छूट को प्राप्त न करने के कारण 1.56 लाख रुपये का परिहार्य व्यय

निम्नलिखित मामलों में विभाग ने 5 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर तक अपेय जल के बिलों का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण 1.56 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ :

तालिका : 7

क्र.सं.	भुगतान की तिथि एवं वर्ष	कुल देय राशि (रु.)	यदि भुगतान संबंधित वर्ष में 31 दिसम्बर तक किया जाता है तो 5 प्रतिशत की छूट (रु.)
1.	30.03.05	254694	12735
2.	30.03.07	169222	8461
3.	30.03.07	786987	39349
4.	29.03.07	1394597	69730
5.	31.03.08	504737	25237
6.	27.03.09	11796	590
योग		**3122033**	**156102**

इस प्रकार निर्धारित तिथि तक बिलों का भुगतान न करने के कारण छूट का लाभ न होने से 1.56 लाख रुपये का परिहार्य व्यय आया ।

4.8.4.3 अपेय जल के संबंध में 1.76 करोड़ रुपये की बकाया देनदारी

रिकार्डो की जांच से ज्ञात होता है कि विभाग ने वर्ष 2005-06 एवं आगामी वर्ष हेतु कुछ जल कनैक्शनों का भुगतान नहीं किया । अनुलग्नक XVII में दिए गए विवरण से पता चलता है कि विभाग की तरफ 1.76 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान बकाया है तथा इसमें में समय-समय पर जुर्माना राशि जमा होने के कारण देनदारी में वृद्धि हुई है।

पुन: यह पाया गया कि वर्तमान अपेय जल कनैक्शनों के सत्यापन हेतु के.लो.नि.वि. तथा उद्यान विभाग के स्टाफ सदस्यों द्वारा जून 2006 में संयुक्त निरीक्षण किया गया। इन कनैक्शनों से संबंधित भुगतान की स्थिति की जांच करने समय यह पाया गया कि कनैक्शन सं. 133,134,4744 तथा 4763 संयुक्त निरीक्षण के दौरान विद्यमान नहीं थे, किन्तु इन कनैक्शनों के लिए 6.11 लाख रुपये की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया गया था।

इस लिए विभाग को उक्त कथित कनैक्शनों के लिए किये गये फालतू भुगतान की वसूली के संबंध में जांच किए जाने की आवश्यकता है ।

4.8.4.4 अपेय जल के रजिस्टर का उचित रखरखाव न होना

अपेय जल से संबंधित रजिस्टरों का उचित ढंग से रखरखाव नहीं किया गया । कुछ कनैक्शनों का भुगतान किया गया था किन्तु प्रत्येक कनैक्शन के स्थान पर संबंधित पृष्ठ पर भुगतान का विवरण रिकार्ड नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त रजिस्टर प्रामाणित नहीं था तथा भुगतान वाऊचर फाइलों का न तो उचित रखरखाव किया गया था और न ही पृष्ठों पर नम्बर थे । इस प्रकार प्रमाणित प्रविष्टियों तथा रजिस्टरों के उचित रखरखाव की आवश्यकता है ।

4.8.5 उद्यान विभाग के यांत्रिकीकरण में अनियमिततएं

4.8.5.1 निविदा आमंत्रण किए बिना 16.21 लाख रुपये की मशीनों/उपकरणों का एक-एक करके क्रय

उद्यान विभाग के यांत्रिकीकरण का कार्य दो चरणों, प्रथम चरण 31.8.2008 तक तथा द्वितीय चरण 31.8.2009 तक किया जाना था । परिषद् ने प्रस्ताव संख्या 15 (एन-2) दिनांक 21.11.07 के द्वारा प्रथम चरण हेतु 217.80 लाख रुपये की राशि का अनुमोदन प्रदान किया गया जिसमें उपकरण/मशीनरी की विभिन्न मदों के क्रय की 172.80 लाख रुपये राशि सम्मिलित है । इस प्रकार विभाग पहले से ही उपकरण/मशीनों की आवश्यकताओं के बारे में पहले से ही अच्छी तरह जानता था तथा नियमित निविदा प्रक्रिया अपना सकता था । तथापि, रिकार्डो की जांच से पता चला है कि विभाग ने थोक में क्रय करने के स्थान पर अनुलग्नक XVIII में विवरण के अनुसार प्राप्त दरों के द्वारा 16.21 लाख रुपये की राशि के उपकरणों/मशीनों का फुटकर क्रय किया ।

अलग-अलग क्रय करने के कारण विभाग नियमित निविदा प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरों से वंचित रहा था ।

4.8.5.2 कुछ ठेकेदारों को आपूर्ति आदेश सौंपना

विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान उपकरणों एवं मशीनों के क्रय के लिए 21 आपूर्ति आदेश जारी किये गए । यह पाया गया कि 21 आपूर्ति आदेशों में से 20 आपूर्ति आदेश दो सप्लायरों को सौंपे गए । आपूर्ति आदेशों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

तालिका-8

क्र. स.	वर्ष	वर्ष-वार उसी फर्म को जारी किए गए आपर्ति आदेश		उसी फर्म के आपूर्ति आदेश		जिस एजेंसी को कार्य सौंपा गया	वर्ष 2007-08 व 2008-09 के दौरान सौंपे गए कुल आपूर्ति आदेशों की प्रतिशमता
		आपूर्ति आदेश सं.	राशि (रु. लाखों में)	आपूर्ति आदेश सं.	राशि (रु. लाखों में)		
1.	2007-08 2008-09	04 08	3.96 5.48	12	9.44	ए	57 प्रतिशत
2.	2007-08 2008-09	02 06	1.68 4.09	08	5.77	बी	38 प्रतिशत
3.	2007-08	01	1.00	01	1.00	सी	5 प्रतिशत
	कुल आपूर्ति आदेश			**21**	**16.21**		**100 प्रतिशत**

उक्त से यह स्पष्ट है कि केवल दो फर्मों को 21 आपूर्ति आदेशों में से 20 आपूर्ति आदेश दिए गये । यथा 2007-08 और 2008-09 में कुल आपूर्ति आदेशों का 95 प्रतिशत था। केवल कुछ ही फर्मों को उपकरण/मशीने आपूर्ति आदेश जारी करने के कारण रिकार्ड में नहीं थे ।

4.8.5.3 उद्यान विभाग में यांत्रिकीकरण के द्वितीय चरण के लागू होने में विलम्ब

उद्यान विभाग में यांत्रिकीकरण के कार्य के लागू होने की योजना दो चरणों में बनाई गई थी। प्रथम चरण 31 अगस्त 2008 तक तथा द्वितीय चरण 31 अगस्त 2009 तक पूर्ण किया जाना था। रिकार्डों की जांच करने के दौरान यह पाया गया कि दिसम्बर 2009 में अनुमोदन हेतु 57.37 लाख रुपये की लागत के उपकरणों/मशीनों के क्रय से संबंधित प्रस्ताव प्रथम चरण में प्रस्तुत किया गया । इसलिए दिसम्बर 2009 तक यांत्रिकीकरण के लागू होने का प्रथम चरण भी पूर्ण नहीं हो पाया ।

4.8.6 मशीनों का कम उपयोग/उपयोग नहीं

2004-05 से 2008-09 में 165 मशीनों, उपकरणों व संयंत्रों के उपयोग के बारे में दस्तावेजों की लेखा परीक्षा से पता चला है कि 165 मशीनों व उपकरणों, संयंत्रों में से 10 मशीनों का कहीं भी उपयोग नहीं हुआ, 99 मशीनों का किसी खास वर्ष में 30 दिन या उससे भी कम समय तक उपयोग हुआ, 07 मशीनों की उन वर्षों में उपयोग हुए बिना मरम्मत की गयी और 25 मशीनों की उनके उपयोग की तुलना में भारी मरम्मत की गयी । कुछ डिविजनों में मशीनों व उनके व्यय के बारे में कोई विवरण नहीं रखा गया जैसे-रेसकोर्स रोड, लक्ष्मीबाई नगर, और सब-डिविजन-II, डिविजन नं. IV के अन्तर्गत।

विभाग को इन मशीनों के उपयोग व व्यय के बारे में समीक्षा करने की जरूरत है।

4.8.7 वृक्षों की छंटाई तथा लकड़ी का निपटान

4.8.7.1 कार्य आदेशों द्वारा वृक्षों की छंटाई पर 2.67 लाख रुपये का परिहार्य व्यय

विभाग के पास 05 वृक्ष छंटाई मशीनें है । दो और टैलीस्कोपिक ट्री प्रुनर (वृक्ष छंटाई) तथा 22 फोल्डिगं स्टेप एल्यूमिनियम सीढ़ियों का क्रय दिनांक 27.08.2007 को 1.20 लाख रुपये तथा दिनांक 03.10.2007 को 1.34 लाख रुपये पर किया गया था । पुनः इस कार्य हेतु समय-समय पर अनियत कर्मियों को भी नियुक्त किया गया था । वृक्षों की छंटाई, सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा अन्य संबंधित रिकार्डो की जांच से पता चला कि उद्यान विभाग ने वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान कार्य आदेश द्वारा वृक्षों की छटाई पर 2.67 लाख रुपये का व्यय किया जिसका विवरण अनुलग्नक XIX में दिया गया है । मशीनों तथा श्रमिकों के बावजूद कार्य आदेशों द्वारा वृक्षों की छटाई पर किये गए व्यय की न्यायोचितता रिकार्डों पर नहीं पाई गई थी । पुनः यह पाया गया कि वर्ष 2006-09 के दौरान कार्य आदेशों को एक ही ठेकेदार को दिए गए जिसके लिए कारण उपलब्ध नहीं थे । इसके अतिरिक्त विभाग ने वृक्षों को नियमित छटांई सुनिश्चित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया था ।

4.8.7.2 वन विभाग की अनुमति के बिना वृक्षों की छटांई

रिकार्डों की जांच से पता चला कि निम्नलिखित मामलों में वन विभाग से अनुमति के बिना विभाग ने वृक्षों की छटांई की ।

तालिका : 9

क्र.सं.	प्रभाग	निरीक्षण रिपोर्ट की तिथि	वृक्षों की संख्या जिसके लिए अनुमति ली गई	छटांई किए गए वृक्षों की कुल संख्या	मामलों की संख्या जहां अनुमति प्राप्त नहीं की गई
1.	III	26.05.2005	02	03	1
2.	IV	12.10.2007	01	02	1
3.	I	12.11.2007	02	05	3

वन विभाग से अनुमति के बिना इन वृक्षों की छटांई हेतु कारण रिकार्ड पर नहीं थे।

4.8.7.3 लकड़ी की नीलामी/निरीक्षण में अनियिमितताएं

विभाग ने पिछलें पांच वर्षो के दौरान वृक्षों की नीलामी/निरीक्षण किया जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

तालिका : 10

क्र.सं	वर्ष	किया गया कुल निरीक्षण		प्राप्त राशि (रु. में)	
		क्षेत्र-I	क्षेत्र--II	क्षेत्र-I	क्षेत्र--II
1	2004-05	35	60	94258	196550
2	2005-06	18	71	32900	168005

3	2006-07	18	64	45250	231935
4	2007-08	25	30	75925	253400
5	2008-09	13	42	25600	421850
योग		109	267	273933	1271740

इस संबंध में, लेखा परीक्षा से पता चला कि :-

(क) वृक्षों की छटांई/निरीक्षण हेतु कोई वार्षिक रखरखाव ठेका नहीं था ।

(ख) विभाग ने तात्कालिक परिस्थितियों जैसे वृक्षों को उखाड़ना इत्यादि हेतु किसी ठेकेदार को सूचीबद्ध/पंजीकृत नहीं किया था ।

(ग) रिकार्डो की जॉच से पता चलता है कि विभाग द्वारा लकड़ी की नीलामी हेतु बोलीदाता से दूरभाष पर बोलियाँ आमंत्रित की जा रही हैं । तथापि, रिकार्ड में यह वर्णित नहीं है कि विभाग द्वारा टेलीफोन पर आमंत्रित किये जाने वाले बोलीदाताओं की सूची चयन हेतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति उपलब्ध न होने पर किस से एवं क्यों सम्पर्क कर रहा था। जैसाकि, इस प्रकार लकडी की नीलामी में पारदर्शिता का अभाव था ।

4.8.8 जनशक्ति प्रबंधन

4.8.8.1 मालियो की अति शक्ति

उद्यान विभाग में स्वीकृत पद एवं कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित ऑडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से ज्ञात होता है कि के.लो.नि.वि. रखरखाव नियमावली में उपलब्ध मानदण्डों का उल्लंघन करते हुये माली कर्मचारियों की संख्या का आधिक्य था ।

के.लो.नि.वि. रखरखाव नियमावली में उपलब्ध उद्यान विभाग हेतु मानदण्डों के अनुसार, 1 एकड़ भूमि क्षेत्र हेतु एक माली प्रतिष्ठित कार्य हेतु नियुक्त किया जाना चाहिए। ऑडिट को उपलब्ध उद्यान विभाग की कार्यात्मक योजना में रिकार्ड विचरण से ज्ञात होता हैं कि न.दि.न.पा.परिषद् के अन्तर्गत कुल 1120 एकड़ का हरित क्षेत्र था । इस प्रकारा यदि न.दि.न.पा.परिषद् के समस्त क्षेत्र की प्रतिष्ठा को देखते हुए मालियों की नियुक्ति पर विचार किया जाये तो न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में अधिकतम 1120 माली नियुक्त किये जाने चाहिए थे ।

वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक की अवधि के दौरान मानकों के अनुसार स्वीकृत शक्ति, कार्यशक्ति तथा अपेक्षित शक्ति का विवरण निम्न प्रकार था :-

तालिका-11

वर्ष	स्वीकृत कार्यशक्ति	कार्य शक्ति	मानकों अनुसार अपेक्षित	मानकों से अधिक स्वीकृत कार्यशक्ति	मानको से अधिक आधिक्य कार्यरत कार्यशक्ति
2004-05	सूचना उपलब्ध नहीं				
2005-06	1461	1277	1120	341	157

2006-07	1474	1285	1120	354	165
2007-08	1474	1450 (132 माली परिवर्तित आधार पर विद्युत तथा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं)	1120	354	330
2008-09	1474	1422 (132 माली परिवर्तित आधार पर विद्युत तथा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं)	1120	354	302

वर्ष 2005-6 में 341 मालियों और वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में 354 मालियों की नियत संख्या से अधिक स्वीकृति का कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2006-07 के दौरान कार्यरत मालियों की संख्या 1285 थी जबकि 2007-08 में यह संख्या बढ़कर 1450 हो गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्ष 2007-08 के दौरान 165 नई नियुक्तियाँ की गई थी। पुनः दस्तावेजों की जाँच से ज्ञात हुआ कि 132 मालियों को परिवर्तित आधार पर विद्युत व स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त किया गया। इस विभाग में पहले से ही मालियों की संख्या अधिक थी और वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में 132 और मालियों की नियुक्ति के लिए कोई औचित्य नहीं था। इस प्रकार 132 मालियों को परिवर्तित आधार पर दूसरे विभागों में भेजा गया, उनके वेतन व भत्तों के व्यय का भार उद्यान विभाग लगातार वहन करता है।

दस्तावेजों की जाँच से पुनः पता चला कि विभाग ने नियमित कर्मचारियों के अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मियों/मालियों को भी नियुक्त किया है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

तालिका : 12

वर्ष	अनुमोदन की तिथि	विभाग द्वारा नियुक्त आकस्मिक कर्मचारियों की सं.	विभाग द्वारा कितने कार्य दिवसों के लिए आकस्मिक कर्मचारी रखे गये	
2005-06	07.02.06	2 महीने के लिए 100	100x60 दिन	**6000**
2006-07	28.06.06	3 महीने के लिए 130	130x90 दिन	11700
	08.08.06	1 महीने के लिए 30	30x30 दिन	900
				योग 12600
2007-08	28.06.07	3 महीने के लिए 185	185x90 दिन	16650
	04.10.07	3 महीने के लिए 280	280x90 दिन	25200
	28.12.07	90 दिन के लिए 16	16x90 दिन	1440
	28.12.07	30 दिन के लिए 20	20x30 दिन	600
	28.02.08	1 महीने के लिए 15	150x30 दिन	450
				योग 44340

2008-09	02.04.08	2 महीने के लिए 15	15x60 दिन	900
	15.04.08	90 दिन के लिए 300	300x90 दिन	27000
	24.06.08	120 दिन के लिए 245	245x120 दिन	29400
	28.07.08	120 दिन के लिए 300	300x120 दिन	36000
	14.01.09	2 महीने के लिए 25	25x60 दिन	1500
	13.01.09	89 दिन के लिए 05	05x89 दिन	445
	05.12.08	89 दिन के लिए 40	40x89 दिन	3560
	29.01.09	90 दिन के लिए 322	322x90 दिन	28980
	12.02.09	2 महीने के लिए 10	10x60 दिन	600
	19.03.09	60 दिन के लिए 40	40x60 दिन	2400
				कुल योग 130785

30 दिन को एक मास गिना गया है ।

विभाग ने वर्ष 2007-08 में 165 मालियों की नियुक्ति की है और उनमें से 132 को दूसरे विभागों में परिवर्तित आधार पर भेजा दिया । विभाग ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया है यद्यपि इस विभाग के कर्मचारी पहले से ही दूसरे विभागों में कार्यरत थे । इस प्रकार इन 132 मालियों को उद्यान विभाग में नियुक्त करने के लिए कोई औचित्य नहीं था और इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता न होने पर भी उन्हें वेतन व भत्ते दे रहे थे ।

4.8.8.2 आकस्मिक कर्मचारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी तथा दस्तावेजों का अनियमित रखरखाव

निदेशक(उद्यान) ने 15.05.2007 को निर्देश दिये थे कि आयु, आवासीय पता, कार्य के लिए सक्षम आदि का सत्यापन करने के बाद कर्मचारियों की नियुक्ति के समय पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए तथा प्रत्येक प्रभाग द्वारा इस संबंध में एक रजिस्टर का रखरखाव करना चाहिए । इस संबंध में पाया गया कि:

(क) आकस्मिक कर्मचारियों की नियुक्ति के दौरान पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था। प्राप्त आवेदनों, आवेदनपत्रों को प्रक्रिया द्वारा अपनाया गया मापदण्ड और छांटे गये प्रत्याशियो, की सूची दस्तावेज में उपलब्ध नहीं थी, जिनके बारे में आकस्मिक कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया गया।

(ख) कार्यरत आकस्मिक कर्मचारियों और दिनों की संख्या, जिस दौरान किसी कर्मचारी ने विभाग में काम किया है, इस बारे में प्रभाग स्तर पर अथवा मुख्यालय के निदेशक कार्यालय में किसी भी रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था ।

(ग) विभाग द्वारा कार्य पर लगाये गये किसी भी कर्मचारी के बारे में विभाग ने न तो कोई पहचान-पत्र/फोटो आदि ही रखा था और न ही सक्षम प्राधिकारी से किसी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए अनुमोदन लिया था । इन दस्तावेजों/रिकार्डो की कमी के कारण यह स्पष्ट नहीं हो

सका कि विभाग द्वारा इन आकस्मिक कर्मचारियों की देखरेख/पर्यवेक्षण किस प्रकार किया जा रहा था ।

उक्त रिकार्डों के अभाव में मस्टर-रोल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर किये गये व्यय की वास्तविकता का सत्यापन आडिट द्वारा नहीं किया जा सका ।

4.8.9 टाटा-407 टैम्पों को किराये पर लेने के कारण 3.64 लाख रूपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र के उद्यान संबंधी कूड़े को उठाने के लिए टाटा-407 टैम्पों को किराये पर लेने हेतु ठेकेदार को निम्न कार्य आदेश सौंपे गये थे :

तालिका : 13

क्र. सं.	कार्य आदेश की सं. व तिथि	वाहन की किस्म	कार्य का विवरण	प्रतिदिन प्रति टैम्पो दर (रु.)	हर टैम्पों कितने दिन के लिए किराये पर लिया गया	राशि (रु.)
1.	02/डीडीएच/दिनांक 17.04.08	टाटा-407, टैम्पो	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में कूड़े को उठाने हेतु	990	90	89100
2.	10/डीडीएच-I/दिनांक 19.06.08	टाटा-407, टैम्पो	डीआईजेड क्षेत्र में कूड़े को उठाने हेतु	990	50	49500
3.	जून-08	टाटा-407, टैम्पो	आपदा प्रबन्धन के लिए किराये पर लेना	990	48	47520
4.	08/डीडीएच-III /जोन- I /2008-09, 13.06.08	टाटा-407, टैम्पो	सूखी पत्तियों को हटाने के लिए टैम्पो किराये पर लेना	990	25	24750

इस दौरान दिनांक 27.5.2008 को जनवरी 2008 में विभागीय अधिकारियों द्वारा एकत्र मार्किट दर उद्धरणों पर आधारित 1100 रुपये प्रतिदिन प्रति टैम्पो की अनुमानित लागत पर कुल 07 टाटा 407 टैम्पो किराये पर लेने के लिए फाईल पर प्रक्रिया प्रारम्भ की गई यद्यपि अप्रैल 2008 से जून 2008 की अवधि में रुपये 990 प्रतिदिन प्रति टैम्पो की दर पर टाटा 407 टैम्पो किराये पर ल्.या गया था, जिसका विवरण उक्त तालिका में दिया गया है । 1100 रुपये प्रतिदिन प्रति टैम्पो की अनुमानित लागत के आधार पर जून 2008 में निविदा आमंत्रण अधिसूचना जारी की गई और करार संख्या 13/2008-09 दिनांक 19.09.2008 के द्वारा टाटा-407 टैम्पो रुपये 1250 प्रतिदिन प्रति टैम्पो (प्रत्येक टैम्पो 200 दिन के लिए) किराये पर लिए गये तथा कुल लागत 17.50 लाख रुपये आई ।

1100 रुपये प्रतिदिन का अनुमान तैयार करते समय विभाग द्वारा मार्किट दर 990 रुपये प्रतिदिन पर ध्यान नहीं दिया गया यथा अप्रैल 2008 से जून 2008 तक जिस दर पर विभाग टैम्पों किराये पर ले रहा था । इस प्रकार उच्च अनुमानों पर दरें आंमत्रित करने के फलस्वरूप कार्य अधिक

दर पर सौंपा गया और फलस्वरूप 260 रुपये (1250 रुपये-990 रुपये) प्रतिदिन प्रति टेम्पों व्यय हुआ और कुल मिलाकर 3.64 लाख रुपये (7 टैम्पों x 200 दिन x 260 रुपये) परिहार्य व्यय हुआ ।

4.8.10 वार्षिक अनुमानों के अनुमोदन में विलम्ब

वार्षिक अनुमानों को तैयार करने की प्रक्रिया पर्याप्त समय पूर्व शुरू कर दी जानी चाहिए ताकि वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व इनको अंतिम रूप देकर अनुमोदित कराया जा सके। वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक की पॉच वर्ष की अवधि में उद्यान विभाग द्वारा पार्कों, उद्यानों के वार्षिक रखरखाव के अनुमानों की प्रक्रिया शुरू करने की तिथि और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की तिथि का विवरण निम्न प्रकार है:-

तालिका : 14

वर्ष	विभाग द्वारा अनुमान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया	प्रस्तावित राशि (रु. लाख में)	वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद प्रस्ताव रखने में हुआ विलम्ब	अनुमोदित राशि (रु. लाख में)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तिथि	वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद प्रस्ताव पर स्वीकृति में हुआ विलम्ब
2004-05	सूचना उपलब्ध नहीं					
2005-06	03.05.2005	200	33 दिन	160	28.06.2005	89 दिन
2006-07	13.06.2006	250	74 दिन	250	15.11.2006	229 दिन
2007-08	01.05.2007	275	31 दिन	240	18.07.2007	109 दिन
2008-09	16.04.2008	300	16दिन	275	18.06.2008	79 दिन

अनुमोदन में विलम्ब, पहली अप्रैल से अनुमोदन की तिथि तक है।

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान विभाग द्वारा वार्षिक अनुमान के लिए प्रस्ताव वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद 16 से 74 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। इस अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष शुरू होने से 79 से 229 दिन बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमानों पर अनुमोदन प्राप्त किया गया था। वार्षिक अनुमानों के अनुमोदन में विलम्ब के कारण, अनुमोदन की पूर्व प्रत्याशा में व्यय किया जाता रहा । प्रक्रिया/अनुमोदन में होने वाले विलम्ब के लिए औचित्य देने की जरूरत है और इसके लिए उचित पद्धति बनाने का परामर्श दिया जाता है ताकि वार्षिक अनुमान समय पर तैयार हो सके और वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

4.8.11 पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण

4.8.11.1 सावधिक सर्वेक्षण और निरीक्षण न किया जाना

के.लो.नि.विभाग रखरखाव नियमावली के पैरा 7.4 में उद्यान रखरखाव के लिए प्रावधान है क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं निरीक्षण सावधिक आधार पर करने पर बल इस दृष्टि से दिया जाए कि दिन प्रतिदिन सावधिक विशेष मरम्मत आदि के कार्यों में किन-किन मदों को सम्मिलित किया जाए। पुनः

उक्त नियमावली के पैरा 7.6 में उक्त कार्यों के अनुवीक्षण हेतु कार्यक्रम की त्रैमासिक रूपरेखा बनाने का प्रावधान है।

परन्तु यह पाया गया है कि सर्वेक्षण, निरीक्षण, अनुवीक्षण और नियंत्रण की प्रक्रिया के लिए विभाग ने ऐसी कोई पद्धति तैयार नहीं की हुई है।

4.8.11.2 शिकायत रजिस्टर का रखरखाव न करना

उद्यान विभाग द्वारा शिकायतों को दर्ज करने व निपटाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव नियमावली के पैरा 7.1 में इसका प्रावधान है।

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग द्वारा कोई शिकायत रजिस्टर नहीं बनाया हुआ है।

इस प्रकार शिकायतें प्राप्ति व निपटान के बारे में रखरखाव दस्तावेजों के न होने व सावधिक सर्वेक्षण तथा निरीक्षण आयोजित न करने से अनुवीक्षण पद्धति में कमी का संकेत मिलता है।

4.9. निष्कर्ष

उद्यान विभाग की कार्य-प्रणाली की समीक्षा से अनुबंध-प्रबन्ध, पेड़ों की छंटाई/सर्वेक्षण, विभागीय नर्सरियों में 1000 पौधों का उत्पादन। कच्चे पानी के बिलों का अनियमित व असंकलित भुगतान, के परिणाम स्वरूप ऐसे भुगतानों में प्राप्त छूट व जुर्माने के कारण परिहार्य व्यय संबंधी अनेक अनियमितताएँ पाई गई हैं। कच्चे पानी के बिलों का भुगतान रोकने व जुर्माने के कारण कुछ बिलों का भुगतान न होने की वजह से देनदारी बढ़कर 1.76 करोड़ रुपये हो गयी।

विभाग को ऐसे मामलों में समीक्षा करने की जरूरत तथा संयंत्र, मशीनरी क्रय में कानूनी प्रावधानों व निर्देशों के अनुपालन की जरूरत है ताकि इन लेखों में परिहार्य व्यय न हो। विभागीय नर्सरियों का विकास, पेड़ों की छंटाई/सर्वेक्षण, पानी के बिलों का सुचारू व समय पर भुगतान और वार्षिक अनुमानों का समय पर अनुमोदन के लिए उचित पद्धति बनाने की आवश्यकता है।

यह मामला विभाग को भेजा गया (जुलाई 2010); उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी (अक्टूबर 2010)।

खण्ड- 'ख'

संव्यवहार लेखापरीक्षा

लेखा विभाग

अध्याय- V : लेखा विभाग

5.1 उपकर प्रभारों के शेषों का मिलान न करना

न.दि.न.पा.परिषद् के लेखा विभाग सहित संबंधित डिविजनों द्वारा उपकर वसूलने व जमा करने से संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव किया जाता है । दस्तावेजों की जांच से पता चला कि संबंधित डिविजनों के दस्तावेज में दर्ज आंकडों व लेखा में दर्ज ऑकडों में अन्तर थे जिन को मिलान करने की जरूरतं है ताकि लेखे में ऑकड़ों से आश्वस्त हो सकें ।

भवन व अन्य निर्माण कर्मचारी (सेवा की शर्तें व रोजगार नियमन) अधिनियम,1996 के अन्तर्गत गठित अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्डों और निर्माण स्रोतों के संवर्धन की दृष्टि से नियोक्ता द्वारा कराये गये निर्माण की लागत पर उपकर लगाने व वसूल करने के लिए भवन व अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 में प्रावधान है।

उक्त अधिनियम की उपधारा 3 में इसके साथ-साथ यह की व्यवस्था है कि नियोक्ता द्वारा निर्माण व्यय लागत पर उपकर लगाया व वसूल किया जाएगा जो कि 2 प्रतिशत से अधिक व 1 प्रतिशत से कम न हो, जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर सरकारी राजपत्र में विनिर्दिष्ट करें । यह प्रत्येक नियोक्ता से ऐसे समय व इस प्रकार वसूल किया जाएगा जिसे सरकारी निर्माण या अन्य निर्माण कार्यो या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से अग्रिम संग्रहण की जाती है, जहां पर ऐसे भवन या निर्माण कार्य की अनुमति ऐसी स्थानीय प्राधिकरण से लेने की जरूरत पड़ती है, जैसा कि निर्धारित हो, वहां पर स्रोत पर वसूली की जाए । स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा उपकर की वसूली कर उसमें से इक्ट्ठा करने की लागत, कुल प्राप्त उपकर के एक प्रतिशत से अधिक नहीं, काटकर इक्ट्ठा की गई राशि का बोर्ड को भुगतान किया जाएगा ।

भुगतान प्राप्त होने तक उपकर एक देनदारी है । अन्य लेखा लेन-देन की तरह इसके लेखे का भी उचित रखरखाव किया जाए । इसके दस्तावेजों का संबंधित डिविजन, जो कि स्रोत पर उपकर की कटौती करके बोर्ड में जमा कराता है और न.दि.न.पा.परिषद् के लेखा विभाग के स्तर पर रखरखाव किया जाता है । न.दि.न.पा.परिषद् लेखे नियमावली के पैरा 30.1 और 30.2 में यह निर्धारित है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दस्तावेजों में कोई अनियमितता नहीं है, इसके लिए न.दि.न.पा.परिषद् द्वारा निश्चित अवधि के बाद नियमित रूप से संकलन प्रक्रिया

दोहराई जानी है । पुनः वसूलने योग्य उपकर और अन्य की संकलन प्रक्रिया नियमावली के पैरा 30.14 में दी गयी है।

न.दि.न.पा.परिषद् के लेखे की लेखा-परीक्षा से पता चला कि न.दि.न.पा.परिषद् के कुछ इकाइयों/प्रभागीय/विभागों पर उपकर का बकाया था । इसी प्रकार कुछ इकाईयों/डिविजनों/विभागों पर ऋणात्मक शेष थे । चूँकि उपकर की वसूली एक जिम्मेदारी है और इसकी राशि वसूलने के बाद एक निश्चित समय में जमा करानी होती है इसलिए न.दि.न.पा.परिषद् के लेखे में ऋणात्मक शेष नहीं रह सकता । दिनांक 31.03.2009 को 46 डिविजनों के रिकार्ड में बकाया शेष दिखाया गया था । जबकि ऋणात्मक शेष 11 डिविजनों ने दिखाया था । इन 57 डिविजनों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

क्र.स.	डिविजन का नाम	बकाया (रु. में)	
		(जमा) शेष	(घटा)शेष
1.	सी.सी.-II	53382	-
2.	सी.सी -V	165845	-
3.	सी.सी -VI	234919	-
4.	सी.बी.एम.-I	837193	-
5.	सी.बी.एम -II	637898	-
6.	सी.बी.एम -III	112893	-
7.	सी.आर-I	2244656	-
8.	सी.आर -III	534175	-
9.	सी.आर -IV	179671	-
10.	सी.आर -V	132657	-
11.	सीवर (परियोजना)	239613	-
12.	सीवर रखरखाव	115379	-
13.	सी.स्टोर	36309	-
14.	सी.डिजाइन	1148	-
15.	सी. जलापूर्ति	642634	-
16.	सी.एच.एम.पी.	13688	-
17.	सी.सी.प्लॉट	171446	-
18.	आटो एल.बी. नगर	9	-
19.	सी. बी.एम.-पी.के.	156627	-
20.	आटो आई.एन.ए.	38263	-
21.	सी.आर.आई.पी.	216043	-
22.	सी.सी.पी.(परियोजना)	14558	-
23.	एस.पी.एल. परियोजना	31949	-
24.	ई.सी.I	770284	-
25.	ई.सी. II	38387	-

26.	ई.सी. III	14109	-
27.	ई.सी.-IV	33514	-
28.	ई.सी.- V	64363	-
29.	ई. बी एम-I	82659	-
30.	ई. 11 के.वी.	8995	-
31.	ई. 33 के.वी.	3822	-
32.	ईडीएन	1117	-
33.	ईडीएस	10952	-
34.	ईएमएस	13435	
35.	ईएमएफ	1506958	-
36.	ई सुरक्षा	7512	-
37.	ई आर व डी	125716	-
38.	लेखा	43556	-
39.	सी पी एच	92997	-
40.	पालिका पार्किंग	17820	-
41.	सी एस ओ	951	-
42.	अग्नि शमन विभाग	678326	-
43.	प्रवर्तन	194	-
44.	वास्तुविद्	12693270	-
45.	शिक्षा	22969	-
46.	ए.ओ. बिलिंग	83334	-
47.	सी.सी.-I	-	216084
48.	सी.सी.-III	-	144021
49.	सी.आर.-II	-	4965
50.	डी.डी.एच-I	-	7955155
51.	डी.डी.-	-	12209812
52.	सी.. क्यू.सी.टी.ए.	-	5496
53.	ई.सी.-IV	-	873
54.	ई. बी.एम.-II	-	139618
55.	ई.एम.एन.	-	9835
56.	ई.आर.एल.	-	201854
57.	स्वास्थ्य	-	7267
	योग	**23126195**	**20894980**
	कुल बकाया शेष		**2231215**

ऋणात्मक शेष और लेखों में बड़ी बकाया राशियों के शेष रहने के बारे में कारण जानने के लिए डिविजनों के दस्तावेजों की जांच की गयी । 57 में से 10 डिविजनों की जांच से पता

चला कि संबंधित विभागों के बकाया शेषों और लेखों विभाग में दर्ज ऑकड़ों में अन्तर था, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	डिविजन का नाम	31.03.2009 को शेष (रु. में)	
		लेखों के अनुसार शेष	संबंधित विभाग में दर्ज शेष
1	सी-वाटर सपलाई	642634	253596
2	ई-सी-I	770284	770419
3	ई. एम.एन	(-)9835	5321
4	अग्नि	678326	46602
5	सी.सी.-I	(-)216084	407
6	सी.बी.एम.-II	637898	618222
7	सी.आर.- III	534175	50933
8	ई-सी- V	64363	55613
9	ई. बी.एम-1	82659	89782
10	ई डी.एन.	1117	1952

यह देखा गया है कि संबंधित डिविजन के रिकार्ड में और लेखा विभाग के ऑकड़ों में अन्तर थे । न.दि.न.पा.परिषद् लेखा नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन लेखा विभाग द्वारा नहीं किया गया जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित विभाग के और लेखा विभाग के ऑकड़ों में अन्तर आ जाने से न.दि.न.पा.परिषद् के ऊपर उपकरों की देनदारियों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका । लेखा विभाग में दर्ज किये गये ऑकड़ों को सुनिश्चित करने के लिए उपकर प्रभारों को संकलित किये जाने की जरूरत है ।

यह मामला विभाग को भेजा गया (अगस्त 2010) ; वहाँ से उत्तर की प्रतीक्षा थी (अक्टूबर 2010) ।

5.2 स्वीकार्य अवधि की समाप्ति के उपरांत बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन के भुगतान करने के कारण 5.19 लाख रुपये की राशि का अधिक भुगतान

पेंशन अनुभाग के दस्तावेजों से पता चला कि चार पेंशन धारियों के मामले स्वीकार्य अवधि के बाद जब तक कि बढ़ी पेंशन दरों का भुगतान देय था, पेंशन को सामान्य दर तक कम नहीं किया गया, इसके फलस्वरूप 31 मार्च, 2009 तक 5.19 लाख रुपये का आधिक्य भुगतान किया गया ।

केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 (3) के अनुसार किसी केन्द्रीय कर्मचारी का सात वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के बाद यदि देहान्त हो जाता है तो उसके परिवार को पेंशन की दी जाने वाली राशि अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत या पारिवारिक पेंशन का दुगना, जो भी कम हो, भुगतान किया जाएगा । उक्त स्वीकार्य राशि का सात वर्ष तक या दिवंगत कर्मचारी की 67 वर्ष की उम्र तक जो भी कम हो, भुगतान किया जाएगा । कार्मिक, सार्वजनिक सुनवाई और पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 2 सितम्बर,2008 के अनुसार नियम 54 (3) के अन्तगर्त सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर मृत्यु की तिथि से बिना किसी आयु सीमा के 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा । पेंशनर की मृत्यु होने पर बढ़ी पारिवारिक पेंशन के भुगतान करने में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

पेंशन अनुभाग के दस्तावेजों से पता चला कि चार पेंशन धारियों के मामले में स्वीकार्य अवधि के बाद जब तक कि बढ़ी पेंशन दरों का भुगतान देय था, पेंशन को सामान्य दर तक कम नहीं किया गया, जैसाकि अनुलग्नक XX पर दिया गया है । इसके फलस्परूप 31 मार्च 2009 तक 5.19 लाख रुपये का आधिक्य भुगतान किया गया ।

चूँकि ये मामले दस्तावेजों की जॉच से प्रकाश में आये हैं, और भी ऐसे मामले हो सकते हैं, जहॉ स्वीकार्य समय समाप्त होने के बाद भी बढ़ी पारिवारिक पेंशन दी जा रही होगी । ऐसे सारे मामलों की जॉच की जरूरत है और परिवारिक पेंशनरों को भुगतान की गयी फालतू राशि की वसूली की जाए ।

यह मामला विभाग को भेजा गया था (अगस्त 2010); उनके उत्तर को प्रतीक्षा थी (अक्टूबर 2010)

वास्तुविद् एवं पर्यावरण विभाग

अध्याय- VI : वास्तुविद् एवं पर्यावरण विभाग

6.1 पार्किंग विकास प्रभारों के संबंध में 11.49 लाख रुपये की अल्पवसूली

आवासीय परिसरों में गैर आवासीय गतिविधियों के लिये अनुमति प्रदान करने हेतु नियम एवं शर्तों में प्रावधान है कि भूमि पर निर्मित क्षेत्र की पार्किंग विकास लागत भूस्वामी द्वारा देय होगी । विभाग ने भूस्वामी से परिसर सं. 54, हनुमान रोड, नई दिल्ली के पार्किंग विकास प्रभार भू क्षेत्र के आधार पर वसूल किये न कि निर्मित क्षेत्र के आधार पर, जिसके परिणामस्वरूप 11.49 लाख रुपये की अल्प वसूली हुई।

दिल्ली भवन उप-नियम तथा विकास विनियम की शर्तों में नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, पैथोलोजी लैब तथा निदान केन्द्र इत्यादि जैसी सार्वजनिक एवं उप-सार्वजनिक गतिविधियों की प्रकृति जैसे गैर आवासी गतिविधियॉं आवासीय परिसरों में स्वीकार्य हैं ।

परिसर सं. 54, हनुमान रोड के संबंध में मिश्रित उपयोग प्रभारों के भुगतान से संबंधित रिकार्डों की जॉंच से ज्ञात होता है कि प्लॉट का क्षेत्र 495.77 वर्ग मीटर था, प्लॉट में निर्मित क्षेत्र 773.22 वर्ग मीटर था । इस प्रकार के मिश्रित उपयोग के नियम एवं शर्तों में प्रावधान है कि उसमें परिसर के भीतर प्रत्येक 100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र पर 2.0 कार के समान स्थान (ईसीएस)[1] की पार्किंग का प्रावधान हो । जहाँ पर यह उपलब्ध नहीं है, वहॉं पर पार्किंग विकास लागत प्रत्येक ईसीएस पर 210500 रुपये प्लॉट के आवंटी/भूस्वामी द्वारा विभाग को देय होगी । परिसर के भीतर पार्किंग हेतु उपलब्ध क्षेत्र मात्र 138 वर्ग मीटर था, जैसा कि निर्मित क्षेत्र 100 वर्ग मीटर पर 2.0 ईसीएस के अनुसार 15.46 ईसीएस[2] की आवश्यकता के स्थान पर 6 ईसीएस(138 वर्ग मीटर/23 वर्ग मीटर) । इस प्रकार संतुलन बनाये रखने के लिये भूस्वामी को पार्किंग विकास प्रभारों का भुगतान करने के लिये 9.46 ईसीएस, 210500 रुपये प्रति ईसीएस कुल 1991330 रुपये की देने आवश्यकता थी । यद्यपि निर्मित क्षेत्र 773.22 वर्ग मीटर (15.46-6.00=9.46) पर पार्किंग विकास प्रभारों के भुगतान की बजाए भूस्वामी ने भूमि क्षेत्र 495.77 वर्ग मीटर (10.00-6.00=4.00) के आधार पर भुगतान किया । भूस्वामी ने भूमि पर पहले से ही उपलब्ध 6 ईसीएस लेने के उपरांत 495.77 वर्ग मीटर (10 ईसीएस) पर केवल 4 ईसीएस हेतु कुल 842000 रुपये का भुगतान किया । इसके परिणामस्वरूप 11.49 लाख रुपये की अल्प-वसूली हुई ।

मामला विभाग को प्रेषित किया गया (सितम्बर 2010); उनका प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत् था (अक्तूबर 2010)।

---

[1] ईसीएस=23 वर्ग मीटर

[2] 773.22X2/100=15.46 ईसीएस

6.2 पार्किंग विकास प्रभारों के संबंध में 17.95 लाख रुपये की अल्पवसूली

आवासीय परिसरों में गैर आवासीय गतिविधियों के लिये अनुमति प्रदान करने हेतु नियम एवं शर्तों में प्रावधान है कि भूमि पर निर्मित क्षेत्र की पार्किंग विकास लागत भूस्वामी द्वारा देय होगी । विभाग ने परिसर सं. 13, आराधना एन्क्लेव, सैक्टर-13, आर.के. पुरम के भूस्वामी से पार्किंग विकास प्रभार भू क्षेत्र के आधार पर वसूल किये न कि निर्मित क्षेत्र के आधार पर, जिसके परिणामस्वरूप 17.95 लाख रुपये की अल्प वसूली हुई।

दिल्ली भवन उप-नियम तथा विकास विनियम की शर्तों में नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, पैथोलोजी लैब तथा निदान केन्द्र इत्यादि जैसी सार्वजनिक एवं उप-सार्वजनिक गतिविधियों की प्रकृति जैसे गैर आवासी गतिविधियाँ आवासीय परिसरों में स्वीकार्य हैं ।

परिसर सं. 13, आराधना एन्क्लेव, सैक्टर-13, आर.के. पुरम के संबंध में मिश्रित उपयोग प्रभारों के भुगतान से संबंधित रिकार्डों की जाँच से ज्ञात होता है कि प्लॉट का क्षेत्र 309.36 वर्ग मीटर था, प्लॉट में निर्मित क्षेत्र 736.44 वर्ग मीटर था । इस प्रकार के मिश्रित उपयोग के नियम एवं शर्तों में प्रावधान है कि उसमें परिसर के भीतर प्रत्येक 100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र पर 2.0 कार के समान स्थान (ईसीएस) की पार्किंग का प्रावधान हो । जहाँ पर यह उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर पार्किंग विकास लागत प्रत्येक ईसीएस पर 210500 रुपये प्लॉट के आवंटी/भूस्वामी द्वारा विभाग को देय होगी । अपेक्षित 14.72 ईसीएस[1] अर्थात् 100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के अनुसार 2.0 ईसीएस के स्थान पर परिसर में पार्किंग हेतु केवल 2 ईसीएस क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है । इस प्रकार संतुलन बनाये रखने के लिये भूस्वामी को पार्किंग विकास प्रभारों का भुगतान करने के लिये 12.72 ईसीएस, 210500 प्रति ईसीएस कुल 2677560 रुपये देने की आवश्यकता थी । यद्यपि निर्मित क्षेत्र 736.44 वर्ग मीटर (14.72-2.00=12.72) पर पार्किंग विकास प्रभारों के भुगतान की बजाए भूस्वामी ने भूमि क्षेत्र 309.36 वर्ग मीटर (6.19-2.00=4.19) के आधार पर भुगतान किया । भूस्वामी ने भूमि पर पहले से ही उपलब्ध 2 ईसीएस लेने के उपरांत 309.36 वर्ग मीटर (6.19 ईसीएस) पर केवल 4.19 ईसीएस हेतु कुल 881995 रुपये का भुगतान किया । इसके परिणामस्वरूप 17.95 लाख रुपये की अल्पवसूली हुई ।

मामला विभाग को प्रेषित किया गया था (सितम्बर 2010); उनका प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत् था (अक्तूबर 2010) ।

---

[1] 736.44X2/100=14.72 ईसीएस

सिविल

इंजीनियरिंग

विभाग

अध्याय: VII सिविल इंजीनियरिंग विभाग

7.1 परियोजना के निष्पादन में विलम्ब के कारण बढ़े हुए प्रभारों पर 102.74 लाख रुपये का परिहार्य व्यय ।

जुलाई 2007 में समापन की निर्धारित तिथि तय करने के साथ नई दिल्ली सिटी सेन्टर फेस-II के अग्नि-शमन, सफाई/नलसाजी, फिनिशिंग और शोधन कार्यो के लिए अप्रैल 2006 में ठेकेदार के साथ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने एक अनुबन्ध किया । यद्यपि अंतः संयोजन सेवाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण कार्य का समापन समय पर न हो सका । परिणामस्वरूप सामग्री, श्रमिक व ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण ठेकेदार को 102.74 रुपये लाख का तीव्रता प्रभार का भुगतान करना पड़ा ।

नई दिल्ली सिटी सेन्टर फेस-II के अग्नि-शमन, सफाई/नलसाजी, फिनिशिंग और शोधन कार्यो के लिए अप्रैल 2006 में 26.90 करोड़ रुपये की लागत पर ठेकेदार के साथ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने एक अनुबन्ध किया । परियोजना समापन की अवधि 15 मास अर्थात् जुलाई 2007 थी । अनुबंध की शर्तो के अनुसार, सामान का मूल्य (विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य पर दी गई सेवाओं अथवा आपूर्ति नहीं किया गया सामान) तथा /अथवा बढ़े हुए कार्य के निष्पादन हेतु अपेक्षित श्रमिकों की मजदूरी, ठेकेदार को इस शर्त पर कि मूल्यों की घट-बढ़ हेतु ऐसी क्षतिपूर्ति ठेके की निर्धारित अवधि के दौरान किये गये कार्य हेतु दी जायेगी जिसमें ठेकेदार के कारण नहीं, किन्तु विलम्ब के कारण अनुबन्ध की अवधि को बढ़ाया गया हो, ऐसी वृद्धि हेतु ठेकेदार को क्षतिपूर्ति दी जायेगी ।

कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुआ और बिना क्षतिपूर्ति उगाही के समय-समय पर ठेकेदार को अतिरिक्त समय दिया गया । इन अड़चनों के विस्तृत विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि विलम्ब के कारण विभिन्न श्रेणी के स्टोन कार्य, दूसरी सेवाओं जैसे अग्नि पहचान पद्धति का बहाल न होना, लिफ्ट वाल में पुश-बटन, शौचालय में वातानुकूलन डक्ट, विद्युत कार्य आदि रहे है जिन्हें विभिन्न एजेन्सियों को सौंपा गया था, विकास कार्यो व जलरोध में विलम्ब, लिफ्ट की लॉबी/सट्टे क्षेत्र के अनेक तलों की गोल सीढ़ियों के कनैक्शन स्लेब बिछाने में विलम्ब हुआ तथा लिफ्ट-शाफ्ट की बीच लाईन व चारदीवार को ऊपर उठाने के बारे में और पुनर्वास कार्यो पर अंतिम निर्णय न लिए जाने के कारण विलम्ब हुआ । अतः ठेकेदार को फरवरी 2008 तक समय दिया गया । संयोजन गतिविधियों जैसे डक्ट की स्थिति, इसके परिचालन, इरेक्शन व लिफ्टों के संचालन, बिजली की सामान्य फिटिंग खरीद व लगाने आदि के कारण ठेकेदार फरवरी 2008 तक कार्य पूर्ण न कर सका । विद्युत विभाग के नियंत्रण में इस कार्य को विभिन्न एजेंसियां कर रही थी । ठेकेदार का समय बढ़ाकर पुनः अगस्त 2008 और फिर दिसम्बर 2008 कर दिया गया ।

दस्तावेजों के निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि हर अवसर पर विलम्ब नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के द्वारा न्यायोचित किया गया और ठेकेदार से कोई क्षतिपूर्ति नहीं ली गयी । परिणामस्वरूप अगस्त 2007 से दिसम्बर 2008 के बीच नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने सामग्री, श्रमिक और ईंधन की राशि के लिए 102.74 लाख रुपये बढ़े हुए प्रभारों का भुगतान किया, जैसा कि अनुबन्ध में व्यवस्था थी ।

अगस्त 2009 में प्राप्त उत्तर में विभाग ने बताया कि सिविल कार्यो से सम्बन्धित विभिन्न मदों के बारे में निर्णय तभी लिया जाना था जब बिद्युत व अन्य विकास कार्य पूरे हो जाते जो ठेकेदार को सौंपे गये कार्य में सम्मिलित नहीं थे तथा अन्य ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे अंत: संयोजन कार्यों के कारण विलम्ब हुआ है ।

विभाग के उत्तर की समीक्षा इस दृष्टि से की गयी है कि 130 दिनों का विलम्ब विभिन्न श्रेणी के पत्थरों के कार्य के अनुमोदन में विलम्ब के कारण हुआ जो कि सिविल के कार्य की सीमा में था । पुन: जल-रोध व प्याजा स्तर पर विकास कार्यों के कारण 287 दिनों का जो विलम्ब हुआ, वह सिविल विभाग की देखरेख में ही था । पुन: यह अवलोकन किया गया कि विद्युत विभाग की ही एक एजेंसी के कारण लिफ्ट शाफ्टों की सेन्टर लाईनों को अंतिम रूप न देने के कारण 321 दिनों का विलम्ब हुआ । यद्यपि विद्युत विभाग के दस्तावेजों की जांच से ज्ञात हुआ कि सिविल कार्यों के कारण नई दिल्ली सिटी सेन्टर चरण- II में एलीवेटर लगाने हेतु अनुबन्ध अटका रहा ।

इस प्रकार कार्य की पूर्णता में हुई देरी से पता चलता है कि विद्युत विभाग और सिविल विभाग के मध्य समन्वय और अनुवीक्षण की कमी है इसके फलस्वरूप 102.74 लाख रुपये की राशि का परिहार्य व्यय हुआ ।

उक्त मामला विभाग को भेजा गया था (अगस्त 2010); परन्तु इनके उत्तर की प्रतीक्षा थी (अक्टूबर 2010)

7.2 कार्य आदेशों का विभक्तिकरण

दस्तावेजों की जांच से पता चला कि अधिशासी अभियंता (जलापूर्ति) ने उसी प्रकार/श्रेणी के कार्य उसी दिन या अल्प अवधि के बाद उसी फर्म को सौंपे थे । इस प्रकार विभाग ने कार्यो को अनेक हिस्सों में विभाजित कर उच्च समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने से बचता रहा ।

सामान्य वित्त नियम की धारा 148 के अनुसार कुल मांग की अनुमानित लागत के संदर्भ में उच्च प्राधिकारी की आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने से बचने के लिए सामान की मांग को छोटी मांग में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए । पुन: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा अपने पत्र क्र: वि. 2005/डीपी-II/35 दिनांक 31.01.2006 के द्वारा जारी वित्तीय अधिकारों के प्रत्यावर्तन के अनुसार

अधिशासी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता और इंजीनियर-इन-चीफ को क्रमश: 25000 रुपये, 50,000 रुपये, 1.00 लाख रुपये और 2.00 लाख रुपये तक के कार्य सौंपने/आपूर्ति आदेश देने का अधिकार है ।

अधिशासी अभियंता (जलापूर्ति) द्वारा सौंपे कार्यो के रिकार्ड की जांच से ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा एक जैसी प्रकृति के कार्यो को विभाजित कर उसी फर्म को बिना उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति के उसी दिन या थोड़े समय बाद ही सौंप दिया । कुछ कार्य आदेशों और उनके नाम/प्रकृति का विवरण निम्न प्रकार से है:-

सं. क्र.	कार्य आदेश सं./दिनांक	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्त्ता का नाम	कार्य की राशि (रु.)	के द्वारा कार्य आदेश का अनुमोदन	के द्वारा स्वीकृति की जरूरत
1.	12 दिनांक 29.04.08	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में बूस्टर पम्प सेट व ट्यूब वैल का रखरखाव/मरम्मत उपशीर्ष: लक्ष्मी बाई नगर में 5 हार्सपावर के सब-मासीर्बल पम्प की मरम्मत	फर्म ए	23516	अधिशासी अभियंता	समान प्रकृति के कार्य हेतु समेकित राशि 139133 रुपये के लिए इंजी-इन-चीफ से स्वीकृति ली जानी थी।
2.	13 दिनांक 29.04.08	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में बूस्टर पम्प सेट व ट्यूब वैल का रखरखाव/मरम्मत उपशीर्ष: अंसारी नगर में 3 हार्सपावर के सब-मासीर्बल पम्प सेट की मरम्मत	फर्म ए	13300	अधिशासी अभियंता	
3.	14 दिनांक 29.04.08	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में बूस्टर पम्प सेट व ट्यूब वैल की रखरखाव मरम्मत उपशीर्ष: मोती बाग में 60 हार्सपावर के सब-मासीर्बल पम्प सेट की मरम्मत	फर्म ए	27923	अधीक्षक अभियंता	
4.	15 दिनांक 01.05.08	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में बूस्टर पम्प सेट व ट्यूब वैल का रखरखाव/मरम्मत उपशीर्ष: लक्ष्मी बाई नगर वाटर बूस्टिंग स्टेशन में 50 हार्सपावर के सब-मासीर्बल पम्प सेट की मरम्मत	फर्म ए	49843	अधीक्षक अभियंता	
5.	16 दिनांक 01.05.08	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में बूस्टर पम्प व ट्यूब वैल का रखरखाव/मरम्मत	फर्म ए	24551	अधिशासी अभियंता	

		उपशीर्ष: वर्तमान एक हार्सपावर सबमर्सिबल पम्प सेट को बदलना				
6.	33 दिनांक 03.07.08	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में बूस्टर पम्प व ट्यूब वैल का रखरखाव/मरम्मत उपशीर्ष: मरम्मत 5 हार्सपावर सबमर्सिबल पम्प सेट की मरम्मत	फर्म ए	23858	अधिशासी अभियंता	समान प्रकृति के कार्य हेतु समेकित राशि 98549 रुपये के लिए मुख्य अभियंता से स्वीकृति ली जानी थी
7.	34 दिनांक 03.07.08	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में बूस्टर पम्प व ट्यूब वैल का मरम्मत/रखरखाव उपशीर्ष: 50 हार्सपावर पम्प सेट की मरम्मत	फर्म ए	49742	अधीक्षक अभियंता	
8.	35 दिनांक 03.07.08	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में बूस्टर पम्प व ट्यूब वैल का मरम्मत/रखरखाव उपशीर्ष: 100 हार्सपावर एफएसडी स्टेशन की मरम्मत	फर्म ए	24949	अधिशासी अभियंता	
9.	38 दिनांक 18.07.08	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में एफ डब्ल्यू.मेन्स का रखरखाव उपशीर्ष: सरोजनी नगर ए ब्लाक में जलापूर्ति का सुधार	फर्म बी	42878	अधीक्षक अभियंता	समान प्रकृति के कार्य हेतु समेकित राशि रुपये 85417 के लिए मुख्य अभियंता से स्वीकृति ली जानी थी
10.	39 दिनांक 18.07.08	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में एफ डब्ल्यू.मेन्स का रखरखाव उपशीर्ष: सरोजनी नगर बी ब्लाक में जलापूर्ति का सुधार	फर्म बी	42539	अधीक्षक अभियंता	
11.	40 दिनांक 24.07.08	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में एफ डब्ल्यू.मेन्स का रखरखाव उपशीर्ष: सार्वजनिक नलों की खरीद व लगाना	फर्म सी	41732	अधीक्षक अभियंता	समान प्रकृति के कार्य हेतु समेकित राशि 78907 रुपये के लिए मुख्य अभियंता से स्वीकृति ली जानी थी
12.	41 दिनांक 24.07.08	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में एफ डब्ल्यू.मेन्स का रखरखाव उपशीर्ष: सार्वजनिक नलों की खरीद व लगाना	फर्म डी	37175	अधीक्षक अभियंता	

13.	51 दिनांक 23.02.09	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में पेयजल मेन्स का रखरखाव उपशीर्ष: तिलक मार्ग को जाने वाले मुख्य लाईन के रिसाव की मरम्मत	फर्म डी	70941	अति.मुख्य अभियंता	समान किस्म के कार्य हेतु समेकित राशि 109624 रुपये के लिए इंजीनियर-इन-चीफ से स्वीकृति ली जानी थी
14.	52 दिनांक 23.02.09	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में पेयजल मेन्स का रखरखाव उपशीर्ष: रेलवे रोड को जाने वाले मुख्य लाईन के रिसाव की मरम्मत	फर्म डी	38683	अति.मुख्य अभियंता	

उक्त से यह देखा जा सकता है कि समान प्रकृति/प्रकार के कार्य को उसी दिन या थोड़े समय के बाद ही उसी ठेकेदार को सौंपा गया था । इस प्रकार कार्य को विभाजित कर विभाग उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने से बचता रहा । इन मामलों के नियमन की आवश्यकता है ।

उक्त मामलों के रिकार्डो की जाँच के दौरान नोटिस में आने के पश्चात्, समान मामलों के भी समीक्षा व नियमन भी जरूरत है ।

उक्त मामला विभाग को भेजा गया था (अगस्त 2010); उनके उत्तर की प्रतीक्षा (अक्टूबर 2010) तक थी ।

शिक्षा विभाग

अध्याय: VIII शिक्षा विभाग

8.1 बालवाड़ियों का संचालन

वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि हेतु समाज शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 15 बालवाड़ियों के कार्यकलापों से संबंधित रिकार्डों की जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि बच्चों को मूल आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं कराया गया था। विभाग बालवाड़ियों को उपलब्ध कराये जाने वाली मूल सुविधाएं तथा आधारभूल ढांचे की शर्तों पर यदि कोई दिशा निर्देशों को जारी किया गया, की प्रति उपलब्ध नहीं करा सका। वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि के दौरान 15 बालवाड़ियों में से 9 बालवाड़ियों में बच्चों का निष्पादन प्रर्वति थी। मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित रिकार्डों की जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूति किए गए भोजन की मात्रा तथा गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए बालवाड़ियों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया । मध्याह्न भोजन योजना वर्ष के दौरान कम से कम 200 दिनों के मानकों के विरूद्ध 200 से भी कम कार्य दिवसों में उपलब्ध कराया गया । चार बालवाड़ियों में शिक्षक वर्ग की भी कमी थी । केन्द्रों पर नियुक्त स्टाफ पर कोई प्रत्यक्ष प्रभावकारी पर्यवेक्षण/जांच नही की गई थी जैसाकि रिकार्ड में कोई पर्यवक्षेण रिपोर्ट नहीं पाई गई थी ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के समाज शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 15 बालवाड़ियाँ हैं जो कि वर्ष 1976 में गृह कल्याण केन्द्र, दिल्ली सरकार (तत्कालीन दिल्ली प्रशासन) से ली गई थी । समाज शिक्षा विभाग प्रवेश प्राप्त बच्चों को खिलौने तथा मध्याह्न भोजन इत्यादि उपलब्ध कराकर बालवाड़ियों को चला रहा है । 2 रुपये के प्रवेश शुल्क तथा 4 रुपये मासिक शुल्क लेकर क्षेत्र के आस-पास रहने वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाता है ।

इन बालवाड़ियों में मध्याह्न भोजन कार्यान्वयन व आधार भूत सुविधाओं की .पुष्टि करने के लिए लेखा परीक्षा विभाग ने 2005-06 से 2008-09 के दौरान के दस्तावेजों की जांच की। इस सम्बन्ध में निम्न टिप्पणियाँ दी गयी थी :-

1 बालवाड़ी में आधार भूत सुविधाएं व अपर्याप्त संरचना

समाज शिक्षा विभाग बालवाड़ियों को उपलब्ध कराए जाने वाली मूल सुविधाएं तथा आधारभूत ढांचे की शर्तों पर यदि कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए, की प्रति ऑडिट को उपलब्ध नहीं करा सका । इन दिशा-निर्देशों के उपलब्ध न होने के कारण, समाज शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही बालवाड़ियों में मूल आवश्यकताओं तथा सुविधाओं में चल रही कमी का पता नहीं चल सका। 13 बालवाड़ियों के नर्सरी टीचरों द्वारा लेखा परीक्षा को भेजी सूचना के अनुसार बच्चों को आधार भूत सुविधाएँ भी प्रदान नहीं की गयी थी ।

सात बालवाड़ियों[1] में सिलाई केन्द्र व बालवाड़ी एक कमरे में चल रहा है, जो कि बच्चों के लिए सुरक्षित व खतरा रहित नहीं है । आठ बालवाड़ियों[2] में बच्चों के बैठने के लिए कालीन/दरियां दी गयी जो कि पुरानी व खराब हालत में थी । ग्यारह बालवाड़ियों[3] में खेल व विकास सामग्री उपलब्ध नहीं थी । किसी आपत् स्थिति के लिए नौ बालवाड़ियों[4] में प्राथमिक उपचार किट तक उपलब्ध नहीं थी । सफाई, सुरक्षा और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए दो बालवाड़ियों[5] में सफाई कर्मचारी तक उपलब्ध नहीं थे ।

समाज शिक्षा विभाग को अपने अधीन संचालित सभी बालवाड़ियों को निरीक्षण करना चाहिए ताकि उनमें सफाई, सुरक्षा व स्वस्थ वातावरण, खतरा रहित, खेलने के लिए पर्याप्त स्थान, प्राथमिक उपचार किट, खेल तथा विकास सामान इत्यादि उपलब्ध कराया जा सके।

2 बालवाड़ियों में बच्चों की नकारात्मक प्रवृत्ति

वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि में समाज शिक्षा विभाग के नियंत्रण में संचालित बालवाड़ियों की जांच से ज्ञात हुआ कि 15 में से 9 बालवाड़ियों में बच्चों की नकारात्मक प्रवृत्ति थी इस अवधि के दौरान शेष छः बालवाडियों में परिवर्तनीय की प्रवृत्ति थी जो कि निम्न प्रकार से हैं:-

तलिका : 1

क्र. स.	बालीवाड़ी का नाम	बच्चों की संख्या			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	डीआईजैड क्षेत्र	576	397	387	352
2.	85,ब्लाक गोल मार्किट	264	216	188	144
3.	राजा बाजार	332	258	248	215
4.	सॉगली मेस	541	507	429	405
5.	पी.आर.लेन,खान मार्किट	362	367	282	283
6.	डी ब्लॉक किदवई नगर	809	775	763	699
7.	27, किदवई नगर	261	253	263	272
8.	बाबू मार्किट, पिंलजी गांव	376	201	189	164
9.	बी.सी.पार्क	638	537	346	345
10.	नेताजी नगर	676	695	657	655
11.	लक्ष्मी बाई नगर	185	196	160	164

1 36 अलीगंज, 37 अलीगंज, बीसी पार्क सरोजनी नगर, राजा बाजार, मोती बाग, डी ब्लाक किदवई नगर, 85 ब्लाक पंचकुइयॉं रोड

2 36 अलीगंज, 37 अलीगंज, सरोजनी नगर, राजा बाजार, सॉगली मेस, मोती बाग, खान मार्किट और 85 ब्लाक पंचकुइयॉं रोड

3 लक्ष्मी बाई नगर, 36 अलीगंज, 37 अलीगंज, डीजी ब्लाक सरोजनी नगर, बीसी पार्क सरोजनी नगर, राजा बाजार, सॉगली मेस, नेताजी नगर, डी ब्लाक किदवई नगर, खान मार्किट और 85 ब्लाक पंचकुइयॉं रोड

4 लक्ष्मी बाई नगर, 36 अलीगंज, 37 अलीगंज, डीजी ब्लाक सरोजनी नगर, बीसी पार्क सरोजनी नगर, मोती बाग, किदवई नगर, खान मार्किट और पंचकुइयॉं रोड

5 नेताजी नगर, डी ब्लाक किदवई नगर

12.	मोती बाग	360	496	475	457
13.	36,अलीगंज	244	242	232	211
14.	37,अलीगंज	245	243	232	209
15.	डीजी ब्लाक	314	289	351	289
	योग	**6183**	**5672**	**5202**	**4864**

इन बालवाड़ियों द्वारा प्रवेश शुल्क व मासिक फीस के रूप में भी जाने वाली राशि भी 2005-06 में 30500 रुपये से घटकर 2008-09 में 23793 रुपये हो गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

तलिका : 2

क्र. सं.	बालीवाड़ी का नाम	राजस्व की प्राप्ति (रु. में)			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	डीआईजैड क्षेत्र	2922	1982	1852	1822
2.	85,ब्लाक गोल मार्किट	1342	1054	948	708
3.	राजा बाजार	1228	952	1344	1082
4.	बाबू मार्किट, पिंलजी गांव	2038	1022	944	790
5.	सॉगली मेस	2692	2450	2036	1964
6 .	नेताजी नगर	3146	3316	3076	3038
7.	खान मार्किट	1812	1768	1508	1493
8.	डी ब्लाक किदवई नगर	4184	3960	3712	3480
9.	मोती बाग	1714	2224	2172	2092
10.	36,अलीगंज	1174	1194	1142	1004
11.	37,अलीगंज	1188	1184	1140	994
12.	27,किदवई नगर	1410	1312	1346	1326
13.	डीजी ब्लाक,सरोजनी नगर	1678	1404	1726	1468
14.	बी.सी.पार्क,सरोजनी नगर	3064	2584	1716	1676
15.	लक्ष्मी बाई नगर	908	938	786	856
	योग	**30500**	**27344**	**25448**	**23793**

उक्त से देखा जा सकता है कि बच्चों की संख्या व शुल्क की दृष्टि से बालवाड़ियों का निष्पादन हर वर्ष गिर रहा है । इसका एक प्रमुख कारण आधार भूत सुविधाओं और संरचना की कमी है । यहाँ पर सफाई, स्वस्थ वातावरण, खेलने हेतु अपर्याप्त स्थान व विकास सामग्री आदि की सुविधाओं की कमी है, जिससे अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ भेजने से बचते हैं ।

इन बालवाड़ियों के संचालन के लिए विभाग सुधार के आवश्यक कदम उठायें ।

3 बालवाड़ियों में मध्यान्ह भोजन योजना

शिक्षा विभाग, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा जुलाई 2009 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् सहायता प्राप्त स्कूलों की पद्धति पर समाज शिक्षा विभाग, नई दिल्ली

नगरपालिका परिषद् द्वारा संचालित बालवाड़ियों में मध्यान्ह भोजन परोसा जाता है । किसी एक दिन छात्रों की संख्या के आधार पर मध्यान्ह भोजन तैयार किया जाता है तथा मध्यान्ह भोजन रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि की जाती है । मध्यान्ह भोजन योजना की जांच से निम्न बाते सामने आयी है :

(क) मध्यान्ह भोजन योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएं/कमी

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत समाज शिक्षा विभाग नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अधीन चलने वाली विभिन्न बालवाड़ियों को मध्यान्ह भोजन आपूर्ति करने का कार्य नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने विभिन्न आपूर्तिकत्ताओं/गैर सरकारी संगठनों को सौंपा है । बालवाडियों में मध्यान्ह भोजन योजना के कार्यान्वयन में निम्न अनियमितताएं/कमियां सामने आयी हैं:-

(i) दिशा-निर्देशों के पैरा 2.2 के अनुसार, अनियमितता को कम करने के लिए और उचित अनुवीक्षण व जवाबदेही हेतु योजना कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के लिए संबंधित उप शिक्षा अधिकारी व विद्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे, सहायक शिक्षा अधिकारी (मध्यान्ह भोजन योजना) द्वारा समस्त अनुवीक्षण व पर्यवेक्षण किया जाएगा । जोनल इंचार्ज/स.शि.अ. को अपने जोन की बालवाड़ियों में मध्यान्ह भोजन योजना का निरीक्षण करना चाहिए था । परन्तु 12 बालवाड़ियों[6] से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि में 8 बालवाड़ियों[7] में निरीक्षण नहीं किया गया था, वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि में 3 बालवाड़ियों[8] में और वर्ष 2007-08 से 2008-09 तक 1 बालवाड़ी[9] में निरीक्षण नहीं किया गया था ।

(ii) दिशा-निर्देशों के पैरा 4.1 के अनुसार, स्वास्थ्य व चिकित्साधिकारी द्वारा नामित डायटिशियन/स्वास्थ्य अधिकारी को मध्यान्ह भोजन योजना के लिए प्राप्त होने वाले तैयार भोजन की कोटि/श्रेणी की समय-समय पर जांच करनी चाहिए और विद्यार्थियों पर उसका खराब प्रभाव दिखने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तुरन्त राहत के कदम उठाने चाहिए।

बालवाड़ी में ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चले कि योजना का यह महत्वपूर्ण पक्ष कार्न्यान्वित किया गया था । बालवाड़ियों द्वारा रखे गये मध्याह्न भोजन रजिस्टर में भी सूचना उपलब्ध नहीं थी । पौष्टिक,स्वच्छ व संतुलित भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देशों में दिए गये सुधार के उपाय अपनाए जाने चाहिए ।

(iii) आदेशानुसार, मध्यान्ह भोजन वर्ष में कम से कम 200 दिन दिया जाना चाहिए । परन्तु जांच से पता चला कि सभी बालवाड़ियों में 200 दिन से कम दिन भोजन निम्न प्रकार उपलब्ध कराया गया :-

---

6 बीसी पार्क सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, 36 अलीगंज, 37 अलीगंज, राजा बाजार, लक्ष्मीबाई नगर, मोती बाग, पृथ्वीराज लेन खान मार्किट, 85 ब्लॉक पंचकुइयॉं रोड, डीजी ब्लॉक, डी-ब्लॉक किदवई नगर, 27 किदवई नगर

7 बीसी पार्क सरोजनी नगर, नेताजी नगर, 36 अलीगंज, 37 अलीगंज, लक्ष्मीबाई नगर, मोती बाग, पृथ्वीराज लेन खान मार्किट, 27 किदवई नगर

8 85 ब्लॉक पचकुइयॉं रोड, डी.जी. ब्लॉक, डी-ब्लॉक किदवई नगर

9 राजा बाजार

तालिका : 3

क्र. स.	बालवाड़ी का नाम	दिनों की संख्या जिसके लिए नियमों के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाए	दिनों की सं. जिसके लिए वर्ष के दौरान भोजन उपलब्ध कराया गया			
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
01.	डीआईजेड क्षेत्र	200	168	-	96	190
02.	राजा बाजार	200	154	108	120	147
03.	85, ब्लॉक गोल मार्किट	200	150	104	121	177
04.	बाबू मार्किट	200	176	130	72	145
05.	सांगली मैंस	200	159	102	182	181
06.	नेताजी नगर	200	148	112	72	149
07.	मोती बाग	200	178	125	98	146
08.	डी ब्लॉक, किदवई नगर	200	179	103	158	141
09.	खान मार्किट	200	09	110	75	107
10.	36, अलीगंज	200	191	121	188	113
11.	37,अलीगंज	200	191	121	188	113
12.	27, किदवई नगर	200	180	104	191	184
13.	डीजी ब्लॉक, सरोजनी नगर	200	168	159	15	141
14.	बीसी पार्क, सरोजनी नगर	200	160	125	71	121
15.	लक्ष्मी बाई नगर	200	178	117	72	88
	योग	**3000**	**2389**	**1641**	**1719**	**2143**

इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बालवाड़ियों में मध्याह्न भोजन योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए कदम उठायें जाएँ ।

(ख) मध्याह्न भोजन आपूर्तिकर्ता को 18566 रुपये का अधिक भुगतान

वर्ष 2005-06 से 2008-09 हेतु बालवाड़ियों के मध्याह्न भोजन रिकार्डो की जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि आपूर्तिकर्ता को 18566 रुपये का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

तालिका : 4

क्र.स.	बालवाड़ी का नाम	वितरण भोजन की यूनिट	2.50 रु. प्रति यूनिट की दर से किया गया भुगतान (रु.)	वास्तविक रुप से किया गया भुगतान (रु.)	अधिक भुगतान (रु.)
		2005-06			
1.	(i)सांगली मैस (ii)पी.आर. लेन, खान मार्केट	6405 279	16012.50 697.50	27571	10861
		योग	**16710.00**	**27571**	**10861**
		2006-07			
2.	(i) 85, ब्लॉक (ii) राजा बाजार (iii) मोती बाग	1737 2410 4889	4342.50 6025.00 12222.50	30295	7705
		योग	**22590.00**	**30295**	**7705**
		कुल योग	**39300.00**	**57866**	**18566**

(ग) मध्याह्न भोजन की अनियमित आपूर्ति

मध्याह्न भोजन के अनुबन्ध के क्लाज 11 के अनुसार भोजन की आपूर्ति निर्धारित समय तथा दिन में की जाएगी तथा विलम्ब से आपूर्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा । आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी बालवाड़ी को तैयार भोजन की आपूर्ति में असफल होने पर प्राधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वह मार्किट से किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति करने का विकल्प होगा तथा उक्त की लागत को मूल आपूर्तिकर्ता के बिलों से काटा जाएगा ।

वर्ष 2005-06 से 2008-09 हेतु बालवाड़ियों के मध्याह्न भोजन के रिकार्डो की जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि आपूर्तिकर्ता ने अनुबन्ध के अनुसार निम्नलिखित बालवाड़ियों में भोजन की आपूर्ति नहीं की:-

तालिका : 5

क्र.स.	आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबन्ध अवधि	बालवाड़ियों का नाम	आपूर्ति न किए गए भोजन की अवधि (एक मास से अधिक)
2005-06			
1.	14-07-05 से 31-03-06	नेताजी नगर	14-07-05 से 23-08-05
2006-07			
2.	09-10-06 से 31-03-07	डीआईजेड	09-10-06 से 31-03-07

2007-08			
3.	01-07-07 से 30-04-08	(i) डी-ब्लॉक, किदवई नगर	01-10-07 से 30-11-07
		(ii) बाबू मार्किट	01-07-07 से 20-11-07
		(iii) लक्ष्मी बाई नगर	01-07-07 से 20-11-07
		(iv) नेताजी नगर	01-07-07 से 20-11-07
		(v) मोती बाग	05-07-07 से 18-11-07
		(vi) खान मार्किट	01-07-07 से 19-11-07
		(vii) डी.जी.ब्लॉक,सरोजनी नगर	01-07-07 से 26-02-08
		(viii) बी.सी.पार्क, सरोजनी नगर	01-07-07 से 20-11-07
2008-09			
4.	01-07-08 से 31-03-09	(i) राजा बाजार	14-11-08 से 16-01-09
		(ii) 36, अलीगंज	01-07-08 से 25-08-08
		(iii) 37, अलीगंज	01-07-08 से 25-08-08
		(iv) डी ब्लॉक, किदवई नगर	05-08-08 से 26-09-08
		(v) बाबू मार्किट	01-07-08 से 01-09-08
		(vi) लक्ष्मी बाई नगर	01-07-08 से 25-08-08
			01-09-08 से 25-11-08
		(vii) नेताजी नगर	01-07-08 से 25-08-08
		(viii) मोती बाग	01-07-08 से 25-08-08
		(ix) खान मार्किट	01-07-08 से 14-09-08
		(x)डीजी ब्लॉक,सरोजनी नगर	01-07-08 से 12-08-08
		(xi) बीसी पार्क, सरोजनी नगर	01-07-08 से 25-08-08

आपूर्तिकर्ता द्वारा उक्त अवधि में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति न करने के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे । रिकार्डो में भी यह इंगित नहीं किया गया कि इन दिनों में क्या भोजन मार्किट से उपलब्ध कराया गया था और यदि ऐसा है तो क्या अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार मूल ठेकेदार के बिलों से मार्किट से खरीदे भोजन की लागत की कटौती की गई थी ।

4 शिक्षक वर्ग का अनुचित उपयोग

नियमों के अनुसार प्रत्येक 25 विद्यार्थियों के लिए नर्सरी अध्यापक का एक पद स्वीकृत है । यह पाया गया कि बालवाड़ियों में इस नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

तालिका: 6

क्र.सं.	बालवाड़ी का नाम	विद्यार्थियों की संख्या	नियुक्त किए जाने वाले अपेक्षित अध्यापकों की संख्या	वास्तविक रूप से नियुक्त अध्यापकों की संख्या
2006-07				
1.	मोती बाग	56	03	01
2007-08				
2.	नेताजी नगर	68	03	02

2008-09				
3.	राजा बाजार	23	01	02
4.	लक्ष्मी बाई नगर	19	01	02
5.	नेताजी नगर	63	03	02
6.	डी किदवई नगर	74	03	02

बालवाड़ियों में ऊपर वर्णित क्र.सं. 1,2,5 तथा 6 में शिक्षक वर्ग की कमी तथा क्र.सं. 3 एवं 4 में अतिरिक्त अध्यापकों के लिए कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

5 भण्डार मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं

सामान्य वित्त नियमों के नियम 192 के अनुसार, उपभोज्य सामानों/पदार्थों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार होना चाहिए और यदि कोई अनियमितता हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्रवाई के लिए भण्डार रजिस्टर में रिकार्ड होना चाहिए । निष्कार्य के साथ सत्यापन प्रमाण पत्र भण्डार रजिस्टर में रिकार्ड किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की सभी बालवाड़ियों के भण्डार रजिस्टरों की जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि के दौरान भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

6 प्रभावकारी पर्यवेक्षण का अभाव

समाज शिक्षा विभाग द्वारा पॉंच क्षेत्रीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो उनके अधीन विभिन्न बालवाड़ियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करें । तथापि यह पाया गया कि केन्द्रों पर नियुक्त स्टाफ (कर्मचारी गण) पर कोई प्रत्यक्ष प्रभावकारी पर्यवेक्षण जांच नहीं हुई थी जैसेकि रिकार्ड में कोई निरीक्षण जाँच नहीं पाई गई। निरीक्षण की आवधिक का विवरण भी नोट नहीं किया गया था। पुन: यह पाया गया कि शिक्षा विभाग से काई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था जोकि मूल सुविधाओं, आधार भूत संरचना तथा मध्याह्न भोजन इत्यादि से संबंधित कमियों को बताये तथा समय समय पर बालवाड़ियों के कार्यों का निरीक्षण करें ।

मामला विभाग को भेजा गया था(अगस्त 2010); उनका प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत था (अक्टूबर 2010)।

प्रवर्तन विभाग

अध्याय-IX प्रवर्तन विभाग

9.1 वाणिज्यिक इकाईयों के विभिन्न लाईसेंसधारियों के आवंटियों से लाईसेंस शुल्क के बकायों की वसूली नहीं होना

प्रवर्तन विभाग के रिकार्डो की जॉच से यह ज्ञात होता है कि वाणिज्यिक इकाइयों के लाईसेंसियों की ओर से 31 मार्च 2009 तक 77.83 लाख रुपये की राशि के लाईसेंस शुल्क बकाया थे, जिससे यह प्रतीत होता है कि वसूलियों पर प्रभावी रूप से निरीक्षण नहीं किया गया तथा दोषी लाईसेंसियों के विरूद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई थी ।

न.दि.न.पा.परिषद् अधिनियम की धारा 363 में प्रावधान है कि परिषद् को किसी प्रभार, लागत, व्यय, शुल्क दरो या किराए या इस अधिनियम या ऐसे किसी उपनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति से अन्य लेखे में देय राशि को इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है । बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत किसी राशि की वसूली की कार्यवाही देय तिथि से तीन वर्षो की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रारम्भ न की गई हो ।

परिषद् का प्रवर्तन विभाग तहबाजारी, टैक्सी स्टैण्डों, स्टालों, पी.सी.ओ. बूथों तथा स्टालों को लाईसेंस प्रदान करता है । विभाग इन इकाइयों के लाइसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क की वसूली के लिए भी उत्तरदायी है । इन इकाईयों के मॉग एवं संग्रहण रजिस्टरों की जॉच से ज्ञात होता है कि इन इकाईयों की ओर से दिनांक 31.03.2009 तक 77.83 लाख रुपये का लाईसेंस शुल्क निम्न विवरणानुसार बकाया हैं:-

क्र.सं.	इकाई का नाम	दोषियों की संख्या	राशि (रु. लाख में)	दोषियों की संख्या	राशि (रु. लाख में)
		31 मार्च 2008 तक		31 मार्च 2009 तक	
1.	टैक्सी बूथ	32	21.29	43	18.97
2.	पी.सी.ओ.बूथ	04	0.38	11	0.58
3.	स्टाल (थरेजा समिति द्वारा सत्यापित)	443	32.57	329	20.37
4.	तहबाजारी (दक्षिण)	19	1.37	32	02.69
5.	तहबाजारी (उत्तर)	62	4.55	93	06.11
6.	थड़ा (मोची, साईकल मरम्मत)	-	-	44	15.99
7.	स्टॉल	-	-	50	13.12
	कुल	**560**	**60.16**	**602**	**77.83**

मार्च 2000, मार्च 2001, मार्च 2003, मार्च 2005, मार्च 2007 और मार्च 2008 को समाप्त वर्ष की प्रत्येक आडिट रिपोर्ट में इंगित किया गया था कि विभाग द्वारा आवंटियों से लाईसेंस शुल्क की वसूली हेतु पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई । लाईसेंस शुल्क का बकाया मार्च 2008 में 60.16 लाख रुपये (560 दोषियों) से बढ़कर मार्च 2009 में 77.83 लाख रुपये (602 दोषियो) हो गया ।

तहबाजारी, टैक्सी बूथ, विभिन्न थड़ों, स्टालों और पी.सी.ओ. बूथों की ओर बकाया की जॉच से निम्नलिखित की जानकारी प्राप्त हुई:-

(i) टैक्सी बूथ

टैक्सी बूथों के लाईसेंसधारियों की ओर 31.3.09 को बकाया की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आया है । इन इकाइयों की ओर मार्च 2008 में बकाया 21.29 लाख रुपये से कम होकर मार्च 2009 में 18.97 लाख रुपये हो गया है । प्रत्येक लाईसेंसधारी की ओर 10 रुपये से 296013 रुपये तक बकाया थे ।

(ii) पी.सी.ओ.बूथ

इन इकाइयों की ओर मार्च 2008 में 4 दोषियों की ओर 0.38 लाख रुपये से बकाया बढ़कर मार्च 2009 में 11 दोषियों की ओर 0.58 लाख रुपये हो गया । प्रत्येक लाईसेंसधारी की ओर 70 रुपये से 41517 रुपये तक बकाया थे ।

(iii) स्टाल(थरेजा समिति द्वारा सत्यापित)

इन इकाइयों की ओर मार्च 2008 में 443 दोषियों की ओर 32.57 लाख रुपये का बकाया कम होकर मार्च 2009 में 329 दोषियों की ओर 20.37 लाख रुपये रह गया ।. प्रत्येक लाईसेंसधारी की ओर 10 रुपये से 54562 रुपये तक बकाया थे ।

(iv) तहबाजारी (दक्षिण)

इन लाईसेंसधारियों की ओर मार्च 2008 में 19 दोषियों की ओर 1.37 लाख रुपये से बढ़कर मार्च 2009 में 32 दोषियों की ओर 2.69 लाख रुपये बकाया हो गया । प्रत्येक लाईसेंसधारी की ओर 110 रुपये से 32244 रुपये तक बकाया थे ।

(v) तहबाजारी (उत्तर)

इन लाईसेंसधारियों की ओर मार्च 2008 में 62 दोषियों की ओर बकाया 4.55 लाख रुपये से बढ़कर मार्च 2009 में 93 दोषियों की ओर 6.11 लाख रुपये हो गया । इन लाईसेंसधारियों की ओर 124 रुपये से 81940 रुपये तक बकाया थे।

(vi) विभिन्न थड़े (मोची एवं साइकिल मरम्मत के थड़े)

इन थड़ों के लाईसेंसधारियों की ओर 31.3.2009 को 44 दोषियों की ओर 15.99 लाख रुपये बकाया थे । प्रत्येक लाईसेंसधारी की ओर 797 रुपये से 82595 रुपये तक बकाया थे।

(vii) स्टाल

स्टालों के लाईसेंसधारियों की ओर 31.3.2009 को 50 दोषियों की ओर 13.12 लाख रुपये बकाया थे । प्रत्येक लाईसेंसधारी की ओर 264 रुपये से 144962 रुपये तक बकाया थे ।

उपरोक्त बतायी गई बकायों की स्थिति इंगित करती है कि विभिन्न वाणिज्यिक इकाईयों के लाईसेंसधारियों से लाईसेंस शुल्क की वसूली का दक्षता से अनुवीक्षण नहीं किया गया था और दोषी लाईसेंसधारियों के विरूद्ध नियमाधीन कार्यवाही नहीं की गई थी । यह भी अवलोकन किया गया कि माँग एवं संग्रहण रजिस्टर का रखरखाव उचित ढ़ंग से नहीं किया गया तथा इसमें पूर्ण जानकारी अभिलेखित नहीं की गई थी । जिस तिथि से बकाया राशि देय थी, उसे रजिस्टर में रिकार्ड नहीं किया गया था । काफी मामलों में रजिस्टरों में अद्यतन प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी । बकाया पर देय ब्याज की भी अद्यतन गणना नहीं की गई थी और काफी संख्या में ऐसे मामलों में अभिलेखित नहीं किया गया था।

मामला विभाग को (अगस्त 2010) भेजा गया था । विभाग ने कहा है (सितम्बर 2010) कि माँग एवं संग्रहण रजिस्टर पिछली अवधि के अद्यतन नहीं किये गये थे । कुछ मामलों में दोषियों ने अपनी देय राशि का भुगतान कर दिया है परन्तु रजिस्टर अद्यतन न होने के कारण वसूल की गई बकाया राशि की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती । यह भी कहा गया है कि रिकार्ड को अद्यतन करने के पश्चात् दोषियों को मासिक नोटिस भेजा जाएगा ।

अतः विभाग को बकायों की वसूली का अनुवीक्षण करने के लिए रिकार्ड को तत्काल अद्यतन करना होगा ।

9.2 रेड वैनों एवं क्रेनों को किराये पर लेने के लिए निविदा प्रक्रिया में त्रुटियाँ

विभाग ने रेडवैनों तथा क्रेनों के लिए 15.00 लाख रुपये प्रत्येक का स्वीकृत व्यय तथा प्रशासनिक अनुमोदन के विरूद्ध रेड वैनों तथा क्रेनों को किराए पर लेने हेतु 37.22 लाख रुपये का खर्चा किया । 7.22 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय हेतु संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी ।

रेडवैनों एवं क्रेनों को किराये पर लेने से संबंधित रिकार्ड की जाँच के दौरान यह पाया गया कि रेड वैनों (4 नम्बर) एवं क्रेनों (5 नम्बर) को किराये पर लेने के लिए 15 लाख रुपये प्रत्येक का

प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गई थी । लेकिन राशि की गणना का आधार, जिस पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया, को आडिट को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से सुनिश्चित नहीं किया जा सका । इसके अतिरिक्त आडिट को प्रस्तुत किये गये रिकार्ड में प्रारंभिक/विस्तृत अनुमान और प्रारूप निविदा आमंत्रण अधिसूचना के प्रारूप उपलब्ध नहीं थे । यह भी पाया गया कि 4 रेड वैनों एवं 5 क्रेनों को किराये पर लेने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त की गई थी परन्तु रिकार्ड में केवल क्रेनों को किराये पर लेने की स्वीकृति उपलब्ध थी । यह स्पष्ट नहीं था कि क्या रेडवैन किराये पर ली गई थी या नहीं । यह भी अवलोकन किया गया कि सक्षम प्राधिकारी से 15 लाख रुपये की राशि की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त की गई थी जबकि ठेकदार को 21.57 लाख रुपये का भुगतान किया गया जो कि प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति से 43.80 प्रतिशत अधिक था ।

केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग कार्य नियमावली की धारा 2.3.5 के अनुसार, प्रशासनिक अनुमोदन से 10 प्रतिशत अधिक व्यय स्वीकार्य है । यदि यह इस सीमा से लागत बढ़ जाती है तो इसे सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी जो बढ़े हुए व्यय को स्वीकृत करने के लिए सक्षम है । परन्तु इस मामले में लागत 43.80 प्रतिशत बढ़ गई परन्तु आडिट को दिया गये रिकार्ड में कोई संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति उपलब्ध नहीं थी ।

मामला विभाग को (अगस्त 2010) में भेजा गया था। विभाग ने अपने उत्तर (सितम्बर 2010) में कहा है कि सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक रेड वैन एवं क्रेन के 15 लाख रुपये प्रत्येक की राशि पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् रेड वैनों एवं क्रेनों को किराये पर लेने के लिए निविदायें आमत्रित की गई थी परन्तु कोई प्रारंभिक अनुमान एवं विवरण तैयार नहीं किया गया था । यह भी कहा गया कि रेड वैनों एवं क्रेनों को किराये पर लेने पर 37.22 लाख रुपये का वास्तविक व्यय किया गया ।

अत: यह स्पष्ट है कि वैनों एवं क्रेनो को किराये पर लेने पर 7.22 लाख रुपये अर्थात 24.00 प्रतिशत का व्यय प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति से अधिक था । इस प्रकार विभाग को के.लो.नि.वि. कार्य नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी।

9.3 रिकार्डो का अनुपयुक्त रखरखाव

0.61 करोड़ रुपये की दावा रहित प्रतिभूति जमा राशि, तीन से अधिक वर्ष की अवधि की समयसीमा बीत जाने के बाद भी समयसीमा समाप्त जमा राशि स्थानान्तरित नहीं किया गया। मॉग तथा संग्रहण रजिस्टर, जोकि लाईसेंस शुल्क की प्राप्ति के निरीक्षण हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, को उचित रूप से रखरखाव नहीं किया गया था।

(क) प्रतिभूति जमा रजिस्टर में विसंगतियाँ

के.लो.नि.वि. नियमावली भाग-2 के पैरा 21.4 एवं के.लो.नि.वि.लेखा संहिता के नियम 15.4.1 के अनुसार प्रतिभूति जमा जिसका दावा ठेकदार 3 वर्षों से अधिक तक नहीं करता तो उसे सरकारी खाते में समय सीमा समाप्त जमा के रूप में करवा दिया जाए और उसे विभाग के राजस्व के रूप में लेखांकित किया जाए ।

प्रतिभूति जमा रजिस्टर की जाँच से ज्ञात हुआ है कि 31.3.2009 को पिछले तीन वर्षों से अधिक की अवधि की 2.00 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिभूति जमा की राशि बिना किसी दावे के पड़ी हुई है । परन्तु विभाग द्वारा समयसीमा की अवधि बीत जाने के बाद भी जमा राशि की कोई सूची तैयार नहीं की है और राशि को न.दि.न.पा.परिषद् के राजस्व के रूप में स्थानान्तरित नहीं किया गया ।

आडिट द्वारा (अगस्त 2010) इंगित करने पर, विभाग ने अपने उत्तर सितम्बर 2010 में कहा है कि 1.39 करोड़ रुपये की बिना किसी दावे वाली प्रतिभूति जमा राशि का स्थानान्तरण समयसीमा समाप्त जमा राशि में किया जा चुका है।

अत: विभाग को शेष राशि 0.61 करोड़ रुपये का स्थानान्तरण समयसीमा समाप्त जमा राशि में करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही करनी चाहिए।

(ख) माँग एवं संग्रहण रजिस्टरों में त्रुटियाँ

विभिन्न वाणिज्यिक इकाईयों के माँग एवं संग्रहण रजिस्टरों की जाँच से ज्ञात होता है कि रजिस्टरों का रखरखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था और रजिस्टर जीर्ण-शीर्ण दशा में पाये गये थे । अनेक मामलों में परिसर का नाम, कालोनी, क्षेत्र और आवंटन का प्राधिकृत पत्र रजिस्टर में नोट नहीं किया हुआ था और जनवरी 2010 तक बकाया राशि एवं विलम्ब भुगतान पर शुल्क/जुर्माने की गणना नहीं की गई थी, जोकि 31.3.2009 तक कर ली जानी चाहिए थी । अनेक मामलों में लाइसेंसधारी की ओर बकाया लाइसेंस शुल्क और लाईसेंस शुल्क की प्राप्ति इंगित नहीं की गई थी और कालम खाली छोड़े गये थे । प्रत्येक लाइसेंसधारी की ओर बकाया शेष राशि का वार्षिक सार भी रजिस्टर में तैयार नहीं किया गया था । वार्षिक शेष बकाया के अभाव में लाईसेंसधारी की ओर बकाया देय राशि का उचित अनुवीक्षण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता ।

आडिट द्वारा इंगित किये जाने पर (अगस्त 2010), विभाग ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2010) है कि पिछली अवधि के माँग एवं संग्रहण रजिस्टर अद्यतन नहीं थे और उनका अब अद्यतन किया जा रहा है ।

चूँकि माँग एवं संग्रहण रजिस्टर लाईसेंस शुल्क की प्राप्ति का अनुवीक्षण करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं, इसके उचित रखरखाव के लिए तत्काल उपाय किये जाने चाहिए।

सम्पदा विभाग

अध्याय-X सम्पदा विभाग

10.1 वाणिज्यिक इकाइयों के लाइसेंसधारियों से लाइसेंस शुल्क के बकायो की वसूली न होना

दोषी लाइसेंसियों से लाइसेंस शुल्क के बकायों की वसूली हेतु पर्याप्त कार्रवाई करने में विभाग की असफलता के परिणाम स्वरूप मार्च 2009 को 908 लाइसेंसियों के संबंध में 550.29 करोड़ रुपये की राशि का लाइसैंस शुल्क तथा ब्याज के बकायों की वसूली न होना।

नई दिल्ली दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 363 में प्रावधान है कि परिषद् को किसी प्रभार, लागत, व्यय, शुल्क, दरों या किराये या इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्य लेखे में देय राशि को इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है । बशर्ते कि इस धारा के अन्तर्गत किसी राशि की वसूली की कार्यवाही देय तिथि से तीन वर्षो की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रारम्भ न की गई हो ।

आडिट के दौरान यह नोटिस किया गया है कि 31 मार्च 2009 को 908 लाइसेंसियों से लाइसेंस शुल्क के तथा ब्याज की राशि 550.29 करोड़ रुपये बकाया शेष हो गए । लाइसेंस शुल्क का बकाया वर्ष 2006-07 में 430.28 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 550.29 करोड़ रुपये (28 प्रतिशत) हो गई तथा उक्त अवधि के दौरान मामलों की संख्या 822 से बढ़कर 908 (10 प्रतिशत) हो गई। यह भी पाया गया कि लाइसेंस शुल्क की कुल बकाया राशि 550.29 करोड़ रुपये जिसमें लाइसेंस शुल्क के कारण 291.77 करोड़ रुपये तथा ब्याज प्रभार के कारण 258.52 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं जो इंगित करते हैं कि लाइसेंस शुल्क का बकाया काफी लम्बे समय से चुकाया नहीं गया है । रिकार्डो के पूर्ण रखरखाव की अनुपस्थिति में, आडिट लाइसेंस शुल्क तथा ब्याज का वर्षवार ब्यौरा अभिनिश्चित नहीं कर सका ।

पुनः यह पाया गया कि 908 लाइसेंसियों के विरूद्ध 550.29 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से 369.58 करोड़ रुपये की बकाया राशि के लिए 86 मामले न्यायालय में लम्बित थे । शेष 822 लाइसेंसियों के विरूद्ध बकाया 180.71 करोड़ रुपये की शेष राशि के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि 743 मामलों में शेष बकाया की राशि केवल 5 लाख रुपये तक थी । 30 मामलों में वैयक्तिक पार्टियों से शेष राशि की सीमा 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच, 26 मामलों में राशि की सीमा 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये, 10 मामलों में बकाया की राशि की सीमा 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये, 4 मामलों में इसकी सीमा 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तथा 9 मामलों में वैयक्तिक लाइसेंसियों से बकाया राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक थी जैसाकि नीचे तालिका में इंगित किया गया है।

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	बकाया की सीमा	मामलों की संख्या	कुल बकाया
1.	5 लाख रु. तक	743	3.19
2.	अधिक 5 लाख रु. से 10 लाख रु.	30	2.09
3.	अधिक 10 लाख रु. से 25 लाख रु.	26	4.14
4.	अधिक 25 लाख रु. से 50 लाख रु.	10	2.92
5.	अधिक 50 लाख रु. से 1 करोड़ रु.	4	3.28
6.	अधिक 1 करोड़ रु.	9	165.09
	कुल	**822**	**180.71**

पुनः उक्त तालिका का विश्लेषण इंगित करता है कि लाइसेंस शुल्क के बकाया का 91 प्रतिशत अर्थात् 165.09 करोड़ रुपये 9 पार्टियों के विरूद्ध बकाया हैं ।

मॉग एवं संग्रहण रजिस्टर तिथि को इंगित नहीं करते जिससे लाइसेंसियों से बकाया शेष था । इस सूचना की अनुपस्थिति में, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या कोई दावा समय वर्जित (कालातीत) बन गया ।

चूंकि लाइसैंस शुल्क तथा ब्याज की बड़ी राशि बकाया है इसलिए वसूली प्रक्रिया के सशक्तिकरण किए जाने की आवश्यकता है तथा बकाया की वसूली की प्रक्रिया का उचित स्तर पर नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए ।

मामला विभाग को भेजा गया था(सितम्बर 2010), उनका प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत था (अक्टूबर 2010) ।

10.2 पट्टाधारियों से भूमि के किराये के बकाया की वसूली न होना

सम्पदा II विभाग ने रिकार्डो के रखरखाव हेतु विहित प्रक्रिया अनुपालन तथा भूमि किराया के समय से वसूली के लिए सौजन्य मांग सूचनाओं को जारी नहीं किया । रिकार्डो की जांच पड़ताल से पता चला कि 11 मामलों में भूमि का किराया 1.43 लाख रुपये की राशि 1 से 6 वर्षो की अवधि के लिए लम्बित थी ।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 24.3.2006 की अधिसूचना के अनुसार, 27 मार्किटों जोकि पहले भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ) तथा सम्पदा निदेशालय द्वारा प्रशासित रही थी को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को इस उद्देश्य के साथ हस्तांतरित की गई थी कि बाद मे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् इन मार्किटों से व्यवहार करेगी । इन 27 मार्किटों में से 16 मार्किटें लाइसैंस के आधार पर थी जबकि 11 मार्किटे पट्टा आधार पर थी । अधिसूचना निर्दिष्ट करती है कि भू.एवं वि.का. द्वारा अनुपालन की जा रही प्रक्रिया का नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा भी अनुपालन किया जाए । इन मार्किटों के हस्तांतरण पर इन मार्किटों में दुकानों तथा फ्लैटों के संबंध में

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् पट्टाकर्ता के रूप में कार्य करेगी तथा भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा निष्पादित की जा रही सभी शक्तियों का निष्पादन करेगी ।

भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा अनुपालन की जा रही प्रक्रिया के अनुसार, पट्टाधारी का यह दायित्व था कि नियत तिथि (पट्टा विलेख में निर्दिष्ट अनुसार) तक भूमि के किराये का भुगतान करे तथा पट्टाकर्ता के लिए यह बाध्य नहीं था कि वह उक्त से मांग करे । तथापि सौजन्य सूचनाएं तैयार की जाएँगी तथा प्रत्येक मामले में भूमि का किराया जिसमें आता है उस तिथि को अग्रीक रूप में कम से कम 1 मास में जारी किया जाए । विभाग के पट्टा अनुभाग को भूमि किराया की समय पर वसूली के लिए एक पृथक रजिस्टर का रखरखाव करना अपेक्षित था । पट्टा अथवा सम्पत्ति अनुभाग से सौजन्य मांग सूचना की एक प्रति की प्राप्ति पर लेखा प्रभाग बकायों की वसूली देखने के लिए लेजर में मांग को पूरा करेगा ।

आडिट को उपलब्ध कराए रिकार्डो की जांच पड़ताल से पता चला कि विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन नही किया जा रहा था । अघतन तिथि तक बकाये सम्पति के विरूद्ध लेजरों में रिकार्ड नहीं किए गए थे तथा आडिट को उपलब्ध कराए गए रिकार्डो के अनुसार कोई सौजन्य मांग सूचना जारी नहीं पाई गई ।

पट्टा विलेख के नियम एवं शर्तो के अनुसार, भूमि का किराया अग्रिम रूप में अर्द्ध वार्षिक किश्तों में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को देय होगी । तथापि वर्ष 2006 से 2010 की अवधि हेतु रिकार्डो की जांच पड़ताल के दौरान, यह सूचना में आया कि सम्पत्तियों के विरूद्ध भूमि का किराया कई वर्षो से लम्बित था । रिकार्डो की जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप कुछ उदाहरण नोटिस में आये जहाँ भूमि का किराया सम्पति के विरूद्ध 1000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक था, नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	विवरण	लम्बित भूमि किराया हेतु अवधि	भूमि का किराया की दर प्रति वर्ष (रु.)	लम्बित राशि (रु.)
1.	शॉप न. 20, बाबू मार्किट, सरोजनी नगर	15.01.04 से 14.01.10 (6 साल)	2478	14868
2.	शॉप न. 11, बाबू मार्किट, सरोजनी नगर	15.07.04 से 14.07.10 (6 साल)	2428	14568
3.	शॉप न. 21, बाबू मार्किट, सरोजनी नगर	15.07.06 से 14.07.10 (4 साल)	2428	9712
4.	शॉप न. 23, बाबू मार्किट, सरोजनी नगर	15.07.04 से 14.07.10 (6 साल)	2604	15624
5.	शॉप न. 55, बाबू मार्किट, सरोजनी नगर	15.07.05 से 14.07.10 (5 साल)	2428	12140
6.	शॉप न. 25, बाबू मार्किट, सरोजनी नगर	15.01.06 से 14.01.10	2428	9712

		(4 साल)		
7.	शॉप न. 59, बाबू मार्किट, सरोजनी नगर	15.07.04 से 14.07.10 (6 साल)	2428	14568
8.	शॉप न. 120, बाबू मार्किट, सरोजनी नगर	15.07.04 से 14.07.10 (6 साल)	2604	15624
9.	शॉप न. 03, अलीगंज, लोधी रोड, नई दिल्ली	15.01.09 से 14.01.10 (1 साल)	10469	10469
10.	शॉप न. 2/1, अलीगंज मार्किट	15.07.09 से 14.07.10 (1 साल)	5234	5234
11.	23-बी, खान मार्किट	15.07.09 से 14.07.10 (1 साल)	20000	20000
			योग	**142519**

इस प्रकार, भू-किराए में शेष बकायों की वसूली के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ।

जैसाकि उपरोक्त मामले रिकार्डो की जॉच-पड़ताल के दौरान ऑडिट के सामने आए, विभाग को सभी मामलों की समीक्षा तथा शेष बकायों की वसूली हेतु उचित कार्रवाई की आवश्यकता है ।

मामला विभाग को प्रेषित किया गया था (सितम्बर 2010); उनका प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत था (अक्टूबर 2010)

10.3 सम्पत्तियों का सरकारी बकायों एवं उस पर ब्याज की वसूली के बिना प्रतिस्थापन

सम्पदा विभाग ने क्षतिग्रस्त तथा दुरूपयोग प्रभारों की वसूली हेतु मॉग-पत्र जारी किए बगैर आवेदक के पक्ष में सम्पत्ति के प्रतिस्थापन का नामातंरण पत्र दिनांक 03.09.07 जारी किया। तदनन्तर, क्षतिग्रस्त तथा दुरूपयोग प्रभारों को आवेदक ने नवम्बर 2009 में जमा करा दिया था। यद्यपि, आवेदक से उपरोक्त प्रभारों पर ब्याज राशि 2.08 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई थी।

सम्पत्ति का प्रतिस्थापन पट्टाधारी/आवंटी की मृत्यु पर कानूनी वारिसों के नामों के नामातंरण की प्रक्रिया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी बकाए की वसूली की जानी है अथवा परिसर में कुछ अनधिकृत निर्माण/दुरूपयोग किया गया है, तब वित्त विभाग की सलाह से प्रभारों की गणना की जाए तथा प्रतिस्थापन पत्र के साथ ही मॉग-पत्र जारी किया जाए । इस संबंध में संदर्भ प्रतिस्थापन पत्र में दिया जाए।

खान मार्किट स्थित दुकान सं.-6-ए के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 13.9.05 को भूमि एवं विकास कार्यालय (एल.एण्ड डी.ओ.) में एक आवेदन प्राप्त हुआ । दिनांक 24.3.2006 को भू. एवं विकास कार्यालय से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को मार्किट पट्टे पर हस्तातंरण के उपरांत, आवेदक ने दुकान के प्रतिस्थापन हेतु विभाग से अनुरोध किया । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 25.07.07 को दुकान का निरीक्षण किया गया तथा परिसर क्षेत्र में स्थल का दुरूपयोग, अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण पाया गया । यद्यपि, विभाग ने नुकसान तथा दुरूपयोग प्रभारों की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किए बगैर आवेदक के पक्ष में दिनांक 03.09.07 को प्रतिस्थापन का नामातंरण पत्र जारी किया ।

तत्पश्चात दिनांक 07.01.08 को निम्नलिखित विवरण अनुसार 30 दिनों के भीतर 11.74 लाख रुपये की राशि जमा करने की मॉग सूचना जारी की :-

विवरण	उल्लंघन की अवधि	राशि (रु.)
क्षतिग्रस्त प्रभार	19.06.1978 से 14.01.2008	1163795
दुरूपयोग प्रभार	25.07.2007 से 14.01.2008	9844
सामान्य भू-किराया	01.04.1963 से 14.01.2008	45
	कुल	**1173684**

यद्यपि आवेदक द्वारा निर्धारित समय तक राशि जमा नहीं की गई थी । तत्पश्चात् विभाग ने दिनांक 7.2.2008 से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ राशि जमा करने हेतु दिनांक 15.12.2008, 18.03.2009 तथा 22.05.2009 को मांग सूचना जारी की । ये सूचनाएँ बिना वितरित हुए वापिस आ गई। विभाग ने यह सूचित करते हुए अंतिम सूचना दिनांक 07.10.2009 जारी की कि यदि 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के साथ 1173684 रुपये का भुगतान 10 दिन के भीतर नहीं किया तो बगैर किसी सूचना/वार्ताकाय के प्रतिस्थापन पुन: आमंत्रण हेतु आगामी कार्रवाई आरम्भ की जाएगी। तत्पश्चात् आवेदक ने दिनांक 07.11.09 को 5.00 लाख रुपये तथा दिनांक 23.11.2009 को 673684 रुपये की राशि जमा की । तथापि, विभाग ने दिनांक 07.02.08 से शेष बकायों पर 2.08 लाख रुपये की राशि के ब्याज की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी गणना निम्न प्रकार से है:-

बकाया राशि (रु.)	लंबित अवधि	10 % प्रति वर्ष की दर पर लंबित ब्याज राशि (रु.)
1173684	07.02.08 से 06.11.09 (एक वर्ष एवं 273 दिन)	205153
673684	07.11.09 से 22.11.09 (16 दिन)	2953
	योग	**208106**

मामला विभाग को प्रेषित किया गया था (अगस्त 2010); विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2010) कि आवेदक ने पत्र दिनांक 10.8.2010 के द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर बकायों का भुगतान

न होने के संबंध में ब्याज के भुगतान के लिए अनुरोध किया । पुनः यह सूचित किया कि यह निर्णय लिया गया कि आवेदक से सभी बकायों की वसूली के उपरांत प्रतिस्थापन/नामांतरण किया जाए ।

यद्यपि, यह सर्वाविदित है कि विभाग ने लगातार मॉग पत्र जारी नहीं किया जैसा कि दिशा निर्देशों में विहित है तथा विलंब से हुए भुगतान पर ब्याज अभी भी बकाया था ।

10.4 दुरूपयोग तथा क्षतिग्रस्त प्रभारों की गैर-वसूली

विभाग ने पट्टे से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन प्रभारों तथा भू-किराया, अनधिकृत निर्माण हेतु दुरूपयोग, क्षतिग्रस्त प्रभारों के मामले मे एक दुकान के विरूद्ध दिनांक 05.05.2008 को 5.67 लाख रुपये हेतु मांग जारी की, जिसे 7 दिनों के भीतर जमा किया जाए । प्रभारों की वसूली हेतु कोई आगामी कार्रवाई रिकार्डो में उपलब्ध नहीं थी । यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या दुकान से अनधिकृत निर्माण हटाया गया है ।

सरोजिनी नगर मार्किट में दुकान न.-139 के जनरल पावर ऑफ अटार्नी होल्डर ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में दिनांक 11.01.2007 को पट्टे से फ्री-होल्ड सम्पत्ति में परिवर्तन हेतु आवेदन दिया । तदोपरांत, परिषद् की तकनीकी समिति ने दिनांक 16.08.2007 को परिसर का निरीक्षण किया तथा सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण दुरूपयोग एवं अतिक्रमण पाया गया । तकनीकी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दुकान परिसर से सभी उल्लघंनों के निपटान हेतु दिनांक 11.09.2007 को नोटिस जारी किया ।

विभाग ने अनधिकृत निर्माण तथा भू-किराया (13090 रुपये), वैकल्पिक क्षतिग्रस्त प्रभार (30057 रुपये), वैकल्पिक दुरूपयोग प्रभार (43661 रुपये) के मामले में दिनांक 22.11.07 को 86808 रुपये की राशि की मॉग सूचना जारी की । आवेदक द्वारा राशि का भुगतान किया गया । विभाग ने दिनांक 29.11.07 को पुनः परिसर का निरीक्षण किया तथा परिसर का दुरूपयोग तथा अनधिकृत निर्माण पाया गया । इनके संबंध में विभाग ने दिनांक 05.05.2008 को 567252 रुपये की राशि की संशोधित मॉग भेजी जो कि नीचे दिए गए विवरण अनुसार है :-

विवरण	अवधि	राशि (रु.)
दुरूपयोग प्रभार	15.07.06 से 14.07.2008	116181
दुरूपयोग प्रभार पर 10% जुर्माना	15.07.2006 से 14.07.2008	11618
क्षतिग्रस्त प्रभार	15.07.2006 से 14.07.2008	78744
ब्याज सहित भू-किराया	15.07.2006 से 14.07.2008	18700
परिवर्तन प्रभार	एक मुश्त	428817
कुल योग		**654060**
पूर्व भुगतान		**(-)86808**
योग		**567252**

बकायों का भुगतान सात दिनों के भीतर किया जाना अपेक्षित था, ऐसा न करने पर पट्टे की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । मॉंग पत्र के प्रत्युत्तर में, आवेदक ने विभाग को पत्र दिनांक 15.07.08 के द्वारा, मॉंग की पुनः जांच तथा सामान्य प्रभारों के साथ संशोधित मॉंग पत्र भेजने का अनुरोध किया । ऑडिट को भेजे रिकार्डो में कोई पुनः पत्राचार उपलब्ध नहीं था ।

इस प्रकार, दुरूपयोग, क्षतिग्रस्त प्रभारों तथा भू-किराया 1.38 लाख रुपये सहित 5.67 लाख रुपये की मॉंग राशि बकाया थी तथा विभाग द्वारा बाद में की गई कार्रवाई रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी । यह भी स्पष्ट नहीं था कि उपरोक्त वर्णित दुकान से स्थल का दुरूपयोग तथा अनधिकृत निर्माण अब तक हटाया गया है या नहीं ।

मामला विभाग के पास प्रेषित किया गया था । (अगस्त 2010), उनका प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत था (अक्टूबर 2010) ।

विद्युत विभाग

अध्याय XI : विद्युत विभाग

11.1 जमा कार्यों पर खर्च हुए आधिक्य व्यय की वसूली न होना

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सी-IV विद्युतीय प्रभाग नें 2002-03 से जून 2009 तक की अवधि के दौरान 17 जमा कार्य पूर्ण किये थे। लेकिन इनमें से किसी भी कार्य के लिए मुवक्किल तथा विभाग से लेखों का मिलान नहीं किया गया। प्रभाग द्वारा किये गये अधिक व्यय 26.89 लाख रुपये की भी वसूली नहीं की गई।

के.लो.नि. विभाग की कार्य नियमावली के पैरा 3.4(1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, जब कभी जमा कार्य लिया जाता तो कार्य पर होने वाला व्यय कार्य पर होने वाले व्यय से पूर्व प्राप्त कर लिया जाता है। नियमों में यह भी प्रावधान है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि व्यय कार्य के लिए प्राप्त जमा से अधिक नहीं होना चाहिए। कार्य नियमावली के पैरा 3.6(5) में प्रावधान है कि यह आवश्यक है कि जमा कार्यों के विरूद्ध लेखों का शीघ्र निपटान किया जाए ताकि राशि काफी समय तक बिना किसी निपटान के लम्बित न रहे ।

आडिट को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2002-03 से जून, 2009 तक 17 जमा कार्य सी-IV विद्युतीय प्रभाग द्वारा पूर्ण किये गये थे। लेकिन इन 17 में से किसी भी मामले में लेखों का मिलान नहीं किया गया। इसके साथ ही यह भी पाया गया है कि प्रभाग ने जमा के रूप में प्राप्त राशि से अधिक जमा कार्यों पर निम्न विवरणानुसार व्यय किया है:

क्र. सं.	कार्य का नाम एवं अनुमान संख्या	प्राप्त जमा राशि (रुपये में)	मार्च, 2009 तक किया गया व्यय (रुपये में)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	प्राप्त जमा राशि से अधिक किया गया व्यय (रुपये में)
1	वकीलों के चेम्बर तिलक मार्ग पर विद्युत सबस्टेशन का संस्थापन ई.16/2004/अधि.अभि.(पी)	3628000	4407902	कार्य प्रगति पर	779902
2	प्लाट सं. 30, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली पर डी आर डी ओ. मुख्यालय को उच्च दाब-योजन प्रदान करना ई.20/2004/अधि.अभि.(पी.)	4206000	5888474	जून 2006	1682474
3	हरियाणा राज्य अतिथि गृह को उच्च दाब-योजन प्रदान करना ई.22(बी) 2005/अधि.अभि.(पी.)	794000	963257	अप्रैल 2006	169257

4	प्लाट नं. 30 डी.आर.डी.ओ. की सीमा दीवार के अन्दर उच्च दाब केबल बदलना ई.25/2005/अधि.अभि.(पी.)	598000	602245	दिसम्बर 2007	4245
5	राजाजी मार्ग, नई दिल्ली पर 30 ब्लाक के विद्युत सबस्टेशन का स्थानांतरण ई.33/2004/अधि.अभि.(पी.)	1250932	1303886	मार्च 2006	52954
				योग	**2688832**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2006 से दिसम्बर 2007 तक की अवधि के दौरान, क्रम सं.-1 पर वर्णित कार्यों के अतिरिक्त सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं किन्तु विभाग द्वारा इन कार्यों पर आधिकय व्यय राशि 26.89 लाख रुपये की वसूली नहीं की गई।

इस प्रकार, विभाग को लेखों में मिलान के लिए उपभोक्ता विभागों के साथ मामले को देखने की तथा जमा कार्यों के बदले उनके द्वारा खर्च किए गए आधिकय व्यय को वसूलने की आवश्यकता है।

मामला विभाग को भेजा गया था (सितम्बर 2010); उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी (अक्टूबर 2010)।

11.2 बेकार ट्रांसफार्मरों के निपटान में विलम्ब

न.दि.न.पा.परिषद् के 33 के.वी. रखरखाव प्रभाग में चार बेकार ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं। इन ट्रांसफार्मरों का आरक्षित मूल्य 103.72 लाख रुपये है और आरक्षित मूल्य नियत किये जाने के 9 से 17 महीनों के बाद भी इनका निपटान नहीं किया गया।

सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी सामान का प्रयोग नहीं होता तो उसे फालतू या बेकार या अनुपयोगी घोषित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी उचित स्तर पर एक समिति गठित कर सकता है जो सामान को फालतू या बेकार या अनुपयोगी घोषित करती है, फालतू सामान के निपटान के समय पुस्तक मूल्य, मार्गदर्शी मूल्य और आरक्षित मूल्य की भी गणना की जानी चाहिए।

यह पाया गया था कि न.दि.न.पा.परिषद् के 33 के.वी. रखरखाव प्रभाग में चार बेकार ट्रांसफार्मर हैं। रद्दीकरण उप समिति द्वारा अपनी बैठक अगस्त 2008 व अगस्त 2009 में इन ट्रांसफार्मरों पर विचार किया गया तथा निम्न विवरण अनुसार आरक्षित मूल्य 103.72 लाख रुपये नियत किया गया था:

क्र. सं.	ट्रांसफार्मर का विवरण	किस महीने से खराब पड़ा है	अरक्षित मूल्य नियत करने के लिए कब बैठक हुई	समिति द्वारा नियत अरक्षित मूल्य (रु.)
1	विद्युत सबस्टेशन, तिलक मार्ग का 12.5/16 एमवीए, 33/11 के.वी. भारत बिजली मेक का पावर ट्रांसफार्मर	फरवरी 2004	7 अगस्त 2008	2704820
2	विद्युत सबस्टेशन बापूधाम का 15 एमवी व 33/11 के.वी. एन.ई.आई. मेक का पावर ट्रांसफार्मर	फरवरी 2004	7 अगस्त 2008	3429430
3.	विद्युत सबस्टेशन, डी.डी.बी. मण्डी हाऊस क्राम्पटन मैक का 12.5/16 एमवीए, 33/11 के. वी. पावर ट्रांसफार्मर	नवम्बर 2008	19 अगस्त 2009	2272100
4	विद्युंत सबस्टेशन, बापूधाम का 12.5/16 एमवीए, 33/11 के.वी. भारत बिजली मेक का पावर ट्रांसफार्मर	फरवरी 2008	19 अगस्त 2009	1965930
	योग			**10372280**

यह अवलोकित किया गया था कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्र.सं. 1 व 2 पर उल्लेखित ट्रांसफार्मरों का आरक्षित मूल्य फरवरी 2009 और क्र.सं. 3 व 4 का आरक्षित मूल्य अक्टूबर 2009 में स्वीकार किया गया था। लेकिन जुलाई 2010 तक इन चार ट्रांसफार्मरों का निपटान नहीं हुआ था।

इस प्रकार चार ट्रांसफार्मरों का आरक्षण मूल्य 103.72 लाख रुपये नियत किये जाने के 9 से 17 महीने बाद भी निपटान नहीं किया गया। बेकार ट्रांसफार्मरों के निपटान में विलम्ब से इनके निपटान पर कम राशि तो प्राप्त होगी साथ ही इनके भण्डारण ने भण्डार का मूल्यवान स्थान घेरा हुआ है।

मामला विभाग को भेजा गया था (सितम्बर 2010); उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी (अक्टूबर 2010)।

पालिका आवास विभाग

अध्यायः XII पालिका आवास विभाग

12.1 पालिका क्वार्टरों के पूर्व आवंटियों से किराये के बकायों की वसूली न होना

पूर्व वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में इंगित किये जाने के बावजूद पालिका क्वार्टरों के आवंटियों से किराये की वसूली का अपर्याप्त अनुविक्षण एवं नियत नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप पालिका क्वार्टरों के पूर्व आवंटियों से 15.93 लाख रुपये के किराये की राशि की वसूली नहीं हुई ।

मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के पैरा 9.2 में उल्लेख किया गया था कि जॉच किये गये 281 मामलों में मार्च 2006 तक 65.29 लाख रुपये की राशि बकाया थी ।

अंतिम बकाया प्रमाण-पत्र/अस्थायी बकाया प्रमाण-पत्र के रजिस्टर की जॉच से ज्ञात हुआ है कि पालिका आवास के 68 पूर्व आवंटियों, जिनसे 2008-09 के दौरान मॉग की गई थी, की ओर 15.93 लाख रुपये की राशि लाइसेंस शुल्क के रूप में बकाया है । विभाग ने वर्तमान वर्ष के रजिस्टर में पूर्व वर्षों की बकाया राशि को नहीं लिया है । इसके परिणामस्वरूप किराये की बकाया की कुल राशि तथा कर्मचारी क्वार्टरों के पूर्व आवंटियों की ओर किस अवधि से बकाया था, प्रत्येक आवंटी के संबंध में उपलब्ध नहीं था । वर्ष 2008-09 के दौरान उठायी गई मॉग के अनुसार प्रत्येक पूर्व कर्मचारियों के वैयक्तिक रूप से बकाया राशि की दर 129 रुपये से 668216 रुपये तक थी । बकाये के विस्तृत विश्लेषण से पुनः ज्ञात होता है कि 63 मामलों में वैयक्तिक कर्मचारियों से बकाया राशि 50000 रुपये तक थी, दो मामलों में वैयक्तिक कर्मचारियों से बकाया राशि 50001 रुपये से एक लाख रुपये के बीच थी तथा तीन मामलों में वैयक्तिक कर्मचारियों की ओर बकाया की राशि एक लाख रुपये से अधिक तथा 668216 रुपये तक अधिक थी । बकायों का विस्तृत विश्लेषण निम्न तालिका में दिया गया है:-

क्र.सं.	बकायों की दर	कर्मचारियों की संख्या	कुल बकाया (रुपये में)
1.	25000 रु. तक	60	279788
2.	25000 रु. से अधिक तथा 50000 रु. तक	3	112751
3.	50000 रु. से अधिक तथा 1 लाख रुपये तक	2	155015
4.	1 लाख रु. से अधिक	3	1045167
	कुल	**68**	**1592721**

वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2006 में यह भी वर्णन किया गया था कि विभाग ने केन्द्रीय नगर सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 57 तथा 72 का पालन नहीं किया गया, जो इसके साथ-साथ यह प्रावधान भी करता है कि संबंधित स्थापना शाखा को आवंटी से वसूल की जाने वाली लाइसैंस शुल्क के बारे में आवंटी की सेवानिवृत्ति की तिथि से आठ मास पूर्व सूचित किया जाना चाहिए कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवंटी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक लाइसेंस शुल्क उसके वेतन तथा भत्तों से वसूल लिया है । यद्यपि विभाग ने केवल क्वार्टरों के खाली होने के पश्चात् आवंटी से वसूली हेतु संबंधित स्थापना विभाग को अंतिम बकायों का प्रमाण-पत्र जारी किया । परिणामस्वरूप वैयक्तिक की ओर किरायों के बकायों की बड़ी राशि संचयित हो गई । वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2006 में ऑडिट द्वारा इंगित किये ज़ाने के बावजूद विभाग ने नियमित रूप से वसूलियों की जाँच करने की बजाय केवल क्वार्टरों के खाली होने के पश्चात् आवंटी से वसूली हेतु संबंधित स्थापना शाखा से अंतिम बकायों का प्रमाण-पत्र जारी किया गया । जैसा कि निम्न की गई जॉचों के मामलों से प्रकट होता है जिनमें यह नोटिस किया गया है कि आवासों के खाली होने के 9 से 45 मास के पश्चात् अंतिम बकाया प्रमाण-पत्र जारी किया गया ।

क्र. सं.	क्वार्टर संख्या	खाली करने की तिथि	अंतिम बकाया प्रमाण पत्र (एफडीसी) के जारी करने की तिथि	अंतिम बकाया प्रमाण पत्र(एफडीसी) के जारी करने में देरी
1.	37(II), पालिका ग्राम, सरोजिनी नगर	20.11.2007	12.01.2010	25 मास
2.	4(I), डी/एस पीआर लेन	01.07.2008	03.08.2009	13 मास
3.	एस-2, साउथ एण्ड लेन	14.08.2006	जारी नहीं	45 मास (मई 2010 तक)
4.	4, विद्युत सब-स्टेशन, किदवई नगर	26.11.2008	18.09.2009	09 मास
5.	5, हेली लेन	03.12.2008	जारी नहीं	17 मास (मई, 2010 तक)
6.	601, मोतिया खान	05.06.2008	06.11.2009	16 मास

उपरोक्त के अतिरिक्त क्वार्टर संख्या एच-7, पालिका निवास, लोदी कालोनी के मामले में भूतपूर्व कर्मचारी दिनांक 23.12.2008 को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था । स्थापना शाखा को पत्र सं. 24/एचई-II/एसए-3 दिनांक 06.01.2009 द्वारा ''बेबाकी प्रमाण-पत्र'' जारी करने हेतु अनुरोध किया गया । विभाग ने दिनांक 31.12.2009 को अर्थात एक वर्ष से अधिक के विलम्ब के पश्चात् 153002 रुपये हेतु ''अस्थायी बकाया प्रमाण-पत्र'' तैयार किया गया । विवादास्पद आवास अभी खाली नहीं किया गया।

इसी प्रकार क्वार्टर सं. 10, डी/एस पृथ्वीराज लेन के अन्य मामले में आवंटी की दिनांक 30.12.2005 को मृत्यु हो गई । विभाग ने प्रथम नोटिस दिनांक 21.02.2007 को जारी किया तथा अंतिम नोटिस दिनांक 29.06.2007 को जारी किया। मामला दिनांक 25.02.2008 अर्थात अंतिम

नोटिस जारी होने की तिथि से सात मास से अधिक के पश्चात् सम्पदा अधिकारी के समक्ष फाईल किया गया । दिनांक 19.06.2009 को क्वार्टर खाली किया गया था । दिनांक 01.07.2009 को स्थापना शाखा को 57813 रुपये हेतु अंतिम बकाया प्रमाण-पत्र भेजा गया था तथा स्थापना विभाग द्वारा यह सूचित किया गया था कि डीसीआरजी की और केवल 10000 रुपये का समंजन किया जा सका तथा समय पर माँग प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत न हो पाने के कारण पालिका आवास विभाग पर 47813 रुपये की बकाया राशि की वसूली शेष रही।

मामला विभाग को भेजा गया था (सितम्बर 2010)। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2010) कि नगरपालिका कर्मचारियों के पक्ष में वसूली ज्ञापन संबंधित स्थापना शाखा को समय-समय पर जारी किये गये । पुन: यह बताया गया कि स्टाफ की कमी के कारण अंतिम बकाया प्रमाण-पत्र समय पर जारी नहीं किये गये । क्वार्टर सं. एच-7 पालिका निवास, लोदी कालोनी के संबंध में विभाग ने बताया कि मामला अभी तक सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में लंबित है । क्वार्टर सं. 10 डी/एस पृथ्वीराज लेन के संबंध में बताया गया कि अंतिम बकाया प्रमाण-पत्र खाली होने की रिपोर्ट के बिना जारी नहीं किया जा सकता।

विभाग के प्रत्युत्तर की इस तथ्य के प्रकाश में समीक्षा है कि इसमें संबंधित स्थापना शाखा से सेवानिवृत्ति की तिथि से आठ मास पूर्व, संबंधित आवंटी से लाइसेंस शुल्क वसूलने में विहित नियमों का पालन नहीं हुआ । अत: पूर्व की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में इंगित करने के बावजूद नगरपालिका के आवंटियों से किराये की वसूली के पर्याप्त अनुवीक्षण तथा विहित नियमों का अवलोकन नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पालिका क्वाटर के पूर्व आवंटियों से 15.93 लाख रुपये की राशि के किराये की वसूली नहीं हुई।

12.2 स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन में विलम्ब

स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन में विलम्ब के परिणामस्वरूप न केवल 0.71 लाख रुपये के लाइसेंस शुल्क की हानि हुई बल्कि विलम्बित आवंटन की अवधि हेतु कर्मचारियों को गृह किराया भत्ते के भुगतान के कारण 7.46 लाख रुपये का परिहार्य व्यय भी हुआ ।

न.दि.न.पा.परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 12(एन) नगर पालिका अधिकारियों तथा अन्य नगरपालिका कर्मचारियों हेतु आवासों के रखरखाव तथा क्रय अथवा भवनों से संबंधित मामलों हेतु प्रावधान करता है, जो कि परिषद् का विवेकपूर्ण कार्य है । नगरपालिका हाउसिंग विभाग अपने कर्मचारियों हेतु नगरपालिका आवास के आवंटन के लिये उत्तरदायी है ।

विभाग द्वारा दी गई स्टाफ क्वार्टरों के खाली होने तथा अधिवासन से संबंधित रिकार्डों की जाँच से ज्ञात होता है कि एक से आठ मास की अवधि हेतु कुछ क्वार्टर निम्न विवरणानुसार खाली पड़े थे:

क्वार्टर की प्रकृति	क्वार्टरों की संख्या	खाली होने की अवधि	जून 2007 (टाईप-I से IV) तथा अगस्त 07 (टाईप-V) में अनुमोदित वरिष्ठता सूची में कुल आवेदक	दिनांक 31.12.2008 तक हुए कुल आवंटन	दिनांक 31.12.2008 तक, जो आवंटित नहीं हो सके, उन आवेदकों की संख्या
I	08	1 से 18 मास	133	73	60
II	15	1 से 18 मास	553	98	455
III	06	1 से 18 मास	427	53	374
IV	12	1 से 18 मास	103	42	61
V	05	3 से 08 मास	23	18	05

अत: उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि यद्यपि जून/अगस्त 2007 से दिसम्बर 2008 तक विभिन्न टाईप के क्वार्टरों में आवंटन हेतु 05 से 455 आवेदन प्रतीक्षारत् थे, विभाग इन क्वार्टरों के खाली होने पर तत्काल इनका आवंटन नहीं कर सका । क्वार्टरों के आवंटन में विलम्ब हेतु कारण ऑडिट को प्रस्तुत रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे ।

इन क्वार्टरों के आवंटन में देरी के परिणामस्वरूप परिषद् को न केवल दिनांक 31.12.2008 तक 0.71 लाख रुपये तक की राशि के लाइसैंस शुल्क में हानि हुई बल्कि अनुलग्नक- XXI में वर्णित अनुसार स्टाफ की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में न्यूनतम वेतनमान की गणना अनुसार स्टाफ क्वार्टरों के देरी से आवंटन की अवधि हेतु कर्मचारियों को गृह किराया भत्ते के भुगतान के संबंध में 7.46 लाख रुपये का परिहार्य व्यय भी हुआ ।

मामला विभाग को को भेजा गया था (सितम्बर 2010) । विभाग ने बताया (अक्तूबर 2010) कि क्वार्टरों के खाली होने की रिपोर्ट 15 दिनों अथवा उससे अधिक दिनों के पश्चात् प्राप्त होती है तथा खाली होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, क्वार्टरों के आवंटन हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु मामले प्रक्रियारत् किये गये तथा आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को एक मास या उससे अधिक का समय लगता है। पुनः यह बताया गया कि एक अथवा दो क्वार्टरों हेतु आवंटन नहीं किया जाता तथा अधिक क्वार्टरों के खाली होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन किया जाता है। वरिष्ठता आधार पर समय-समय पर फ्लैट दिये गये हैं किन्तु कुछ अधिकारियों द्वारा आवंटन की स्वीकृति हेतु इंकार कर दिया जाता है।

विभाग का प्रत्युत्तर इस तथ्य के प्रकाश में दृष्टिगत् हुआ कि ऐसे बहुत संख्या में आवेदक हैं जो क्वार्टर के खाली होने के बावजूद आवंटन प्राप्त नहीं कर सके । अत: विभाग को आवंटनों में देरी तथा परिणामस्वरूप परिषद् की हानि को टालने हेतु क्वार्टरों के आवंटन हेतु प्रक्रिया को सुप्रवाह बनाना अपेक्षित है ।

(के.के. श्रीवास्तव)
मुख्य लेखा परीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक जनवरी 2011

अनुलग्नक

अनुलग्नक - I
(निर्दिष्ट पैरा 1.5.1)

प्राप्तियों का रूझान

(रुपये हजार में)

क्र.स.	विवरण	वास्तविक 2007-08	वास्तविक 2008-09	विचलन	विचलन प्रतिशतता
	I -कर राजस्व				
1.	गृह कर (ए-I)	1884801	2107917	223116	11.84
2.	कर का निर्धारित हिस्सा (ए-II)	208177	148456	-59721	-28.69
3.	विज्ञापन/प्रदर्शन/थियेटर कर(ए-III एवं ए-IV)	1179	201	-978	-82.95
4.	सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क (ए-V)	136868	378013	241145	176.19
5.	अन्य कर (ए-VI)	23	30	7	30.43
	कुल	**2231048**	**2634617**	**403569**	**18.09**
	II-गैर कर राजस्व				
1.	भवन से संबंधित प्राप्तियाँ (ए-VII)	10715	17856	7141	66.64
2.	फीस एवं जुर्माना (ए-VIII)	11566	21142	9576	82.79
3.	बचत पर ब्याज(ए-I)	3094488	864694	-2229794	-72.06
4.	अग्रिमों पर ब्याज (बी-II)	1920	1728	-192	-10.00
5.	प्रशासनिक विभाग (सी)	20506	14022	-6484	-31.62
6.	समाज सेवाएं(डी)	47698	54289	6591	13.82
7.	विद्युत (ई)	5632386	5692760	60374	1.07
8.	जल का क्रय (एफ)	213584	224979	11395	5.34
9.	अन्य नगरपालिका कार्य (एच)	1396619	2832565	1435946	102.82
	कुल	**10429482**	**9724035**	**-705447**	**-6.76**
	III. सरकारी सहायता				
1.	ऋण (आई)	0	0	0	0.00
2.	अनुदान सहायता (योजना) जे-2	404500	1136500	732000	180.96
3.	अनुदान सहायता (गैर-योजना) जे-1	350984	363537	12553	3.58
4.	विधायक निर्वाचन निधि जे-3	49979	37040	-12939	-25.89
5.	संसद सदस्य स्थानीय विकास निधि जे-4	0	2980	2980	100.00
	कुल	**805463**	**1540057**	**734594**	**91.20**
	IV. जमा निधि				
1.	जमा कार्य (के) कुल	**125740**	**231056**	**105316**	**83.76**
	महा योग	**13591733**	**14129765**	**538032**	**3.96**

अनुलग्नक- II
[निर्दिष्ट पैरा 1.15.9 (क)]
लेखा शीर्ष जिसमें बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान उपलब्ध थे किन्तु वास्तविक व्यय शून्य था

(रुपये हजार में)

क्रम सख्या	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2008-09	संशोधित अनुमान 2008-09	वास्तविक व्यय 2008-09
1.	सी.3.18ए	सामान्य भविष्य निधि के ब्याज क भुगतान (कमी)	2000	2000	0
2.	सी.6.14.	यात्रा रियायत भत्ता.	100	150	0
3.	सी.6.4.	टेपरिकार्डर के क्रय सहित प्रसार हेत योजना	150	150	0
4.	डी.1.1.13.	विद्यालय में कम्प्यूटर प्रयोगशाला बनाना	7500	6000	0
5.	डी.1.16.4.	अधिक युवा केन्द्रों को आरम्भ करने सहित अन्य प्रभार	400	200	0
6.	डी.1.17.(66)	वृद्धाश्रम का सुधार (संध्या)	100	200	0
7.	डी.1.2.10.9	वरिष्ठ नवयुग विद्यालय सरोजिनी नगर का सुधार	1000	1500	0
8.	डी.1.2.17.	खेलों के सामान का क्रय	150	150	0
9.	डी.1.21.	अध्यापकों को बेहतर प्रदर्शन पर प्रशंसनीय पुरस्कार	200	200	0
10.	डी.1.3.13.	खेलों का सामान	150	150	0
11.	डी.1.4.5(iii)	नि:शुल्क वर्दी गैर योजना	7500	5000	0
12.	डी.1.4.7.59	न.पा. प्राथमिक विद्यालय, दरभंगा लेन का सुधार	100	200	0
13.	डी.1.4.7.49	न.पा. प्राथमिक विद्यालय नं0 3, नेताजी नगर का सुधार	100	300	0
14.	डी.1.4.7.54	मॉडल स्कूल, पूर्वी किदवई नगर का सुधार	700	300	0
15.	डी.1.4.7.48	न.पा.प्राथमिक विद्यालय, सं0 2 तथा 5, नेताजी नगर का सुधार	600	400	0
16.	डी.1.5.4(i)	नि:शुल्क वर्दी	1500	2200	0
17.	डी.1.7.6.A.(i)	वेतन एवं भत्ते	1202	1800	0
18.	डी.2.1.12.	यात्रा रियायत भत्ता	450	3000	0
19.	डी.2.11.1.	वेतन एवं भत्ते	2109	3116	0
20.	डी.2.11.5.	महत्वपूर्ण ऑकड़े इकाई का सशक्तिकरण	700	200	0
21.	डी.2.15.12.	यात्रा रियायत भत्ता	100	200	0
22.	डी.2.16.13.	कूड़ेदानों की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव	2600	200	0
23.	डी.2.17.11(बी) (193.18)	पुरानी सीवर का पुनर्स्थापन	100	700	0
24.	डी.2.17.11(बी) (193.2)	कमाल अतातुर्क मार्ग, औरंगज़ेब रोड पर सीवर लाईन को बिछाना	9000	2000	0
25.	डी.2.17.12.(ए)	600-1000 मि.मी. व्यास आर.सी.	500	200	0

	(202)	सी. एन.पी. 2 पाईपलाइन का पुनर्स्थापन			
26.	डी.2.17.12.(ए) (203)	1200 मि.मी. व्यास सीवर सहायक् लाइन का पुनर्स्थापन	500	200	0
27.	डी.2.17.12.(ए) (200)	ट्रंक सीवर के भाग का पुनर्स्थापन तथा गाद हटाना	1000	3000	0
28.	डी.2.17.12. (बी) (204)	बेकार जा रहे जल का प्रबन्धन/जल के पुन: प्रयोग हेतु उपचार	2000	1700	0
29.	डी.2.17.4.	सुरक्षा उपकरणों का क्रय	700	200	0
30.	डी.2.2.10.ए	अस्पताल के कचरे का निपटान	2000	1200	0
31.	डी.2.2.12.1.	वेतन एवं भत्ते	2278	2538	0
32.	डी.2.2.A.12.	अस्पताल के कचरे का निपटान	500	500	0
33.	डी.2.3.13.(85)	नेताजी नगर की डिस्पेंसरी का सुधार	100	200	0
34.	डी.2.3.13.(80)	पंचकुइंयां रोड पर बाल अनुरक्षण केन्द्र का सुधार	400	400	0
35.	डी.3.1.7.	अस्पताल के कचरे का निपटान	500	500	0
36.	डी.4.1.4.	रखरखाव (सिविल)	1000	1000	0
37.	डी.4.10.1.(275.11)	धोबी घाट सं0 20 का सुधार	100	800	0
38.	डी.4.12.1.(329)	नारौजी नगर फ्लैटों का सुधार	100	200	0
39.	डी.4.12.1.(326)	20-21 ब्लाक गोल मार्किट में फ्लैटों का सुधार	500	300	0
40.	डी.4.12.1.(340)	विनय मार्ग पर हाउसिंग कॉम्पलैक्स का सुधार	100	300	0
41.	डी.4.12.1.(279)	मोती बाग के पालिका एन्क्लेव हाउसिंग कॉम्पलैक्स का सुधार	200	400	0
42.	डी.4.12.1.(295)	मोती बाग में धोबी घाट फ्लैटों तथा एम. ब्लाक फ्लैटों का सुधार	100	400	0
43.	डी.4.12.1.(334)	ऑटो वर्कशाप, मंदिर मार्ग के क्वार्टरों का सुधार	500	400	0
44.	डी..4.12.1.(338)	बापू समाज सेवा केन्द्र में फ्लैटों का सुधार	300	400	0
45.	डी.4.12.1.(277.7)	पुष्प विहार में सेवाकर्मियों हेतु स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	2500	500	0
46.	डी.4.12.1.(314)	हरीशचन्द्र माथुर लेन पर 24 टाईप –I क्वार्टरों का सुधार	500	500	0
47.	डी.4.12.1.(277.6)	पुष्प विहार/ साकेत स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	200	1000	0
48.	डी.4.12.1.(328)	36 महादेव रोड का सुधार	2000	2000	0
49.	डी.4.3.1.	वेतन एवं भत्ते	1580	2169	0
50.	डी.4.4.10.(251)	वृक्षारोपण एवं खुले स्थानों का विकास	500	200	0
51.	डी.4.4.10.(254)	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों में पार्कों का सुधार	500	200	0
52.	डी.4.4.10.(260)	सर्वेक्षण, डिज़ाईनिंग सहित गोल चौराहों का सुधार	1000	500	0
53.	डी.4.4.10.(246)	हाईड्रेंट्स का प्रतिस्थापन तथा पुरानी पाइप लाईनों को बदलना	2000	1000	0

54.	डी.4.4.16.	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	50	300	0
55.	डी.4.5.1.	वेतन एवं भत्ते	8186	1511	0
56.	डी.8.4.	अनुग्रह राशि	112	147	0
57.	ई.2.2.	विद्युत उपभोक्ता कठिनाईयों निवारण फोरम	500	200	0
58.	ई.3.8	33 केवी सबस्टेशन पर 33 केवी /11 केवी केबल को बदलना	1000	500	0
59.	ई.3.5	पुरानी बैटरी ट्रिपिंग इकाई तथा वोल्टेज स्टेबलाइज़र	1100	2600	0
60.	ई.3.3.5	पुराने जी.एस. खम्बों को बदलन	1000	3500	0
61.	ई.3.1.11	उच्चदाब स्विचगीयर को बदलना	1900	4000	0
62.	ई.3.1.1	11 केवी योजना	250000	5000	0
63.	ई.4.1.(350.17)	ईएसएस सी-ब्लॉक सरोजिनी नगर का सुधार	100	200	0
64.	ई.4.1.(349.57)	बंगला साहिब रोड पर निम्नदाब वितरण पद्धति	50	290	0
65.	ई.4.1. (349.59)	लाल बहादुर सदन पर निम्नदाब पद्धति का संवर्धन	570	672	0
66.	ई.4.1. (349.31)	उच्चदाब केबलों का स्थानांतरण	92	700	0
67.	ई.4.1. (349.41)	बी.के. दत्त कालोनी में निम्नदाब वितरण का संवर्धन	408	1000	0
68.	ई.4.1. (349.38)	अस्थायी विद्युत से निम्नदाब फीडरों की आऊटगोईंग	304	1500	0
69.	ई.4.1. (349.44)	एस/एस-1 हेली रोड से निम्नदाब वितरण पद्धति का संवर्धन	1400	2582	0
70.	ई.4.1. (349.50)	बापू धाम में निम्नदाब पद्धति का संवर्धन	100	3000	0
71.	ई.4.1. (349.2)	एयर, रकाबगंज पर स्विचिंग स्टेशन की स्थापना	1000	4000	0
72.	ई.4.1. (349.7)	सीटीओ कॉम्पलेक्स जनपथ पर स्विचिंग स्टेशनों की स्थापना	500	4000	0
73.	ई.6.(i)	वाहनों का क्रय	2200	800	0
74.	एफ.11. (354.10)	पंडारा रोड टैंक का सशक्तिकरण	2000	500	0
75.	एफ.8. (356.9)	150 मि.मी. व्यास सीआई से 150 मि.मी. व्यास डीआई लाईन का प्रतिस्थापन	100	200	0
76.	एफ .8. (356.30)	75 मि.मी. व्यास सीआई पाईप से 100 मि.मी. व्यास पाईप का प्रतिस्थापन	2500	200	0
77.	एफ.8. (356.4)	विद्यमान बोर्ड का प्रतिस्थापन	700	400	0
78.	जी.1.3. (372)	सड़क-5 प्रभाग में पटरी सुधार कार्यक्रम	10000	500	0
79.	जी.1.3. (358.76)	सर्विस रोड लेन, उपलेन का सतहीकरण	300	600	0
80.	जी.1.3. (371)	सड़क-5 प्रभाग में लेन सुधार कार्यक्रम	10000	1000	0

81.	जी.1. 3.(368)	सड़क-2 प्रभाग में गोल चौराहा सुधार योजना (गो.चौ.सु.यो.)	1000	6000	0
82.	जी.2.5.	टॉवर सीढ़ियों का क्रय	1000	200	0
83.	एच.1.8. (402)	छोटे टी एवं पी, ट्रिपिंग गियर्स का क्रय	200	200	0
84.	एच.1.8. (431.6)	बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर स्टेट एम्पोरिया बिल्डिंग का सुधार	500	300	0
85.	एच.1.8. (411)	अमृत भवन का सुधार	200	1000	0
86.	आई.बी.	गृह भवन अग्रिम	2000	500	0

अनुलग्नक -III
[निर्दिष्ट पैरा 1.15.9 (ख)]

संशोधित अनुमानों के विरुद्ध शून्य व्यय के साथ लेखा शीर्ष

(रुपये हजार में)

क्र.स.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2008-09	संशोधित अनुमान 2008-09	वास्तविक व्यय 2008-09
1.	सी.15.7	बोनस	0	14	0
2.	डी.1.4.5(iv)	नि:शुल्क स्टेशनरी की आपूर्ति : गैर योजना	0	200	0
3.	डी.1.22	कैनवस जूतों की आपूर्ति	0	100	0
4.	डी.1.7.6.ए.(iii)	बोनस	0	11	0
5.	डी.2.14.7.	खसरा का टीकाकरण	0	50	0
6.	डी.2.15.13(vi)	यात्रा रियायत भत्ता	0	50	0
7.	डी.4.6.6.1.	मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों हेतु विद्यालय : आँचल : वेतन एवं भत्ते	0	6556	0
8.	डी.4.6.6.4.	अन्य प्रभार	0	3000	0
9.	डी.4.6.6.6.	बोनस	0	100	0
10.	डी.2.17.11(बी)194.1	66" व्यास की गाद हटाना	0	10	0
11.	डी.2.17.11(बी)198	बनाओ चलाओ सौंपो आधार पर पीटीयूएस का सीवर कनैक्शन	0	100	0
12.	डी.2.17.11(बी)193.5	मिन्टो रोड से बाराखम्बा लेन तक सीवर का संवर्धन	0	200	0
13.	डी.2.17.11(बी)197	कनैक्शन का स्थानांतरण	0	200	0
14.	डी.2.17.14.	पिक-अप वैन का क्रय	0	1000	0
15.	डी.4.12.1.(345)	सरोजिनी सदन, सरोजिनी नगर का सुधार	0	100	0
16.	डी.4.12.1.346	टाईप-2 क्वार्टर पंडारा मार्किट का सुधार	0	300	0
17.	डी.4.4.10 ए(.268)	डी-I, II फ्लैट, के.लो.नि.वि. कालोनी, विनय मार्ग में पार्कों का सुधार	0	500	0
18.	डी.4.4.10ए.(269)	डीआईजेड क्षेत्र में विभिन्न के.लो.नि.वि. पार्कों का पुनर्विकास	0	5000	0
19.	डी.4.6.6.7.	फर्नीचर एवं उपकरण	0	1900	0
20.	ई.3.1.13	विद्युत सब-स्टेशन तिलक मार्ग पर आउटडोर स्विचगीयर का प्रतिस्थापन	0	100	0
21.	ई.3.1.14	विद्युत सबस्टेशन अ.भा.आ.संस्थान पर इन्डोर स्विचगीयर का प्रतिस्थापन	0	100	0
22.	ई.3.1.15	बेयर्ड लेन पर इन्डोर स्विचगीयर का प्रतिस्थापन	0	100	0
23.	ई.3.2.6	पुराने 11 केवी फीडर तथा अन्तर्योजक का प्रतिस्थान	0	1600	0
24.	ई.3.2.2	11 के.वी फीडर का प्रतिस्थापन	0	1700	0
25.	ई.3.2.5	निम्नदाब खराब केबलों का प्रतिस्थापन	0	2700	0
26.	ई.4.1.349.48	400 वर्ग आकार की निम्नदाब आई/सी का प्रावधान	0	317	0

27.	ई.4.1.350.67	विद्युत सब-स्टेशन तुगलक लेन का सुधार	0	400	0
28.	ई.4.1.349.64	डी.बी. आंतरिक से बाहर का सशक्तिकरण	0	425	0
29.	ई.4.1.349.61	डी/एस क्षेत्र में निम्नदाब पद्धति का संवर्धन	0	900	0
30.	ई.4.1.349.67	डी ब्लॉक मंदिर मार्ग पर निम्नदाब पद्धति का संवर्धन	0	1000	0
31.	ई.4.1.349.65	गाँधी सदन पर निम्नदाब पद्धति का संवर्धन	0	1130	0
32.	ई.4.1. 348.20	अलीगंज पर 33केवी सबस्टेशन की स्थापना	0	1200	0
33.	ई.4.1.348.9	33 केवी केबल को लूपिन-लूपआउट	0	2000	0
34.	ई.4.1.349.63	डी/एस क्षेत्र लोदी कालोनी तथा अलीगंज में निम्नदाब पद्धति का सुधार	0	3500	0
35.	एफ.11.354.14	नियंत्रण कक्ष का स्थानांतरण	0	100	0
36.	एफ.11.354.34	डब्ल्यू बी एस बे का अन्तर्योजन	0	500	0
37.	एफ.8.356.33	75 मि.मी. व्यास सीआई लाईन को 100 मि.मी. व्यास डीआई लाईन से बदलना	0	200	0
38.	जी.1.3.358.23	अतुल ग्रोव रोड पर पीटी चैम्बरी फ्लैट में पैदलपथ का सुधार	0	50	0
39.	जी.1.3.358.97	तुगलक रोड तथा के. कामराज मार्ग का पुनर्सतहीकरण	0	100	0
40.	जी.1.3.358.44	पालिका निवास के पीछे नज़फ खान रोड को चौड़ा करना	0	200	0
41.	जी.1.3.358.57	अरविन्दो मार्ग का पुनर्सतहीकरण	0	200	0
42.	जी.1.3.358.58	लोदी रोड का पुनर्सतहीकरण	0	200	0
43.	जी.1.3.358.60	अरविन्दो मार्ग के साईकिल ट्रैक का पुनर्सतहीकरण	0	200	0
44.	जी.1.3.383	पृष्ठ लेन से सी-1/1 से सी -1/16 लोदी कालोनी तक सुधार	0	200	0
45.	जी.1.3.384	19 तथा 21 लोदी कालोनी सड़क ब्लाक को चौड़ा करना	0	200	0
46.	जी.1.3.358.46	सफदरजंग लेन में खुली सतही नाले को ढकना	0	300	0
47.	जी.1.3.358.70	प्री-कॉस्ट सीसी स्लैब द्वारा विद्यमान फुटपाथ का सुधार	0	300	0
48.	जी.1.3.358.33	समीपस्थ टेबल टॉप क्रॉसिंग का निर्माण	0	500	0
49.	जी.1.3.358.40	अकबर रोड का पुनर्सतहीकरण	0	500	0
50.	जी.1.3.358.56	रविन्द्र नगर का पुनर्सतहीकरण	0	500	0
51.	जी.1.3.391	मशीनीकृत सड़क सफाई कर्मचरी उपलब्ध कराना	0	500	0
52.	जी.1.3.382	पंडारा रोड में 'ए' तथा 'बी' ब्लॉक में आरएमसी उपलब्ध कराना	0	800	0
53.	जी.1.3.379	मानसिंह रोड के गोल चौराहे के हिस्से का सुधार	0	1000	0

54.	जी.1.3.380	मौलाना आजाद रोड पार्किंग पर डीक्यू स्टोन फ्लोरिंग का प्रावधान/लगाना	0	1000	0
55.	जी.1.3.387	के.लो.नि.वि. कालोनियों की लेनों/उपलेनों का सुधार	0	1000	0
56.	जी.1.3.389	डीआईज़ेड क्षेत्र की सेवा सड़कों का सुधार	0	1000	0
57.	जी.1.3.376.1	मिन्टो ब्रिज को चौड़ा करना	0	10000	0
58.	एच.1.8.(435)	शंकर मार्किट का बाह्य सौन्दर्यकरण	0	100	0
59.	एच.2.4 A	नगर पालिका भवनों में अस्थायी प्रदीप्तीकरण	0	400	0
60.	एच.2.8.A 446	विद्यमान तरणताल का सुधार	0	10	0

अनुलग्नक IV

[निर्दिष्ट पैरा 1.15.9 (ग)]

संशोधित अनुमानों के 50 प्रतिशत से अधिक वचतों के लेखाशीर्षों का विवरण

(रुपये हजार में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2008-09	संशोधित अनुमान 2008-09	वास्तविक 2008-09	बचत	बचत प्रतिशतता
1.	ए.1.8.	यात्रा रियायत भत्ता	100	200	92	108	54.00
2.	सी.1.10.	यात्रा रियायत भत्ता	200	300	22	278	92.67
3.	सी.11.	पंजाबी का प्रसार	100	100	23	77	77.00
4.	सी.12.6	यात्रा रियायत भत्ता	70	50	5	45	90.00
5.	सी.13.9	यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता	100	50	24	26	52.00
6.	सी.14.13	यात्रा रियायत भत्ता	200	100	13	87	87.00
7.	सी.14.6	कार्यशाला मशीन की मरम्मत/रखरखाव	300	700	340	360	51.43
8.	सी.14.7	अन्य प्रभार	500	500	239	261	52.20
9.	सी.15.6	मानदेय भत्ता	44	30	2	28	93.33
10.	सी.2.4	अन्य प्रभार	250	500	233	267	53.40
11.	सी.2.9.	यात्रा रियायत भत्ता	200	250	50	200	80.00
12.	सी.3.8.(v)ए	नकद	750	750	180	570	76.00
13.	सी.3.8.(vi)	वर्दियां	10000	500	138	362	72.40
14.	सी.3.8.(vii)	विज्ञापन खर्चे	11000	11000	4773	6227	56.61
15.	सी.4.8.	यात्रा रियायत भत्ता	100	100	14	86	86.00
16.	सी.6.5(iii)	अन्य मदें	50	450	107	343	76.22
17.	सी.7.9.	योग्य कर्मियों हेतु प्रोत्साहन योजना	100	100	10	90	90.00
18.	सी.8.10	यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता	20	50	7	43	86.00
19.	सी.8.7.	वैन की मरम्मत/रखरखाव	200	500	240	260	52.00
20.	सी.8.9.	यात्रा रियायत भत्ता	50	50	18	32	64.00
21.	डी.1.1.11.	यात्रा रियायत भत्ता	250	250	39	211	84.40
22.	डी.1.1.14	कम्प्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण के बाह्य स्रोत	4000	4000	1469	2531	63.28
23.	डी.1.1.6.	जीपों की मरम्मत एवं रखरखाव	100	50	1	49	98.00
24.	डी.1.16.8.	यात्रा रियायत भत्ता	50	50	2	48	96.00
25.	डी.1.2.10.17	व.मा.विद्यालय, बापू धाम का सुधार	800	1000	468	532	53.20
26.	डी.1.2.10.15	नवयुग विद्यालय, लोदी कालोनी का सुधार	500	3500	1378	2122	60.63
27.	डी.1.2.10.13	न.पा. विद्यालय, लक्ष्मीबाई नगर का सुधार	500	2100	648	1452	69.14
28.	डी.1.2.10.24	किचनर रोड विद्यालय का सुधार	500	800	93	707	88.38
29.	डी.1.2.10.18	लोदी एस्टेट विद्यालय का सुधार	500	1000	56	944	94.40
30.	डी.1.2.16	यात्रा रियायत भत्ता	250	250	69	181	72.40
31.	डी.1.2.4.	छात्रवृत्ति	50	50	23	27	54.00
32.	डी.1.2.8(iv)	अन्य मदें	2500	3500	1345	2155	61.57

33.	डी.1.2.8(v)	विज्ञान प्रयोगशाला/प्रयोगशाला फर्नीचर	100	100	8	92	92.00
34.	डी.1.2.ए.11.	यात्रा रियायत भत्ता	150	150	63	87	58.00
35.	डी.1.2.ए.8.	अन्य मदें	2500	4200	1681	2519	59.98
36.	डी.1.26	शैक्षिक व्यवसायिक मार्गदर्शन	350	600	219	381	63.50
37.	डी.1.3.12.	यात्रा रियायत भत्ता	150	150	47	103	68.67
38.	डी.1.3.5(ii)	विज्ञान सामग्री	50	100	40	60	60.00
39.	डी.1.3.6.35	न.पा.माध्यमिक विद्यालय, नौरोजी नगर का सुधार	500	800	344	456	57.00
40.	डी.1.3.6.36	बाबू मार्किट विद्यालय, सरोजिनी नगर का सुधार	500	600	241	359	59.83
41.	डी.1.3.6.28	न.पा.मा.विद्यालय, गोल मार्किट का सुधार	1000	500	95	405	81.00
42.	डी.1.4.5(vii)	पुस्तकालय पुस्तकें	100	100	12	88	88.00
43.	डी.1.4.6.	राम कन्या प्राथमिक विद्यालय नं0.-1	3600	5000	1166	3834	76.68
44.	डी.1.4.7.56	नवयुग प्राथमिक विद्यालय, पटौदी हाउस का सुधार	500	600	235	365	60.83
45.	डी.1.4.7.47	प्राथमिक विद्यालय नं0.1, नेताजी नगर का सुधार	700	2300	706	1594	69.30
46.	डी.1.4.7.58	न.पा.प्रा.विद्यालय, नौरोजी नगर का सुधार	200	200	21	179	89.50
47.	डी.1.4.9.(ii)(ए)	सांस्कृतिक शिक्षा/वेतन एवं भत्ते	1178	1106	49	1057	95.57
48.	डी.1.5.4(iv)	फर्नीचर	50	50	2	48	96.00
49.	डी.1.6.4.(ए)	समाज शिक्षा	200	200	71	129	64.50
50.	डी.1.7.4.	अन्य प्रभार	50	50	18	32	64.00
51.	डी.1.7.6.iii.	विज्ञान तथा प्रोत्साहित कार्यक्रम एवं योजना का सुधार	300	600	149	451	75.17
52.	डी.1.7.7.7.ए.	कार्यानुभव तथा हॉबी योजना एवं प्लान	100	150	33	117	78.00
53.	डी.1.8.4.	अन्य प्रभार	50	100	48	52	52.00
54.	डी.2.14.6.	अन्य प्रभार	50	50	17	33	66.00
55.	डी.2.15.13(iv)	महामारी इकाई का सशक्तिकरण	1800	1000	380	620	62.00
56.	डी.2.15.4.	वैन का चलाना एवं रखरखाव	500	700	202	498	71.14
57.	डी.2.16.12.98	प्रवर्तन भंडार लक्ष्मीबाई नगर का सुधार	100	100	9	91	91.00
58.	डी.2.16.17.	यात्रा रियायत भत्ता	800	1000	108	892	89.20
59.	डी.2.17.11(ए).139	एम.आर. रोड पर क्रॉस निकासी पाईप का सुधार एवं बदलना	0	650	321	329	50.62
60.	डी.2.17.11(ए).127	निकासी पद्धति अफ्रीका एवेन्यू का सुधार	5000	2000	937	1063	53.15
61.	डी.2.17.11(ए).159	जे ब्लाक में निकासी पद्धति का सुधार	0	800	370	430	53.75
62.	डी.2.17.11(ए).102	सड़क-II प्रभाग में रिचार्ज संरचना का निर्माण	0	400	141	259	64.75

63.	डी.2.17.11(ए).110	चाणक्यपुरी में सभी गोल चौराहों की निकासी का सुधार	2000	1000	350	650	65.00
64.	डी.2.17.11(ए).109	वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण	3000	3500	1198	2302	65.77
65.	डी.2.17.11(ए).105	सड़क-V प्रभाग में रिचार्ज पिट्स का निर्माण	1000	1000	244	756	75.60
66.	डी.2.17.11(ए).135	न.दि.न.पा.परिषद् में निकास पद्धति की गाद हटाना एवं सुधार	2000	500	82	418	83.60
67.	डी.2.17.11(ए).191	राजीव चौक से क्यू प्वाइंट सं0 9 निकास पद्धति का सीसीटीवी सर्वेक्षण	1300	500	64	436	87.20
68.	डी.2.17.11(ए).123	85 ब्लॉक बंगला साहिब मार्ग पर निकास पद्धति का सुधार	3000	1000	122	878	87.80
69.	डी.2.17.11(ए).157	खराब ब्रिक आर्क निकास नाले का नवीकरण	2500	400	48	352	88.00
70.	डी.2.17.11(ए).186	D1/57 भारती नगर के पास निकास ब्रिक आर्क बैरल का नवीकरण	500	500	46	454	90.80
71.	डी.2.17.11(ए).134	न.दि.न.पा.परिषद् में सीआर-IV प्रभाग में निकास पद्धति की गाद हटाना एवं सुधार	1000	1000	85	915	91.50
72.	डी..2.17.11(ए). 106	सड़क -V प्रभाग में वर्षा जल संचयन पिट्स का निर्माण	500	500	32	468	93.60
73.	डी..2.17.11(ए). 182	ब्लॉक 43-48 सैक्टर-II डी0आई0जे़ड0 क्षेत्र में निकास पद्धति का सुधार	0	800	45	755	94.38
74.	डी..2.17.11(ए). 145	नेताजी नगर में खुले नालों को ढकने का प्रावधान करना	100	100	2	98	98.00
75.	डी.2.17.11(ए). 181	एच ब्लाक में निकास पद्धति का सुधारं	0	1500	4	1496	99.73
76.	डी.2.17.11(ए).128	निकास (पंचशील मार्ग)का सुधार	500	1000	2	998	99.80
77.	डी.2.17.11(बी). 193.15	डा. ज़ाकिर हुसैन मार्ग सहित सीवर लाईन को बिछाना	1500	800	223	577	72.13
78.	डी.2.17.11(बी). 193.22	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में पुरानी सीवर का नवीकरण	500	700	110	590	84.29
79.	डी.2.17.11(बी). 193.16	कार्य एवं आरसीसी पाइपों की मरम्मत	0	100	7	93	93.00
80.	डी.2.17.11(बी). 193.20	सीपी रेडियल्स में सीवरेज पद्धति का संवर्धन	1000	500	10	490	98.00
81.	डी.2.17.11(बी). 193.17	एच ब्लॉक एम मार्ग पर सीवर पाईपों के साथ आरसीसी पाईपों तथा मरम्मत का कार्य	500	1000	11	989	98.90
82.	डी.2.17.13. ए	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में मुख्य सीवर लाईन को साफ करना/गाद हटाना	0	30000	10598	19402	64.67

83.	डी.2.17.19.	यात्रा रियायत भत्ता	300	100	12	88	88.00
84.	डी.2.19.4.	लार्वा साइड्स तथा उपकरण	50	100	31	69	69.00
85.	डी.2.19.6.	वैन का रखरखाव एवं मरम्मत	1650	1600	575	1025	64.06
86.	डी.2.2.6.	वैनों का रखरखाव एवं मरम्मत	100	300	92	208	69.33
87.	डी.2.20.4.	अन्य प्रभार	1500	200	3	197	98.50
88.	डी.2.3.13.82	हरीशचन्द्र माथुर लेन पर ऐलोपेथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक डिस्पेंसरियों का सुधार	500	500	4	496	99.20
89.	डी.2.5.4.	दवाईयाँ	1200	1200	598	602	50.17
90.	डी.2.5.8.91	टीकाकरण केन्द्र मंदिर मार्ग पर होम्योपेथिक डिस्पेंसरियों का सुधार	300	300	144	156	52.00
91.	डी.2.6.13.	वैन का रखरखाव एवं मरम्मत	200	150	75	75	50.00
92.	डी.2.8.5.(iv)	टीकाकरण	50	50	1	49	98.00
93.	डी.3.1.4.	अन्य प्रभार	100	100	23	77	77.00
94.	डी.4.1.4.	रखरखाव (विद्युत)	600	325	121	204	62.77
95.	डी.4.12.1.305	पालिका निकेतन हाउसिंग कॉम्पलेक्स का सुधार	1000	200	100	100	50.00
96.	डी.4.12.1.281.1	बाल्मीकि सदन, मंदिर मार्ग पर 32 (टाईप -I) स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	1000	700	344	356	50.86
97.	डी.4.12.1.312	पालिका मिलन हाउसिंग कॉम्पलेक्स का सुधार	700	700	327	373	53.29
98.	डी.4.12.1.277.9	साउथ एण्ड लेन कॉम्पलेक्स का पुनर्विकास	700	600	248	352	58.67
99.	डी.4.12.1.309.1	आदित्य सदन पर सामुदायिक हॉल का सुधार	200	300	118	182	60.67
100.	डी.4.12.1.294	पालिका निलय पर 17 टाईप-III फ्लैटों का निर्माण	1000	500	180	320	64.00
101.	डी.4.12.1.322	पीआर मार्किट फ्लैटों का सुधार	100	1000	359	641	64.10
102.	डी.4.12.1.323	पालिका ग्राम हाउसिंग कॉम्पलैक्स, सरोजिनी नगर का सुधार	100	300	102	198	66.00
103.	डी.4.12.1.284	नेताजी नगर मार्किट फ्लैटों का सुधार	800	200	58	142	71.00
104.	डी.4.12.1.283	बेगम ज़ैदी तथा बसूरकर मार्किट फ्लैटों का सुधार	100	400	107	293	73.25
105.	डी.4.12.1.293	तुगलक क्रिसेंट पर क्वार्टरों का सुधार	200	1200	312	888	74.00
106.	डी.4.12.1.306	पालिका धाम हाउसिंग कॉम्पलैक्स का सुधार	3000	5000	1107	3893	77.86
107.	डी.4.12.1.308	गॉधी सदन हाउसिंग कॉम्पलैक्स का सुधार	4000	5000	1021	3979	79.58
108.	डी.4.12.1.291	लेडी हार्डिंग फ्लैटों का सुधार	300	500	101	399	79.80
109.	डी.4.12.1.321	पी.आर लेन पर का सुधार टाईप. I क्वार्टरों का सुधार	3000	2000	156	1844	92.20

110.	डी.4.12.1.303	अबुल फैज़ल रोड पर फ्लैटों का सुधार	300	500	33	467	93.40
111.	डी.4.2.1.5.	अन्य प्रभार	50	100	9	91	91.00
112.	डी.4.2.2.4.	अन्य प्रभार	50	50	12	38	76.00
113.	डी.4.2.2.9.	यात्रा रियायत भत्ता	60	60	18	42	70.00
114.	डी.4.2.4.231	सामुदायिक केन्द्र, खान मार्किट का सुधार	400	600	154	446	74.33
115.	डी.4.2.4.213	बारात घरों का सुधार/उन्नयन	0	1000	72	928	92.80
116.	डी.4.2.4.211	सरकारी कालोनियें में बहुउद्देशीय हॉल/सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	100	500	17	483	96.60
117.	डी.4.4.10.264	विभिन्न इन्क्वायरी में रोल कॉल शेल्टरों का निर्माण	2000	1200	583	617	51.42
118.	डी.4.4.10.245	बड़े गमलों में बड़े वृक्षों का विकास	800	800	382	418	52.25
119.	डी.4.4.10.261	ग्रीन हाउस/पोली हाउस का निर्माण	500	1000	418	582	58.20
120.	डी.4.4.10.239	नेहरु पार्क का विकास	800	900	352	548	60.89
121.	डी.4.4.10.250	उद्यान विभाग में मशीनीकृत पद्धति का सुधार	15000	5000	1836	3164	63.28
122.	डी.4.4.10.242	लोदी गार्डन का विकास	1000	1200	280	920	76.67
123.	डी.4.4.10.267	आवासीय कालोनियों में पार्कों का सुधार	1500	3600	25	3575	99.31
124.	डी.4.4.15.	यात्रा रियायत भत्ता	100	200	72	128	64.00
125.	डी.4.4.4.डी	के.लो.नि.वि. कालोनी पार्कों का सुधार	40000	30000	12502	17498	58.33
126.	डी.4.4.6.	अन्य प्रभार	200	200	40	160	80.00
127.	डी.4.5.4.	वैन की मरम्मत एवं रखरखाव	300	300	52	248	82.67
128.	डी.4.5.6.	मानदेय भत्ता	107	12	4	8	66.67
129.	डी.4.6.4.ए.	वैन की मरम्मत एवं रखरखाव	50	70	23	47	67.14
130.	डी.4.6.7.1.	वेतन एवं भत्ते	4453	2015	309	1706	84.67
131.	डी.5(ii)	स्वच्छता एवं देखरेख	1000	1000	499	501	50.10
132.	डी.7.6.	अन्य प्रभार	100	200	18	182	91.00
133.	डी.8.1.	वेतन एवं भत्ते	8630	10880	42	10838	99.61
134.	ई.10.	यात्रा रियायत भत्ता.	2000	4200	661	3539	84.26
135.	ई.11	भंडार का क्रय	1100000	400000	26701	373299	93.32
136.	ई.12	यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता	1000	2100	231	1869	89.00
137.	ई.3.2.3	इलैक्ट्रिक सब-स्टेशन बी.जे. पार्क की शिरोपरि लाईन की मरम्मत	1800	4000	1707	2293	57.33
138.	ई.3.1.5	निम्नदाब स्विचगीयर तथा ट्रांसफार्मरों की मरम्मत तथा संवर्धन	1100	80000	28659	51341	64.18
139.	ई.3.1.6	30 नम्बर विद्युत सब-स्टेशन में 11 केवी उच्चदाब पैनल की मरम्मत	0	90000	16761	73239	81.38

140.	ई.3.15	विभिन्न सब-स्टेशनों पर पुराने उपकरणों की मरम्मत	5000	13000	1513	11487	88.36
141.	ई.3.1.12	पालिका बाजार में विद्युत सब-स्टेशनों का स्थानांतरण	0	600	49	551	91.83
142.	ई.3.4	सब-स्टेशन भवन में पुरानी वायरिंग	300	300	23	277	92.33
143.	ई.3.2.7	पार्क स्ट्रीट से 33केवी फीडरों को बदलना	20000	2150	144	2006	93.30
144.	ई.3.1.10	एम्पोरियम पर उच्चदाब/निम्नदाब स्विचगीयरों को बदलना	0	2700	35	2665	98.70
145.	ई.4.1.350.52	विद्युत सब-स्टेशन सत सदन का सुधार	100	200	97	103	51.50
146.	ई.4.1.350.39	विद्युत सब-स्टेशन आईएनए पार्किंग (ई) किदवई नगर का सुधार	100	100	45	55	55.00
147.	ई.4.1.348.12	33 केवी सब-स्टेशन ट्रांमा सैंटर की स्थापना	10000	2000	875	1125	56.25
148.	ई.4.1.348.14	कनॉट प्लेस पर 33 केवी आई/डी सब-स्टेशन की स्थापना	25000	7000	2643	4357	62.24
149.	ई.4.1.349.39	विद्युत सब-स्टेशन बापा नगर पर निम्नदाब फीडरों का बाह्य स्रोत	100	550	197	353	64.18
150.	ई 4.1.350.45	विद्युत सब-स्टेशन नेहरू पार्क का सुधार	200	700	195	505	72.14
151.	ई.4.1.349.62	किदवई नगर में निम्नदाब पद्धति का संवर्धन	0	2000	551	1449	72.45
152.	ई.4.1.350.42	विद्युत सब-स्टेशन विनय मार्ग का सुधार	200	400	102	298	74.50
153.	ई.4.1.349.45	सब-स्टेशन शिवाजी स्टेशन से निम्नदाब वितरण पद्धति का सुधार	1550	1758	414	1344	76.45
154.	ई.4.1.349.66	पालिका वास पर निम्नदाब पद्धति का संवर्धन	0	220	48	172	78.18
155.	ई.4.1.350.6	विद्युत सब-स्टेशन किदवई नगर पर भूतपूर्व इंजीनियरों के कार्यालय का सुधार	200	100	21	79	79.00
156.	ई.4.1.348.7	स्कॉडा परियोजना पीजीसीआईएल (पीजीसीआईएल)	50000	1500	144	1356	90.40
157.	ई.4.1.349.22	सी-2 मोती बाग पर सब-स्टेशन की क्षमता का संवर्धन	150	1800	13	1787	99.28
158.	ई.6.(vii)	सामान्य भंडारों हेतु सुरक्षा प्रबन्ध	0	50	16	34	68.00
159.	एफ.11.354.36	कस्तूरबा गॉधी मार्ग पर सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना द्वारा बहुमंजिली पार्किंग से जल लाईनों का स्थानांतरण	0	2000	991	1009	50.45
160.	एफ.11.354.23	लक्ष्मीबाई नगर पर दि.वि.प्रा. झुग्गी झौपड़ी क्वार्टरों हेतु नये 100 मि0मी0 व्यास की डीआई	0	400	196	204	51.00

		लाईन बिछाना					
161.	एफ.11.354.9	लोदी कालोनी पर अंतिम छोरों को हटाना	200	200	93	107	53.50
162.	एफ.11.354.31	बूस्टिंग प्रबन्धन के साथ भूमिगत टैंक का निर्माण	20000	500	136	364	72.80
163.	एफ.11.354.1	हैंड पम्पों का स्थापन	1000	3000	742	2258	75.27
164.	एफ.11.354.35	किदवई नगर (पू0) में आरसीसी भूमिगत तथा जल बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण	0	2000	384	1616	80.80
165.	एफ.11.354.16	पीने के पानी के उद्देश्य हेतु सार्वजनिक हाईड्रेन्ट का प्रावधान/लगाना	100	100	18	82	82.00
166.	एफ.11.354.12	जीआई ब्लॉक में जल स्टेशन का सुधार	200	500	88	412	82.40
167.	एफ.11.354.18	राजपथ के उत्तर में 23 जल बूस्टिंग स्टेशनों में जल स्टेशनों के प्रबन्धन में परिवर्तन करना	100	100	7	93	93.00
168.	एफ.11.354.22	23 जल बूस्टिंग स्टेशनों से डुप्जलीकेट विद्युत आपूर्ति का प्रावधान	1500	1500	92	1408	93.87
169.	एफ.11.354.33	डा0 लेन पर भूमिगत टैंक पम्प हाउस का निर्माण	0	500	3	497	99.40
170.	एफ.16.	यात्रा रियायत भत्ता	150	150	67	83	55.33
171.	एफ.8.356.13	लक्ष्मीबाई नगर पर नये पम्प सैट के साथ 50 हाउस पॉवर वाले दो पम्प सेटो की मरम्मत	600	800	304	496	62.00
172.	एफ.8.356.22	कैड क्ले मौसम भवन पर पुरानी लाईनों की मरम्मत	2000	2200	698	1502	68.27
173.	एफ.8.356.25	जनपथ लेन से जंतर-मंतर रोड तक पुरानी लाईनों की मरम्मत	0	300	20	280	93.33
174.	एफ.8.356.21	पृथ्वीराज लेन, सुनहरी बाग रोड पर पुरानी लाईनों की मरम्मत	2000	2500	142	2358	94.32
175.	एफ.8.356.14	एक 100 हॉर्स पॉवर पम्प सैट की मरम्मत	700	1200	2	1198	99.83
176.	जी.1.3.358.106	पार्क स्ट्रीट पर फुटपाथों का सुधार	3000	3500	1559	1941	55.46
177.	जी.1.3.358.110	चैम्सफोर्ड रोड पर फुटपाथों का सुधार	3000	3000	1316	1684	56.13
178.	जी.1.3.358.65	लक्ष्मीबाई नगर में कच्चे भाग पर सीसी अन्तर्योजक ग्रास पेवर्स का प्रावधान/लगाना	400	400	161	239	59.75
179.	जी.1.3.377	बी.के. दत्त कालोनी में चारदीवारी का निर्माण	0	100	38	62	62.00
180.	जी.1.3.358.11	टालस्टाय लेन में कच्चे भाग का निर्माण	1300	1700	631	1069	62.88

181.	जी.1.3.366.5	राष्ट्रमंडल खेल में साईकिलिंग इवेंट हेतु तैयारी	0	1000	337	663	66.30
182.	जी.1.3.358.90	तीन मूर्ति मार्ग पर फुटपाथ का सुधार	1000	1300	433	867	66.69
183.	जी.1.3.358.93	सड़क-4 प्रभाग में लेन/उपलेन का सुधार	5000	1000	308	692	69.20
184.	जी.1.3.358.49	साउथ एंड लेन पर फुटपाथ का सुधार	0	200	54	146	73.00
185.	जी.1.3.358.2	सर्विस लेन सड़क-1 डीएन का सतहीकरण	500	500	126	374	74.80
186.	जी.1.3.358. 105	पंडित पंत मार्ग पर मरम्मत किये गये फुटपाथों का सुधार	4500	1500	267	1233	82.20
187.	जी.1.3.358.47	सड़कों/लेन/उपलेन का सशक्तिकरण/पुनर्सतहीकरण	1000	1500	241	1259	83.93
188.	जी.1.3.358.28	काका नगर का मास्टिक एसफाल्टिंग वियरिंग कोर्स का प्रावधान	500	500	80	420	84.00
189.	जी.1.3.358.83	अति-अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन तथा सुरक्षा प्रबन्धों हेतु एसपी मार्ग पर सी/वी का प्रावधान	2700	1000	87	913	91.30
190.	जी.1.3.358.6	बाबर रोड पर फुटपाथ का सुधार	0	250	21	229	91.60
191.	जी.1.3.358.10	कापरनिकस मार्ग पर फुटपाथ का सुधार	2500	2500	192	2308	92.32
192.	जी.1.3.(358.75)	साउथ एवेन्यू लेन में लेन/उपलेन का सुधार	300	300	20	280	93.33
193.	जी.1.3.370	सड़क-3 प्रभाग में क्रांसिंग सुधार योजना तथा गोल चौराहा	10000	7000	450	6550	93.57
194.	जी.1.3.(358. 111)	नार्थ एवेन्यू के क्रिसेंट तथा लेन तथा उपलेनों का सशक्तिकरण/पुनर्सतहीकरण	2500	2000	113	1887	94.35
195.	जी.1.3.376.2	मिन्टो रोड को चौड़ा करना	2000	10000	217	9783	97.83
196.	जी.1.3.358.99	सड़क-5 प्रभाग में लेन/उपलेन का सुधार	2000	2000	40	1960	98.00
197.	जी.1.3.358.71	फुटपाथ सैन्ट्रल रोड का सुधार	0	300	3	297	99.00
198.	जी.1.3.367	सड़क-2 प्रभाग में पटरी सुधार योजना (प.सु.यो.)	1000	5000	41	4959	99.18
199.	जी.1.3.390	कोल्ड मिक्स द्वारा सड़कों का सशक्तिकरण एवं पुनर्सतहीकरण	0	2000	17	1983	99.15
200.	जी.1.3.388	अन्तर्योजन पेवर्स का प्रावधान एवं लगाना	0	500	3	497	99.40
201.	एच.1.20.	यात्रा रियायत भत्ता	1000	1420	500	920	64.79
202.	एच.1.21.	यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता	200	600	50	550	91.67
203.	एच.1.8.29	यशवंत प्लेस का सुधार	1500	3000	1490	1510	50.33
204.	एच.1.8.416	संजय झील तथा पार्क, लक्ष्मीबाई नगर का सुधार	100	100	49	51	51.00

205.	एच.1.8.395	पालिका पार्किंग का सुधार	1500	1500	734	766	51.07
206.	एच.1.8.414	विद्युत भवन का सुधार	500	1000	310	690	69.00
207.	एच.1.8.427	चाणक्य भवन का सुधार	2000	4000	1065	2935	73.38
208.	एच.1.8.(426.5)	कम्यु.कम्यू. प्रगति भवन का सुधार	1600	1400	267	1133	80.93
209.	एच.1.8.431.12	यूसुफ ज़ई मार्किट की दुकानों का बाह्य सौन्दर्यकरण	5000	10000	793	9207	92.07
210.	एच.1.8.424	पूर्व के एक्सलेटर सहित पालिका बाजार का उन्नयन	2500	1000	52	948	94.80
211.	एच.2.13.	यात्रा रियायत भत्ता	500	500	93	407	81.40
212.	एच.2.8.ए.448	पालिका बाजार में वातानुकूलित प्लांट का सुधार	1500	2500	1244	1256	50.24
213.	एच.2.8.ए.443	कमरे के हीटरों/कन्वेक्टरों का सुधार	25	50	21	29	58.00
214.	एच.2.8.ए.452	नगर पालिका भवनों में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का प्रावधान	0	4000	4	3996	99.00
215.	एच.3.9.	यात्रा रियायत भत्ता	200	200	21	179	89.50
216.	आई..	कर्मचारियों हेतु कुल अग्रिम	10200	1800	162	1638	91.00
217.	आई.ए.	वाहन का क्रय	1000	200	30	170	85.00
218.	आई.सी.	त्यौहार अग्रिम	7000	1000	132	868	86.80

अनुलग्नक V
[निर्दिष्ट पैरा 1.15.9 (घ)]
संशोधित अनुमानों के विरूध अधिक्क व्यय के साथ लेखा शीर्ष

(रुपये हजारों में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2008-09	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय 2008-09	अतिव्यय	अतिव्यय का प्रतिशत
1	ए.1.1.	कर व शुल्कों की वसूली : वाणिज्य व कर कार्यालय : वेतन व भत्ते	17144	21225	24141	2916	13.74
2	ए.1.5.	अनुग्रह राशि	126	162	204	42	25.93
3	ए.1.7.	समयोपरि भत्ता/मानदेय	50	106	141	35	33.02
4	सी.1.1.	प्रशासनिक विभाग : अध्यक्ष/प्रशासक/उपाध्यक्ष व सदस्य : वेतन व भत्ते	5059	5754	6349	595	10.34
5	सी.1.9.	समयोपरि भत्ता/मानदेय	250	36	233	197	547.22
6	सी .2.1.	वित्त विभाग : वेतन व भत्ते	12350	15003	15698	695	4.63
7	सी.2.5.	अनुग्रह राशि	51	90	116	26	28.89
8	सी.2.8.	समयोपरि भत्ता/मानदेय	200	52	105	53	101.92
9	सी.3.1.	सामान्य प्रशासन: वेतन व भत्ते	169347	176897	189681	12784	7.23
10	सी.3.8.(i)	फर्नीचर	1500	1700	1747	47	2.76
11	सी .3.8.(xi)	मानव संसाधन विकास	5500	3600	3645	45	1.25
12	सी.3.8.(xv)	बैंक प्रभार	350	60	236	176	293.33
13	सी.3.12.	अनुग्रह राशि	1005	1328	1760	432	32.53
14	सी.3.13.	बोनस	425	622	1064	442	71.06
15	सी.3.14.	समयोपरि भत्ता/मानदेय	1000	419	1040	621	148.21
16	सी.3.17.	यातायात भत्ता/मंहगाई भत्ता	700	1000	1266	266	26.60
17	सी.3.19ए	पालिका परिषद् अंशदान (एनपी)	4000	8000	9029	1029	12.86
18	सी.4.1.	विधि विभाग : वेतन व भत्ते	22801	18197	24701	6504	35.74
19	सी.4.5.	अनुग्रह राशि	80	108	137	29	26.85
20	सी.4.6.	बोनस	132	111	146	35	31.53
21	सी.5.1.	हिन्दी कार्यालय : वेतन एवं भत्ते	5151	5888	5920	32	0.54
22	सी.6.1.	जन सम्पर्क : वेतन एवं भत्ते	11726	17035	17840	805	4.73
23	सी.6.9.	प्रचार अभियान	3000	4000	4269	269	6.72
24	सी.6.11.	अनुग्रह राशि	44	98	123	25	25.51
25	सी.6.12.	बोनस	126	97	124	27	27.84
26	सी.7.1.	कर्मचारी और मजदूर कल्याण : वेतन एवं भत्ते	3064	3857	11219	7362	190.87
27	सी.7.13.	अनुग्रह राशि	22	148	180	32	21.62
28	सी.8.1.	सतर्कता : वेतन एवं भत्ते	15138	11355	12366	1011	8.90
29	सी.8.5.	अनुग्रह राशि	78	97	128	31	31.96
30	सी.12.1	विभागीय जलपान गृह : वेतन एवं भत्ते	4636	5217	5321	104	1.99

31	सी.12.4	बोनस	94	97	124	27	27.84
32	सी.13.1	मु0लेखा परीक्षक का कार्यालय : वेतन एवं भत्ते	21384	21620	22912	1292	5.97
33	सी.13.8	अनुग्रह राशि	56	107	142	35	32.71
34	सी.14.9	कोर्ट आरएसीसी /डीईसीडी के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान	500	200	587	387	193.50
35	सी.14.10	अनुग्रह राशि	437	481	621	140	29.11
36	सी.15.1	सूचना व प्रौद्योगिकी वेतन एवं भत्ते	8062	4080	4347	267	6.54
37	डी.1.1	शिक्षा /मुख्यालय/वेतन एवं भत्ते	13359	13802	15084	1282	9.29
38	डी.1.1.7.	अनुग्रह राशि	99	119	153	34	28.57
39	डी.1.2.10.6	न.पा.कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल गोल मार्किट का सुधार	2000	4000	5799	1799	44.97
40	डी.1.2.10.8	न.पा. बाल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मंदिर मार्ग का सुधार	11000	200	751	551	275.50
41	डी.1.2.10.12	नवयुग स्कूल लक्ष्मीबाई नगर का सुधार	1500	6600	6652	52	0.79
42	डी.1.2.13.	अनुग्रह राशि	217	80	103	23	28.75
43	डी.1.2.14	बोनस	735	515	776	261	50.68
44	डी.1.2.ए.1	माध्यमिक स्कूल : वेतन एवं भत्ते	66722	90170	92814	2644	2.93
45	डी.1.2.ए.5.	अनुग्रह राशि	50	131	184	53	40.46
46	डी.1.2.ए.6.	बोनस	639	745	1001	256	34.36
47	डी.1.3.1	माध्यमिक स्कूल : वेतन एवं भत्ते	69871	66725	70975	4250	6.37
48	डी.1.3.6.30	कन्या माध्यमिक स्कूल लोदी कालोनी का सुधार	200	300	442	142	47.33
49	डी.1.3.6.33	बी एवेन्यू सरोजिनी नगर के स्कूल का सुधार	500	100	108	8	8.00
50	डी.1.3.9.	अनुग्रह राशि	94	105	137	32	30.48
51	डी.1.3.10.	बोनस	677	686	915	229	33.38
52	डी.1.4.1	प्राथमिक स्कूल वेतन एवं भत्ते	105074	158004	161276	3272	2.07
53	डी.1.4.7.51	नगरपालिका प्रा. स्कूल मोतीबाग का सुधार	800	500	742	242	48.40
54	डी.1.4.7.55	नगरपालिका प्रा. स्कूल काका नगर का सुधार	200	800	904	104	13.00
55	डी.1.4.7.ए.	अनुग्रह राशि	135	263	350	87	33.08
56	डी.1.4.7.बी.	बोनस	1140	1641	2178	537	32.72
57	डी.1.4.7.सी	समयोपरि भत्ता/मानदेय	150	190	237	47	24.74
58	डी .1.5.1	नर्सरी स्कूल : वेतन एवं भत्ते	30659	46337	47504	1167	2.52
59	डी.1.5.10	बोनस	370	495	665	170	34.34
60	डी.1.6.1	समाज : सह-प्रौढ़ शिक्षा : वेतन एवं भत्ते	15563	20064	22835	2771	13.81
61	डी.1.6.7	बोनस	227	231	399	168	72.73
62	डी.1.7.1	कार्यानुभव व अभिरुचि केन्द्र : वेतन एवं भत्ते	742	1545	3640	2095	135.60
63	डी.1.10.9(ii)	अन्य मदें	150	100	507	407	407.00
64	डी.1.14.1	समाज शिक्षा एवं गृह कल्याण केन्द्र/वेतन एवं भत्ते	25573	24449	25330	881	3.60

65	डी.1.14.6	बोनस	471	462	599	137	29.65
66	डी.1.16.1	युवा केन्द्र : वेतन एवं भत्ते	1402	1797	2181	384	21.37
67	डी.2.1.1	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मुख्यालय : वेतन एवं भत्ते	28688	19091	25982	6891	36.10
68	डी.2.1.9	अनुग्रह राशि	189	219	288	69	31.51
69	डी.2.2.1	चरक पालिका अस्पताल : वेतन एवं भत्ते	70592	63475	93717	30242	47.64
70	डी.2.2.4	दवाईयाँ	22500	22500	22553	53	0.24
71	डी.2.2.4.ए.68	चिकित्सा उपकरणों की खरीद	14000	11000	13161	2161	19.65
72	डी.2.2.10	अन्य प्रभार	8000	8000	8790	790	9.87
73	डी.2.2.11.ए	अनुग्रह राशि	40	81	105	24	29.63
74	डी.2.2.11.बी.	बोनस	437	529	717	188	35.54
75	डी.2.2.14.1	कैंसर खोजी एवं नशा मुक्ति केन्द्र : वेतन एवं भत्ते	1548	648	652	4	0.62
76	डी.2.2.ए.1.	पालिका प्रसूति अस्पताल : वेतन एवं भत्ते	31685	37485	38936	1451	3.87
77	डी.2.2.ए.4.74	किचनर रोड पर 50 बिस्तर वाले प्रसूतिकेन्द्र का निर्माण	500	600	2599	1999	333.17
78	डी.2.2.ए.5	अन्य सेवायें	500	800	936	136	17.00
79	डी.2.2.ए.6	अनुग्रह राशि	0	85	110	25	29.41
80	डी.2.2.ए.7	बोनस	210	231	303	72	31.17
81	डी.2.3.17	अनुग्रह राशि	149	133	205	72	54.14
82	डी.2.3.18	बोनस	200	181	202	21	11.60
83	डी.2.4.1	आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी : वेतन एवं भत्ते	14381	15595	16635	1040	6.67
84	डी.2,5.1	होम्योपैथिक डिस्पेंसरी : वेतन एवं भत्ते	13224	14402	14633	231	1.60
85	डी.2.8.1	स्कूल स्वास्थ्य सेवायें : वेतन एवं भत्ते	10327	6793	7731	938	13.81
86	डी.2.10.1	जन स्वास्थ्य निरीक्षण : वेतन एवं भत्ते	18603	21202	22532	1330	6.27
87	डी.2.10.5	अनुग्रह राशि	207	288	362	74	25.69
88	डी.2.12.1	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र : वेतन एवं भत्ते	24192	23106	24531	1425	6.17
89	डी.2.12.11	अनुग्रह राशि	17	101	135	34	33.66
90	डी.2.12.12	बोनस	266	198	256	58	29.29
91	डी.2.13.1	परिवार नियोजन : वेतन एवं भत्ते	3364	798	799	1	0.13
92	डी.2.14.1	टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण : वेतन एवं भत्ते	4244	3974	4502	528	13.29
93	डी.2.15.1	महामारी की रोकथाम : वेतन एवं भत्ते	10412	3908	5580	1672	42.78
94	डी.2.15.13(i)	महामारी विज्ञान : वेतन एवं भत्ते	2466	2948	4607	1659	56.27
95	डी.2.16.1	कूड़ा हटाना : वेतन एवं भत्ते	300423	303191	307744	4553	1.50
96	डी.2.16.14	अनुग्रह राशि	4520	4796	6368	1572	32.79
97	डी.2.16.15	बोनस	12	10	170	160	1600.00
98	डी.2.17.1	सीवर व बरसाती नाले : वेतन एवं भत्ते	87007	86909	88854	1945	2.24
99	डी.2.17.6	बरसाती नालों/ योजना का तकनीकी रखरखाव	0	10450	12350	1900	18.18
100	डी.2.17.10	अन्य प्रभार	2300	600	1724	1124	187.33
101	डी.2.17.11(ए). 108	बरसाती पानी संचय ढांचे का निर्माण	1000	300	638	338	112.67

102	डी.2.17.11(ए).136	शंकर मार्किट के आगे नाली पद्धति में सुधार	0	1400	1458	58	4.14
103	डी.2.17.11 (ए).160	नार्थ एवेन्यू में नाली पद्धति में सुधार	1500	1200	1378	178	14.83
104	डी.2.17.12.(ए). 199	क्यू प्वाईट से लोदी रोड तक 66 ईंच ब्रिक बैरल का पुर्नवास	20000	30000	36020	6020	20.07
105	डी.2.17.12.(ए). 201	अंडाकार बैरल का पुर्नवास	500	2000	7839	5839	291.95
106	डी.2.17.16	अनुग्रह राशि	1328	1454	1870	416	28.61
107	डी.2.18.1	खाद्य अपमिशन नियंत्रण : वेतन एवं भत्ते	3434	5079	5251	172	3.39
108	डी.2.19.1	मलेरिया रोधी : वेतन एवं भत्ते	35230	33554	35964	2410	7.18
109	डी.2.19.7	अन्य प्रभार	1000	1500	2609	1109	73.93
110	डी.2.19.9	मलेरिया रोधी अभियान (राजस्व)	1000	7000	7194	194	2.77
111	डी.2.19.11	बोनस	565	611	784	173	28.31
112	डी.2.21.1	स्वास्थ्य शिक्षा :वेतन एवं भत्ते	1694	466	661	195	41.85
113	डी.3.1.1	पशुपालन : वेतन एवं भत्ते	6695	5004	6447	1443	28.84
114	डी.4.2.1.1	सामुदायिक हाल : पंचकुइया रोड वेतन एवं भत्ते	4283	3071	3134	63	2.05
115	डी.4.2.2.1	क्रैच : वेतन एवं भत्ते	4560	4880	7680	2800	57.38
116	डी.4.2.2.6	अनुग्रह राशि	10	77	140	63	81.82
117	डी.4.2.4.228	बारातघर काका नगर का सुधार	3000	5500	8581	3081	56.02
118	डी.4.4.1	गार्डन पार्क फुव्वारे : वेतन एवं भत्ते	234579	221177	224027	2850	1.29
119	डी.4.4.10.241	तालकटोरा गार्डन का विकास	1000	1000	4705	3705	370.50
120	डी.4.4.10.253	एन.डी.एम.सी. के प्राईमरी स्कूलों में पार्को का विकास	500	200	297	97	48.50
121	डी.4.4.10. 258	ट्री गार्डो का क्रय	3000	2000	2164	164	8.20
122	डी.4.4.11	अनुग्रह राशि	485	274	357	83	30.29
123	डी.4.4.11.ए	बोनस	3585	4329	5562	1233	28.48
124	डी.4.4.12	कम्पोस्ट प्लांट का रखरखाव व चालन	2500	2500	4592	2092	83.68
125	डी.4.6.1	समाज कल्याण : वेतन एवं भत्ते	4780	2910	6813	3903	134.12
126	डी.4.6.5.ए	अनुग्रह राशि	50	33	136	103	312.12
127	डी.4.7.2	समाज कल्याण समिति	11000	11000	17624	6624	60.22
128	डी.4.12.1.265	बापूधाम कम्पलैक्स का सुधार	1000	800	1011	211	26.38
129	डी.4.12.1.309	आदित्य सदन कम्पलैक्स का सुधार	1000	1500	1633	133	8.87
130	डी.4.12.1.315	सत्य कुटुम्ब हाउसिंग कम्पलैक्स का सुधार	500	1000	1030	30	3.00
131	डी.4.12.1.317	पालिका निकेतन आर.के.पुरम में सुधार	1000	400	4860	4460	1115.00
132	डी.4.12.1.343	पंचशील मार्ग स्थित पार्को में सुधार	100	100	118	18	18.00
133	डी.5(iii)	पालिका पार्किंग का रखरखाव :विद्युत	100	1500	6874	5374	358.26
134	डी.7.1	इन्डोर स्टेडियम : वेतन एवं भत्ते	10000	5149	5595	446	8.66
135	ई.1.1	बिजली आपूर्ति : वेतन एवं भत्ते	587113	511393	533248	21855	4.27
136	ई.2.1	बिजली/पानी प्रभारों के बिलों के कम्प्यूटीकरण के लिए भुगतान	1000	700	993	293	41.86
137	ई.2.4	परामर्श शुल्क के लिए भुगतान	3000	2000	2225	225	11.25
138	ई.3.1.4	चाणक्यपुरी में 1000 किलोवाट के दो ट्रांसफार्मरों को बदलना	0	1000	1082	82	8.20

139	ई.3.1.7	किदवई नगर सब-स्टेशन में उच्चदाब पैनलों को स्थानान्तरण और बदलना	400	300	3826	3526	1175.33
140	ई.3.1.8	कनाट प्लेस में उच्च दाब/निम्नदाब स्विचगेयरों को बदलना	0	650	746	96	14.77
141	ई.3.1.9	इण्डियन आयल भवन सबस्टेशन में उच्चदाब/निम्नदाब स्टेशनों को बदलना	0	1000	3208	2208	220.80
142	ई.3.2.1	सरोजिनी नगर में उच्चदाब पिल्ल का केबल बदलना	91	500	920	420	84.00
143	ई.3.2.4	भूमिगत निम्नदाब केबल से सब मेन बदलना	0	2500	3362	862	34.48
144	ई.3.3.1	एस.पी.मार्ग में जोन नं0 10 के जीएस पिल्लरों को बदलना	0	100	29560	29460	29460.00
145	ई.3.3.3	मोतीबाग किदवई नगर में पुराने जीएस पिल्लरों को बदलना	0	1000	2460	1460	146.00
146	ई.3.3.4	डी/एन डिविजन क्षेत्र में जोन नं0 4 के पुराने जीएस पिल्लरों को बदलना	0	1000	2696	1696	169.60
147	ई.3.10	सी0सैके0स्कूल में 66/33 केवी बदलना	30000	11000	87202	76202	692.75
148	ई.3.17	33 केवी फीडर को बदलना	27500	100	1669	1569	1569.00
149	ई.4.1.348.4	शाहजहाँ रोड में 33 केवी सबस्टेशन	200	200	312	112	56.00
150	ई.4.1.349.32	लोदी कालोनी/पालिका निवास में निम्नदाब पद्धति का संवर्धन	200	800	3413	2613	326.63
151	ई.4.1.349.43	जवाहर भवन स्थित सब-स्टेशन से निम्न दाब वितरण पद्धति का संवर्धन	0	1465	1468	3	0.20
152	ई.4.1.349.71	गोल मार्किट सब स्टेशन से पी नं. 154 तक फीड को सशक्त करना	600	427	536	109	25.53
153	ई.4.1.349.75	संयंत्र और औजारों की खरीद	2500	1500	7205	5705	380.33
154	ई.4.1.350.38	अंसारी नगर सब स्टेशन में सुधार	100	100	126	26	26.00
155	ई.4.3	संयंत्र और औजार	8775	185	810	625	337.84
156	ई.6.(viii)	अन्य मदें	2110	1175	1235	60	5.11
157	ई.7	अनुग्रह राशि	5601	5671	7422	1751	30.88
158	ई.8	बोनस	50	278	513	235	84.53
159	ई.9	समयोपरि /मानदेय भत्ता	400	271	3540	3269	1206.27
160	एफ-1	जलापूर्ति : वेतन एवं भत्ते	127426	137131	137946	815	0.59
161	एफ.11.354.17	विभिन्न भवनों में पानी के मीटर लगाना	200	200	505	305	152.50
162	एफ.11.354.26	कंट्रोल रूम का नवीनीकरण	300	300	1215	915	305.00
163	एफ.11.354.32	किदवई नगर में जलापूर्ति पद्धति को सशक्त करना	4000	4000	5958	1958	48.95
164	एफ.13.	अनुग्रह राशि	729	2127	2701	574	26.99
165	एफ.14.	बोनस	1095	62	117	55	88.71
166	एफ.15.	समयोपरि /मानदेय भत्ता	600	5	392	387	7740.00
167	जी.1.3.358.5	भगवान दास रोड के कर्ब स्टोन में सुधार	2000	3000	4701	1701	56.70
168	जी.1.3.358.8	टालस्टाय मार्ग के पैदल पथ मार्ग का सुधार	0	100	952	852	852.00

169	जी.1.3.358.16	सी हैक्सागन के फुटपाथों का सुधार	5000	5000	5758	758	15.16
170	जी.1.3.358.22	शंकर मार्किट का पुर्नविकास	200	200	575	375	187.50
171	जी.1.3.358.24	आर-1 डिविजन के अंतर्गत पैदल पथ सुधार योजना	10000	15000	15634	634	4.23
172	जी.1.3.358.39	सफदरजंग लेन में सुधार	0	200	362	162	81.00
173	जी.1.3.358.68	लक्ष्मी बाई नगर कालोनी की सड़कों का पुन: सतहीकरण	0	200	10665	10465	5232.50
174	जी.1.3.358.113	मदर टेरेसा मार्ग पर केन्द्रीय विभाजन का प्रावधान	2500	2500	2527	27	1.08
175	जी.2.4.	रखरखाव व मरम्मत	60100	57500	67825	10325	17.96
176	जी.2.6.394	पथ प्रकाश का उन्नयन/आधुनिकीकरण	200000	10200	11610	1410	13.82
177	एच.1.1.	सिविल इंजीनियरिंग विभाग : वेतन एवं भत्ते	496928	517851	540376	22525	4.35
178	एच.1.4.(i)	वार्षिक मरम्मत : वेतन एवं भत्ते	40000	39750	54852	15102	37.99
179	एच.1.8.412	काका नगर में जिम्नेजियम व समाज कल्याण केन्द्र का निर्माण	2500	2500	4196	1696	67.85
180	एच.1.8.420	यशवंत प्लेस सिनेमा कम्पलैक्स का पुर्नविकास	1600	3000	3712	712	23.73
181	एच.1.8.426.3	भगतसिंह प्लेस वाणिज्य परिसर का सुधार	4000	18000	19776	1776	9.87
182	एच.1.8.426.6	पालिका भवन वाणिज्य परिसर का सुधार	500	8500	9126	626	7.36
183	एच.1.14.	अनुग्रह राशि	928	1467	1893	426	29.04
184	एच.1.15.	बोनस	5924	6166	8253	2087	33.85
185	एच.1.19.	समयोपरि /मानदेय भत्ता	600	14	333	319	2278.57
186	एच.2.5.	वाहन का रखरखाव व चालन	300	400	498	98	24.50
187	एच.2.9.	अनुग्रह राशि	3243	1442	2095	653	45.28
188	एच.3.1.	वास्तुविद एवं पर्यावरण विभाग : वेतन एवं भत्ते	22423	26748	27179	431	1.61
189	एच.3.6.	अनुग्रह राशि	64	155	205	50	32.26
190	एच.4	विधायक निर्माण निधि (पूंजी) योजना	40500	54037	68753	14716	27.23
191	एच.4.ए	गोल मार्किट चुनाव क्षेत्र	19000	25000	28123	3123	12.49
192	एच.4.बी (V)	सरोजिनी नगर चुनाव क्षेत्र	19000	20000	30826	10826	54.13
193	एच.4.सी (V)	मिन्टो रोड चुनाव क्षेत्र	2500	9037	9805	768	8.50
194	के	जमा कार्य	57500	86000	142583	56583	65.79

अनुलग्नक -VI
[निर्दिष्ट पैरा 1.15.9 (ड़)]

संशोधन अनुमानों में प्रावधान के बिना व्यय वाले लेखाशीर्ष

(रुपये हजारों में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2008-09	संशोधित अनुमान 2008.09	वास्तविक व्यय 2008-09
1.	सी.3.19	अंशदान पेंशन योजना को सुनिश्चित करना	0	0	116
2.	सी.4.3.	उपदान का भुगतान	0	0	10
3.	सी.7.5.(iv)	अन्य मदें	0	0	506
4.	सी.7.8.	अकुशल व सेमी कुशल कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधा	0	0	7
5.	सी.14.11	बोनस	0	0	20
6.	सी.15.4	कम्पयूटर लगाना (पूंजी -गैर योजना)	0	0	22214
7.	सी.15.8	मानदेय /समयोपरि भत्ता	10	0	1
8.	डी.1.2.6.	बस की खरीद	0	0	8
9.	डी.1.2.9.	अभिरुचि केन्द्र खोलना	0	0	7
10.	डी.1.2.15.	मानदेय /समयोपरि भत्ता	50	0	45
11.	डी.1.2.ए.10.	मानदेय /समयोपरि भत्ता	50	0	74
12.	डी.1.3.11.	मानदेय /समयोपरि भत्ता	50	0	93
13.	डी.1.4.7.डी	रियायात यात्रा भत्ता	190	0	90
14.	डी.1.5.13.	रियायात यात्रा भत्ता	100	0	26
15.	डी.1.7.7.4.	अन्य प्रभार	0	0	4
16.	डी.2.2.11.डी.	रियायात यात्रा भत्ता	25	0	682
17.	डी.2.2.14.2.	अन्य प्रभार	0	0	3
18.	डी.2.2.ए.11.	रियायात यात्रा भत्ता	2000	0	205
19.	डी.2.3.9.	दवा	0	0	451
20.	डी.2.3.19.	मानदेय /समयोपरि भत्ता	5	0	3
21.	डी.2.3.20.	रियायात यात्रा भत्ता	100	0	408
22.	डी.2.4.13.	रियायात यात्रा भत्ता	50	0	4
23.	डी.2.5.12.	मानदेय /समयोपरि भत्ता	5	0	1
24.	डी.2.5.13.	रियायात यात्रा भत्ता	50	0	92
25.	डी.2.6.8.	अन्य प्रभार	0	0	24
26.	डी.2.8.5.(v)	अन्य मदें	0	0	2
27.	डी.2.13.7.	अनुग्रह राशि	0	0	7
28.	डी.2.17.7.	डीजल पम्प का रखरखाव व चालन	210	0	14
29.	डी.2.17.8.	डीजल पम्प का रखरखाव व चालन	200	0	74
30.	डी.2.17.18.	मानदेय /समयोपरि भत्ता	50	0	2
31.	डी.2.18.7.	हाकर रेड वाहन का क्रय	0	0	6
32.	डी.2.18.9.	बोनस	8	0	2
33.	डी.2.21.9.	बोनस	0	0	2
34.	डी.3.1.12.	वाहन का रखरखाव व चालन	0	0	46
35.	डी.4.2.2.8.	मानदेय /समयोपरि भत्ता	10	0	4
36.	डी.4.4.9.	औजार व संयंत्रों की खरीद	2000	0	279

37.	डी.4.5.7.	बोनस	0	0	5
38.	डी.4.6.5.सी.	मानदेय /समयोपरि भत्ता	5	0	7
39.	डी.4.10.2.	धोबीघाट के लिए सहायता	0	0	1000
40.	डी.7.8.	बोनस	7	0	7
41.	डी.7.9.	मानदेय /समयोपरि भत्ता	10	0	4
42.	एच.3.8.	मानदेय /समयोपरि भत्ता	75	0	44

अनुलग्नक- VII

(निर्दिष्ट पैरा 2.9.7)

निष्पादित अनुबंध

प्रभाग	अनुमानित लागत से अधिक प्रतिशतता जिस पर निविदा प्रदान की गई थी।	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	योग
सड़क-I	**वर्ष के दौरान निष्पादित कुल अनुबंध**	**74**	**61**	**65**	**47**	**84**	**331**
	11% - 30%	12	12	06	12	12	
	31% - 50%	02	02	08	06	15	
	51% - 75%	--	--	01	08	11	
	76% - 100%	--	--	--	--	03	
	101% तथा अधिक	--	--	--	02	03	
सड़क-II	**वर्ष के दौरान निष्पादित कुल अनुबंध**	**116**	**67**	**55**	**55**	**85**	**378**
	11% - 30%	21	12	24	13	25	
	31% - 50%	17	06	05	10	05	
	51% - 75%	04	03	01	05	02	
	76% - 100%	--	--	--	03	01	
	101% तथा अधिक	--	01	--	--	02	
सड़क-III	**वर्ष के दौरान निष्पादित कुल अनुबंध**	**86**	**45**	**49**	**56**	**120**	**356**
	11% - 30%	23	02	10	10	28	
	31% - 50%	01	--	02	04	09	
	51% - 75%	--	--	01	05	01	
	76% - 100%	--	--	03	--	02	
	101% तथा अधिक	--	--	--	01	01	
सड़क-IV	**वर्ष के दौरान निष्पादित कुल अनुबंध**	**11**	**31**	**76**	**42**	**57**	**217**
	11% - 30%	01	05	17	12	07	
	31% - 50%	01	03	05	09	11	
	51% - 75%	--	--	02	05	04	
	76% - 100%	--	--	--	--	01	
	101% तथा अधिक	--	--	--	01	01	
सड़क-V	**वर्ष के दौरान निष्पादित कुल अनुबंध**	**24**	**40**	**48**	**57**	**87**	**256**
	11% - 30%	अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं।				35	
	31% - 50%					04	
	51% - 75%					03	
	76% - 100%					02	
	101% तथा अधिक					03	
						कुल	**1538**

निष्पादित कार्य आदेश

प्रभाग	अनुमानित लागत से अधिक प्रतिशतता जिस पर निविदा प्रदान की गई थी।	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	योग
सड़क-I	**वर्ष के दौरान प्रदान किये गए कुल कार्य आदेश**	**38**	**22**	**22**	**23**	**34**	**139**
	11% - 30%	17	02	10	03	04	
	31% - 50%	01	--	03	--	--	
	51% - 75%	--	--	01	01	01	
	76% - 100%	--	--	--	--	--	
	101% तथा अधिक	--	--	--	--	--	
सड़क-II	**वर्ष के दौरान प्रदान किये गए कुल कार्य आदेश**	**38**	**66**	**36**	**33**	**52**	**225**
	11% - 30%	15	15	13	08	05	
	31% - 50%	--	01	03	06	01	
	51% - 75%	--	01	--	04	--	
	76% - 100%	--	--	--	--	--	
	101% तथा अधिक	--	--	--	--	01	
सड़क-III	**वर्ष के दौरान प्रदान किये गए कुल कार्य आदेश**	**79**	**18**	**22**	**16**	**29**	**164**
	11% - 30%	25	07	02	02	08	
	31% - 50%	--	--	03	04	01	
	51% - 75%	--	--	--	02	--	
	76% - 100%	01	--	--	--	--	
	101% तथा अधिक	--	--	--	--	--	
सड़क-IV	**वर्ष के दौरान प्रदान किये गए कुल कार्य आदेश**	**38**	**62**	**34**	**20**	**41**	**195**
	11% - 30%	10	21	11	04	05	
	31% - 50%	01	05	05	02	02	
	51% - 75%	01	--	01	--	--	
	76% - 100%	--	--	--	--	--	
	101% तथा अधिक	--	--	--	01	--	
सड़क-V	**वर्ष के दौरान प्रदान किये गए कुल कार्य आदेश**	--	**45**	**25**	**26**	**33**	**129**
	11% - 30%	अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं।				03	
	31% - 50%					02	
	51% - 75%					--	
	76% - 100%					--	
	101% तथा अधिक					--	
	कुल						**852**

अनुलग्नक -VIII
(निर्दिष्ट पैरा 2.9.8)
भाग- (अ) अनुपलब्ध अंतिम बिलों का विवरण

क्र. सं.	प्रभाग	अनुबंध/कार्य आदेश संख्या	कार्य का नाम	कार्य की राशि (रुपये में)	ठेकेदार को पूर्व में ही भुगतान की गई राशि (रुपये में)
1.	सड़क-II	35/वि.अभि. (स.-II)2007-08	मानसिंह रोड एवं मोती लाल नेहरू मार्ग पर थर्मो प्लास्टिक पेंट की 2.5 मि.मी. मोटी सड़क चिन्हित पट्टी बनाने का प्रावधान।	484607	409000
2.	सड़क-II	37/वि.अभि. (स.-II)2006-07	सफ़दर जंग लेन का सुधार।	2121978	1921881
3.	सड़क-II	53/वि.अभि. (स.-II)2007-08	खन्ना मार्किट एवं तृतीय एवेन्यू लोधी रोड के मध्य नजफ़खान रोड पर जल निकासी प्रणाली में मरम्मत सहित सुधार कार्य।	562499	510270
4.	सड़क-II	78/वि.अभि. (स.-II)2005-06	सफ़दरजंग फलाई ऑवर के नीचे नये फुटपाथ का निर्माण।	1110535	983669
5.	सड़क-II	65/वि.अभि. (स.-II)2006-07	औरंगजेब रोड एवं कमाल अता तुर्क मार्ग पर मास्टिक असफालटिक वियारिंग कोर्स का प्रावधान।	2270754	2084720
6.	सड़क-II	125/वि.अभि. (स.-II)2004-05	लोधी रोड का पुर्नसतहीकरण।	3325565	3206679
7.	सड़क-II	03/वि.अभि. (स.-II)2005-06	पंडारा रोड स्थिति आवासीय कॉम्पलेक्स के ए एवं बी ब्लाक में फेक्ट्री के बने सीमेंट कंक्रीट के घास पर फूटपाथ बिछाने सहित जल निकासी प्रणाली में सुधार।	1954000	1908000
8.	सड़क-II	21/वि.अभि. (स.-II)2007-08	सफदरजंग रोड पर जल निकासी प्रणाली में सुधार।	616000	405771

भाग- (ब) लम्बित अंतिम बिलों का विवरण

सड़क-I

क्र.सं.	कार्य का नाम	टिप्पणी
1.	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण मार्ग पुर्नसतहीकरण। उपशीर्ष:- तिलक मार्ग, भगवानदास रोड के चौराहों एवं सड़क-I प्रभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रवेश स्थलों पर मास्टिक असफालटिक वियारिंग कोर्स का प्रावधान।	मदों का अनुमोदन किया जाए एवं क्यूसीसी पैरा अभिलम्बित है।
2.	पंडारा रोड की शेष बची कॉलोनी की सड़कों तथा डॉ. ज़ाकिर हुसैन रोड एवं भगवानदास रोड के साईकलपथ का पुर्नसतहीकरण।	मदों का अनुमोदन किया जाए एवं क्यूसीसी पैरा अभिलम्बित है।

सड़क-II

क्र. सं.	कार्य का नाम	टिप्पणी
1.	सड़क संकेतकों का संस्थापन। उपशीर्षः- मौलाना आज़ाद रोड पर सड़क संकेतकों का प्रावधान (मुख्य परियोजना)	विवरण अनुमोदनार्थ प्रक्रियारथ है। गुणवत्ता नियंत्रण तकनीकी आश्वासन पैरा (3) लम्बित हैं।
2.	34 से 37 लोधी एस्टेट के सेवा मार्गो में सुधार।	गुणवत्ता नियंत्रण तकनीकी आश्वासन पैरों को छोड़ दिया जाए।
3.	सफ़दरजंग लेन का सुधार।	सम्बंधित कनिष्ठ अभि. द्वारा संशोधित अनुमान/अतिरिक्त मद/अतिरिक्त मदें प्रस्तुत नहीं की गई हैं।
4.	खान मार्किट के चारों और पार्किंग सहित चार दीवारी का निर्माण।	संशोधित प्रारम्भिक अनुमानों का अनुमोदन किया जाए। मामला प्रक्रियाधीन है।
5.	रविन्द्र नगर की अन्दुरूनी सड़कों का पुर्नसतहीकरण।	प्रभाग में अंतिम दिन निरीक्षणाधीन है। इ.ओ.टी. का भी अनुमोदन किया जाना है। बिल पर ठेकेदार के हस्ताक्षर भी लिए जाने हैं। सहायक अभियंता को ठेकेदार की ओर किसी प्रकार की वसूली हेतु पत्र भेज दिया गया है कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
6.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण एवं पुनर्सतहीकरण। उपशीर्षः- सफ़दरजंग फलाईऑवर के वाई-4 चौराहे से अरविंदो मार्ग का पुनर्सतहीकरण।	प्रभाग में अंतिम बिल निरिक्षणाधीन है। गुणवत्ता आशवासन नियंत्रण इकाई के चार पैरा लम्बित हैं। सहायक अभियंता को ठैकेदार की ओर किसी प्रकार की वसूली हेतु पत्र भेज दिया गया है कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
7.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण एवं पुर्नसतहीकरण। उपशीर्षः- लोधी रोड का पुनर्सतहीकरण।	बिल पर ठेकेदार के हस्ताक्षर हेतु अंतिम बिल प्रभाग कार्यालय में है। ठेकेदार की तरफ से शुद्धिकरण कार्य की वसूली हेतु वास्तविक व्यय से स्थानान्तरण प्रविष्टि की जानी है। सहायक अभियंता को ठेकेदार की ओर किसी प्रकार की वसूली हेतु पत्र भेज दिया गया है कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
8.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण एवं पुनर्सतहीकरण: उपशीर्ष :- सफदरजंग मदरसा के साथ-साथ अरविंद मार्ग पर साईकिल पथ का पुनर्सतहीकरण।	प्रभाग में अंतिम बिल निरीक्षणाधीन है । ठेकेदार को अंतिम बिल अभी प्राप्त करना है । सहायक अभियंता को ठेकेदार की ओर किसी प्रकार की वसूली हेतु पत्र भेज दिया गया है कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
9.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण एवं पुनर्सतहीकरण: उपशीर्ष :- सड़क-II प्रभाग में वर्ष 2006-07 के दौरान सेवा मार्गो एवं उपमार्गों का पुनर्सतहीकरण।	संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति विवरण का अनुमोदन किया जाना है। सहायक अभियंता को ठेकेदार की ओर किसी प्रकार की वसूली हेतु पत्र भेज दिया गया है कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
10.	सीमेंट कंक्रीट स्लेब एवं सीमेंट कंक्रीट पटरी को लगाने का प्रावधान करते हुए लोदी कालोनी के (के.लो.नि.वि. के क्वाटर)के बैक यार्ड (सेवा मार्ग) का सुधार	अतिरिक्त मात्रा विवरण का अनुमोदन किया जाये । बिल प्रभाग में है ठेकेदार को बिल स्वीकार करने हैं ।

सड़क- IV

क्र. सं.	कार्य का नाम	टिप्पणी
1.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण/पुर्नसतहीकरण। उपशीर्ष :- सुब्रहमणयम भारती मार्ग एवं शान्ति पथ का पुन:सतहीकरण । कार्य समापन की तिथि :- 15.05.2004	अंतिम बिल प्रक्रियाधीन है ।
2.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण/पुर्नसतहीकरण। उपशीर्ष :- तुगलक रोड एवं के.कामराज मार्ग का पुन:सतहीकरण ।	अंतिम बिल दिनांक 6.8.2009 को प्रस्तुत किया गया है ।
3.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण/पुर्नसतहीकरण। उपशीर्ष :तीन मूर्ति मार्ग के फुटपाथ का सुधार ।	कार्य समापन प्रमाणपत्र अभी प्राप्त किया जाना है ।
4.	रेस कोर्स रोड के बाह्य क्षेत्र का उन्नयन । उपशीर्ष : रेसकोर्स रोड नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर स्टेनलैस स्टील की रेलिंग, स्टेनलैस स्टील के बैंच तथा पथिक चक्र प्रणाली लगाने का प्रावधान । कार्य समापन की तिथि : 3.10.2005	अंतिम बिल तैयार कर लिया गया है । ठेकेदार स्वीकार करने के लिए अभी तक वापिस नहीं आया है । ई.ओ.टी. प्रपत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है ।
5.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण/पुनर्सतहीकरण। उपशीर्ष : तीन मूर्ति लेन में सीमेंट कंक्रीट के अन्तर्योजक पटरियों एवं सीमेंट कंक्रीट स्लेब के प्रावधान द्वारा लेनों में सुधार ।	कार्य समापन प्रमाणपत्र अभी प्राप्त किया जाना है ।
6.	सड़क- IV प्रभाग के क्षेत्र में मार्गों एवं उपमार्गों का पुन:सतहीकरण ।	गुणवत्ता नियंत्रण एवं तकनीकी आश्वासन पैरों का अभी निपटान किया जाना है।

सड़क-V

क्र. सं.	कार्य का नाम	टिप्पणी
1.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र के सड़क-V प्रभाग में सड़कों का सशक्तिकरण एवं पुर्नसतहीकरण। उपशीर्ष: सड़क-V प्रभाग में मार्गों एवं उपमार्गों का सशक्तिकरण/पुन:सतहीकरण।	गुणवत्ता नियंत्रण इकाई की टिप्पणी तथा अतिरिक्त मात्रा के अनुमोदन के अभाव में।
2.	डीआईजेड क्षेत्र के सेक्टर- IV के ब्लाक संख्या 39-67 का विकास। उपशीर्ष: डीआईजेड क्षेत्र के सेक्टर- IV के ब्लाक संख्या 39-67 में मुख्य प्रवेश मार्ग के साथ-साथ क्षेत्र का विकास।	गुणवत्ता नियंत्रण इकाई की टिप्पणी की स्वीकृति के अभाव में अंतिम बिल लम्बित है।
3.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण/पुन:सतहीकरण। उपशीर्ष: नार्थ ब्लाक एवं केन्द्रीय सचिवालय के फुटपाथों का सुधार।	गुणवत्ता नियंत्रण इकाई की टिप्पणी की स्वीकृति के अभाव में।
4.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में वर्ष 2007-08 के दौरान सड़कों का सशक्तिकरण/पुन:सतहीकरण। उपशीर्ष: शंकर रोड के फुटपाथ का सुधार।	ठेकेदार द्वारा त्रुटियों के समाप्त करने के अभाव में।

5.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में वर्ष 2007-08 के दौरान सड़कों का सशक्तिकरण/पुन:सतहीकरण। उपशीर्ष: नार्थ एवेन्यू स्थित सांसदों के फ्लेटों के सेवा मार्गों के साथ-साथ क्षेत्र का सुधार।	गुणवत्ता नियंत्रण इकाई की टिप्पणी की स्वीकृति के अभाव में।
6.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में वर्ष 2007-08 के दौरान सड़कों का सशक्तिकरण/पुन:सतहीकरण। उपशीर्ष: मदर टेरेसा रोड को जोड़ते सेवा मार्ग सहित पार्क स्ट्रीट के फुटपाथों का सुधार।	ठैकेदार द्वारा त्रुटियों के समाप्त करने के अभाव में।
7.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण/पुन:सतहीकरण। उपशीर्ष: सड़क- V प्रभाग में गोल चौराहों पर मास्टिक असफालटिक वियरिंग कोर्स का प्रावधान। (आरएआईपी)	गुणवत्ता नियंत्रण इकाई की टिप्पणी की स्वीकृति के अभाव में अंतिम बिल लम्बित है।
8.	नार्थ एवेन्यू के मार्गों, उपमार्गों एवं क्रिसेंटों (चन्द्राकार) का सशक्तिकरण/पुन:सतहीकरण।	ठैकेदार द्वारा कार्य समापन कर लिया गया है। निधि का पुर्नविनिधान प्राप्त हो गया है अंतिम बिल प्रक्रियाधीन है।
9.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण/पुन:सतहीकरण। उपशीर्ष: पेशवा रोड का पुन:सतहीकरण।	गुणवत्ता नियंत्रण इकाई की टिप्पणी के अभाव में।
10.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण/पुन:सतहीकरण। उपशीर्ष: बाबा खड़कसिंह मार्ग एवं सिंकदरा रोड का सशक्तिकरण/पुन:सतहीकरण।	गुणवत्ता नियंत्रण इकाई की टिप्पणी के अभाव में।
11.	न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण/पुन:सतहीकरण। उपशीर्ष: चैम्स फोर्ड रोड को पुन:सतहीकरण।	गुणवत्ता नियंत्रण इकाई की टिप्पणी के अभाव में।

अनुलग्नक -IX

(निर्दिष्ट पैरा 3.9.1.3)

मदों की आधिक्य प्राप्ति के कारण निधि का अवरोध

भंडार-I

क्र. सं.	एस.ओ. /पीएसएल क्रमांक	सामान का विवरण	मात्रा	भंडार में प्राप्ति की तिथि	31.03.09 को समापन शेष	स्टाक जारी दर (रुपये में)	विलम्ब की अवधि	राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पीएसएल 66 पृष्ठ 11	150 वर्ग मि.मी. x तीन कोर की उच्च दाब केबल	82 मीटर	18.01.01	82 मीटर	703	8 वर्ष	57646
2.	पीएसएल 66 पृष्ठ 18	निम्न दाब एसीबी पैनल 1600/1600	2	11.10.03	2	124568	5 ½ वर्ष	249136
3.	पीएसएल 66 पृष्ठ 19	निम्न दाब एसीबी पैनल 1600/1600	1	16.07.04	1	117218	4 ½ वर्ष	117218
4.	पीएसएल 66 पृष्ठ 15	उच्च दाब पैनल 800ए, एसएसजी	5	19.12.95	5	232514	13 वर्ष	1162570
5.	पीएसएल 66 पृष्ठ 16	उच्च दाब पैनल 400 ए एसएसजी	2	19.12.95	2	212360	13 वर्ष	424720
6.	पीएसएल 66 पृष्ठ 17	उच्च दाब केबल 630 ए किर्लोस्कर	3	22.01.03	3	162044	6 वर्ष	486132
7.	पीएसएल 65 पृष्ठ 23	डीओएच खम्बों के लिए ब्रेकेट	52	04.11.86	52	605	22 वर्ष	31460
8.	पीएसएल 65 पृष्ठ 30	वेक्यूम बोटल	5	12.03.97	5	58995	12 वर्ष	294975
9.	पीएसएल 65 पृष्ठ 31	बिको मार्का स्पाउट इन्सूलेटर	3 सेट	06.01.94	3 सेट	5300	15 वर्ष	15900
10.	पीएसएल 65 पृष्ठ 35	प्रोटेक्शन रिंग टाईप हेतु सीटी 1200/600/5ए	9	09.05.95	9	4499	14 वर्ष	40491
11.	पीएसएल 65 पृष्ठ 36	मीटरिंग हेतु सीटी 1200/600/5ए	6	09.05.95	6	2842	14 वर्ष	17052
12.	पीएसएल 65 पृष्ठ 37	इंसुलेटिंग के साथ एसीबी 1600ए	1	29.04.95	1	54297	14 वर्ष	54297
13.	पीएसएल 65 पृष्ठ 38	बस कपलर के साथ एसीबी 1600ए	1	तिथि नहीं दी गई शेष पीएसएल 03-04 से लिया गया	1	49928	6 वर्ष	49928

14.	पीएसएल 65 पृष्ठ 39	स्थिर एवं चलाएमान सहायक उपकरण	2 सेट	24.04.95	2 सेट	7739	14 वर्ष	15478
15.	पीएसएल 65 पृष्ठ 40	स्थिर एवं चलाएमान कंफेक्ट 1600एबीबी का सेट	2 सेट	तिथि नहीं दी गई शेष पीएसएल 03-04 से लिया गया	2 सेट	13730	6 वर्ष	27460
16.	पी-91	सौन्दर्यात्मक दर्पण	70	05.02.94	70	1405	15 वर्ष	98350
17.	एल-1/08-09 पी-75	दीवार पर लगाने वाली फिटिंग (एसके-III)	126	04.02.97	126	203	12 वर्ष	25578
							योग	**3168391**

अनुलग्नक -X

(निर्दिष्ट पैरा 3.9.1.3)

33 के. वी. स्टोर में मदों के उपयोग में विलम्ब दर्शाती सूची (भण्डार-II)

क्र. सं.	सामान का विवरण/ओ.बी.	ओ. बी.	प्राप्त मात्रा	कुल मात्रा	प्राप्ति की तिथि	31.03.09 को समापन शेष	स्टाक जारी दर (रुपये में)	विलम्ब की अवधि	राशि (रुपये में)
1.	70 वर्ग मि.मी. 3 कोर की उच्च दाब एक्सएलपीई केवबल	-	3019	3019	07.05.07	2708	459	2 वर्ष	1242972
2.	दो तलीय निर्गामी 1600ए/1800ए	2	5	7	19.11.07	3	198100	1 वर्ष	594300
3.	11 के.वी. 350 एमडीए वेक्यूम निर्गामी 400ए	14	20	34	26.06.08	12	317198	6 मास	3806376
4.	11 के.वी. 350 एमडीए वेक्यूम टाईप स्वीचगेयर पैनल अंतर्गामी 400ए	0	3	3	26.06.07	1	479834	1 वर्ष और 6 मास	479834
								योग	**6123482**

अनुलग्नक -XI

(निर्दिष्ट पैरा 3.9.4.4)

द्युत भवन नई दिल्ली स्थिति 11 के.वी. एवं 33 के.वी. विद्युत भंडार के सम्बंध में वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए स्थांतारित वेष्टियों का विवरण।

विद्युत भवन नई दिल्ली स्थिति 11 के.वी. एवं 33 के.वी. विद्युत भंडार के सम्बंध में वर्ष, 2004-05 से वर्ष, 2008-09 के लिए स्थांतारित प्रविष्टियों का विवरण।

(रुपये लाखों में)

	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		योग		महा
प्रभाग	भंडार-I	भंडार-II	भंडार-I	भंडार-II	भंडार-I	भंडार-II	भंडार-I	भंडार-II	भंडार-I	भंडार-II	भंडार-I	भंडार-II	योग
र्माण-I	25.92	73.26	4.04	84.94	0.00	112.76	25.80	184.69	31.67	136.98	87.43	592.63	680.06
र्माण-II	3.63	126.81	0.30	132.19	72.44	115.70	30.12	166.72	88.50	307.12	194.99	848.54	1,043.53
र्माण-III	0.24	1.70	0.23	4.78	0.08	21.33	1.98	98.82	4.35	13.37	6.88	140.00	146.88
र्माण-IV	10.59	88.45	10.22	60.80	0.12	111.45	0.11	118.50	176.48	68.49	197.52	447.69	645.21
र्माण-V	0.73	1.39	0.00	2.29	0.01	0.00	0.00	20.85	0.00	0.00	0.74	24.53	25.27
र्माण-VI	0.02	0.23	0.04	0.00	260.79	33.67	43.18	0.00	0.00	14.79	304.03	48.69	352.72
त.उ.	55.74	7.10	63.26	12.75	112.08	5.75	154.29	9.98	142.51	6.10	527.88	41.68	569.56
त.द.	28.08	4.81	143.53	8.49	55.77	13.42	248.45	6.98	105.07	3.86	580.90	37.56	618.46
[illegible].उ.	20.03	3.49	21.49	1.28	76.95	0.75	51.50	30.76	43.85	4.48	213.82	40.76	254.58
[illegible].द.	9.60	0.50	23.41	0.38	35.88	1.65	50.80	1.03	34.92	4.19	154.61	7.75	162.36
नन रख.-I	0.93	7.23	1.42	5.95	1.25	6.47	1.03	3.28	7.13	(-)43.25	11.76	(-)20.32	(-)8.56
नन रख.-II	14.56	0.27	17.69	0.55	17.21	0.80	12.05	10.34	33.08	9.71	94.59	21.67	116.26
र./पथ.प्र.	3.16	52.85	12.80	67.17	65.29	12.44	93.88	55.64	114.50	38.03	289.63	226.13	515.76
नरख.-3सि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12
केवीएम	4.60	0.81	7.76	0.20	15.75	0.52	12.12	0.38	20.14	0.70	60.37	2.61	62.98
.सयंत्र	0.00	(-)0.89	0.00	0.35	0.00	0.74	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.20	0.26
केवीएस	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
.अभि.(वा.)	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70	0.00	60.37	0.00	0.00	0.02	73.07	0.02	73.09
-1(सिविल)	0.00	0.00	0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
-4(सिविल)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32
चिव	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	4.86	0.00	4.86
प्र.चि.(स्वा.)	0.02	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.43	0.00	0.43
कल्याण	0.05	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
.एफ	66.22	10.17	10.91	0.40	0.49	0.00	59.42	57.51	88.18	0.34	225.22	68.42	293.64
क्षण	0.48	0.00	0.23	0.00	0.66	0.00	3.92	0.00	1.62	0.03	6.91	0.03	6.94
पा.ह. विभाग	0.29	0.00	0.26	0.00	0.00	0.06	0.24	0.00	0.23	0.00	1.02	0.06	1.08
स्थ्य	0.24	0.00	0.20	0.00	0.16	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66
न.श.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
क्षा	0.16	0.45	1.76	0.07	0.35	0.17	0.28	0.27	0.87	0.00	3.42	0.96	4.38
युग स्कूल	0.04	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71
क.विभाग	0.12	1.72	0.10	0.31	0.02	0.41	0.00	0.09	0.13	0.00	0.37	2.53	2.90
ान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
केवी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.18	0.09	0.18	2.35	2.53
.चि.अधि.	0.00	0.13	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
ता	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
मति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23

वाणिज्यिक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65	0.00	43.65	0.00	43.6
सिस. संयत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16	1.1
मी.अनुभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.0
ई-6 (VIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77	0.7
योग	**245.46**	**380.48**	**320.96**	**383.06**	**730.56**	**438.09**	**852.44**	**768.11**	**937.37**	**567.02**	**3,086.79**	**2536.76**	**5623.5**

अनुलग्नक -XII
(निर्दिष्ट पैरा 3.9.6.1)
बेकार मदों की सूची

भंडार-I

क्र. सं.	विवरण	मात्रा	आरक्षित मूल्य (रुपये लाखों में)	सामान रखने वाला स्थान
1.	एल्युमीनियम कबाड़	7 मी.टन	1.40	विद्युत भंडार, विद्युत भवन
2.	ट्रांसफार्मर ऑयल के खाली ड्रम	210	0.79	विद्युत भंडार, विद्युत भवन
3.	हीट कन्वेक्टर	50	0.03	विद्युत भंडार, विद्युत भवन
4.	जल विस्तारण पम्प	150	0.16	विद्युत भंडार, विद्युत भवन
5.	डेजर्ड कूलर, फेन मोटर	43	24.02	विद्युत भंडार, विद्युत भवन
6.	वितरण ट्रांसफार्मर 200 केवीए	2	36.97	विद्युत सबस्टेशन नेहरू पार्क
7.	वितरण ट्रांसफार्मर 500 केवीए	17	99.89	विद्युत सबस्टेशन हुनमान रोड एवं विद्युत सबस्टेशन, बेयर्ड लेन
8.	वितरण ट्रांसफार्मर 250 केवीए	2		
9.	वितरण ट्रांसफार्मर 300 केवीए	2		
10.	वितरण ट्रांसफार्मर 375 केवीए	1		
11.	वितरण ट्रांसफार्मर 750 केवीए	1		
12.	वितरण ट्रांसफार्मर 1000 केवीए	9		
13.	वितरण ट्रांसफार्मर 1500 केवीए	1		
14.	पावर ट्रांसफार्मर 66/33 केवीए, 50 एमवीए	1	41.44	विद्युत सबस्टेशन स्कूल लेन
15.	पावर ट्रांसफार्मर 33/11 केवीए, 12.5 एमवीए/16 एमवीए	1	27.05	विद्युत सबस्टेशन तिलक लेन
16.	पावर ट्रांसफार्मर 33/11 केवीए, 15 एमवीए	1	34.29	विद्युत सबस्टेशन पाबू धाम चाणक्यापुरी
		योग	**266.04**	

भंडार-II

क्र. सं.	मद का नाम	मात्रा	खाते में दर्ज मूल्य (रुपये लाखों में)	टिप्पणी
1	कापर ब्लास्ट 20/40 वाट	3954	मूल्य अंकित नहीं	मद सं. 1 से 13 जली या फ्यूज मदें हैं जिनकी नीलामी के समय केवल कबाड़ का मूल्य है। मद सं. 1 से 5 नीलामी के अन्तर्गत प्रक्रियारत है एवं मद सं. 6 से 13 नीलामी किए जाने हेतु पर्याप्त नहीं है।
2.	कापर ब्लास्ट 65/82 वाट	930	मूल्य अंकित नहीं	
3.	कापर ब्लास्ट एचपीएमवी 125/250/400 वाट	631	मूल्य अंकित नहीं	
4.	कापर ब्लास्ट एचपीएसवी 125/250/400 वाट	5270	मूल्य अंकित नहीं	
5.	कापर ब्लास्ट एचपीएसवी 70 वाट	1089	मूल्य अंकित नहीं	
6.	लेम्प केप एचपीएसवी 70 वाट	1366	मूल्य अंकित नहीं	
7.	लेम्प केप एचपीएसवी 150/250/400 वाट	8639	मूल्य अंकित नहीं	
8.	लेम्प केप एचपीएमवी 125/250/400 वाट	1829	मूल्य अंकित नहीं	
9.	लेम्प केप साधारण 300/500 वाट	3339	मूल्य अंकित नहीं	
10.	लेम्प केप साधारण 40/60/100/200 वाट	16729	मूल्य अंकित नहीं	
11.	फलोरेंस ट्यूब केब 20/40/65/80 वाट	33849	मूल्य अंकित नहीं	

12.	स्टारटर	14238	मूल्य अंकित नहीं	
13.	इगनिटर्स	8051	मूल्य अंकित नहीं	
14.	लोहे के खाली पुराने ड्रम	9	0.02	
15.	0.06 वर्ग इंच/3 कोर आकार की उच्च दाब कू.केबल	74.1 मीटर	0.11	मद सं. 15 से 23 प्रतिस्थापित मदें हैं यह क्षतिग्रस्त भूमिगत केबल हैं।
16.	0.15 वर्ग इंच/3 कोर आकार की उच्च दाब कू.केबल	22.5 मीटर	0.07	
17.	0.25 वर्ग इंच/3 कोर आकार की उच्च दाब कू.केबल	40.8 मीटर	0.18	
18.	0.40 वर्ग इंच/3 कोर आकार की उच्च दाब कू.केबल	65.1 मीटर	0.90	
19.	300 वर्ग मि.मी./3 कोर आकार की उच्च दाब पिल्का केबल	51 मीटर	0.14	
20.	150 वर्ग मि.मी./3 कोर आकार की उच्च दाब पिल्का केबल	530.1 मीटर	0.87	
21.	70 वर्ग मि.मी./3 कोर आकार की उच्च दाब पिल्का केबल	33.6 मीटर	0.03	
22.	240 वर्ग मि.मी./3 कोर आकार की उच्च दाब एक्सएलपीई केबल	34 मीटर	0.04	
23.	240 वर्ग मि.मी./3 कोर आकार की उच्च दाब एक्सएलपीई केबल	62.4 मीटर	0.10	
24.	ताम्बा (कॉपर) कबाड़ (स्क्रेप)	79.700 कि.ग्रा.	0.25	मद सं. 24 से 28 तक की एक बार पहलेही नीलामी हो चुकी है तथा अब इनकी मात्रा नीलामी कराये जाने के लिए प्रयाप्त नहीं है।
25.	पीतल कबाड़ (स्क्रेप)	127.000 कि.ग्रा.	0.28	
26.	सीसा (लेड)	2230.300 कि.ग्रा.	1.34	
27.	एल्युमीनियम स्क्रेप	1412.450 कि.ग्रा.	1.88	
28.	आयरन (लोहा) स्क्रेप	9328.000 कि.ग्रा.	1.59	
29.	पुराने उच्चदाब पेनल	8	1.33	
		योग	**9.13**	
		महायोग (भण्डार-। एवं भण्डार-॥)	**275.17**	

अनुलग्नक -XIII

(निर्दिष्ट पैरा 4.8.2.1)

नर्सरियों में पहले से उपलब्ध पौधों का क्रय

2007-08

क्र. सं.	प्रजाति का नाम	आपूर्ति आदेश सं. एवं तिथि (क्षेत्र) जिसके अन्तर्गत पौधों का क्रय किया गया	क्रय की गई मात्रा	दर (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में)	नर्सरी का नाम जहाँ पौधे उपलब्ध थे	रजि. की पृष्ठ सं. जहाँ पौधों की मात्रा उपलब्ध थी	क्रय करने वाला प्रभाग
	फीकस बिलेकि	21, 12.10.07(I)	24	165.00	3960	मदरसा	99	III
	फीकस बिलेकि	24, 29.10.07(I)	30	195.00	5850	मदरसा	99	III
	फीकस बिलेकि	37, 14.03.08(I)	30	225.00	6750	मदरसा	99	III
	फीकस स्टारलाईट	21, 12.10.07(I)	30	500.00	15000	मदरसा	58	III
	फीकस स्टारलाईट	24, 29.10.2007	35	500.00	17500	मदरसा	58	III
	हिब्बीकस वेरीगेटिड	30, 03.12.07	150	44.00	6600	मदरसा	25	पार्क एवं उद्यान II
	फीकस रेगिनोल्ड	30, 03.12.07	20	439.00	8780	मदरसा	90	पार्क एवं उद्यान II
	फीकस रेगिनोल्ड	37, 14.03.08	30	220.00	6600	मदरसा	90,91	III
	कोलेरोडेन्डरॉन इन्नरमी	21, 12.10.07	500	4.75	2375	लोधी गार्डन	277	
	योग				**73415**			

2008-09

क्र. सं.	प्रजाति का नाम	आपूर्ति आदेश सं. एवं तिथि (क्षेत्र) जिसके अन्तर्गत पौधों का क्रय किया गया	क्रय की गई मात्रा	दर (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में)	नर्सरी का नाम जहाँ पौधे उपलब्ध थे	रजि. की पृष्ठ सं. जहाँ पौधों की मात्रा उपलब्ध थी	क्रय करने वाला प्रभाग
	फीकस स्टारलाईट	05, 04.07.08(I)	20	750.00	15000	मदरसा	89	III
	फीकस स्टारलाईट	14, 27.08.08(I)	30	540.00	16200	मदरसा	89	III
	बोटल पॉम	12, 06.08.08	22	870.00	19140	मदरसा	39	III
	नोलीना रिक्करवेट	13, 24.07.08(II)	4	1400.0 0	5600	लोधी गार्डन	169	I
	नोलीना रिक्करवेट	19, 03.09.08(II)	5	950.00	4750	लोधी गार्डन	169	I

6	केलिण्डरा	02, 09.06.08(II)	300	32.00	9600	मदरसा	29 एवं 42	
7	केलिण्डरा	22, 10.09.08(II)	50	38.50	1925	मदरसा	29 एवं 42	I
8	चाँदनी डब्ल	02, 09.06.08(II)	300	32.00	9600	मदरसा	49	
9	फीकस बिलेकी	19, 03.09.08(II)	25	240.00	6000	मदरसा	99	
10	हिब्बीकस वेरीगेटिड	19, 03.09.08(II)	20	30.00	600	लोधी गार्डन	120	
11	फीकस बेंजामीनिया	12, 06.08.08(I)	25	475.00	11875	मदरसा	43 एवं 97	I
12	फीकस बेंजामीनिया	22, 10.09.08(II)	14	240.00	3360	मदरसा	43 एवं 97	I
13	मुसान्डा	17, 13.08.08(II)	20	46.00	920	मदरसा	57	
14	टीएमसी वेरिगेटिड	34, 29.12.08(I)	200	40.00	8000	लोधी गार्डन	238	
15	टीएमसी वेरिगेटिड	27, 25.09.08(II)	100	80.00	8000	लोधी गार्डन	238	
16	फीकस रेनीगोल्ड	27, 25.09.08(II)	25	130.00	3250	मदरसा	51	
17	एलस्टोनिया स्कालरी	31, 31.10.08(II)	10	250.00	2500	लोधी गार्डन	263	
18	फीकस पॉडा	57, 09.03.08(II)	550	34.00	18700	लोधी गार्डन	318, 323	
19	दुरानता गोल्डयाना	33, 23.12.08(I)	225	35.00	7875	लोधी गार्डन	345	
20	फीनिक्स पॉम	51, 25.03.09(I)	6	2800.00	16800	लोधी गार्डन	87	
21	कमल केक्टस	47, 15.01.09(I)	10	150.00	1500	लोधी गार्डन	18	
				योग	**171195**			

महा योग रु. 73415 + रु. 171195 = रु. 244610

अनुलग्नक –XIV

(निर्दिष्ट पैरा 4.8.2.2)

विभागीय नर्सरियों से गैर-उपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पौधों का क्रय

क्र. सं.	आपूर्ति आदेश संख्या एवं तिथि	राशि (रुपये में)	आपूर्ति आदेश जारी करने वाला प्रभाग	टिप्पणी
1.	कैश मेमो सं. 141, 14.10.04	9999	III	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
2.	24/उ.नि.उद्यान-।। 24.02.06	14825	II	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
3.	कैश मेमो सं. 112, 10.11.06	10000	उपलब्ध नहीं	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
4.	कैश मेमो सं. 2838, 17.10.06	7500	III	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
5.	कैश मेमो सं. 133, 08.11.06	10000	उ.नि. (उद्यान)	अनुपलब्धता प्रमाणपत्र नहीं पाया गया
6.	24/ उ.नि.उद्यान -IV, 16.10.06 (2006-07)	9510	IV	अनुपलब्धता प्रमाणपत्र नहीं पाया गया
7.	39/ उ.नि.उद्यान -IV, 28.11.06 (2006-07)	7500	IV	अनुपलब्धता प्रमाणपत्र नहीं पाया गया
8.	27/ प. एवं गार्डन -I, 30.10.2007 (2007-08)	45000	पार्क एवं गार्डन –I	अनुपलब्धता प्रमाणपत्र नहीं पाया गया
9.	37/ उ.नि.उद्यान -III, 14.03.08 (2007-08)	45000	III	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
10.	30/ उ.नि.उद्यान – प. एवं गार्डन- II, 03.12.07 (2007-08)	46000	पार्क एवं गार्डन- II	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
11.	24/ उ.नि.उद्यान -III, 25.09.07 (2007-08)	45230	III	अनुपलब्धता प्रमाणपत्र नहीं पाया गया
12.	21/ उ.नि.उद्यान -III, 12.10.07 (2007-2008)	93895	III	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
13.	04/ उ.नि.उद्यान -III, 22.06.07 (2007-08)	17600	III	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन

14.	29/ उ.नि.उद्यान – प. एवं गार्डन-II , 29.10.07 (2007-08)	19600	पार्क एवं गार्डन- II	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
15.	29/ उ.नि.उद्यान - प. एवं गार्डन -II, 28.11.07 (2007-08)	36000	पार्क एवं गार्डन- II	अनुपलब्धता प्रमाणपत्र नहीं पाया गया
16.	07/ उ.नि.उद्यान -III , 25.07.07 (2007-08)	45850	III	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
17.	30/ उ.नि.उद्यान – प. एवं गार्डन-II , 07.02.08 (2007-08)	79370	पार्क एवं गार्डन- II	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
18.	27/ उ.नि.उद्यान -III, 09.07.08 (2008-09)	22050	III	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
19.	29/ उ.नि.उद्यान -V, 11.12.08 (2008-09)	24500	अति.नि. उद्यान- I	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
20.	39/ उ.नि.उद्यान -III, 23.01.09 (2008-09)	76000	III	अनुपलब्धता प्रमाणपत्र नहीं पाया गया
21.	14/ उ.नि.उद्यान -III, 27.08.08 (2008-09)	43700	III	अनुपलब्धता प्रमाणपत्र नहीं पाया गया
22.	43/ प. एवं गार्डन-II, 16.02.09 (2008-09)	38400	पार्क एवं गार्डन- II	अनुपलब्धता प्रमाणपत्र नहीं पाया गया
23.	20/ प. एवं गार्डन-I, 06.10.08 (2008-09)	23265	पार्क एवं गार्डन- I	अनुपलब्धता प्रमाणपत्र नहीं पाया गया
24.	38/ उ.नि.उद्यान -III, 22.01.09 (2008-09)	41900	III	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
25.	09/ उ.नि.उद्यान -III, 25.09.08 (2008-09)	46575	III	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
26.	37/ उ.नि.उद्यान -III, 14.01.09 (2008-09)	42675	III	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
27.	28/ उ.नि.उद्यान -III, 08.12.08 (2008-09)	45000	III	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन
28.	34/ उ.नि.उद्यान -III, 29.12.08 (2008-09)	45825	III	पौधों की उपलब्धता के सबंध में फाईल मौन

अनुलग्नक –XV
(निर्दिष्ट पैरा 4.8.2.2)

पौधों के स्थानीय क्रय पर अतिरिक्त व्यय

क्र. सं.	पौधे का नाम	खुली निविदा के माध्यम से क्रय				स्थानीय मार्किट के माध्यम से क्रय				अनुबंध एवं आपूर्ति आदेश के द्वारा पौधों की दरों में अंतर (रु.)	अतिरिक्त खर्च किया गया व्यय (रु.)
		अनुबंध संख्या एवं तिथि	मात्रा	दर (रु)	कुल राशि (रु.)	आपूर्ति आदेश संख्या एवं तिथि	मात्रा	दर (रु)	कुल राशि (रु.)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9(7-3)	10(9x6)
1.	हमेलिया पेटंस ऊचाई 1.5 से 2.5 फुट	28/डीडीएच-IV दिनांक 23.03.07	1500	9.5	14250	55/ डीडीएच -I दिनांक 22.03.07	300	19	5700	9.5	2850
2.	फिकस स्टार लाईट	28/ डीडीएच -IV दिनांक 23.03.07	150	152	22800	56/ डीडीएच -II दिनांक 22.03.07	04	840	3360	688	2752
3.	फिकस बेंजामीनिया ऊंचाई 5 से 5. 5 फुट	04/ डीडीएच -III दिनांक 03.10.07(दरें दि. 25.07.07को प्राप्त की गई थी।)	50	55	2750	01/ डीडीएच -II/जोन-I/2007-08 दिनांक 10.05.07	225	110	24750	55	12375
4.	फिकस पांडा ऊंचाई 2 से 2. 5 फुट	04/ डीडीएच -III दिनांक 03.10.07(दरें दि. 25.07.07को प्राप्त की गई थी।)	50	30	1500	2/ डीडीएच -III/ जोन -I दिनांक 01.06.07	250	55	13750	25	6250
						19/पी एण्ड जी-II दिनांक 25.09.07	381	73	27813	43	16383
5.	कोलेरोडेड्रान एन्नरमिट ऊंचाई 1 से 1. 5 फुट	04/डीडीएच -III दिनांक 03.10.07(दरें दि. 25.07.07को प्राप्त की गई थी।)	400	2.3	920	3/डीडीएच -III/जोन -I दिनांक 01.06.07	5000	3.9	19500	1.6	8000
6.	साईकसपाम 30 से 35 पत्ते	06/डीडीएच -III दिनांक 03.10.07 (दरें दि. 25.07.07को प्राप्त की गई थी।)	20	1345	26900	07/ डीडीएच -III/जोन -I दिनांक 25.07.07	11	2350	25850	1005	11055
						21/डीडीएच -III/जोन -I दिनांक 12.10.07	20	2385	47700	1040	20800
7.	फ्यूरेरिया 8 से 10 पत्ते	06/ डीडीएच -III दिनांक 03.10.07 (दरें दि. 25.07.07को प्राप्त की गई थी।)	20	94	1880	10/ डीडीएच -III दिनांक 21.08.07	10	235	2350	141	1410
8.	बिस्मारकिया पॉम	06, 18.09.08	10	1280	12800	12, 06.08.08	5	2150	10750	870	4350
						17, 13.08.08	6	1800	10800	520	3120
										योग	**89345**

अनुलग्नक –XVI
(निर्दिष्ट पैरा 4.8.4.1)

अपेय जल कनेक्शनों के सम्बंध में किये गये भुगतान एवं देय भुगतान में भिन्नता दर्शाती सूची

क्र.सं.	कनेक्शन संख्या	भुगतान की जाने वाली वार्षिक राशि (रु. में)	वर्ष के लिए राशि सहित लंबित भुगतान (रु. में)	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान एवं राशि (रु. में)	आधिक्य भुगतान (रु. में)	टिप्पणी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (5 – 4)**	**7**
		डीडीएच-II रजिस्टर				
1	4656	11046	2005-06 =11046 2006-07 =11046 योग **= 22092**	2006-07 = 33916	11824	वर्ष 2004-05 में किया गया भुगतान- 10,494/- रुपये
2	132	34370	2006-07 = 34370	2006-07 = 110115	75745	वर्ष 2005-06 में- 32651/-' वर्ष 2007-08 में 34370/- रुपये का भुगतान किया गया।
3	4759	16422	2002-03 =16422 2003-04 =16422 2004-05 =16422 2005-06 =16422 2006-07 =16422 योग **= 82110**	2006-07 = 95410	13300	वर्ष 2001-02 के लिए किया गया भुगतान- 8583/- रुपये
4	4753	15921	2005-06 = 15921	2005-06 = 46224	30303	वर्ष 2006-07 में- 15921/- वर्ष 2007-08 में 15921/- रुपये का भुगतान किया गया।
5	4745	23624	2005-06 =23624 2006-07 =23624 योग **= 47248**	2006-07 = 73172	25924	वर्ष 2004-05 में किया गया भुगतान- 22,443/- रुपये
6	4745	23624	2007-08 = 23624	2007-08 = 97850	74226	
7	4770	45950	2005-06 = 45950	2005-06 = 117449	71499	वर्ष 2004-05 में- 43653/- वर्ष 2006-07 में 43995/- रुपये का भुगतान किया गया।
8	4747	58884	2005-06 =58884 2006-07 =58884 योग **=117768**	2005-06 = 267382 2006-07 = 256255	208498 197371	वर्ष 2004-05 में- 55915/- वर्ष 2007-08 में 58884/- वर्ष 2008-09 में 55940/- रुपये का भुगतान किया गया।

9	4744	14210	2003-04 =14210 2004-05 =14210 2005-06 =14210 2006-07 =14210 **योग = 56840**	2006-07 = 111954	55114	वर्ष 1.4.99 से 31.3.2003 तक की अवधि के लिए वर्ष 2002-03 में 47992/- रुपये का भुगतान किया गया।
10	4762	11878	2007-08 = 11878	2007-08 = 24350	12472	वर्ष 2006-07 में 11878/- रुपये का भुगतान किया गया
11	4763	16175	2005-06 =16175 2006-07= 16175 **योग = 32350**	2006-07 = 115195	82845	वर्ष 2004-05 में 15367/- रुपये का भुगतान किया गया
12	249	171000	2005-06=171000	2005-06 = 527562	356562	वर्ष 2004-05 में 162450/- रुपये का भुगतान किया गया
13	7030	429724	2008-09 = 429624 2009-10 = 429624 **योग = 859248**	2009-10 = 1739977	880729	वर्ष 2007-08 में नये कनेक्शन लिए गए।
				योग	**2096412**	

अनुलग्नक –XVII
(निर्दिष्ट पैरा 4.8.4.3)

अपेय जल कनेक्शनों का बकाया भुगतान

क्र. सं.	कनेक्शन संख्या	पृष्ठ संख्या	वार्षिक रूप से अदा की जानेवाली राशि (रुपये में)	वर्षों के लिए लंबित राशि (रुपये में)			
		डीडीएच-II, रजिस्टर		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	133	83	37908	-	-	37908	37908
2	134	84	3708	-	-	3708	3708
3	4744	53	14210	-	-	-	14210
4	4763	76	16175	-	-	16175	16175
5	5084	80	2732813	2732813	2732813	2732813	2732813
6	249	79	171000	-	171000	171000	171000
		डीडीएच-I, रजिस्टर					
7	4802	43	917469	917469	917469	917469	917469
8	4636	11	40195	-	-	-	40195
9	4658	13	44984	-	-	-	44984
10	4687	21	1776	-	-	-	1776
11	4686	23	3708	-	-	-	3708
12	5082	55	8088	-	-	-	8088
		डीडीएच-II, रजिस्टर					
13	132	4	34370	-	-	-	34370
14	1158	10	8088	-	-	-	8088
15	130	14	61665	-	-	-	61665
16	4753	18	15921	-	-	-	15921
17	4766	22	23756	-	-	-	23756
18	4755	24	12131	-	-	-	12131
19	4769	28	14151	-	-	-	14151
20	4745	30	23624	-	-	-	23624
21	4765	32	53324	-	-	-	53324
22	4667	34	8088	-	-	-	8088
23	4760	41	12131	-	-	-	12131

24	4828	66	17690	-	-	-	17690
25	1156	69	33864	-	-	-	33864
26	4746	72	26788	-	-	-	26788
27	4762	74	11878	-	-	-	11878
28	4759	12	16422	-	-	16422	16422
29	153	20	771807	-	-	771807	771807
30	4833	38	3708	-	-	3708	3708
31	4764	78	17185	-	-	17185	17185
32	4656	2	11046	-	-	11046	11046
33	4770	48	45950	-	-	45950	45950
34	4751	56	21734	-	-	21734	21734
35	4568	62	3708	-	-	3708	3708
		डीडीएच-I, रजिस्टर					
36	4740	19	8088	-	-	8088	8088
37	4386	29	8088	-	-	8088	8088
38	4384	31	8088	-	-	8088	8088
39	4733	39	1776	-	-	1776	1776
40	2045	64	3708	-	-	3708	3708
41	4587	27	18408	-	-	18408	18408
योग				**3650282**	**3821282**	**4818789**	**5289219**
कुल योग				**17579572**			

अनुलग्नक –XVIII
(निर्दिष्ट पैरा 4.8.5.1)

उद्धरणों के माध्यम से उपकरणों का क्रय

क्र. सं.	आपूर्ति आदेश संख्या एवं तिथि	आपूर्ति किए गए उपकरणों का विवरण	राशि (रु. में)
1	05/डीडीएच-III/जोन-I दि. 09.0./07	पेटरोल से चलने वाले पावर हेज ट्रिमर की आपूर्ति(सं. 2)	85280
2	06/डीडीएच -III/जोन -I दि. 24.07.07	ऊर्जा चलित हेवी ड्यूटि लॉनमूवर की आपूर्ति(सं. 1)	69992
3	10/डीडीएच -I/जोन -II दि. 27.08.07	वक्षों की छटाई करने वाले उपकरण की आपूर्ति (सं. 2)	119600
4	11/डीडीएच -I/जोन -II दि. 27.08.07	पॉवर चेन आरे की आपूर्ति (सं. 2)	92924
5	20/डीडीएच -III/जोन -I /2007-08	पॉवर लॉन मूवर की आपूर्ति (सं. 2)	98176
6	26/डीडीएच -IV/जोन -II दि. 19.11.07	बीस इंच साइज़ के पॉवर लॉन मूवर की आपूर्ति (सं. 02)	99840
7	34/डीडीएच -I/जोन -II दि. 24.12.07	ब्रश कटर का क्रय (सं. 2)	97864
8	03/डीडीएच -III/जोन -I दि. 02.07.08	ब्रश कटर का क्रय (सं. 2)	99133
9	06/डीडी -III/जोन -I/08-09 दि. 04.07.08	पेटरोल चलित पॉवर हेज ट्रिमर की आपूर्ति(सं. 1)	42640
10	06/डीडीएच -I/(डीडीएच -II, रजिस्टर) दि. 10.07.08	पेटरोल चलित पॉवर हेज ट्रिमर की आपूर्ति(सं. 1)	43368
11	07/डीडीएच -I दि. 10.07.08	पेटरोल चलित पॉवर हेज ट्रिमर की आपूर्ति(सं. 1)	42567
12	08/डीडीएच -I/जोन -II दि. 10.07.08	ब्रश कटर का क्रय (सं. 1)	47112
13	09/डीडीएच -I/जोन -II दि. 10.07.08	ब्रश कटर का क्रय (सं. 1)	49566
14	11/डीडीएच -III/जोन -I दि. 31.07.08	वक्षों की छटाई करने वाले उपकरण की आपूर्ति (सं. 1)	64800
15	20/अति.-नि./उद्यान, दि. 03.09.08	पेटरोल चलित पॉवर हेज ट्रिमर की आपूर्ति(सं. 1)	64800
16	16/डीडीएच /जोन -I/08-09 Dt. 08.09.08	पेटरोल चलित पॉवर हेज ट्रिमर की आपूर्ति(सं. 1)	85280
17	17/डीडीएच -III/जोन -II/ दि. 08-09-08	वक्षों की छटाई करने वाले उपकरण की आपूर्ति (सं. 2)	99133
18	22/डीडीएच -III/जोन -I/08-09 दि. 16.10.08	पेटरोल चलित पॉवर हेज ट्रिमर की आपूर्ति(सं. 2)	86736
19	32/अति.-नि./उद्यान दि. 04.11.08	पेटरोल चलित पॉवर हेज ट्रिमर की आपूर्ति(सं. 2)	86736
20	38 अति.-नि./उद्यान/डीडीएच -II/दि. 25.11.08	विभागीय नर्सरी के लिए बैटरी चलित पॉवर सपरेयर की आपूर्ति (सं. 6)	46488
21	66/डीडीएच -II/जोन -II/ दि. 20.03.09	मिनी ट्री वाशर (पौधों की धुलाई का लघू उपकरण) का क्रय (सं. 2)	98900
		योग	**1620935**

अनुलग्नक –XIX
(निर्दिष्ट पैरा 4.8.7.1)

कार्य आदेशों के द्वारा वृक्षों की छँटाई पर व्यय

क्र.सं.	प्रभाग	कार्य आदेश सं. एवं तिथि	कुल राशि (रुपये में)
		2006-07	
1	III	06, 05.12.06	23275
2	III	07, 07.12.06	23275
3	II	33, 13.10.06	24500
4	II	38, 27.11.06	24500
5	V	41, 06.12.06	3920
6	V	43, 08.12.06	24500
		योग	**123970**
		2007-08	
7	I	21, 24.08.07	22050
8	I	24, 30.08.07	24500
9	I	29, 03.10.07	24500
		योग	**71050**
		2008-09	
10	IV	09, 11.06.08	11440
11	I	19, 11.07.08	24500
12	IV	29, 11.08.08	23920
13	IV	44, 03.12.08	13000
		योग	**72860**
		कुल योग	**266880**

अनुलग्नक –XX
(निर्दिष्ट पैरा 5.2)

पात्र अवधि की समाप्ति के उपरांत बड़ी हुई पारिवारिक पेंशन को कम नहीं किये गए मामलों को दर्शाती सूची

(रुपये में)

पेंशनभोगी का नाम एवं पीपीओ संख्या	मासिक पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दरें	मासिक पारिवारिक पेंशन की सामान्य दरें	जिस तिथि तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाना था	जिस तिथि तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया गया	जिस अवधि के लिए पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान किया गया	मँहगाई वेतन एवं मँहगाई राहत सहित अदा की जाने वाली कुल राशि	मँहगाई वेतन एवं मँहगाई राहत सहित भुगतान की गई वास्तविक राशि	अंतर
श्रीमती लीला देवी, पीपीओ 3292/ न.दि.न.पा.परिषद्	1755 (31.12.2005 तक)	1275 (31.12.2005 तक)	16.10.05	31.3.09 (लगातार)	41 मास और 15 दिन	154048	176010	2196
	3967 (1.1.2006 अब तक)	3500 (1.1.2006 अब तक)						
श्रीमती कुसुमलता तोमर पीपीओ 3716/ न.दि.न.पा.परिषद्	4350 (31.12.2005 तक)	2610 (31.12.2005 तक)	09.12.05	31.3.09 (लगातार)	39 मास और 22 दिन	253359	422958	1695
	9831 (1.1.2006 अब तक)	5899 (1.1.2006 अब तक)						
श्रीमती विद्यया पीपीओ 2284/ न.दि.न.पा.परिषद्	2295 (31.12.2005 तक)	1377 (31.12.2005 तक)	01.10.04	31.3.09 (लगातार)	53 मास और 20 दिन	184749	280574	9582
	5188 (1.1.2006 अब तक)	3500 (1.1.2006 अब तक)						
श्रीमती यशवंती सचदेवा पीपीओ 2701/ न.दि.न.पा.परिषद्	4220 (31.12.2005 तक)	2543 (31.12.2005 तक)	11.4.04	31.3.09 (लगातार)	59 मास और 19 दिन	335026	566725	2316
	9538 (1.1.2006 अब तक)	5749 (1.1.2006 अब तक)						
					योग	**927182**	**1446267**	**5190**

अनुलग्नक –XXI
(निर्दिष्ट पैरा 12.2)

31.12.2008 की अवधि तक रिक्त स्टाफ क्वार्टरों पर राजस्व घाटा एवं परिहार्य व्यय का विवरण

क्र. सं.	क्वांटर नं.	तिथि जब से रिक्त पड़े हैं	कब्जे की तिथि	जुलाई/ अगस्त, 2007* से 31.12.08 रिक्ती की अवधि (मास में)	वरीयता सूची से दिसम्बर, 2008 को प्रतिक्षारत सूची में कर्मचारियों की संख्या	प्रति मास लाईसेंस शुल्क (रुपये में)	लाईसेंस शुल्क हानि (रुपये में)	भुगतान किया गया गृह किराया भत्ता (रुपये में)
टाईप-I								
1.	14/40, पंडारा पार्क	06.09.08	01.01.09	03	60	80	240	3444
2.	24, पी.आर. लेन	27.09.08	रिक्त	03	60	80	240	3444
3.	238, बापूधाम	17.10.08	10.08.09	02	60	80	160	2296
4.	26, बालमिकि सदन	12.11.08	रिक्त	01	60	80	80	1148
5.	4, कम्पोस्ट प्लांट ओखला	30.06.08	03.08.09	06	60	143	858	6888
6.	एस-2, ई.एस.एस. नं.-3	31.07.07	02.05.08	09	60	80	720	10332
7.	एस-26, टी/एस पी.आर. लेन	04.06.07	17.01.09	18	60	80	1440	20664
8.	5, कम्पोस्ट पलांट ओखला	08.02.07	03.11.09	18	60	143	2574	20664
						योग	**6312**	**68880**
टाईप –II								
1.	एफ-66, पालिका आवास, सरोजनी नगर	29.07.08	21.01.09	05	455	143	715	6865
2.	बी-21, पालिका कुंज	19.08.08	15.01.09	04	455	183	732	5492
3.	डी-9, पालिका निकेतन, आर.के. पुरम	29.08.08	24.03.09	04	455	143	572	5492

* जून 2007 में टाईप-I से IV क्वार्टरों हेतु वरियता सूची का अनुमोदन किया गया था तथा दिसम्बर, 2008 तक वैध थीं। टाईप- V क्वार्टरों हेतु वरीयता सूची का अनुमोदन अगस्त, 2007 में किया गया था तथा दिसम्बर, 2008 तक वैद्य थी।

4.	4-सी/20, पेश्वा रोड, गोल मार्किट	09.09.08	23.10.09	03	455	143	429	4119
5.	ई-55, पालिका आवास, सरोजनी नगर	11.09.08	19.01.09	03	455	143	429	4119
6.	3-बी/21, पेशवा रोड, गोल मार्किट	19.09.08	03.11.09	03	455	143	429	4119
7.	एफ-7, पालिका निकेतन, आरे.के. पुरम	27.09.08	10.07.09	03	455	143	429	4119
8.	एम-135, पालिका आवास	30.09.08	19.01.09	03	455	143	429	4119
9.	बी-18, पालिका आवास, सरोजनी नगर	29.09.08	13.01.09	03	455	143	429	4119
10.	.ए-9, पालिका निकेतन, आर.के. आश्रम मार्ग	16.10.08	14.03.09	02	455	183	366	2746
11.	सी-11, पालिका निकेतन, आर.के.पुरम	28.11.08	10.07.09	01	455	143	143	1373
12.	एन-1, चरक पालिका अस्पताल	28.11.08	19.03.09	01	455	143	143	1373
13.	ए-8, पालिका आवास, सरोजनी नगर	31.01.08	19.03.09	11	455	143	1573	15103
14.	आई-8, पालिका निकेतन, आर.के. पुरम	10.01.06	रिक्त	18	455	143	2574	24714
15.	बी-26, पालिका कुंज	16.06.08	16.01.09	06	455	183	1098	8238
						योग	**10490**	**96110**
टाईप –III								
1.	टी-3, न.दि.न.पा.परि. कॉम्पलेक्स, नौराजी नगर	30.07.08	रिक्त	05	374	217	1085	12375
2.	एफ-2, अबुलफ़जल रोड	31.07.08	11.06.09	05	374	239	1195	12375
3.	टी-2, नौरोजी नगर	17.10.08	10.08.09	02	374	217	434	4950
4.	17, आदित्या सदन	28.11.08	रिक्त	01	374	217	217	2475
5.	एस-3, अबुलफ़जल रोड	30.08.08	24.02.09	04	374	239	956	9900
6.	ई-18, पालिका निवास	29.11.05	10.08.09	18	374	293	5274	44550
						योग	**9161**	**86625**
टाईप –IV								
1.	2, डॉ. फ्लेट, मोती बाग	01.12.05	29.12.09	18	61	293	5274	68850
2.	जी-9, पशु चिकित्सालय मोती बाग	08.02.08	13.02.09	10	61	293	2930	38250
3.	7, एक्स वाई ब्लॉक	21.03.08	15.11.09	09	61	367	3303	34425

	सरौजनी नगर							
4.	32, सरौजनी विहार	03.04.08	रिक्त	08	61	293	2344	30600
5.	जी-3 पशु चिकित्सालय	30.04.08	01.01.09	08	61	293	2344	30600
6.	3 डीडीएस फ्लैट सीपीएच, मोती बाए	30.04.08	27.01.10	08	61	293	2344	30600
7.	एस-।, साऊथ एण्ड लेन	12.05.08	04.06.09	07	61	293	2051	26775
8.	एस-2, ईएसएस अरविंदो मार्ग	23.07.08	08.03.10	05	61	293	1465	19125
9.	3, सत्य कुटुंब	31.07.08	25.01.10	05	61	293	1465	19125
10.	7, पंडारा रोड	01.09.08	रिक्त	04	61	293	1172	15300
11.	4 ईएसएस वेस्ट किदवई नगर	26.01.08	09.01.09	11	61	520	5720	42075
12.	12, एक्स वाई ब्लॉक सरोजनी नगर	01.12.08	25.11.09	01	61	367	367	3825
						योग	**30779**	**359550**
टाईप –V								
1.	6 पालिका सदन	07.04.08	रिक्त	08	05	578	4624	43200
2.	2, पालिका सदन	23.06.08	27.10.08	03	05	578	1734	16200
3.	203, डीडीए फ्लेट, मोती खान	22.07.08	09.07.09	05	05	520	2600	27000
4.	601, ब्लॉक-।।, डीडीए फ्लेट, मोती खान	05.06.08	30.03.09	06	05	520	3120	32400
5.	जी-।, मोती बाग, पशु चिकित्सालय	16.09.08	21.10.09	03	05	690	2070	16200
						योग	**14148**	**135000**
						कुल योग	**70890**	**746165**